





CONTENTS

1.	Board of Directors	...	03
2.	Notice of Annual General Meeting	...	05
3.	Report of the Board of Directors	...	13-34
4.	Report on Corporate Governance	...	35-38
5.	Management Discussion and Analysis Report	...	39-41
6.	Certificate of D. Raut & Associates	...	42
7.	Secretarial Audit Report of D. Raut & Associates	...	43-44
8.	Comments of Comptroller and Auditor General of India	...	48-49
9.	Auditor's Report	...	51-61
10.	Annual Accounts	...	63-92



CORPORATE INFORMATION

Company Secretary

Smt. Mohua Datta Gupta

Registered Office

KMRCL Bhavan (HRBC Office Compound)
Munshi Premchand Sarani, Kolkata - 700021
Tel No.: 033 2213 4345
Fax No.: 033-2213 4380
Website: www.kmrc.in

Statutory Auditors

Raj Kuamr Kothari & Co.
Chartered Accountants
32, Ezra Street, Suite No. 403, 4th Floor
Kolkata - 700 001

Secretarial Auditors

D. Raut & Associates
Company Secretaries
2A, Ganesh Chandra Avenue
Commerce House, 8th Floor
Room No. 7A
Kolkata - 700 001

Internal Auditors

KGRS & Co.
Chartered Accountants
Chatterjee International Centre, Flat No. 13
17th Floor, 33-A, Jawaharlal Nehru Road
Park Street, Kolkata-700001

Bankers

State Bank of India, Kolkata Main Branch, Kolkata
Union Bank of India, Dharamtalla Branch, Kolkata
HDFC Bank, Salt Lake Branch, Kolkata
HDFC Bank, Stephen House Branch
UCO Bank, Hastings Branch
Central Bank of India, Camac Street Branch
Punjab National Bank, High Court Branch
UCO Bank, Salt Lake Branch

BOARD OF DIRECTORS

01.	Shri Arun Arora	Chairman(till 17.03.2023)
02.	Shri P. U. K. Reddy	Chairman (from 17.03.2023)
03.	Shri Chandeshwar Nath Jha	Managing Director and Director (RS&T) (till 30.11.2022)
04.	Shri H. N. Jaiswal	Managing Director (from 18.02.2023)
05.	Shri Naresh Chandra Karmali	Managing Director (From 01.12.2022 - 11.02.2023) Director (Projects & Planning) (till 11.02.2023)
06.	Syed Md. Jamil Ahsan	Director (Projects & Planning) (from 20.02.2023)
07.	Shri Angshuman Sarkar	Director (Finance) [From 20.06.2022) and Director (RS&T) (from 01.12.2022)
08.	Shri Nagsen Moreshwar Dhole	Director
09.	Shri Dhananjaya Singh	Director
10.	Shri Jaideep	Director
11.	Shri Shyam Sunder Dubey	Director (till 04.08.2022)
12.	Shri Sanjeet	Director (from 01.05.2023)
13.	Shri Rajesh Kumar Sinha, IAS	Director (till 29.07.2022)
14.	Shri Binod Kumar IAS	Director (from 04.10.2022)
15.	Smt. Anju Warrior	Non-official Independent Director (till 10.07.2022)

Note : This page has been kept blank intentionally

NOTICE

SHORT NOTICE FOR THE 15TH ANNUAL GENERAL MEETING

Shorter Notice is hereby given that the 15th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Tuesday, 19th September, 2023 at 03:30 P.M. through Video Conferencing ("VC") to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements (including the Cash Flow Statement and Statement of Change in Equity) of the Company for the year ended 31st March, 2023 together with the Reports of the Board of Directors and the Independent Auditors as also the Comments of Comptroller and Auditor General of India thereon.
2. To take note of the appointment of the Statutory Auditor of the Company appointed by Comptroller and Auditor General of India and to authorise the Board of Directors to fix the remuneration of the Statutory Auditor for the financial year 2023-24 and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT members be and hereby take note of the appointment of Statutory Auditor of the Company for the financial year 2023-24, by the Comptroller and Auditor General of India and authorize the Board of Directors to fix the remuneration including out-of-pocket expenses based on a recommendation of the Audit Committee."

SPECIAL BUSINESS

3. To consider appointment of Shri P. U. K. Reddy, IRSME as Part-time Chairman and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Ordinary Resolution:

"RESOLVED, that pursuant to Section 152(2) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, the consent of the Company be and is hereby accorded to the appointment of Shri P. U. K. Reddy, IRSME as Part-time Chairman on the Board of the Company from 17.03.2023 till he holds the post of General Manager, Metro Railways, Kolkata or further orders, whichever is earlier.

RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary be and is hereby authorised to do all such acts, deeds and things and to sign all such documents as may be necessary, expedient and incidental thereto to give effect to this resolution."

4. To consider appointment of Shri H. N. Jaiswal, IRSE as Managing Director of the Company as an additional charge in addition to his own as PCE/Metro Railway and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Ordinary Resolution:

"RESOLVED, that pursuant to Section 152(2) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, the consent of the Company be and is hereby accorded to the appointment of Shri H. N. Jaiswal, IRSE as Managing Director of the Company as an additional charge in addition to his own as PCE/Metro Railway with effect from the date of assumption of charge till appointment of a regular incumbent to the post or until superannuation of the officer or until further order, whichever is the earliest.

RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary be and is hereby authorised to do all such acts, deeds and things and to sign all such documents as may be necessary, expedient and incidental thereto to give effect to this resolution."

5. To consider appointment of Shri Syed Md. Jamil Ahsan, IRSE as Director (Project & Planning) of the Company as an additional charge in addition to his own as CE(O&M)/Metro Railway and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Ordinary Resolution:

"RESOLVED, that pursuant to Section 152(2) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, the consent of the Company be and is hereby accorded to the appointment of Shri Syed Md. Jamil Ahsan, IRSE as Director (Project & Planning) of the Company as an additional charge in addition to his own as CE(O&M)/Metro Railway with effect from the date of assumption of charge till appointment of a regular incumbent to the post or until further order,



whichever is earlier.

RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary be and is hereby authorised to do all such acts, deeds and things and to sign all such documents as may be necessary, expedient and incidental thereto to give effect to this resolution."

6. To consider appointment of Shri Sanjeet, Joint Secretary & Financial Adviser, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), Government of India as Part-time Government Director on the Board of Directors of the Company in lieu of Shri Shyam Sunder Dubey, former Joint Secretary & Financial Adviser, MoHUA, Government of India till he holds the office of Joint Secretary & Financial Adviser, MoHUA or further orders, whichever is earlier and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Ordinary Resolution:

"RESOLVED, that pursuant to Section 152(2) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, the consent of the Company be and is hereby accorded to the appointment of Shri Sanjeet, Joint Secretary & Financial Adviser, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), Government of India as Part-time Government Director on the Board of Directors of the Company w.e.f. 01.05.2023 in lieu of Shri Shyam Sunder Dubey, former Joint Secretary & Financial Adviser, MoHUA, Government of India till he holds the office of Joint Secretary & Financial Adviser, MoHUA or further orders, whichever is earlier.

RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary be and is hereby authorised to do all such acts, deeds and things and to sign all such documents as may be necessary, expedient and incidental thereto to give effect to this resolution."

7. To consider appointment of Shri V. K. Srivastava, IRSE as Managing Director of the Company as an additional charge in addition to his own as PCE/Metro Railway w.e.f. 01.06.2023 and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Ordinary Resolution:

"RESOLVED, that pursuant to Section 152(2) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, the consent of the Company be and is hereby accorded to the appointment of V. K. Srivastava, IRSE as Managing Director of the Company as an additional charge in addition to his own as PCE/Metro Railway w.e.f. 01.06.2023 till appointment of a regular incumbent to the post or until superannuation of the officer or until further order, whichever is the earliest.

RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary be and is hereby authorised to do all such acts, deeds and things and to sign all such documents as may be necessary, expedient and incidental thereto to give effect to this resolution."

8. To consider appointment of Shri Asim Kumar Majumdar, IRSEE as Director (RS&T) of the Company as an additional charge in addition to his own as PCEE/Metro Railway w.e.f. 01.06.2023 and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Ordinary Resolution:

"RESOLVED, that pursuant to Section 152(2) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, the consent of the Company be and is hereby accorded to the appointment of Shri Asim Kumar Majumdar, IRSEE as Director (RS&T) of the Company as an additional charge in addition to his own as PCEE/Metro Railway w.e.f. 01.06.2023 till appointment of a regular incumbent to the post or until superannuation of the officer or until further order, whichever is the earliest.

RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary be and is hereby authorised to do all such acts, deeds and things and to sign all such documents as may be necessary, expedient and incidental thereto to give effect to this resolution."

By order of the Board of Directors
For Kolkata Metro Rail Corporation Ltd.

Place: Kolkata
19th September, 2023

Sd/-
Mohua Datta Gupta
Company Secretary

Notes:

1. General Circular No. 10/2022 dated 28.12.2022 & General Circular No 11/2022 dated 28.12.2022 MCA has extended the time period for holding of AGM / EGM or passing of Ordinary/ Special Resolution through "Video Conferencing" till 30th September 2023. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and MCA Circulars, the 15th AGM of the Company is being held through VC/OAVM.
2. Pursuant to the provisions of the Act, generally a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself. The proxy need not be a member of the Company. Since this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC/OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM.
3. The statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 relating to the item of special business is annexed and forms part of the notice.
4. The meeting is being held by shorter notice.
5. Since the AGM is held through VC/OAVM, the Route Map is not annexed in this Notice.
7. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 in respect of the items of special business set out in the Notice convening the 15th Annual General Meeting to be held on 19th September, 2023.

SPECIAL BUSINESS ITEM

Item No. 3

Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) vide letter No. 2012/Proj/KMRCL/21/4/PL dated 30th January, 2014 approved the nomination of General Manager, Metro Railway, Kolkata as Part-time Chairman on the Board of Directors of KMRCL with immediate effect, till further order.

Accordingly, General Manager, Metro Railway, Kolkata is designated as Part-time Chairman on the Board of Directors of the Company. Shri P. U. K. Reddy, IRSME had assumed the additional charge of the General Manager, Metro Railway, Kolkata w.e.f. 17.03.2023 in terms of Railway Board's Order No. E(O)III-2023/PM/37 dated 17.03.2023.

By virtue of Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) letter No. 2012/Proj/KMRCL/21/4/PL dated 30th January, 2014 Shri P. U.K. Reddy, IRSME had been nominated as Part-time Chairman on the Board of Directors of the Company.

The ordinary resolution set out under item no. 3 of the Notice is intended for the purpose.

Shri Reddy may be deemed to be concerned or interested in the resolution. No other Director, Key Managerial Personnel or their relatives is concerned or interested financially or otherwise in the Resolution.

Copy of the aforesaid letters of Ministry of Railways (Railway Board) are available for inspection of Members at the Registered Office of the Company during business hours upto the date of the meeting and will also be available at the meeting.

Item No. 4

Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) vide Order No. 2018/E(O)II/40/17 dated 17.02.2023 conveyed appointment of Shri H. N. Jaiswal, IRSE as Managing Director of the Company as an additional charge in addition to his own as PCE/Metro Railway with effect from the date of assumption of charge till appointment of a regular incumbent to the post or until superannuation of the officer or until further order, whichever is the earliest.

Shri H. N. Jaiswal assumed charge from 18.02.2023.

The ordinary resolution set out under item no. 4 of the Notice is intended for the purpose.

Shri Jaiswal may be deemed to be concerned or interested in the resolution. No other Director, Key Managerial Personnel or their relatives is concerned or interested financially or otherwise in the Resolution.

Copy of the aforesaid letter of Ministry of Railways (Railway Board) is available for inspection of Members at the Registered Office of the Company during business hours upto the date of the meeting and will also be available at the meeting.

Item No. 5

Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) vide Order No. 2019/E(O)II/40/14 dated 17.02.2023 conveyed appointment of Shri Syed Md. Jamil Ahsan, IRSE as Director (Project & Planning) of the Company as an additional charge in addition to his own as CE(O&M)/Metro Railway with effect from the date of assumption of charge till appointment of a regular incumbent to the post or until further order, whichever is earlier.

Shri Ahsan assumed charge from 20.02.2023.

The ordinary resolution set out under item no. 5 of the Notice is intended for the purpose. Shri Ahsan may be deemed to be concerned or interested in the resolution. No other Director, Key Managerial Personnel or their relatives is concerned or interested financially or otherwise in the Resolution.

Copy of the aforesaid letter of Ministry of Railways (Railway Board) is available for inspection of Members at the Registered Office of the Company during business hours upto the date of the meeting and will also be available at the meeting.

Item No.6

Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) vide Order No. 2022/PL/57/10 dated 01.05.2023 conveyed appointment of Shri Sanjeet, Joint Secretary & Financial Adviser, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), Government of India as Part-time Government Director on the Board of Directors of the Company w.e.f. 01.05.2023 in lieu of Shri Shyam Sunder Dubey, former Joint Secretary & Financial Adviser, MoHUA, Government of India till he holds the office of Joint Secretary & Financial Adviser, MoHUA or further orders, whichever is earlier.

The ordinary resolution set out under item no. 6 of the Notice is intended for the purpose. Shri Sanjeet may be deemed to be concerned or interested in the resolution. No other Director, Key Managerial Personnel or their relatives is concerned or interested financially or otherwise in the Resolution.

Copy of the aforesaid letter of Ministry of Railways (Railway Board) is available for inspection of Members at the Registered Office of the Company during business hours upto the date of the meeting and will also be available at the meeting.

Item No.7

Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) vide Order No. 2018/E(O)II/40/17 dated 01.06.2023 conveyed appointment of Shri V. K. Srivastava. IRSE as Managing Director of the Company as an additional charge in addition to his own as PCE/Metro Railway w.e.f. 01.06.2023 till appointment of a regular incumbent to the post or until superannuation of the officer or until further order, whichever is the earliest.

The ordinary resolution set out under item no. 7 of the Notice is intended for the purpose. Shri Srivastava may be deemed to be concerned or interested in the resolution. No other Director, Key Managerial Personnel or their relatives is concerned or interested financially or otherwise in the Resolution.

Copy of the aforesaid letter of Ministry of Railways (Railway Board) is available for inspection of Members at the Registered Office of the Company during business hours upto the date of the meeting and will also be available at the meeting.

Item No.8

Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) vide Order No. 2018/E(O)II/40/31 dated 01.06.2023 conveyed appointment of Shri Asim Kumar Majumdar. IRSEE as Director (RS&T) of the Company as an additional charge in addition to his own as PCEE/Metro Railway w.e.f. 01.06.2023 till appointment of a regular incumbent to the post or until superannuation of the officer or until further orders, whichever is the earliest.

The ordinary resolution set out under item no. 8 of the Notice is intended for the purpose. Shri Majumdar may be deemed to be concerned or interested in the resolution. No other Director, Key Managerial Personnel or their relatives is concerned or interested financially or otherwise in the Resolution.

Copy of the aforesaid letter of Ministry of Railways (Railway Board) is available for inspection of Members at the Registered Office of the Company during business hours upto the date of the meeting and will also be available at the meeting.

By order of the Board of Directors
For Kolkata Metro Rail Corporation Ltd.

Sd/-
Mohua Datta Gupta
Company Secretary

Place : Kolkata
19th September, 2023

Note : This page has been kept blank intentionally

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Note : This page has been kept blank intentionally.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is pleased to present its 15th Annual Report together with the audited financial statements of the Company for the year ended 31st March, 2023, Report of the Statutory Auditors and Comments of the Comptroller and Auditor-General of India.

Financial Highlights

During the year under report, the Company continued to be engaged in implementing the 'East West Metro Corridor' Project - a rail based mass rapid transit system connecting Salt Lake Sector V in the east to Howrah Maidan in the west covering a distance of 16.55 kilometres - out of which 5.74 kilometres is elevated portion and 10.81 kilometres underground corridor.

Profit after Tax as per 'Statement of Profit and Loss' forming part of the financial statements for the year ended 31st March, 2023 amounting to Rs.72,72,040/- has been adjusted against 'Reserves & Surplus' under the head 'Other Equity' in the Balance Sheet on that date.

The Company had no subsidiary, associate or joint venture company during the year under report.

Status of the Project

Kolkata Metro Rail Corporation Ltd. ('KMRCL') was formed in July'2008 as a joint venture company of Government of India and Government of West Bengal with equal (50:50) equity participation for execution of EAST WEST METRO Corridor in Kolkata. Later, as stated in earlier Reports, Government of India had decided on 23rd August, 2012 that the 'East West Metro Project' be transferred to Ministry of Railways (hereafter 'MoR') and executed as a Central Sector Project. As per the decision, MoR will hold 74% equity of the Company and Ministry of Urban Development balance 26%. All shares held in the Company by Government of West Bengal ('GoWB') were thereafter transferred to MoR. Ministry of Urban Development has since been renamed as Ministry of Housing and Urban Affairs (hereafter 'MoHUA').

Government of India also decided that the Company as the Project Implementation Unit would continue to function till the completion of execution of the aforesaid Project. However, Government of India will hold all the shares in the Company and after completion of the Project would run the same along with North South Corridor under a unified control. The Project has been planned to be completed in phases.

It was elucidated in earlier reports that the Project had faced numerous land acquisition, rehabilitation related hindrances and realignment issues. All the issues are now resolved although challenges in execution still persist which are detailed in this Report.

Hon'ble Minister for Railways had announced (in August 2015) that the Project will be executed as per realigned route proposed by GoWB and all costs in this regard will be borne by Government of India.

Work in Howrah Maidan to Sealdah Section of the Project which was stalled since December 2012 due to alignment-related indecision had resumed in September 2015.

The Project has been planned to be completed in phases. Phase-1A of the project [5.30 Km] from Salt Lake Sector V to Salt Lake Stadium stretch in elevated viaduct covering 6 elevated stations has been commissioned since 14-02-2020 and Phase-1B upto the 1st underground station at Phoolbagan [1.67 Km] with train reversal from Sealdah cross-over has been commissioned since 05-10-2020. Phase 1C for 2.33 Km from Phoolbagan to Sealdah was opened for the traffic on 14.07.2022 by operating one of the lines [East Bound Line] in Sealdah Station. As mandated the revenue services is undertaken by Metro Railway, Kolkata who will be in charge of operation & maintenance of the system.

The connection of the corridor with Sealdah Station was a major landmark as Sealdah has a major terminal

station of Eastern Railway having passenger footfall of approximately 12 lakhs per day which includes suburban & mail express passengers. The operation in other line [West Bound Line] has not started as the Tunnel Boring Machine launching shaft in West Bound Line has not been closed to execute the balance critical works in Sealdah- Esplanade section.

Prior to Bowbazar incident on 31.08.2019, the tunnelling work was planned to be completed in December, 2019 which finally was completed in May, 2021 but still the bridging gap of 38 mtrs. in retrieval shaft at Bowbazar, where two TBMs have been retrieved from, yet to be closed fully and back filled. The closure of the retrieval shaft is in progress and till now 16 m out of 38 m has been closed. After complete closure only the backfilling will start. Considering the impact of COVID'19 pandemic (1st& 2nd wave), the completion of remaining portion of the project in Phase-II comprising of rest 4 underground stations over a route length of 7.25 kilometres was June, 2022 subject to construction related eventualities. Subsequently, due to water mixed soil ingress in retrieval shaft area on 11.05.2022 where TBM has been retrieved and water Ingress Incident on 14.10.2022 for construction of one Cross passage (CP2) and its impact on completion time line, the target for commissioning of Phase-II has been delayed. The target for commissioning of the truncated service from Howrah Maidan to Esplanade for a route length of 4.8 Km has been fixed on December 2023 and full commissioning of Phase-II has been fixed by June 2024, which is again subject to containment of the technical challenges being faced in execution of the balance critical works between Esplanade & Sealdah.

The Project cost has increased due to additional expenditure involved in implementation of the Project due to re-alignment of the route, price escalation due to additional time, change in market dynamics in the Metro sector and due to delay in execution and fluctuation of Indian currency in international market, etc. The Company submitted a revised project cost amounting to Rs. 8996.96 crore to MoR in year 2015-16. After review by a committee appointed by Prime Minister's Office, the same is pruned down to Rs. 8574.98 crore (against sanctioned cost of Rs. 4874.58 crore) which has been approved vide Railway Board's order dated 22-10-2020. The sanctioned Revised Cost Estimate had following basis:-

- (i) The price level for revised cost estimate was December, 2017.
- (ii) The Price Variation paid upto December, 2017 was in-built in the RCE and projected PVC upto December, 2020 was captured.
- (iii) The project completion was taken as June, 2021.

Main Reasons for Delay in construction:

- **Realignment issue :** Realignment of route done in Aug'2015 which increased project length from 14.67 Km to 16.55 Km due to traffic blockade in Mahakaran Station area and R&R issues at Central Station.
- **Water ingress incident at Bowbazar :** Following three incidents of water ingress happened in Bowbazar area which caused serious impact on over ground structures, public safety and impact on the project completion.
 - Water ingress causing failure of TBM on 31.08.2019 at Bowbazar: Severe ingress of water mixed with soil inside the Tunnel Boring Machine when the TBM was passing below dense built-up locality at Bowbazar [West Bound- TBM1] which resulted considerable surface settlement and endangered some buildings in the influence zone of the tunnel.
 - COVID'2019
 - Water ingress in Retrieval shaft at Bowbazar during construction of Base slab on 11.05.2022. The location of ingress is below the Esplanade Side circular tunnel at the junction point of circular tunnel and box tunnel.
 - Water ingress during construction of Cross Passage (CP-2, 5.5m long) at Bowbazar on 14.10.2022.

Due to the reasons mentioned above, there is time over run of about three years with respect to what was projected in sanctioned revised cost estimate. The revised cost estimate (RCE-2) has increased due to time over run due to price variation, increase in Taxes, Difference in cost of State and Central wages, variation, change in scope of work, prolongation of Project Management Consultancy (PMC) & fluctuation of Indian currency in international market etc. The Company has submitted a revised Project cost amounting to Rs. 10,442.41 crore to MoR in Aug'2022. The RCE is still under consideration of MoHUA and MoR.

Major achievements during 2022-2023 and after March, 2023

Phase-I (Salt Lake Sector-V to Sealdah - 9.30 Km) :

Earlier, Phase-1A of the project [5.30 Km] from Salt Lake Sector V to Salt Lake Stadium stretch in elevated viaduct covering 6 elevated stations has been commissioned since 14-02-2020 and Phase-1B upto the 1st underground station at Phoolbagan [1.67 Km] with train reversal from Sealdah cross-over has been commissioned since 05-02-2020.

The Phase-1C of 2.33 Km length from Phoolbagan to Sealdah was inspected by Commissioner of Railway Safety on 16.3.2022 & 17.03.2022 and Authorisation for opening was received on 24.03.2022. The section between Sealdah to Phoolbagan (2.33 Km) has been commissioned since 14.07.2022 after compliance of the stipulations given in the Authorisation. Due to commissioning of this stretch, the per day ridership between Sector-V and Sealdah Metro station has been increased manifold. Earlier daily ridership was 2,500-3,000 passengers; now daily ridership is between 30,000-35,000 passengers.

Phase- II (From Sealdah to Howrah Maidan - 7.25 KM)

Underground Corridor civil works:

- The tunnelling part of underground corridor comprises of twin tunnels being implemented by 'Tunnel Boring' method using precast concrete segmental tunnel liners. There are 4 underground stations in Phase-II which are being executed by 'cut & cover' method using diaphragm walls as retaining system.
- The East Bound Tunnel from Esplanade to Sealdah was completed in October, 2020 and the same Tunnel Boring Machine was refurbished and relaunched in west bound tunnel to complete the balance 796 m tunnel from Sealdah to Bowbazar. This work was started in January, 2021 and it was completed in May, 2021 which marks the completion of entire mechanized tunneling by TBM for this project.
- The summary of tunnelling activity in Phase-II are :

Contract Package	Stretch	Tunnel	Tunneling length (Metre)	Tunneling completed (Metre)	% Completion
UG/2	Esplanade to Sealdah	East Bound	4892	4892	100
		West Bound	4892	4854*	99.22
UG/1	Howrah Maidan to Esplanade	East Bound	7,600	7600	100
		West Bound	7600	7600	100

*Only 38m length is balance in which retrieval shaft work is in progress to connect West Bound Circular tunnel at BowBazar Area where water ingress was happened in TBM in Aug'2019. 27 m length of Cast In Situ Box Tunnel has been completed and balance stretch of 2.45 Km in West Bound Tunnel will be completed after completion of Track Work and other system works in West Bound Tunnel.



- Structural works of balance 4 UG Stations are complete. System works, Entry structure & architectural finishing works in all 4 UG Stations in Phase-II are substantially completed except Esplanade station, which is targeted to be completed by November 2023.
- The intermediate emergency evacuation-cum-ventilation shaft at Strand Road (In between Howrah and Mahakaran station) along with the Adit connections including system works has been completed.
- The vertical shaft for intermediate emergency evacuation-cum-ventilation shaft except ancillary building at Raja Subodh Mullick Square has been completed. The horizontal & Vertical adits connection with the east and west bound tunnels by NATM tunneling was temporarily stopped after water ingress incident at CP 2 on 14.10.2022 to avoid any safety hazard for Public. The balance work is planned to be done through special technique of Ground Freezing method for ground improvement to avoid water ingress incident like CP2. This scheme has been adopted purely on safety of public & surrounding residential & commercial buildings.
- **Track work**

Entire Head Hardened Rails for ballast-less track for Phase-II have been procured from abroad. The work of track linking from Howrah Maidan to Sealdah in east bound track and upto Esplanade in west bound track has been completed. Part of the Track work in west Bound Tunnel between Sealdah and Bowbazar for approx 330m is also completed. Balance length of 2.15 Km is still left for execution in West Bound Tunnel from Sealdah to Esplanade.
- **Rolling Stock**

The tender for supply, manufacturing and testing of 14 rakes, each of 6 car formation, was awarded to BEML Ltd. in 2015-16 at a total cost of INR 899.91 crore. Thus, cost per car without taxes works out to be INR 9.38 crore. All the 14 rakes are delivered. The additional 3 rakes i.e. 15, 16 and 17 have been awarded to BEML Ltd. Additional 03 rake will be arrived between March'2024-May'2024
- **Power supply**

Power supply work for entire corridor is entrusted with Siemens Ltd. Power supply work has been completed between Howrah Maidan to Esplanade Section including all four underground station. The power supply work is held up in tunnel section between Esplanade and Sealdah due to no access is available at present.
- **Escalators and elevators**

All lifts & escalator has been installed in Phase-I section [Sector-V to Sealdah] except one no. escalator at Sealdah Station. Lifts and elevators in Phase-II has been manufactured and delivered at all underground stations of Phase-II. The work of lift & escalators have been substantially completed in Phase-II work..
- **Tunnel Ventilation System ('TVS')**

TVS shall provide a means to control smoke flow and ensure safe evacuation of passengers in case of fire as well as maintain an acceptable environment in the tunnel and station track way. The work of TVS for entire corridor has been awarded to M/s. Voltas Ltd.

TVS works Sealdah is completed for Phase-IC operation. Work of TVS is also completed in Howrah Maidan and is in progress in Phase-II.

■ Signalling, Telecom and Automatic Fare Collection (AFC) works

The installation of both indoor and outdoor signaling equipment for Communication Based Train Control (CBTC) system is completed in Howrah Maidan to Esplanade Metro Station. The work for testing of Phase-IIA section is in progress by HSTS. AFC work has been awarded to M/s. Indra Sistemas SA, Spain and that work is completed in Sealdah Station and is in progress in Phase-II with considerable progress in Howrah Maidan. The PSD/PSG works in HWMM, Mahakaran and HWHM have been completed and this is under progress.

■ E&M Works in Underground Section

The work of E&M system including fire fighting has been completed for Phase-I work and commissioned. Manufacturing and installation of E&M work done by Voltas Ltd. [UMPEL] in Phase-II has been substantially completed between section from Howrah Maidan to Esplanade and expected to be completed by Nov'2023.

■ Environmental Control System ('ECS') works

The work of ECS system for Phase-II underground stations has been awarded to M/s. Sterling & Wilson Ltd and the work of Sealdah Station for Phase-IC operation has been completed. Substantial progress of manufacturing work for Phase-II has been achieved and installation and expected to be completed by Nov'2023

■ Platform Screen Doors (PSDs)/Platform Screen Gates (PSGs)

PSD is a system of motorised sliding doors that provide controlled access to the trains and protect the platform edge. The PSD system constitutes a full height/half height screen-work load bearing structure installed using civil inter-face at platform and ceiling level. PSDs will restrict suicide cases at platform apart from substantial saving of electrical energy due to reduced volume of air conditioning. Besides, aesthetic view of the platform will also be enhanced.

PSD work for 6 underground stations and PSG (half-height platform screen gates) work for 6 elevated stations has been awarded to M/s. CRRC. The work of Phase-II has been substantially completed. At present integration with Rolling stock & S&T is in progress and expected to be completed by Nov'2023 after integrated testing and commissioning.

Incidence of water ingress at Bowbazar TBM (Tunnel Boring Machine) Retrieval Shaft on 11/12.05.2022.

A. The initial Incident(Bow Bazar Tunnel water ingress incident on 31.08.2019):

Two Tunnel Boring Machines [TBM] launched [In Jan & Feb'2019] from Esplanade to execute twin bore tunnels of 5.8 m internal dia and were to breakthrough at Sealdah west side. [2.45 KM]. The West Bound tunnel TBM was leading. This was the last drive planned for the TBM Tunnelling in the entire project. Till 31.08.2019, West Bound tunnel from Esplanade to Sealdah was completed for 1654 m and only 804 m left out to reach Sealdah. On 31.08.2019, at Bowbazar there was severe ingress of water inside the Tunnel Boring Machine [West Bound- TBM-1].


This water was mixed with sand/soil particles which resulted in considerable ground loss resulting surface settlement and endangered some buildings in the influence zone of the tunnel. Overall, 73 buildings were evacuated. 712 persons were accommodated in different hotels and about 12 persons arranged own accommodation. The Tunnel Boring Machine for East Bound tunnel [TBM-2] which was about 300m back side from affected location was also stopped immediately.

Retrieval Shaft for the TBM Machines

1. Residual tunnelling after the incident has been completed in May 2021 by one machine from point of stoppage to Sealdah and relaunched it again from Sealdah and completing the tunnel in other line

[West Bound]. Breakthrough of this machine was inside the common retrieval shaft from where both the machines.

2. Retrieval of both the machines has been completed in March'2022 and permanent box construction inside the retrieval shaft is in progress.



B. Incident of Water Ingress on 11.05.2022 at BowBazar

In Bowbazar TBM retrieval shaft [38 m x 10 m] where both TBMs have been retrieved, the preparation for casting of balance 9m of base slab of box was in progress on 11/05/2022. Casting of 29m of the box base slab with 1.8m high wall on either side has been completed. While excavation below the balance base slab [9x10m] for doing plain concrete water ingress started at about 10AM on 11.05.2022. The location of ingress is below the Esplanade Side circular tunnel at the junction point of circular tunnel and box tunnel. Initially water ingress was with sand/soil. Due to soil loss in the ground, over ground settlement occurred which resulted in cracks in some adjoining buildings at Durga Pithuri Lane, Sykrapara Lane and Gour Dey Lane. Most of the buildings in the area are old structures and some of them have been marked unsafe by Kolkata Municipal Corporation. Further settlement has stopped since morning of 13.05.2022. 9 buildings were affected and 154 people were evacuated around mid-night as precautionary measures and accommodated in different nearby hotels with fooding & lodging.

The balance Base Slab [9x10m] has been completed on 05.03.2023 after applying specialised Grouting methods and sequential Construction Techniques. After construction of base slab, the 27m of the Tunnel Box out of 38m is completed and invert of balance 11m is constructed. Construction of Overt of the balance 11m will be done after completion of Track Work as the access for part of Track work is to be done from this portion of the Retrieval Shaft.

C. Incident of Water Ingress for Construction of CP2 on 14.10.2022 at BowBazar

Cross Passage work was going on at CP-2 location, which is at a distance of about 128m from Bowbazar Retrieval Shaft towards Sealdah under UG2 Contract Works. The Grouting followed by the excavation for heading portion of the Cross Passage, Rib Fixing and Temporary Lining was completed by 24th September 2022. During the Durga Puja holidays, the Cross Passage was closed with SandBags filled in the void space and the face was sealed. From 13th October 2022 onwards, the excavation work for benching started, after satisfactory probe drilling results. Till 3.00am of 14th October the site was stable with no sign of water

ingress. While trimming the last 200mm to profile in the invert, suddenly ingress of water & silt started heavily at around 3.45 am and rapidly became uncontrolled. Gush of water with silt flooded the West Bound Tunnel also upto some height. Surface settlement and development of cracks in some of the adjacent Buildings was reported. Evacuation of residents started from 5.30 am on 14th October 2022. 12 buildings were affected and 192 people were evacuated around early morning as precautionary measures and accommodated in different nearby hotels with fooding& lodging.

Immediate measures taken

- Filling of the affected area where the water is coming from by Cement bags and putting Steel Bulk head in place. PU Grouting was applied to arrest the water ingress but it was not controlled.
- Shotcrete was applied with an additional layer of Plate on the face of CP2 and ultimately the water was fully arrested around 12.30pm on 15th October 2022

Rehabilitation efforts of the Company

The demolished buildings shall be reconstructed and the repairable buildings shall be structurally repaired and structural health thereof will be verified by experts. As the out stay of the shifted residents in these two categories of buildings is considerable, furnished residential flats have been arranged for them by the construction company.

EFFECTS OF BOWBAZAR INCIDENTS AT A GLANCE					
Category	Particulars	1st Incident	2nd Incident	3rd Incident	Total
		31.08.2019	11.05.2022	14.10.2022	
Buildings	Affected Buildings	72	9	12	93
	Buildings Demolished	23	2	0	25
	Buildings repaired	31	4	11	46
	Buildings under observations	18	3	1	22
People	People evacuated from Buildings	710	154	192	1056
	People shifted to Hotel	693	154	192	1039
	People re-instated after repair	412	55	173	640
	People rehabilitated at alternative accom.(Flats)	298	99	19	416
	Compensation made to families (One time)	202	0	27	229
	No. of Flats (Rented) provided	69	32	1	102
Shops	Shops affected	81	21	30	132
	Shop owners compensated (one time)	77	16	28	121
	Shops repaired & rehabilitated	0	12	30	42
	Alternative Shops / rented shops provided	38	2	0	40

Cost & Time over-run

The contract has been awarded on 'Design and Build' basis and lump sum cost. Therefore, there should not be any impact on the Company due to this incident as this is within contractual obligation. However, the contract is covered under 'Contractors All Risk Policy' of full contractual amount of Rs.1279 crore as well as a Third Party Liability Insurance Policy. This eventual sum being borne by the agency for recovery process and restoration of damages shall, therefore, be partly recovered from the insurances. ITD ITD Cem JV has gone for arbitration in connection with Bow Bazar Tunnel water ingress incident. The AT award has been given in favour of ITD-ITD Cem JV. However, the company will challenge the said award under section 34 of Arbitration & Conciliation Act'1996 in Hon'ble high Court.

Timeline for completing the balance section from Howrah Maidan to Sealdah (Phase-II):-

SN	Section	Length	Target	Constraints
1	Commissioning of section between Howrah Maidan - Esplanade Section (Truncated service)**	4.80 Km	Dec'2023	Completing of following Critical works in Sealdah - Esplanade [2.45 Km] has an impact on Commissioning of the section.
2	Commissioning of balance section between Esplanade- Sealdah Section	2.45 Km	June'2024	<ul style="list-style-type: none"> ● Retrofitting of damage tunnel lining & its connection with cast in situ RCC box ● Construction of Cross passage-5B. ● Construction of horizontal & vertical adit of Intermediate Ventilation shaft. ● Egress arrangement at Bowbazar

** All civil works, MEP, Power Supply & S&T works of underground stations & tunnel section between Howrah Maidan and Esplanade (Including) is substantially complete.

Constraints for the balance critical work between Sealdah and Esplanade :

Completing Critical works in Sealdah - Esplanade [2.45 Km] has an impact on Commissioning of Phase-II Sealdah - Howrah Maidan of 7.25 KM. For executing the balance critical works having technical challenges, the company has engaged Foreign Expert for providing technical guidance to complete the balance critical works between Sealdah and Esplanade tunnel section for the following critical works:

1. Construction of One cross passages CP 5B connecting east bound and west bound tunnels .
2. Construction of Egress Arrangement at Bowbazar Retrieval Shaft location is under progress by eliminating three Cross passages (CP1, CP2 & CP3).
3. Construction of IV shaft at Subodh Mallick Square with individual connections of ventilation adits to both the tunnels ;
4. Completion of the box tunnel of 38 mtrs. length inside the retrieval shaft and closure of the retrieval shaft.
5. Retrofitting of Tunnel Section at Retrieval shaft at Bowbazar in West Bound Tunnel ,
6. Closure of cross passage (CP2)

The work is in progress in all above locations except sl.no.1.

Resettlement and Rehabilitation

The Company has a well-defined resettlement and rehabilitation policy for the welfare of Project affected persons whose number was estimated at 677 along the original alignment. However, this figure has significantly reduced as there will be no requirement of rehabilitation at new Mahakaran and Esplanade station areas on revised alignment. Presently there is no bottleneck related to rehabilitation issues in this Project.

Major rehabilitation of the Project affected persons have been done in following locations:

- Shree Market complex (comprising 129 shops) in Howrah Maidan area
- Shifting 7 nos. commercial shops in front of erstwhile Bangabasi theatre in Howrah Maidan area
- Shifting 30 nos. temporary shops at Phoolbagan out of which 18 have been permanently shifted back to erstwhile location
- Rehabilitation of 63 nos. KMC sweepers' quarters at Swabhumi by permanent rehabilitation flats
- Rehabilitating 80 families in Duttabad settlement by permanent rehabilitation flats.

Environmental issues

A project of the size of 'East-West Metro' passing through the most densely populated areas of Kolkata is having huge environmental challenges. The Company factored this challenge in its planning since inception of the Project.

Both the original Project as well as revised proposal was cleared from environmental criteria by West Bengal Pollution Control Board as well as Environment Department of GoWB. The Company is strictly implementing the Environmental Management Plan as indicated in the EIA study report.

The stations are being executed complying norms of Indian Green Building Council as far as practicable. The Depot is designed as green depot with silver rating of LEED.

The 'East-West Metro' Project values preservation of the environment and minimising adverse impact on the greenery. About 1,335 trees have been removed for execution of the Project. All these trees have been identified with the representative of the local municipality which owned these trees and 6,900 trees have been planted in replacement at a total cost of Rs. 45.61 lakh.

International recognition

Considering significant impacts in making people's life better, the 'East-West Metro' Project has been selected as one of the best 200 projects worldwide by Institution of Civil Engineering, UK (a renowned global engineering forum). This is considered to be a remarkable feat.

Conservation of energy, technology absorption, foreign exchange earnings & outgo

The Company has initiated various energy conservation measures at the design stage to ensure optimal use and also selecting appropriate technology for various systems. However, the detailed measures are as under:

(A) Conservation of energy -

(i) the steps taken or impact on conservation of energy:

- LED-type lighting has been envisaged in the stations and in train coaches.
- Provision of Platform Screen Doors in underground stations, which would reduce air conditioning requirement substantially and thereby reduce consumption of non-traction energy.
- Rolling Stock planned to be procured for the Project envisages regenerative braking - so that power is generated at the time of braking, which would be consumed by other powering trains running in the system.
- Elevated station architecture kept in such a way to use natural lights in day time to the extent possible. Use of polycarbonate sheets on elevated stations has been given a fillip to reduce carbon footprint.
- High COP-type air-conditioning units have been envisaged for underground stations along with energy management system so as to optimise use of chillers, cooling towers, pumps, etc.

(ii) The steps taken by the Company for utilising alternate sources of energy:

Large banks of solar cells shall be provided at the Maintenance Depot to generate energy for internal consumption. Depot layout has been kept in such a way so as to use natural lights to the extent possible.

- (iii) The capital investment on energy conservation equipment:

This will be quantified at an appropriate stage of the Project.

- (B) Technology absorption -

- (i) The efforts made towards technology absorption:

The mandate of the Company is to implement the Project. Efforts shall be made in procurement stage to explore the possibility of technology absorption.

- (ii) The benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution:

The benefits derived shall be detailed at appropriate stage in future.

Improved Opportunities for Economic Development

This project will provide easy access to existing commercial and institutional areas, as well as encouraging similar development above the stations and along the corridor through management of growth in the form of Transit Oriented Development. The Project is an effort to mitigate ever growing transportation demand in Kolkata and its surrounding and it will substantially reduce traffic congestion and environmental pollution in Kolkata. This line shall also have interchange facilities with upcoming Joka Esplanade Metro Line at Esplanade as per revised alignment. Interchange facilities will be also provided at Sealdah and Howrah Stations with Eastern Railway as well as major bus terminal at Esplanade. The completion of the new East West Line will promote regional economic growth and improve urban environment by mitigating traffic congestion and air pollution.

Benefits of East West Metro Project:

Kolkata East West Metro Project itself is a modern, safe, eco-friendly mass transportation system which will eradicate the vehicular pollution, traffic congestion and road accidents in the city of Kolkata and surrounding urban areas to a great extent. It will boost up the mass transport scenario of the region providing a fast train's river communication for the twin cities of Howrah and Kolkata. It is estimated that about 1 million people will use this system daily in year 2035. Proper Environmental Impact Assessment [EIA] was done for the project at the inception stage and compliance against the statutory environmental norms has been religiously implemented.

Major environmental and social impacts would occur during project implementation (e.g. involuntary resettlement, poverty reduction, impacts on the natural environment).

Congestion Mitigation - Taking the existing trips to the city core (Mahakaran and Central) from the major transport hubs (Sealdah, Howrah) and residential area (Salt Lake City and future Rajarhat New Town).

Safety and Security - Provision of platform screen doors and state of the art signaling system for the passengers.

Improved Air Quality and reducing sound pollutions - reducing bus trips and catering to increased trip demand as well as providing a better transport system for people to switch over from cars and taxis.

Improved Quality of Life - adding to the quality of life through pleasant and seamless journey experience with near 100% time efficiency, reducing stress, air pollution and noise and traffic nuisance. Even the depot for train stabling and maintenance will be design and built following the principles of eco-friendly and sustainable design.

Financial outlay

The revised budgeted allocation of Ministry of Railways (MoR) for the Company for 2022-23 was ₹ 1100.00 crore. During the year under report, MoR released ₹ 300.00 crore as Pass Through Assistance.

Share Capital

The authorised share capital of the Company for the time being is ₹ 3758.62 crore.

As on 31st March, 2023, the issued, subscribed and paid-up capital remained at Rs. 3758.62 crore. Equity holding of Ministry of Railways (MoR) (including shares transferred by Government of West Bengal) in the Company was ₹ 2781.37 crore (74%) while that of Ministry of Housing and Urban Affairs was ₹ 977.24 crore (26%).

Deposits

During the year under report, the Company did not invite deposits from public under Section 73 of the Companies Act, 2013.

Particulars of loans, investments and guarantee during the year under review

The Company has not

- a) given any loan to any person or other body corporate
- b) given any guarantee or provided security in connection with any loan to any other body corporate or person; and
- c) acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, as prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013.

Subsidiary, Associate and Joint Venture Company

The Company had no subsidiary, associate or joint venture company during the year under report.

Audit Committee

The Audit Committee of the Company constituted by the Board comprised of the following Directors during 2022-23:

Composition till 10.07.2022

- | | |
|--|---------------|
| 1. Smt. Anju Warrior (Non-executive Independent) | : Chairperson |
| 2. Shri Nagsen Moreshwar Dhole (Non-executive) | : Member |
| 3. Shri Jaideep (Non-executive) | : Member |

Composition after 10.07.2022

- | | |
|--|------------|
| 1. Shri Nagsen Moreshwar Dhole (Non-executive) | : Chairman |
| 2. Shri Jaideep (Non-executive) | : Member |
| 3. Shri Dhananjaya Singh (Non-executive) | : Member |

The Audit Committee during the financial year 2022-23 constituted with Smt. Anju Warrior (as Chairperson), Shri N. M. Dhole (member) and Shri Jaideep (member). Smt. Anju Warrior has ceased to be a Member of the Committee in July, 2022 pursuant to the expiry of her tenure as an Independent Director of the Company and Shri Dhananjaya Singh, Director has been appointed as a Member of the Committee.

During financial year ended 31.03.2023, the Committee met 4 (four) times - on 19.05.2022, 08.08.2022, 29.11.2022 and 29.03.2023.

Internal Auditors

KGRS & Co., Chartered Accountants, have been appointed Internal Auditors of the Company for 2022-23. The Audit Committee has reviewed functioning of the Internal Auditors and their periodic reports.

Statutory Auditors

Comptroller and Auditor General of India have appointed Raj Kumar Kothari & Co., Chartered Accountants, Kolkata - 700001 as Statutory Auditors of the Company under Section 139 read with Section 129 of the Companies Act, 2013 for the financial year 2022-23.

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE ACCOUNTS OF KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023.

Comments of the Comptroller and Auditor General of India on the financial statements for the year ended 31st March, 2023 under section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 are also annexed.

CAG has highlighted certain significant matters as stated therein for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report. Explanations thereto are given as under:

A. 1. Comments on Financial Position

Balance Sheet

Non - Current Assets

Other Financial Assets (Note -7; ₹ 230.14 crores)

The following actions have been taken subsequent to the management reply submitted to C&AG on this issue -

- Detailed verification of the documents in support of the claim for F.Y 2018-19 to F.Y 2020-21 has also been completed.
- A letter to this effect was also sent to the office of Chief Secretary, GoWB from the Chairman of KMRCL, who happens to be the General Manager of KMRCL, on 12.01.2022.
- Again, a meeting of MD and Director (Finance) with Finance Secretary, Govt. of West Bengal took place in the month of July-2022, where it was said that the Govt. of WB would reimburse the SGST receivables in instalments.
- This is to mention here that in all these meetings, Govt. of WB never denied about reimbursement to be made.
- The draft state support agreement is yet to be finalised due to some differences in non-fare revenue sharing. However, it is pointed out that the reimbursement of VAT was made in 2014, i.e, after taking over of the company by Ministry of Railways.

Hence, the outstanding amount is shown under 'Receivables'.

Moreover, the 'CAPEX' figure for the project consists of the CWIP and 'Other Financial Assets', hence, in real term there is not understatement of 'CAPEX' with respect to the fund received for the Project.

This is also to mention here that in the current financial year, Chairman/KMRCL wrote another letter to the Addl. Chief Secretary, Finance Department, Govt. of WB on 13-04-23 for expediting reimbursement of SGST.

2. Non - Current Assets- Capital Work in Progress

Pre-operative expenditure (pending allocation) (Note - 6) ₹ 253.51 crores

- (a) The East-West Metro Corridor Project, Kolkata is being constructed by the Kolkata Metro Rail Corporation Limited in a single phase with the length of the entire project being 16.55 Km. The terminology of Phase-1A, Phase-1B etc. being used by KMRCL denotes the internal demarcation of route KM being constructed and this is entirely for ease of monitoring of the various construction targets/milestones.

This project is part financed by loan from JICA and part financed jointly by Ministry of Railways and Ministry of Housing and Urban Affairs by providing fund in the form of Equity and sub-debt.

In relation to the observation, this to mention here that -

All the major contracts are financed from JICA loan and they are meant for full stretch of E-W Metro. Bifurcations and finalisation of relevant loan amounts utilised for the construction of the stretch under operation at this stage is not possible.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

In consideration of above, the borrowing cost is being capitalized as CWIP till the completion of the entire project and there is no deviation to the provision of Ind AS 23.

- (b) KMRCCL formed as a SPV is entrusted with the construction of the East-West Metro Corridor Project and Metro Railway is entrusted with the Operation and Maintenance of the completed project along with the North-South Corridor under a unified control.

KMRCCL is constructing the project in a single phase although a part of the project has already been commissioned.

However, valuation of the assets related to the commissioned portion is not possible due to the following reason -

- i. Though commercial operations have already been started from Salt Lake Sector V to Sealdah, most of the major contracts awarded are for the entire stretch and cannot be segregated.
- ii. Many of the assets created (primarily Rolling Stocks, Electrical and S&T assets are meant for the entire projects and valuation of the same is possible only after completion and commissioning of the entire project.

However, as advised by C&AG, the company will transfer the amounts related to the completed contracts of the commissioned section, from CWIP to PP&E w.e.f the FY 2023-24, at cost.

3. Other Non- Current Assets (Note -8; ₹ 87.94 crores)

Agreed.

Since, the contract liability for the Rolling-Stock contract is almost over, the ledger will be recast during FY 2023-24 and the 'Advance to Contractor' will be moved to 'CWIP'.

4. Capital Work in Progress (Note - 5 & 6, ₹ 8055.90 crores)

₹13.32 crore, which was incurred for phase-I commercial operation from February, 2020 to March, 2020 has been claimed for payment against energy bills, from Metro Railway by GGM(Electrical) vide his letter No.KMRC/ELECT/AR&BUDGET/Vol.II/7558 dated 26.04.2023.

But till date no payment has been received against this ₹13.32 crore. Hence, this expenditure has been disclosed as CWIP(power supply) and consequently there is no overstatement of CWIP or understatement of Other Non-Current Assets (Advance to Government body for utility services).

Once the payment is realised, CWIP will be reduced to that extent.

All claims have been raised to Metro Railway and they have already paid ₹6.46 crore in FY 2022-23. In addition, they are reimbursing traction electricity charges amounting to approximately ₹0.20 crore.

Therefore, as suggested by C&AG, this amount will be transferred to other non-current assets from CWIP in FY 2023-24.

5. Capital Work in Progress

Pre-operative expenditure (pending allocation) (Note - 6, ₹ 253.51 crores)

₹3.65 crore is expenses relating to CGST for consultancy fees paid to GC. This should have been debited under consultancy fee, instead of other administrative expenses.

This will be complied to while closing the accounts for FY 2023-24.

6. Capital Work in Progress

Pre-operative expenditure Expenses (Note - 6, ₹ 498.63 crores)

As per the CAAA ledger total interest for FY 2022-23 is ₹37.00 crores for all the eight loan IDs.

Interest is calculated twice, once on 20.04.2022 and then on 20.10.2022 for Loan IDs 263,263A, 192,192A, 207 and 207A.

For Loan IDs 295 and 295A interest has been charged only once in the CAAA ledger on 20.04.2022 during the year 2022-23.

The difference of ₹3.09 crore pertains to interest charged on 20.04.2023 for Loan ID 295 & 295A which is not to be considered for FY 2022-23 as that falls in FY 2023-24.

Hence, there has been no understatement of borrowing cost with corresponding JICA Loan repayment by Ministry of Finance.

B. Comments on Disclosure

Comments on Notes to Financial statements

Significant Accounting policies (Note 2.1)

KMRCL formed as a SPV is entrusted with the construction of the East-West Metro Corridor Project and Metro Railway is entrusted with the Operation and Maintenance of the completed project along with the North-South Corridor under a unified control.

The project is meant to be constructed in a single phase for the 16.55 km. stretch although a part of the project has already been commissioned to generate Revenue.

However, valuation of the assets and charging the same to Metro Railway's 'Block Account' can only be done only after completion of the entire project since many a works leading to completion and successful commissioning of the complete route are interrelated.

Hence, the spirit of the letter issued by MoR in January'2018 should be given cognizance and Management feels that no misleading information has been conveyed to the stakeholders of the company.

Secretarial Audit Report

In compliance of Section 204 of the Act and the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Board appointed D. Raut & Associates, Company Secretaries to undertake such audit for the financial year 2022-23.

Copy of the Report given by them dated 8/9/2023 is also annexed.

Board of Directors

The strength of the Board for the time being is 10 (ten) Directors out of a maximum 15 (fifteen).

The Board records its sincere appreciation of the valuable services rendered by Shri Arun Arora, Shri C. N. Jha, Shri N. C. Karmali, Shri Shyam Sunder Dubey, Shri Rajesh Kumar Sinha and Smt. Anju Warrior during their association with the Company as Directors.

In compliance of Section 149(4) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company is required to have at least two "independent director" as defined by Section 2(47) of the Act on the Board for the time being. The Company had only 1 (one) Independent Director, Smt. Anju Warrior. However with the expiry of the tenure of Smt. Anju Warrior, Independent Director on 10.07.2022 there is no independent director in the Board of Directors of the Company. Request has been made to the Railway Board, Ministry of Railways for appointment of independent director.

Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) vide letter No. 2012/Proj/KMRCL/21/4/PL dated 30th January, 2014 approved the nomination of General Manager, Metro railway, Kolkata as Part-time Chairman on the Board of Directors of KMRCL with immediate effect, till further order.

Accordingly, General Manager, Metro Railway, Kolkata is designated as Part-time Chairman on the Board of Directors of the Company. Shri P.U.K. Reddy, IRSME has assumed the charge of General Manager, Metro Railway, Kolkata w.e.f. 17.03.2023 vide Railway Board's Order No. E(O)II/-2023/PM/37 dated 17.03.2023.

By virtue of Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) letter No. 2012/Proj/KMRCL/21/4/PL dated 30th January, 2014 Shri P. U. K. Reddy, IRSME had been nominated as Part-time Chairman on the Board of Directors of the Company.

Shri H. N. Jaiswal, IRSE has been appointed as the Managing Director of the Company as an additional charge in addition to his own as PCE/Metro Railway with effect from the date of assumption of charge i.e. 18.02.2023 till appointment of a regular incumbent to the post or until his superannuation or until further order, whichever is the earliest vide Railway Board's Order No. 2018/E(O)II/40/17 dated 17.02.2023.

Shri Syed Md. Jamil Ahsan, IRSE has been appointed as Director (Project & Planning) of the Company as an additional charge in addition to his own as CE(O&M)/Metro Railway with effect from the date of assumption of charge i.e. 20.02.2023 till appointment of a regular incumbent to the post or until further order, whichever is earlier vide Railway Board's Order No. 2019/E(O)II/40/14 dated 17.02.2023.

Shri Sanjeet, Joint Secretary & Financial Adviser, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), Government of India was appointed as Part-time Government Director on the Board of Directors of the Company in lieu of Shri Shyam Sunder Dubey, former Joint Secretary & Financial Adviser, MoHUA, Government of India till he holds the office of Joint Secretary & Financial Adviser, MoHUA or further orders, whichever is earlier w.e.f. 01.05.2023 vide Railway Board's Order No. 2022/PL/57/10 dated 01.05.2023.

Shri V. K. Srivastava, IRSE was appointed as the Managing Director of the Company as an additional charge in addition to his own as PCE/Metro Railway w.e.f. 01.06.2023 vide Railway Board's Order No. 2018/E(O)II/40/17 dated 01.06.2023 till appointment of a regular incumbent to the post or until his super annuation or until further order, whichever is earliest.

Shri Asim Kumar Majumdar, IRSEE was appointed as the Director (RS&T) of the Company as an additional charge in addition to his own as PCEE/Metro Railway w.e.f. 01.06.2023 vide Railway Board's Order No. 2018/E(O)II/40/31 dated 01.06.2023 till appointment of a regular incumbent to the post or until his super annuation or until further order, whichever is earliest.

In compliance of Section 152(2) of the Act, resolutions for confirming appointments of Shri P.U.K. Reddy, Shri H. N. Jaiswal, Shri Syed Md. Jamil Ahsan, Shri Sanjeet, Shri V. K. Srivastava and Shri Asim Kumar Majumdar will be proposed at the ensuing Annual General Meeting of the Company.

Government of India, Ministry of Corporate Affairs has issued a Notification dated 5th June, 2015. In terms of the same, the provisions of Section 152(6) and 152(7) of the Act shall not apply to Government companies in which the entire paid-up share capital is held inter alia by the Central Government. In view of the same, no Director of the Company is required to retire by rotation at the ensuing Annual General Meeting.

Number of meetings of the Board

During the financial year ended 31.03.2023, the Board of Directors of the Company met 5 (five) times on 19.05.2022, 08.08.2022, 30.08.2022, 29.11.2022 and 10.02.2023.

Directors' Responsibility Statement

In compliance of Section 134(3)(c) and Section 134(5) of the Act, the Board of Directors states that in relation to the annual accounts for the financial year 2022-23:

- 1) the applicable accounting standards had been followed in the preparation thereof and there are no material departures;
- 2) such accounting policies as mentioned in the Notes to the Financial statements were selected and applied consistently and judgments and estimates that are reasonable and prudent had been made

so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of financial year and of the income and expenditure during that period;

- 3) proper and sufficient care had been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- 4) the accounts had been prepared on a 'going concern' basis;
- 5) proper and adequate systems had been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively;
- 6) All applicable Secretarial Standards were complied with.

Extract of the Annual Return

Extract of the Annual Return in the prescribed form as provided under Section 92(3) of the Act is annexed (Annexure-I).

Contracts or arrangements with related parties

The Company is a Central Public Sector Enterprise under administrative control of Ministry of Railways. Pursuant to Paragraphs 25 & 26 of 'Ind AS 24', entities over which the same government has control or joint control of, or significant influence, then the reporting entity and other entities shall be regarded as related parties. The Company has availed the exemption available for government-related entities and have made limited disclosures in the financial statements.

The entities with which the Company had significant transactions during the year include (but not limited to) Ministry of Railways and BEM Ltd.

Nature of transaction	(Rs./crore)	
	For the year ended 31st March, 2023	31st March, 2022
Government entities		
Funds received from Ministry of Railways	300.00	300.00
Funds received from Ministry of Housing and Urban Affairs	-	634.53
Other entities		
(a) for shifting of utilities & capital works		
Kolkata Municipal Corporation	0.02	0.05
West Bengal State Electricity Distribution Co. Ltd.	-	14.22
(b) for others		
BEM Ltd.	102.97	28.59
Bharat Sanchar Nigam Ltd.	0.08	0.10
Total :	403.07	977.49

Details of transactions with 'key managerial personnel' during the year are given in Note 33 of the financial statements.

Accordingly, the requirement for disclosure of related party transactions in terms of clause (h) of Section 134(3) of the Act read with Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 in 'Form AOC-2' is not applicable.

Material changes and commitments affecting the financial position of the Company

The Board of Directors confirms that there are no material changes or commitments affecting the financial position of the Company which have occurred between the end of the financial year i.e. 31st March, 2023 (to which the financial statements relate) and the date of this Report.

Employees

The Company during financial year 2022-23 had no employee whether regular, on deputation or contractual who was in receipt of remuneration in excess of the limits prescribed under Rule 5(2) of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

Development and implementation of a risk management policy

The Company is currently implementing the 'East West Metro Corridor' Project. Government of India has decided that the Company as the Project Implementation Unit would continue to function till the completion of execution of Project. After completion of the Project, Government of India would run the same along with North South Corridor under a unified control.

Ministry of Railways has advised that after completion of the 'East West Metro Corridor', O&M thereof would be done by Metro Railway, Kolkata.

Having regard to the above, formulating a risk management policy specific to operations of rail-based mass rapid transport system will be considered at an appropriate time in future. To cover financial risks, adequate internal control measures have been put in place [including internal audit done by an external firm of chartered accountants, in addition to regular audit by the Independent Auditor as well as supplementary audit by the Comptroller and Auditor General of India (CAG)].

Corporate Social Responsibility

The Company is in the project implementation stage. In the financial year 2022-23 the Company is not required to make contribution under the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 (the Act) regarding Corporate Social Responsibility (CSR).

In compliance with the requirements of Section 135 of the Act read with applicable rules made thereunder the Company has a duly constituted CSR Committee.

Memorandum of Understanding

In respect of Memorandum of Understanding (MoU) for the year 2022-23, since the Company is executing a single project of construction and does not generate any revenue, the Department of Public Enterprises has directed that the Ministry of Railways may continue with an internal MoU mechanism with the Company till it is not operational and will subsequently get covered by the new MoU guidelines.

Report on Corporate Governance

The Company believes in adopting the best corporate governance practices. As required by the "Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises" issued by Department of Public Enterprises, Government of India, a report on Corporate Governance is annexed as Annexure-II. The same forms a part of this Report.

Report on Management Discussion and Analysis

Management Discussion and Analysis Report, as stipulated forms part of the Annual Report and is also annexed as Annexure-III.

Significant and material orders passed by Regulators or Courts

There is no significant or material order passed by any regulator or court or tribunal impacting the going concern status of the Company and its future operations.

Safety and wellbeing of women

The Company has in place an anti-sexual harassment policy. An 'Internal Complaints Committee' under the

Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 has also been set up. All employees (including contractual) are covered under this policy. Details of complaints are as under:

- i. Number of complaints filed during the financial year - Nil
- ii. Number of complaints disposed of during the financial year - Nil
- iii. Number of complaints pending as on the end of the financial year - Nil

Acknowledgements

The Board wishes to place on record the co-operation and untiring support received in execution of the Project from the Government of India through Ministry of Railways (including Zonal Railways), Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry Finance, and the Government of West Bengal.

The Board also records its appreciation for the cooperation and support received from The Kolkata Municipal Corporation, Kolkata Metropolitan Development Authority, Bidhannagar Municipality, Kolkata Police, Bharat Sanchar Nigam Ltd., CESC Ltd., West Bengal State Electricity Distribution Corporation Ltd. and various other authorities and agencies.

The help in the form of soft loan assistance extended by Japan International Cooperation Agency (JICA) to this Project is invaluable. The Board deeply acknowledges the importance of this assistance in execution of the Project.

The Board also acknowledges and extends its sincere thanks to various national and international contractors, consultants and technical experts for their continued support and co-operation.

The Board's special appreciation and thanks are also due to the print and electronic media.

The residents, shopkeepers, pedestrians in different parts of Kolkata, Salt Lake and Howrah where the construction activities are in progress are inconvenienced by the activities on site. The Board is grateful to all these persons and the citizens for bearing with these activities patiently, recognizing the potential of the Project in changing the face of urban transport in the Greater Kolkata region.

The Board wishes to place on record its appreciation for the untiring efforts, commitment, hard work and contributions made by the employees of the Company at all levels and others for implementation of the Project.

For and on behalf of the Board of Directors of
Kolkata Metro Rail Corporation Ltd.

Place: Kolkata
Date: 19th September, 2023

P.U.K. Reddy
Chairman

Annexure-I

EXTRACT FROM ANNUAL RETURN
as on the financial year ended on 31st March, 2023

[Pursuant to Section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. Registration and other details :

(i) CIN	:	U60100WB2008GOI127338
(ii) Registration Date	:	9th July, 2008
(iii) Name of the Company	:	Kolkata Metro Rail Corporation Limited
(iv) Category/Sub-Category of the Company	:	Public company/limited by shares
(v) Address of the Registered Office and contact details	:	'KMRCL Bhavan', HRBC Office Compound, Munshi Premchand Sarani, Kolkata - 700021. Tel: (033) 2213-4345 Fax: (033) 2213-4380
(vi) Whether listed company	:	No
(vii) Name, address and contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	:	Not Applicable

II. Principal Business Activities of the Company :

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover:

Sl. No.	Name and description of main products/services	NIC Code of the product/service	% to total turnover
-	Company in Project execution stage	N.A.	N.A.

III. Particulars of Holding, Subsidiary and Associate Companies : Nil

IV. Shareholding pattern (equity share capital break-up as percentage of total equity) :

(i) Category-wise shareholding : Indian Promoters

Central Government (President of India) :

No of shares held at the beginning of the year :

Demat	:	Nil
Physical	:	375,86,20,000
% of total shares	:	100%

No of shares held at the end of the year :

Demat	:	Nil
Physical	:	375,86,20,000
% of total shares	:	100%

% change during the year : 0%



(ii) Shareholding of Promoters

Sl. No.	Shareholder's name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% of change in shareholding during the year
		No. of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged/encumbered to total shares	No. of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged/encumbered to total shares	
1.	President of India (a/c. Ministry of Railways)	278,13,79,200	74.00	0	278,13,79,200	74.00	0	0
2.	President of India (a/c. Ministry of Housing & Urban Affairs)	97,72,40,000	26.00	0	97,72,40,000	26.00	0	0
3.	Nominees of President of India	800	0	0	800	0	0	0
	Total:	375,86,20,000	100.00	Nil	375,86,20,000	100	Nil	Nil

(iii) Changes in Promoters' shareholding

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the Company
1.	At the beginning of the year	375,86,20,000	100	375,86,20,000	100
2.	Date-wise increase/decrease in Promoters' shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease	-	-	-	-
		0	-	0	-
	At the end of the year	375,86,20,000	100	375,86,20,000	100

(iv) Shareholding Pattern of top ten shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs)

Sl. No.	For each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the Company
1.	Shri D. K. Mishra	100	0.0001	100	0.0001
2.	Shri Sandeep Jain	100	0.0001	100	0.0001
3.	Shri Sudeep Shrivastav	100	0.0001	100	0.0001
4.	Sri Ajeet Srivastava	100	0.0001	100	0.0001
5.	Shri Dhananjaya Singh	100	0.0001	100	0.0001
6.	Shri Rajesh Kumar Jain	100	0.0001	100	0.0001
7.	Shri Ashish Singh	100	0.0001	100	0.0001
8.	Shri Jaideep	100	0.0001	100	0.0001

(all the above shareholders are nominees of the President of India a/c Ministry of Railways) & Ministry of Housing and Urban Affairs.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel (KMP)

Sl. No.	Name of Director/Key Managerial Personnel	Shareholding at beginning of the year (01.04.2022)		Cumulative Shareholding at end of the year (31.03.2023)	
		No. of shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the Company
1.	Shri Jaideep	100	0.0001	100	0.0001

Note: Shri Jaideep is a Director of the Company. No other KMP held any shares during the year.

V. Indebtedness

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment:

	Secured Loans excluding deposits (₹)	Unsecured Loans (₹)	Deposits (₹)	Total indebtedness (₹)
Indebtedness at the beginning of the financial year				
(i) Principal Amount	-	35,70,17,34,303	-	35,70,17,34,303
(ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
(iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
Total (i + ii + iii)	-	35,70,17,34,303	-	35,70,17,34,303
Change in Indebtedness during the financial year				
- Addition	-	3,98,857.78	-	3,98,857.78
- Reduction	-	-	-	-
Net Change	-	3,98,857.78	-	3,98,857.78
Indebtedness at the end of the financial year				
(i) Principal Amount	-	3,61,52,279.94	-	3,61,52,279.94
(ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
(iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
Total (i + ii + iii)	-	3,61,52,279.94	-	3,61,52,279.94

VI. Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel

Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Gross salary -

(a) salary per provisions contained in Section 17(1) of Income-tax Act, 1961	: ₹ 2,30,63,180
(b) value of perquisites under Section 17(2) of Income-tax Act, 1961	: Nil
(c) profits in lieu of salary under Section 17(3) of Income-tax Act, 1961	: Nil
Stock Option	: Nil
Sweat equity	: Nil
Commission - as % of profit	: Nil
Others	: Nil
Total	: ₹ 2,30,63,180
Ceiling as per the Companies Act, 2013	: Not applicable


VII. Penalties/Punishments/Compounding of Offences

Type	Section of the Companies Act	Brief description	Details of penalty/punishment/compounding fees imposed	Authority [RD/NCLT/Court]	Appeal made, if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty	Nil	N.A.	-	-	-
Punishment	Nil	N.A.	-	-	-
Compounding	Nil	N.A.	-	-	-
B. DIRECTORS					
Penalty	Nil	N.A.	-	-	-
Punishment	Nil	N.A.	-	-	-
Compounding	Nil	N.A.	-	-	-
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	Nil	N.A.	-	-	-
Punishment	Nil	N.A.	-	-	-
Compounding	Nil	N.A.	-	-	-

Annexure-II

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Company's philosophy on Corporate Governance :

The Company's philosophy on Corporate Governance is aimed at:

- (a) Enhancing long-term stakeholder value and its own wealth generating capacity through
 - assisting top management in taking sound business decisions;
 - prudent financial management.
- (b) Achieving transparency and professionalism in all its decisions and activities.
- (c) Adhering to the disclosure compliances.
- (d) Achieving excellence in Corporate Governance by-
 - conforming to the prevalent guidelines on Corporate Governance and excelling in, wherever possible;
 - reviewing periodically the existing systems and controls for further improvements;
 - setting high ethical standards in conduct of business;
 - complying with laws and regulations;
 - strategic guidance and effective monitoring by the Board.

Board of Directors :

Composition:

The Company is a 'Government company' within the meaning of Section 2(45) of the Companies Act, 2013. At present the entire paid-up share capital is held by the President of India through Ministry of Railways (Administrative Ministry) and Ministry of Housing and Urban Affairs. In terms of Article 124(a) of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors shall consist of the following Directors :

- (i) Directors nominated by the President of India through Ministry of Railways & Ministry of Urban Affairs;
- (ii) Managing Director;
- (iii) Whole-time Directors/Functional Director(s);
- (iv) Director(s) nominated by the debenture holders;
- (v) Independent Director(s).

In terms of Article 124(b), the President of India has the right by notice in writing addressed to the Company, to nominate persons on the Board of the Company including its Chairman.

In terms of Article 125, strength of the Board shall not be less than three or more than fifteen directors. Government of India has not yet advised the strength of the Board.

As on 31.03.2023, the number of Directors on the Board of the Company was 9 (nine), including 3 (three) functional Directors viz., Managing Director; Director (Finance), Director (RS&T) and Director (Project) & Planning), 1 (one) Director nominated by the Government of West Bengal, 3 (three) Directors nominated by Ministry of Railways and 2 (two) Directors nominated by the Ministry of Housing and Urban Affairs.

Composition of the Board as on 31.03.2023 is as under :

Sl.No.	Name of Director	Category of Directorship
01.	Shri P.U.K. Reddy	Chairman
02.	Shri H. N. Jaiswal	Managing Director
03.	Shri Angshuman Sarkar	Director (Finance) & Director (RS&T)
04.	Shri Syed Md Jamil Ahsan	Director (Projects & Planning)
05.	Shri Jaideep	Nominee Director
06.	Shri Nagen Moreshwar Dhoke	Nominee Director
07.	Shri Dhananjaya Singh	Nominee Director
08.	Dr. Saumitra Mohan, IAS	Nominee Director

Board meetings

Meetings of the Board are convened by giving appropriate notice after obtaining approval of Chairman. Structured agenda notes and other papers backed by comprehensive background information are circulated to the Board members seven days prior to the meeting for facilitating meaningful discussions at the meetings unless the meeting is called by a short notice. Where it is not found practical or otherwise to attach or send the relevant background information as part of the agenda notes/papers, the same are tabled at the meeting.

Meetings and attendance

During the financial year ended 31.03.2023, the Board of Directors of the Company met 5 (five) times – on 19.05.2022, 08.08.2022, 30.08.2022, 29.11.2022 and 10.02.2023.

Attendance of Directors at Board meetings and at the Annual General Meeting (AGM) are as under:-

Name of Directors	No. of meetings attended	Attendance at the last AGM held on 29.11.2022
Shri Arun Arora	5	Yes
Shri C.N. Jha	4	Yes
Shri Naresh Chandra Karmali	5	Yes
Shri Angshuman Sarkar	4	Yes
Shri Jaideep	5	Yes
Shri Shyam Sunder Dubey	1	N.A.
Shri Nagsen Moreshwar Dhokey	5	Yes
Shri Rajesh Kumar Sinha	0	N.A.
Smt. Anju Warrior	1	N.A.
Shri Dhananjaya Singh	2	Yes
Shri Binod Kumar	2	No
Shri P.U.K. Reddy	-	N.A.
Shri H.N. Jaiswal	-	N.A.
Shri Syed Md. Jamil Ahsan	-	N.A.

Minutes of the proceedings of each Board meeting were recorded and entered in the minute book, signed by the Chairman.

Audit Committee:

The Audit Committee during the financial year 2022-23 constituted with Smt. Anju Warrior (as Chairperson), Shri N. M. Dhole (member) and Shri Jaideep (member). Smt. Anju Warrior has ceased to be a member of the Committee in July 2022 pursuant to the expiry of her tenure as an Independent Director of the Company and Shri Dhananjaya Singh, Director has been appointed as a member of the Committee. The Company Secretary acts as Secretary of the Committee. The representative of the Auditors are also invited to the meetings of the Committee. The Committee invites any Officer of the Company in the meeting, whenever it is required. Terms of reference of the Audit Committee (as approved by the Board of Directors at its meeting held on 27.08.2009) are as under:

1. Discussions with the Auditors periodically about the internal control system and the scope of audit including observations of the auditors;
2. Review of annual financial statements before submission to the Board of Directors;
3. Ensuring compliance of internal control systems;
4. Investigations into any of the afore-stated matters or as may be referred to by the Board; and
5. Review of Management Information Systems, etc.

The role assigned to Audit Committee in terms of paragraph 4.2 of the "Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises" issued by Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises in May, 2010 is also being followed.

The Committee acts as a link between the Management, the Statutory and Internal Auditors and the Board of Directors and assesses the financial reporting system. The Audit Committee has been constituted only with non-functional Directors.

During financial year ended 31.03.2023, the Committee met 4 (five) times - on 19.05.2022, 08.08.2022, 29.11.2022 and 29.03.2023.

Nomination and Remuneration Committee:

In compliance of Section 178(1) of the Companies Act, 2013, a "Nomination and Remuneration Committee" has been constituted.

The Nomination & Remuneration had been reconstituted before the date of this report comprising of the following Directors:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Smt. Anju Warrior (Non-official Independent Director) | - Chairperson |
| 2. Shri Nagsen Moreshwar Dhole (Non-official Director) | - Member |
| 3. Shri Jaideep (Non-official Director) | - Member |
| 4. Shri Naresh Chandra Karmali | - Member |

Smt. Anju Warrior & Shri Naresh Chandra Karmali had ceased to be Directors and Members of the Committee wef. 10.07.2022 and 11.02.2023 respectively.

Non official Independent Directors are entitled to remuneration by way of sitting fee at the rate of ₹ 20,000/- for attending each Board Meeting and ₹ 15,000/- for attending each Committee meeting.

The functional Directors are appointed by the President of India through the Ministry of Railways. Functional Directors (except those who are on Additional Charge) are on deputation from Ministry of Railways in the pay scale of the parent cadre plus admissible allowances.

Code of Conduct:

The Board of Directors has laid down the "Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management" for maintaining standards and ensuring compliance with legal requirements. It is displayed on the website of the Company.

Annual General Meetings:

Details of the last three Annual General Meetings are as follows:

Financial year	Date and Time	Venue	Special resolution(s) passed, if any
2021-22	29.11.2022 at 15:30 hours	Through video conference	None
2020-21	27.11.2021 at 12:30 hours	Through video conference	None
2019-20	18.12.2020 at 16:30 hours	Through video conference	None

Annual General Meeting for the financial year 2022-23 will be held at on 115.19.2023 at 15.30 Hours through video conference.

Disclosures:

- i) Materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of the Company at large - there is no such transaction. However, the disclosure required under Indian Accounting Standard AS 24 has been incorporated in 'Notes to the Financial Statements'.
- ii) Details of non-compliance by the Company, penalties, strictures imposed on the Company by any statutory authority on any matter related to any guidelines issued by the Government, during the last three years - None.
- iii) Whistle Blower Policy and affirmation that no personnel have been denied access to the Audit Committee- the Company has adopted a 'Whistle Blower Policy'. No personnel of the Company have been denied access to the Audit Committee.
- iv) Details of compliance with the requirements of the Guidelines - the Company has generally complied with the requirements of the Guidelines.
- v) Details of Presidential Directives issued by the Central Government and their compliance during the year and also in the last three years - No Presidential Directive was received during the previous year.
- vi) Items of expenditure debited in the books of account, which are not for the purposes of business - there is no such item of expenditure during the year.
- vii) Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and Top Management- None.

Means of Communication:

The shares issued by the Company are not listed on any Stock Exchange. Hence, quarterly results are not published in newspapers. However, annual audited financial results are displayed on the website of the Company(www.kmrc.in).

Address for correspondence:

Kolkata Metro Rail Corporation Ltd.
'KMRL Bhavan', HRBC Office Compound
Munshi Premchand Sarani, Kolkata - 700021.

Audit Qualifications:

There is no qualifications in the Independent Auditor's Report on financial statements of the Company for 2022-23.

Training of Board Members:

The Company is a special purpose vehicle for implementing the 'East-West Metro Corridor' Project in Kolkata. As per decision of the Union Cabinet (vide minutes of the meeting held on 23.08.2012), the Company is only "Project Implementation Unit" of the East-West Metro Corridor Project, Kolkata. It will continue to function till the completion of the execution of the Project. However, all the shares of the Company will be held by Government of India, who after completion of the Project would run the system alongwith existing North-South Corridor under a unified control. Subsequent to execution of the Project, the operation of the East-West Metro Corridor will be merged with those of the Metro Railway, Kolkata. Hence, need to train Board members in the business model of the Company have not been felt till now.

Whistle Blower Policy:

The Company has adopted a 'Whistle Blower Policy', which is displayed on its website. Such Policy provides a framework to enable the employees wishing to raise a concern about serious irregularities within the Company without fear of victimisation and covers protected disclosures by all categories of employees.

Compliance Certificate:

This report duly complies with the requirements of "Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises". Certificate obtained from a practicing Company Secretary regarding compliance of the aforesaid Guidelines on Corporate Governance has been annexed to this Report.

For and on behalf of the Board of Directors of
Kolkata Metro Rail Corporation Ltd.

Place: Kolkata
Date: 19th September, 2023

P.U.K. Reddy
Chairman

Annexure-III

Management Discussion and Analysis Report

Urbanization is the present day world trend generated through opportunities associated with the cities. More and more people are moving in from rural to urban localities. It is projected that in 2030, about 4.9 billion people (60% of the global population) will live in urban areas. Futuristic design of cities, therefore, aims to accommodate large populations while creating high quality of urban life sustainable to the society. Megacities in today's world, therefore, require a transportation system that has basic attributes of sustainability - efficient, affordable, accessible and environment friendly. Mass Rapid Transit System (MRTS) has been found to be ideal transport solution in this regard, as evidenced by the increasing number of cities opting for the same both in India and other countries.

The Company has been formed to implement the 'East West Metro Corridor' connecting Salt Lake Sector V in the east to Howrah Maidan in the west. Government of India ('Gol') has decided that the Company will be the Project Implementation Unit and continue to function till the completion of execution of the Project. However, all shares of the Company will be held by Gol, who after completion of the Project would run the system along with North-South Corridor under a unified control.

Vision, Mission and Objective

Vision:

To emerge as the most efficient implementation unit for rail-based urban transport infrastructure with sound financial and technological base adopting global project implementation standards and practices for efficient completion of the projects with utmost care towards quality, safety and satisfaction of the users in an environment of synergy between public service and socio-economic sustainability.

Mission:

To implement the 'East-West Metro Corridor' MRTS Project in the urban conglomeration of Kolkata city and its urbanised surroundings of Howrah and Salt Lake to meet the ever-growing demand of mass mobility in this region.

Objective:

1. To establish the 'East West Metro' as a state-of-the-art urban passenger Mass Transit System, providing affordable, hassle-free, safe and pollution-free conveyance to city life.
2. To promote and facilitate Metro ridership as a part of integrated traffic rationalisation plan and comprehensive mobility plan for Kolkata city and its urbanised surroundings of Howrah and Salt Lake.
3. To mobilise the required resources for project implementation in order to achieve financial soundness and sustainability.
4. To execute the Project with least cost escalation with proper improvisation skills to harmonise available financial and technological resources in order to achieve optimum time targets.
5. To maintain a cost effective organisational set up and implement proper training and value addition programs of best standards for generating a motivated and result oriented Project team.
6. To maintain highest standards of quality and safety during execution of the Project.

Difficulties faced in Project execution

Project implementation (as envisaged in Detailed Project Report) has been affected due to external factors like non-availability of land as well as realignment issue. There has also been time as well as cost overruns. The Project is being

implemented in two phases viz, Phase-I from Salt Lake Sector V to Phoolbagan and Phase-II from Phoolbagan to Howrah Maidan.

The entire Phase-I has been commissioned now in two steps : Phase-IA from Salt Lake Sector-V Station to Salt Lake Stadium Station since 14.02.2020 and from Salt Lake Stadium Station to Phool bagan since 05.10.2020. The implementation of Phase-I was affected due to non-availability of land at Duttabad and Swabhumi as well as Depot at Central Park which affected construction of elevated viaduct on a 365-metre and 120-metre stretches, respectively. The project affected persons of Swabhumi were rehabilitated in 2013 and those of Duttabad in 2015 and the construction work proceeded only thereafter. The land issues in Depot was also resolved only in 2013.

In Phase-II, due to non-availability of land for construction of proposed Central and Mahakaran stations, Government of West Bengal had proposed realignment of the route. This (executing the Project as per realigned route) has lead to its extension by 1.878 kilometres, involving additional time and cost. Ministry of Railways accepted the realignment proposal in August 2015 and the stalemate in Phase-II which was continued since 2012 was over. Work on this section resumed in September 2015.

Incidence of water ingress at Bowbazar TBM (Tunnel Boring Machine) Retrieval Shaft on 31st August, 2019 and again on 11th& 12th May, 2022 posed hindrance to the progress of the Project.

Crucial clearances had also to be obtained from the Archaeological Survey of India (as certain protected monuments are located in the vicinity of the route) and defence authorities (since one of the stations will be under land owned by the Army) in 2017.

Opportunities

As the Project is being executed as per revised alignment, it is expected that there will be significantly higher passenger traffic through proposed Esplanade station (Inter-change station of 'East-West' and 'North-South' Metro lines). The Joka-BBD Bag Metro line will also terminate at Esplanade. A bus hub is located in Esplanade close to the proposed station. Besides, it is also proximate to the central business district of Kolkata. Upon completion, the Project will also provide inter-nodal connectivity with two busy surface rail stations at Howrah and Sealdah, connection to ferry, bus and tram. Perhaps no other mass transit system in the contemporary world links so many diverse modes of transportation.

Having regard to the population density of Kolkata city and adjoining areas, the potential demand for ridership of the 'East-West Metro' line is considered to be a unique feature.

Considering all these people-centric values and the opportunities involved in this Project, the coveted Institution of Civil Engineering of United Kingdom has on the occasion of their bi-centenary listed the Project as one of the two hundred projects in the world having significant impacts in making people's lives better. The project was also featured in world tunnel congress held in Doha in 2018. These international accolades have boosted morale of the Project team to a new height.

The 'East-West Metro' has been conceived in such a manner that there will be potential for connection to Netaji Subhas Chandra Bose International Airport from Salt Lake Sector-V Similarly, on the western end, the line can be extended to Santragachhi or Ramrajatala.

Howrah and Sealdah stations being among the busiest rail stations in the world will generate huge commuter traffic along the Metro line connecting these stations both during morning and evening rush hours. The 'East-West Metro' line will provide significant benefits to the commuters within central business district of Kolkata and out to New Town, Salt Lake and Rajarhat in the east, as well as to residents of Howrah city and surrounding areas in the western fringe.

Threats

In order to ensure delivery of the Project as per revised time schedule and cost, coordinated efforts are required among the various stakeholders viz. Ministry of Railways; Ministry of Housing and Urban Affairs; Ministry of Finance; Government of West Bengal; Japan International Cooperation Agency; etc. However, even the coordinated efforts may not be adequate to ensure that the Project gets executed on time and cost due to involvement of so many external factors and market dynamics in such a complex project bio-sphere.

Obtaining necessary permission for closure of roads and fly over for construction as well as relocation of different utilities (mostly under-ground) falling within the revised alignment poses a threat of time overrun as identification of the same, obtaining permission as well as implementation in a densely populated city like Kolkata involves multifarious stake-holders and is extremely time consuming.

Further the repeated incidences of water ingress in the tunnel also affected the Project's progress.

Internal Controls

A strong internal control framework is an essential pre-requisite to provide a reasonable assurance that in pursuit of the organisation's mission, the general objectives of executing the Project are ethically, economically and effectively achieved. In this context, the internal control systems of the Company are considered adequate and commensurate with its size.

Future outlook

The Company intends to establish the 'Kolkata East West Metro' as a state-of-the-art urban passenger MRTS providing affordable, hassle-free, safe and pollution-free mode of conveyance to city life. With the completion in view, the Company is committed to ensure the quality as well as safety in implementation of the Project. This Company will generate a world class technological data base and know how in planning and implementation of such a remarkable metro project which can be utilized by the project stakeholders for future projects in the horizon.

D. RAUT & ASSOCIATES

COMPANY SECRETARIES

2A-Ganesh Chandra Avenue, Commerce House,
8th Floor, Room No. 7A, Kolkata-700 013
Ph. No. 033-22259585
E-mail : csdraut@gmail.com

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE CERTIFICATE

The Members

Kolkata Metro Rail Corporation Ltd.
CIN: U60100WB2008GOI127338

We have examined the compliance of Corporate Governance by Kolkata Metro Rail Corporation Limited (hereinafter referred to as "the Company") for the year ended 31st March, 2023 as stipulated in the "Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010" issued by the Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises and annexures mentioned there under (hereinafter referred to as 'the Guidelines').

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as stipulated in the Guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has complied with the stipulations of the guidelines except that:

- 1) The Company does not have the minimum number of Independent Directors and a Woman Director in terms of the provisions of Section 149(8) read with Schedule IV of the Companies Act, 2013.

For the above reason the Constitution of the Committees and the separate meetings of the Independent Directors of the Company has also not been complied with.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency of the effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Company.

Place: Kolkata
Dated: 06.09.2023

For D. Raut Associates
Company Secretaries
CS Debendra Raut
Proprietor
ACS: 16626; CP No. 5232
UDIN: A016626E000956785

D. RAUT & ASSOCIATES

COMPANY SECRETARIES

2A-Ganesh Chandra Avenue, Commerce House,
8th Floor, Room No. 7A, Kolkata-700 013
Ph. No. 033-22259585
E-mail : csdraut@gmail.com

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2023

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule no. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To
The Members
KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(CIN : U60100WB2008GOI127338)
'KMRL Bhavan', HRBC Office Compound
Munshi Premchand Sarani
Kolkata - 700 021.

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Kolkata Metro Rail Corporation Limited (hereinafter called "the Company"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minutes books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorised representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2023 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minutes books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2023 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder;
- (ii) The Company is not a listed company. Hence, Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder are not applicable to it;
- (iii) The Company is not a listed company. Hence, the Depositories Act, 1996 and the Regulations and bye-laws framed thereunder are not applicable to it;
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings are not applicable to the Company;
- (v) The Company is not a listed company. Hence, the following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') are not applicable to it:-
 - a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (Not applicable to the Company during the audit period);
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999;
 - e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 (not applicable to the Company during the audit period);
 - f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act, 2013 and dealing with client;

- g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 (not applicable as the Company has not delisted/proposed to delist its equity shares from any stock exchange during the financial year under review); and
- h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not applicable as the Company has not bought back/proposed to buy back its securities during the financial year under review).
- (vi) The Company (a Central Government Public Sector Enterprise under the Ministry of Railways) is engaged in implementing the rail-based 'East West Metro Corridor' Project in Kolkata. As identified by the Management the following specific laws are applicable to it in addition to general laws:
 - a. Laws related to Labour and Workmen;
 - b. Provident fund;
 - c. Provision of basic safety & health provisions at worksites under various laws;
 - d. Environmental laws.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards with regard to the meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meeting (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India (ICSI).
- (ii) The Company is not required to enter into any listing agreement with any Stock Exchange(s) with respect to the securities (shares) issued by it as it is an unlisted Public Company.

During the period under review, the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, etc. mentioned above, except the following observation:

1. The Company does not have the minimum number of Independent Directors and a Woman Director in terms of the provisions of Section 149(8) read with Schedule IV of the Companies Act, 2013.

For the above reason the constitution of the committees and the separate meetings of the Independent Directors of the Company has also not been complied with.

We further report that:

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, except the Independent Directors and Woman Director as mentioned above. The changes in composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views (if any) are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period:

1. Since the net worth of the Company is more than Rs. 500 crores CSR is applicable to the Company. Further the management has represented that the Company is not required to make any contribution to CSR fund as the profit calculated under section 198 is negative.

Place: Kolkata
Date: 08.09.23

For D. Raut & Associates
Company Secretaries
Debendra Raut
Proprietor
ACS No- 16626
C.P. No- 5232
UDIN: A016626E000955091

This report is to be read with the enclosed annexure.

Annexure

To
The Members
KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Our Secretarial Audit Report is to be read along with this letter.

Management's Responsibility:

1. It is the responsibility of the Management of the Company to maintain the Secretarial records and to devise proper systems to ensure compliance of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively. The compliance of the provisions of the Companies Act, 2013 and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of the Management.

Responsibility of Secretarial Auditor

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. We believe that the processes and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. Wherever required, we have obtained the Management's representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.

Disclaimer:

1. This report is solely intended for forming an opinion on the compliances made by the Company under the Companies Act, 2013 or SEBI (LODR) (applicable only for Listed entities) and is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.
2. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.
3. The Liability of the issuer of the Audit Report is limited to the Professional Fee that he has received for this assignment.

Note : This page has been kept blank intentionally



OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
Railway Production Units and Metro Railway
NKG Building (5th Floor), 14, Strand Road
Kolkata – 700 001.

No. RPU & MR/KMRCL/2023-24/790

Date: 31.08.2023

To

**The Managing Director,
Kolkata Metro Rail Corporation Limited,
KMRCL Bhawan,
Kolkata - 700 021.**

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6) of the Companies Act, 2013 on the accounts of Kolkata Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2023

Sir,

Please find enclosed herewith the comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6) of the Companies Act, 2013 on the annual accounts of Kolkata Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2023.

Yours faithfully,



(Reena Saha)

Director General of Audit

31/08/2023

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE ACCOUNTS OF KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023.

The preparation of financial statements of Kolkata Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting frame work prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 3rd July 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act on the financial statements of Kolkata Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2023. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

A. Comments on Financial Position

Balance Sheet Assets

Non-Current Assets

Other Financial Assets (Note - 7: ₹ 230.14 crore)

1. The above includes ₹ 186.75 crore receivable from the Government of West Bengal (GoWB) on account of State Goods and Service Tax (SGST), pending processing of the claims by GoWB. As GoWB stepped out of the project in 2012 and thereafter no new/revised Memorandum of Understanding (MoU) have been signed in this regard, the reimbursement of SGST by GoWB appeared doubtful. Therefore, disclosing the above in Other Financial Assets instead of Capital Work-in-Progress (CWIP) was not proper. This has resulted in overstatement of Other Financial Assets by ₹ 186.75 crore and understatement of CWIP by the same amount.

Non - Current Assets - Capital Work in Progress

Pre-operative expenditure (pending allocation) (Note - 6) ₹ 253.51 crore

2. a) The Company completed and entrusted (February 2020) elevated portion of the East West Metro Corridor project to Metro Railway, Kolkata for commercial operation. However, the management continued to capitalise the borrowing cost for the year and disclosed the same under Capital Work In Progress in violation of the provisions of paragraph 24 of Ind AS 23. In view of non-recognition of assets in the books of accounts, the financial implication involved for the deviation of Ind AS-23 could not be quantified during supplementary audit for the year ended 31 March 2023.
- b) The Company did not recognise and categorise the assets related to the elevated portion of East West Metro Corridor Project in the books of accounts and also failed to comply with Paragraph 55 of Ind AS 16.

Other Non-Current Assets (Notes-8 ₹ 87.94 crore)

3. The above includes an amount of ₹ 19.58 crore, being capital advance paid to M/s BEM Limited and shown as mobilisation advance. As per the terms of contract, the said amount given to the contractor as a 'non-recoverable mobilization advance'. Therefore, the same should have been booked under 'Capital Work in Progress' instead of 'Capital Advance' to the contractor.

This has resulted in overstatement of 'Other Non-Current Assets' by ₹ 19.58 crore and understatement of 'Capital Work in Progress' by the same extent.

Capital Work in Progress (Note - 5 & 6 ₹ 8055.90 crore)

4. The above includes an amount of ₹ 13.32 crore which was incurred towards electricity charges in Phase -I commercial operation done by Metro Railway, Kolkata. The said amount was capitalised in

the books of accounts under the head of 'Power Supply Expenses' relating to regular operation and maintenance should have been shown as 'Receivable from Metro Railway' instead of capitalising in the books of accounts.

This has resulted in overstatement of 'Capital Work in Progress' (power supply) and understatement of 'Other Non-Current assets' to an extent of ₹13.32 crore.

Capital Work in Progress

Pre-operative expenditure (pending allocation) (Note - 6: ₹ 253.51 crore)

5. The above includes an amount of ₹15.53 crore, being 'other administrative expenses' for the year 2022-23. During the financial year, an amount of ₹ 3.65 crore, Central Goods and Service Tax (CGST) - Consultancy fee - 'Capital Work in Progress' was debited to 'other administrative expenses' instead of 'consultancy fee'.

This has resulted in overstatement of 'Other Administrative Expenses' by ₹ 3.65 crore and understatement of 'Consultancy Fee 'Capital Work in Progress' by the same extent.

Capital Work in Progress

Pre-operative expenditure - Expenses (Notes - 6 ₹ 498.63 crore)

6. The above includes an amount of ₹ 37.00 crore, being 'interest' on loan from Japan International Co-operation Agency (JICA) during the year 2022-23. However, the interest charged during the year should have been ₹ 40.09 crore as per borrowing cost accounted by the Controller of Aid Accounts and Audit (CAAA).

Thus, there was understatement of borrowing cost, with a corresponding understatement of JICA loan repayment by Ministry of Finance along with interest to an extent of ₹ 3.09 crore.

B. Comments on Accounting Policy

Notes to financial statements Accounting policies (Note 2.1)

A reference is invited to Accounting Policy (Note 2.1) in which it is stated that 'a policy has been adopted by the management of the organisation in accordance to the guidance of Ministry of Railways to transfer the assets from Capital-Work-in Progress to Fixed Assets on full completion of the project and not on phase wise completion. Hence in spite of commencement of commercial operation of a part of the project, the whole of the amount is being shown under CWIP and there has been no transfer of any newly created asset to Fixed Asset'.

However, the Ministry of Railways communication (2018) only stated that 'after completion of execution of the project, Metro Railway, Kolkata would run the East West Metro Corridor along with the North-South Corridor under a unified control'. The Ministry of Railways communication did not specify any accounting treatment or any accounting instruction to transfer the assets from Capital-Work-in-Progress to Fixed Assets on full completion of the project.

Further, Ind AS 16 provides that cost of an item of Property, Plant and Equipment shall be recognised as an asset if the cost of the item can be measured reliably and it is probable that future economic benefit will flow to the entity.

Thus, the above policy adopted by the Company was neither in accordance with the directions of the Ministry of Railways nor commensurate with the provisions of Ind AS 16.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

Yours faithfully,



(Reena Saha)

Director General of Audit

31/08/2023

Place: Kolkata
Dated: 31 August 2023

AUDITORS' REPORT

Raj Kumar Kothari & Co. CHARTERED ACCOUNTANTS

Head Office : 32, Ezra Street, 4th Floor, Suite # 403, Kolkata-700001
 Phone : 2235-0677 / 98310 79963
 Website : www.rkkco.com
 E-mail : ca.rkothari@gmail.com / rkothari@rkkco.com

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Report on the Audit of the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED ("the Company"), which comprises of the Balance Sheet as at 31st March 2023, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), Statement of Changes in Equity and Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the IndAS Financial Statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid IndAS financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 (The 'Act') in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended ("Ind AS"), and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31 March, 2023, and its profit, total comprehensive income, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the IndAS financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

Emphasis of Matter

- (i) We draw the attention to Note No. 7 of the IndAS financial statements wherein ₹186.76 crores receivable from Government of West Bengal (GoWB) towards State Goods & Service Tax (SGST) and ₹41.38 crores towards VAT in terms of Memorandum of Understanding (MoU) signed by the Company and GoWB has been recognized as accounts receivable, which has not yet been reimbursed by the GoWB.
- (ii) We draw attention to Note No. 26 of the IndAS financial statements wherein the value of 38.5 acres of land received from Government of West Bengal (GoWB) on "permissive possession basis" for setting up depot at Central Park, Salt Lake is not accounted for in the books of accounts of the Company. Reference is further invited to Note No. 26 of the IndAS financial statements wherein the GoWB has demanded ₹3368.79 crores as charges for permissive possession of the said land.
- (iii) We draw attention to Note No. 32 of the IndAS financial statements wherein the Chief Secretary, Government of West Bengal had issued a letter dated 06.11.2012 mentioning that GoWB has funded a sum of ₹48 crores towards Land Acquisition for East-West Metro Corridor Project. The Company has taken up and pursued the matter with Government of West Bengal for details of ₹48 crores so claimed to be funded to the Company, as no such records are available in the records of the company. Reconciliation and resolution of the matter is still pending.
- (iv) We draw attention to Note No. 8.1.2, 25 & 39 of the IndAS Financial Statements w.r.t. pending litigation cases & contingent liabilities.
- (v) We draw attention to Note No. 5.4 & 6 wherein Capital Work in Progress includes expenses incurred in relation to operations and maintenance of elevated portion of the project whose commercial operation has been entrusted to Metro Railway, Kolkata for commercial operations from February, 2020 and income in relation to the same is recognised by Metro Railway.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Information Other than the IndAS Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises of the information included in the Annual report, but does not include the IndAS financial statements and our auditor's report thereon.

Our qualified opinion on the IndAS financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the IndAS financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the IndAS financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibility of Management and Those Charged with Governance for the IndAS Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these IndAS financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the Ind AS and other accounting principles generally accepted in India, specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the IndAS financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the IndAS financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the IndAS Financial Statements

Our objective is to obtain reasonable assurance about whether the IndAS financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these IndAS financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the IndAS financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls with reference to IndAS financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the IndAS financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the IndAS financial statements including the disclosures, and whether the IndAS financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the IndAS financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the IndAS financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the IndAS financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other Matters

1. The financial statements of the company for the year ended March 31st, 2022 were audited by another auditor whose report dated 08-08-2022 expressed a qualified opinion. The qualifications have been considered by the management prospectively and given effect.
2. There is non compliance on part of the Company w.r.t. the provisions of the Companies Act, 2013 concerning appointment of directors. As per the related provisions and corresponding thresholds in place, the Company should have atleast 1 Woman Director and 2 Independent Directors. Smt. Warrior was appointed as an Independent Director and was also the Woman Director on the Board of Directors. Post completion of her tenure on 10.07.2022 and subsequent requirement, vacancy has not been filled up. The company does not have any Independent Director as on date. As per management reply, such vacancy can only be filled up by the Government and they have intimated and requested for the same through multiple letters to the Railway Board.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of Section 143 of the Act, we give in the Annexure "B", a statement on the matters specified in the paragraph 3 and 4 of the Order.
2. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended:
In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the remuneration paid by the Company to its directors during the year is in accordance with the provisions of section 197 of the Act.
3. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:
 - i) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - ii) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
 - iii) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
 - iv) In our opinion, the aforesaid IndAS financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Act read with Rule 7 of the Companies (Accounts) rules, 2014, as amended.
 - v) The Company being a Government Company, the provisions of Section 164(2) of the Companies Act is not applicable pursuant to the Gazette Notification No. GSR 829(E) dated 21.10.2003 issued by the Government of India.
 - vi) With respect to the adequacy of the Internal financial controls with reference to the IndAS financial statements of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's Internal financial controls.
 - vii) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- a. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its IndAS financial statements - Refer Note 25 & 39 to the IndAS financial statements.
- b. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
- c. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
- d. (i) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
 (ii) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries, and
 (iii) Based on such audit procedures as we have considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that the representations made by the management as stated in (i) and (ii) herein above, contain any material misstatement.
- e. The Company has not declared or paid any dividend during the year therefore, compliance with the provisions of Section 123 of the Companies Act, 2013 is not applicable.
- f. Proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 for maintaining books of account using accounting software which has a feature of recording audit trail (edit log) facility is applicable to the Company with effect from April 1, 2023, and accordingly, reporting under Rule 11(g) of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 is not applicable for the financial year ended March 31, 2023.
4. The Comptroller and Auditor General of India has issued directions indicating the areas to be examined in terms of Section 143(5) of the Act, the compliance of which is set out in "Annexure C".

Place: Kolkata
 Date: 03.07.2023

For **Raj Kumar Kothari & Co.**
 Chartered Accountants
 Firm Registration No. 320166E



Raj Kumar Kothari
 Partner

Membership No.: 055208
 UDIN: 23055208BGWCEL4154

ANNEXURE - 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls with reference to the IndAS financial statements of '**KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED**' ("the Company") as of 31st March 2023 in conjunction with our audit of the Ind AS Financial Statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control with reference to the IndAS financial statements criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls with reference to the IndAS financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to the IndAS financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to the IndAS financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to the IndAS financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to the IndAS financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the IndAS financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls with reference to the IndAS financial statements.

Meaning of Internal Financial Controls with reference to the IndAS financial statements

A company's internal financial control with reference to the IndAS financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of IndAS financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control with reference to the IndAS financial statements includes those policies and procedures that

- (i) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;
- (ii) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of IndAS financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of

the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and

- (iii) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the IndAS financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls With reference to the IndAS Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to the IndAS financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to the IndAS financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to the IndAS financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls with reference to the IndAS financial statements and such internal financial controls with reference to the IndAS financial statements were operating effectively as at 31st March 2023, based on the internal control with reference to the IndAS financial statements criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls With reference to the IndAS financial statements issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Place: Kolkata
Date: 03.07.2023

For **Raj Kumar Kothari & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 320166E



Raj Kumar Kothari
Partner

Membership No.: 055208
UDIN: 23055208BGWCEL4154

ANNEXURE - 'B' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Referred to in paragraph 1 under 'Report on other legal and regulatory requirements' section of our report of even date

(i)

- (a) (A) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant & Equipment.
- (B) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company does not have any Intangible Assets. Accordingly, Para 3(i)(a)(B) of the Order is not applicable.
- (b) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has a regular programme of physical verification of its property, plant and equipment by which property, plant and equipment are verified in a phased manner over a period of three years. However, property, plant and equipment have not been physically verified by the Management during the year, thus we cannot comment on any material discrepancies noticed on such verification.
- (c) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the title deeds of all immovable properties (other than properties where the company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) disclosed in the IndAS financial statements are held in the name of the Company except the ones mentioned below:

Description of the Property	Gross Carrying Value (In '000)	Held in the name of	Whether promoter, director or their relative or employee	Period held - indicate range, where appropriate	Reason for not being held in the name of company
Leasehold Land	1,97,396.52	Kolkata Port Trust	No	From F.Y. 2012-13 till present	The Company has taken the land on lease for a period of 30 years. The Company is in the process of registering the same in its own name as referred in Note 22 to the IndAS financial statements.
Building	46,741.73	Hooghly River Bridge Commissioners	No	From F.Y. 2008-09 till present	The ownership of the building was not transferred to KMRC, because the building was made at the time when the State Government was a stake holder of the project. The project is on the verge of completion and the asset will be transferred to Metro Railway. It is expected that Metro Railway will initiate further for ownership, title etc. of the building. Refer Note 22 to the IndAS financial statements.
Freehold Land	75,480.57	Government of West Bengal	No	From F.Y. 2008-09 till present	Mutation of 1488 sq.mts of land is under process and the mutation of 1733 sq.mts of land is pending as the issue is sub-judice and the case is currently pending at Supreme Court of India vide SLP No.(Civil) 36172 of 2013 as referred in Note 22 to the IndAS financial statements.

- (d) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not revalued any class of its Property, Plant and Equipment during the year. The Company does not have any Intangible Assets. The Company does not have any Right of Use assets in the books of accounts.
- (e) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, no proceedings have been initiated or are pending against the Company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder. Accordingly, Para 3(i)(e) of the Order is not applicable.
- (ii)
- (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company does not have any inventory. Accordingly, Para 3(ii)(a) of the Order is not applicable.
- (b) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not been sanctioned any working capital limits from banks or financial institutions on the basis of security of current assets. Accordingly, Para 3(ii)(b) of the Order is not applicable.
- (iii) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not made any investments. The Company has not granted any loans or provided any guarantee or security or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, limited liability partnerships or any other parties. Accordingly, Para 3(iii) of the Order is not applicable.
- (iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not given any loans/guarantees/security to or on behalf of any party or made any investment referred to in Section 185 and 186 of the Companies Act 2013. The Company has not given any loan, guarantee or provided any security in connection with a loan to any body corporate or any other person.
- (v) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not accepted deposits or amounts which are deemed to be deposits during the year and therefore the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act 2013 and the rules framed there under are not applicable to the Company. No order has been passed by Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other tribunal.
- (vi) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under Section 148(1) of the Companies Act, 2013.
- (vii)
- (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company is regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income tax, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and other statutory dues applicable to it with the appropriate authority.
- There are no undisputed amount payable in respect of applicable statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, Income tax, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess which were in arrears as at 31.03.2023 for a period of more than six months from the date they became payable.
- (b) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, there are no dues of Income tax, Sales tax, Value Added Tax, Service Tax, Custom duty, Excise duty or Goods and Services Tax (GST) which have not been deposited on account of any dispute except as stated as below:

Name of the Statute	Nature of the Dues	Amount (in '000)	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
Finance Act, 1994	Service Tax	1,854.94	F.Y. 2009-10 to 2012-13	Appellate Authority Commissioner Appeals (11), Central Excise

- (viii) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, there are no transactions that are not recorded in the books of account that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961). Accordingly, Para 3(viii) of the Order is not applicable.
- (ix)
- In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender. Further, deferred payment liabilities are not considered borrowings/dues to a lender and hence not commented upon.
 - In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial institution or other lender.
 - In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has applied the term loans for the purpose for which those were obtained.
 - In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, and on overall examinations of the Balance Sheet of the Company, the Company has not raised any funds on short term basis. Accordingly, Para 3(ix)(d) of the Order is not applicable.
 - In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company does not have any subsidiaries, associates or joint ventures. Accordingly, Para 3(ix)(e) of the Order is not applicable.
 - In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company does not have any subsidiaries, joint ventures or associate companies. Accordingly, Para 3(ix)(f) of the Order is not applicable.
- (x)
- In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Accordingly, Para 3(x)(a) of the Order is not applicable.
 - In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not made preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year.
- (xi)
- In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, no fraud by the Company or on the Company has been noticed or reported during the year. Accordingly, Para 3(xi)(a) of the Order is not applicable.
 - In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, no report under Section 143(12) of the Companies Act, 2013 has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government. Accordingly, Para 3(xi)(b) of the Order is not applicable.
 - In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, no whistle-blower complaint has been received by the Company during the year. Accordingly, Para 3(xi)(c) of the Order is not applicable.
- (xii) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company is not a Nidhi Company. Accordingly, Para 3(xii) of the Order is not applicable.
- (xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Companies Act, 2013 and details of related party transactions have been disclosed in the IndAS financial statements as required by the applicable Ind AS.
- (xiv)
- In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.

- (b) The reports of the Internal Auditors for the period under audit were considered by us during the course of the audit.
- (xv) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not entered into any non-cash transaction with directors or persons connected with him as specified under Section 192 of the Companies Act, 2013. Accordingly, Para 3(xv) of the Order is not applicable.
- (xvi)
- (a) In our opinion and according to the information and explanation given to us and examination of books and records, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 as a Non-Banking Finance Company. Accordingly, Para 3(xvi)(a) of the Order are not applicable.
- (b) In our opinion and according to the information and explanation given to us and examination of books and records, the Company has not conducted any Non-Banking Financial activities or any Housing Finance activities. Accordingly, Para 3(xvi)(b) of the Order are not applicable.
- (c) In our opinion and according to the information and explanation given to us and examination of books and records, the Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India. Accordingly, Para 3(xvi)(c) of the Order is not applicable.
- (d) In our opinion and according to the information and explanation given to us and examination of books and records, there is no Core Investment Company (CIC) in the group.
- (xvii) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not incurred any cash losses in the current financial year and in the immediately preceding financial year.
- (xviii) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, there has been no resignation of the statutory auditors during the year. However, statutory auditors during the year. However, statutory auditors are appointed periodically by the Comptroller and Auditor General of India
- (xix) In our opinion and according to the information and explanation given to us and examination of books and records we consider necessary, on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the IndAS financial statements, and our knowledge of the Board of Directors and management plans, we are of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report that company is capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we give neither any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date will be discharged by the Company as and when they fall due.
- (xx)
- (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary and as stated in Note 22(q) of the IndAS financial statements, the Company has not provided for any expenses based on expert opinion, copy of which has not been provided to us.
- (b) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, there are no ongoing projects until the date of our report.

Place: Kolkata
Date: 03.07.2023

For Raj Kumar Kothari & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 320166E



Raj Kumar Kothari
Partner

Membership No.: 055208
UDIN: 23055208BGWCEL4154

ANNEXURE - 'C' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under Sub-section 5 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

Direction 1

Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.

Our Comment

In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has appropriate system in place to process all the accounting transactions through IT system. However, transactions pending for due approval/checking/settlement are recorded in the books of account only on finalisation of such claims. Aggregate of all such transactions pending for finalisation are recorded as 'Contingent Liabilities' as on the date of reporting and are disclosed in Note 39 to the Financial Statements.

Impact on Financial Statements - As disclosed in Note 39 to the Financial Statements.

Direction 2

Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for?

Our Comment

In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, no restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan have been made during the period of audit.

Impact on Financial Statements - NIL

Direction 3

Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.

Our Comment

In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not received any funds for specific schemes from Central/State Government or its agencies. However, budgetary support has been provided by the Ministry of Housing and Urban Affairs and Ministry of Railways for the implementation of metro project during the year under audit. The funds so received have been utilised for the purpose of the project. The unutilised amounts are temporarily parked in Term Deposits and the interest earned are ploughed back to the project.

Deviations - NIL

Place: Kolkata
Date: 03.07.2023

For Raj Kumar Kothari & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 320166E



Raj Kumar Kothari
Partner

Membership No.: 055208
UDIN: 23055208BGWCEL4154

Note : This page has been kept blank intentionally

KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED

ANNUAL ACCOUNTS 2022-23



KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Balance Sheet as at 31st March, 2023

(Amount in ₹ thousands)

Particulars	Note No.	March 31, 2023	March 31, 2022
ASSETS			
Non-Current Assets			
(a) Property, Plant and Equipment	4	4,23,206.24	4,13,168.52
(b) Capital Work-in-Progress	5 & 6	8,05,58,951.58	7,55,55,274.81
(c) Financial Assets			
(i) Other Financial Assets	7	23,01,351.16	20,42,098.48
(d) Other Non-Current Assets	8	8,79,351.22	6,50,658.72
Total Non-Current Assets		8,41,62,860.21	7,86,61,200.54
Current Assets			
(a) Financial Assets			
(i) Cash and Cash Equivalents	9	5,72,787.90	8,30,309.25
(ii) Bank Balance other than (i) above	10	11,29,345.85	36,98,865.20
(iii) Other Financial Assets	7	21,98,751.35	14,25,166.37
(b) Current Tax Assets	11	11,870.66	2,203.46
Total Current Assets		39,12,755.76	5,956,544.29
TOTAL ASSETS		8,80,75,615.97	8,46,17,744.82
EQUITY AND LIABILITIES			
EQUITY			
(a) Equity Share Capital	12	3,75,86,200.00	3,75,86,200.00
(b) Other Equity	13	7,287.38	15.34
Total Equity		3,75,93,487.38	3,75,86,215.34
LIABILITIES			
Non-Current Liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	14	4,85,30,288.05	4,53,94,753.25
(ii) Other Financial Liabilities - Retention Money	14.12	3,28,721.78	2,70,560.12
(b) Provisions	15	7,219.36	5,488.44
(c) Other Non-Current Liabilities	16	3,43,670.05	1,62,974.90
Total Non-Current Liabilities		4,92,09,899.25	4,58,33,776.70
Current Liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	17	8,86,678.05	8,84,545.93
(ii) Other Financial Liabilities - Retention Money	17	2,79,960.87	2,18,742.74
(b) Other Current Liabilities	18	1,05,590.42	94,464.11
Total Current Liabilities		12,72,229.34	11,97,752.78
Total Liabilities		5,04,82,128.59	4,70,31,529.48
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		8,80,75,615.97	8,46,17,744.82
Accompanying Notes to the Financial Statements	1-41		

In terms of our report attached

For Raj Kumar Kothari & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. : 320166E

CA R. K. Kothari
Partner
M. No. : 055208
UDIN : 23055208BGWCEL4154
Place : Kolkata
Dated : 3rd July, 2023

For and on behalf of Board of Directors

V. K. Srivastava
Managing Director
DIN : 10207179

Samik Bhattacharyya
Chief Financial Officer
PAN : AMWBP87941H

Angshuman Sarkar
Director (Finance)
DIN : 09678873

Mohus Datta Gupta
Company Secretary
PAN : AIEPG3324K

KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED
**Statement of Profit and Loss for the
year ended 31st March, 2023**

(Amount in ₹ thousands)			
Particulars	Note No.	March 31, 2023	March 31, 2022
INCOME			
Revenue From Operations		-	-
Other Income	19	8,074.70	1,284.33
Total Income		8,074.70	1,284.33
EXPENSES			
Other Expenses	20	590.72	725.55
Total Expenses		590.72	725.55
Profit Before Tax		7,483.98	558.78
Tax Expense:			
Current Tax		-	-
Deferred Tax		-	-
Profit/(Loss) for the Period		7,483.98	558.78
Other Comprehensive Income:			
Items that will not be reclassified to Profit and Loss			
Re-Measurement gains/(losses) on Gratuity Plan	15.1	-211.93	234.08
Income Tax effect		-	-
Provision for Income Tax written back		-	-
Net Other Comprehensive Income not to be reclassified to Profit or loss		-211.93	234.08
Total Comprehensive Income for the period		7,272.04	792.86
Earnings Per Equity Share :			
(1) Basic Earnings Per Share		-	-
(2) Diluted		-	-

Accompanying Notes to the Financial Statement **1-41**

In terms of our report attached

For Raj Kumar Kothari & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. : 320166E

CA R. K. Kothari
Partner
M. No. : 055208
UDIN : 23055208BGWCEL4154
Place : Kolkata
Dated : 3rd July, 2023

For and on behalf of Board of Directors

V. K. Srivastava
Managing Director
DIN : 10207179

Samik Bhattacharyya
Chief Financial Officer
PAN : AMWPB7941H

Angshuman Sarkar
Director (Finance)
DIN : 09678873

Mohua Datta Gupta
Company Secretary
PAN : AIEPG3324K

KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2023

(Amount in ₹ thousands)

Particulars	For the year ended March 2023	For the year ended March 2022
A. Cash Flow from Operating Activities		
Net Income Before Tax & Extraordinary Items	7,483.98	-
Adjustment for :		
Other Comprehensive Income (Gratuity)	-	-
Depreciation & amortisation expenses	-	-
Foreign Exchange Fluctuations	-	-
Interest Income	-	-
Loss/(Profit) on Sale of Asset / Investment	-	-
Operating profit before Working Capital Changes	7,483.98	558.78
Change in Working Capital		
Increase /(Decrease) in Long Term Provisions	1,730.92	-2,209.55
Increase /(Decrease) in Other Current Liabilities	11,126.31	-32,595.25
Increase /(Decrease) in Non Current Liabilities	1,80,695.16	-5,78,864.75
Decrease /(Increase) in Other Financial Assets	-2,59,252.68	-2,78,675.16
Decrease /(Increase) in Financial Assets	-7,73,584.98	-11,48,761.62
Decrease/(Increase) in Financial Liabilities	1,19,379.20	68,615.63
Decrease/(Increase) in Current Tax Assets	-9,667.20	-943.48
Net Cash Flow From Operation.....(A)	-7,22,088.72	-19,72,875.40
B. Cash Flow From Investing Activities		
Purchase of Property, Plant & Equipment	-10,037.72	-3,520.34
Purchase of Capital WIP	-50,03,676.77	-57,83,848.87
Decrease /(Increase) in Non Current Assets	-2,28,692.50	2,10,428.98
Net Cash flow From Investing Activities.....(B)	-52,42,406.99	-55,76,940.23
C. Cash Flow from Financing Activities		
Proceeds From Issuance of Share Capital	-	61,24,600.00
Proceeds From Int. Free Subordinat debts	27,38,809.22	970,926.55
Proceeds From Long Term Borrowings	3,96,725.58	33,08,477.85
Proceeds From Short Term Borrowings	2,132.12	-58,704.40
Adjustments of Gratuity Other comprehensive Income	-211.93	234.08
Net Cash Flow From Financing Activities.....(C)	31,37,454.99	1,03,45,534.08
D. Net increase in Cash & Cash Equivalent (A + B + C)	-28,27,040.72	27,95,718.45
E. Cash & Cash Equivalent at the beginning of the year	45,29,174.45	17,33,456.00
F. Cash & Cash Equivalent at the end of the year	17,02,133.73	45,29,174.45

- Cash Flow Statement has been prepared under the indirect method as set out in the Indian Accounting Standards (IndAS) - 7 "Cash Flow Statement" Issued by The Institute of Chartered Accountants of India.
- Purchase of Fixed Assets Includes movement of Capital Work in Progress during the year.
- Cash and Cash Equivalents at the end of the year represents Cash and Bank Balances.
- Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever applicable.

Accompanying Notes to the Financial Statement

1-41

In terms of our report attached

For and on behalf of Board of Directors

For Raj Kumar Kothari & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. : 320166E

CA R. K. Kothari
Partner
M. No. : 055208
UDIN : 23055208BGWCEL4154
Place : Kolkata
Dated : 3rd July, 2023

V. K. Srivastava
Managing Director
DIN : 10207179

Samik Bhattacharyya
Chief Financial Officer
PAN : AMWBP7941H

Angshuman Sarkar
Director (Finance)
DIN : 09678873

Mihua Datta Gupta
Company Secretary
PAN : AIEPG3324K

Statement of Changes in Equity

A. EQUITY SHARE CAPITAL

(Amount in ₹ thousands)

Particulars	March 31, 2023	March 31, 2022
Balance at the beginning of the reporting period	3,75,86,200.00	1,40,30,000.00
Changes in equity share capital due to prior period errors	-	-
Restated balance at the beginning of the current reporting period	3,75,86,200.00	1,40,30,000.00
Changes in equity share capital during the period		
Fresh Allotment of Equity Shares		
- For Cash	-	6,124,600.00
- For consideration other than cash	-	1,74,31,600.00
Balance at the end of the reporting period	3,75,86,200.00	3,75,86,200.00

B. OTHER EQUITY

(Amount in ₹ thousands)

Particulars	Reserve & Surplus		Other Comprehensive Income	Total Equity attributable to equity holders of the Company
	Share Application Money Pending Allotment	Retained Earnings		
Balances as on April 1, 2021	-	-	(777.52)	(777.52)
Changes in equity share capital due to period errors	-	-	-	-
Restated balance at the beginning of the reporting period	-	-	(777.52)	(777.52)
Profit/(Loss) for the year	-	558.78	234.08	792.86
Transaction with Owners in their Capacity As Owners				
Issue of Equity Shares	-	-	-	-
Share Application Money Received	-	-	-	-
Balance as at 31st March 2022	-	558.78	(543.45)	15.34
Changes in equity share capital due to prior period errors	-	-	-	-
Restated balance at the beginning of the current reporting period	-	558.78	(543.45)	15.34
Profit/(Loss) for the year	-	7,483.98	(211.93)	7,272.04
Transaction with Owners in their Capacity As Owners				
Issue of Equity Shares	-	-	-	-
Issue of equity shares other than cash	-	-	-	-
Share Application Money Received	-	-	-	-
Balance as at 31st March 2023	-	8,042.76	(755.38)	7,287.38

In terms of our report attached

For Raj Kumar Kothari & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. : 320166E

CA R. K. Kothari
Partner
M. No. : 055208
UDIN : 230552088GWCEL4154
Place : Kolkata
Dated : 3rd July, 2023

For and on behalf of Board of Directors

V. K. Srivastava
Managing Director
DIN : 10207179

Samik Bhattacharyya
Chief Financial Officer
PAN : AMWPB7941H

Angshuman Sarkar
Director (Finance)
DIN : 09678873

Mohua Datta Gupta
Company Secretary
PAN : AJEPG3324K

Notes to the Financial Statements

1. Corporate Information

Kolkata Metro Rail Corporation Limited ('The Company'), having CIN - U60100WB2008GOI27338 was incorporated under the Companies Act, 1956 on 9th July, 2008. It is a Government Company within the meaning of section 2(45) of the Companies Act, 2013, erstwhile Section 617 of the Companies Act, 1956. The Company being SPV is engaged in the implementation of Kolkata East - West Metro Corridor Project in Kolkata. The company has its registered office situated at Kolkata.

2. Basis of preparation of Financial Statements

2.1 Accounting Policies

These financial statements are prepared in accordance and in compliance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under section 133 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 7 of Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended from time to time). The accounting policies adopted for preparation and presentation of financial statements have been consistently applied except for the changes in accounting policy for amendments to the Standards issued by MCA effective for the current accounting period and other rectification in accounting policies adopted in the previous financial year. The presentation of the financial statement is based on Ind AS Schedule III of the Companies Act, 2013.

A policy has been adopted by the management of the organization in accordance to the guidance of Ministry of Railways to transfer the assets from Capital-work-in-Progress to Fixed Assets on full completion of the project and not on phase wise completion. Hence, in spite of commencement of commercial operation of a part of the project, the whole of the amount is being shown under CWIP and there has been no transfer of any newly created asset to Fixed Assets.

Company's Financial Statements are presented in Indian Rupees, which is also its functional currency.

2.2 Accounting Convention

The financial statements have been prepared on the basis of historical cost, accrual and going concern except for certain financial instruments that are measured at fair values at the end of each reporting period. Historical Cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services. All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the company's normal operating cycle and other criteria as set out in the Division II of Schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature and the time between acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents, the company has ascertained its operating cycle as 12 months for the purpose of current or non-current classification of assets and liabilities.

2.3 Use of Estimates and Judgments

The preparation of the financial statements in conformity with Ind AS requires management to make estimates, judgments and assumptions. These estimates, judgments and assumptions affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets and liabilities, the disclosures of contingent assets and liabilities at the reporting date of the financial statements and reported amounts of revenue and expenses during the period. Actual result could differ from these estimates. Changes in estimates are reflected in the financial statements in the period in which changes are made and, if material, their effects are disclosed in the notes to the financial statements.

In respect of works contracts, expenditure is booked as Capital Work in Progress on certification by the engineers.

3. Significant Accounting Policies

3.1 Revenue recognition

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable.

Interest income from a Financial Asset is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the company and the amount of the income can be measured reliably.

Notes to the Financial Statements (contd.)

Income from Sale of Tender documents for the construction works are reduced from the expenses pending capitalization.

Interest on advances realized from contractors is adjusted against the respective head of contracts stated in Capital Work in Progress.

Interest earned on Short Term Deposits with Bank is not recognized as Income and reduced from the expenses pending capitalization in Capital Work in Progress as it is treated as Capital receipts. As per the decision of the management interest income earned on term deposit from temporary deployment of fund during the current period has been adjusted with cost of Capital-Work-in-Progress.

3.2 Foreign Currencies

In preparing the Financial Statements of the Company, transactions in currencies other than the company's functional currency (INR) are recognized at the exchange rates prevailing on the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date as provided by Aid Accounts and Audit Division. Non- monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

3.3 Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

3.4 Employee Benefits

Provident Fund, Leave Encashment:

Company's contribution to provident fund in respect of regular employees are accounted for on accrual basis and charged to Profit and Loss Account. The Company has no other obligation other than contribution payable to the fund.

In respect of Deputationists, employee benefits due to employees are paid to their respective organisations/employer from where they have been deputed based on the direction given by their organisations. Leave Salary and Pension Contribution of deputed employees are also transferred to their respective organisations as per their valuation.

Gratuity:

The Company provides for gratuity, Defined Benefit Retirement Plan ('The Gratuity Plan') covering eligible employees. The Gratuity Plan provides a lump-sum payment to vested employees at retirement, death, incapacitation or termination of employment, an amount based on the respective employee's salary and the tenure of employment with the company.

Liabilities with regard to the Gratuity Plan are determined by Actuarial Valuation, performed by an Independent Actuary, at each balance sheet date using the Projected Unit Credit method.

Re-measurement, comprising actuarial gains and losses and the return on plan assets (excluding net interest), is reflected immediately in the balance sheet with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur.

Re-measurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and is not reclassified to profit or loss account. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset.

3.5 Taxation

Income Tax Expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

Notes to the Financial Statements (contd.)
Current Tax

The Tax currently payable is based on taxable profit for the year. The Company's current tax is calculated as per applicable rate for the reporting period.

Current tax for current and prior periods, to the extent unpaid, is recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods (assessment year-wise and not cumulative), the excess shall be recognized as an asset.

Deferred Tax

Deferred tax expense or benefit is recognized on timing differences being the difference between taxable incomes and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent period. Deferred Tax Assets are not recognized if there is probable chance that future taxable profit will be available in near future against which they can be realized.

3.6 Property, Plant and Equipment

Property, Plant and Equipment (including furniture, fixtures, vehicles, etc) held for administrative purposes, are stated in the balance sheet at cost less accumulated depreciation and impairment losses (if any). Cost of acquisition is inclusive of freight, duties, taxes and other incidental expenses which are directly attributable for the construction or acquisition of such assets.

Tangible assets will be recognised when the entire project is ready for commercial operation and will be dealt with as per the Ind AS 16 Property, Plant and Equipment after apportionment of pre-operative expenditure and identifying other tangible assets.

3.6.1 Leases

Ind AS 116 states, a contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

3.6.1.1 As a Lessee

Lease of assets, where the company, as a lessee, has substantially assumed all the risks & benefits of ownership of the leased asset at the commencement date shall measure the right-of use asset (RoU) at cost. Subsequently, following para 31 of Ind AS 116, the asset is depreciated which is recognized as an expense in the Statement of Capital Work in Progress on a straight line basis, over the lease term.

3.7 Capital Work in Progress

Assets under construction as on the reporting date of Balance Sheet are shown as Capital-Work-in-Progress. Capital work in progress is considered to be in the nature of PPE under construction and the provisions of Ind AS 16 Property, Plant & Equipment will apply to it.

Construction expenditures, fees paid to consultants and all other costs less any income attributable to the project along with pre-operative expenditure during construction are shown as Capital-Work-in-Progress till capitalisation. The same shall be allocated to the assets in the ratio of Assets Capitalised to the Total Capital-Work- in-Progress. Recovery from contractors towards interest and others are adjusted against construction expenditure pending capitalisation. As per MoU of the Company with GoWB all SGST paid by the Company will be reimbursed by the State Govt. Hence, all SGST has been put under Non-Current Assets as SGST Receivable with year wise break-up and corresponding reduction from CWIP.

Year	SGST Amount
2017-18	2,10,019.98
2018-19	4,26,944.27
2019-20	4,59,627.83
2020-21	2,41,115.90
2021-22	2,71,461.28
2022-23	2,58,395.15

Notes to the Financial Statements (contd.)

3.8 Depreciation & Amortisation

The company depreciates Property, Plant and Equipment over their estimated useful lives using the Written down Value method at the rates specified in Schedule II of the Companies Act, 2013. Depreciation on the assets purchased during the year is provided on the basis of put to use date.

The estimated useful lives of assets are as follows :

Asset	Useful Life (in years)
Building	60
Air Conditioning and Others	10
Computer Equipment	3
Motor Vehicle	8
Office Equipment	5
IT System & Networking	6

The management believes that the estimated lives are realistic and reflect fair approximation of the period over which the assets are likely to be used. Estimates may change due to technological development, change in market conditions and other factors and may result in changes in the estimated useful life and in the depreciation charges.

Freehold Land is not depreciated.

Leasehold Land is taken as an RoU which is to be amortised over the lease period on a straight line basis.

3.9 Impairment of Tangible Assets (Property, Plant and Equipment)

At the end of each reporting period, the company reviews the carrying amounts of its Property, Plant & Equipment to determine whether there is any indication that the assets has suffered any impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the assets is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Recoverable amount is the higher of fair value less cost of disposal and value in use.

3.10 Borrowing Costs

Ind AS 23 Borrowing Costs states that borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset forms part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as an expense.

The company's Project is specifically funded by Japan International Cooperative Agency (JICA) and Interest Free Subordinate Debt from Government for the same. Since this borrowing is specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, interest cost is eligible for capitalization less any income earned on the temporary investment on those borrowing. Borrowings on account of subordinate debt, being interest-free in nature, the company has not assessed its fair value as on the date of Balance Sheet. However, Loan is to be serviced by Ministry of Finance and it has been booked as Pass through Assistance (PTA).

3.11 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions are recognized when the company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Liabilities are disclosed in the notes based on the judgment of the management. Contingencies the likelihood of which is remote are not disclosed in the Financial Statements. Contingent Assets are not recognized until the contingency has been resolved and amounts are received or receivable.

Notes to the Financial Statements (contd.)
3.12 Equity Instruments
3.12.1 Equity Shares

Ordinary shares are classified as equity shares only.

3.13 Change in Accounting Policy

In the last financial year 2020-21, there was a change in accounting policy with a prospective effect. During the FY 2020-21, the net of other comprehensive income was transferred to pre-operative expenses and capitalised as capital work-in-progress. This was done to provide a reliable and more relevant information as the company being an SPV does not generate any revenue and has been established with the object of construction of East-West Metro and not for its operation on completion of the project.

However, in compliance to the observation made by the C&AG of India, while preparing the Annual Accounts for the FY 2022-23, Profit & Loss Account has been prepared for the FY 2022-23, comprising the transactions not directly attributable to the project.

4.0 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

		(Amount in ₹ thousands)	
	Note No	March 31, 2023	March 31, 2022
Net Block	4.1	4,13,168.52	4,21,780.39
Add: Addition made during the year		21,818.23	3,533.91
Less: Deletion made during the year		-139.58	-13.56
Less: Total Depreciation during the year		-11,640.92	-12,132.21
Net Block		4,23,206.24	4,13,168.52

4.1 PROPERTY PLANT & EQUIPMENT

Following are the changes in the carrying value of the Property, Plant & Equipment for the year ended 31st March 2023 :

Particulars	Freehold Land	Buildings	Furniture & Fixtures	Vehicle	Office Equipment	Computer Equipment	I T System & Networking	Total
Gross Carrying value as of April 1, 2022	2,36,603.77	46,741.73	16,811.37	917.12	18,042.92	12,558.11	7,945.22	3,39,620.25
Addition	18,165.22	-	1,319.37	-	369.13	1,891.46	73.35	21,818.54
Deletion/Disposals/Adjustments	-	-	-	-	-	428.68	-	428.68
Gross Carrying value as of March 31, 2023	2,54,768.99	46,741.73	18,130.74	917.12	18,412.05	14,020.90	8,018.58	3,61,010.11
Accumulated depreciation as of April 1, 2022	-	18,760.45	13,908.04	871.27	16,775.77	11,080.96	5,923.89	67,320.39
Depreciation and Amortisation for the year	-	1,657.53	245.91	-	172.28	2,287.21	698.11	5,061.04
Accumulated Depreciation on Deletion/Disposal/Adjustments	-	-	-	-	-	288.09	-	288.09
Accumulated depreciation as of March 31, 2023	-	20,417.99	14,153.95	871.27	16,948.04	13,079.08	6,622.00	72,092.33
Net Carrying value as on March 31, 2023	2,54,768.99	26,323.75	3,976.79	45.86	1,464.00	941.82	1,396.57	2,88,917.78
Following are the changes in the carrying value of Property, Plant & Equipment for the year ended 31, March 2022 :								
Particulars	Freehold Land	Buildings	Furniture & Fixtures	Vehicle	Office Equipment	Computer Equipment	I T System & Networking	Total
Gross Carrying value as of April 1, 2022	2,36,603.77	46,741.73	15,048.76	917.12	17,730.22	11,612.44	7,505.37	3,36,159.41
Addition	-	-	1,762.61	-	312.70	1,018.74	439.85	3,533.91
Deletion/Disposals/Adjustments	-	-	-	-	-	73.07	-	73.07
Gross Carrying value as of March 31, 2022	2,36,603.77	46,741.73	16,811.37	917.12	18,042.92	12,558.11	7,945.22	3,39,620.25
Accumulated depreciation as of April 1, 2021	-	17,307.14	13,093.40	871.27	16,451.91	9,704.29	4,399.56	61,827.56
Depreciation for the year	-	1,453.32	814.63	-	323.86	1,436.18	1,524.34	5,552.33
Accumulated Depreciation on Deletion/Disposal/Adjustments	-	-	-	-	-	-	-	-
Adjustments	-	-	-	-	-	59.50	-	59.50
Accumulated depreciation as of March 31, 2022	-	18,760.45	13,908.04	871.27	16,775.77	11,080.96	5,923.89	67,320.39
Net Carrying value as on March 31, 2022	2,36,603.77	27,981.28	2,903.33	45.86	1,267.15	1,477.15	2,021.33	2,72,299.86

Notes to the Financial Statements (contd.)
4.1.1 LEASE HOLD LAND

Following are the changes in the carrying value of the Leasehold Land for the year ended 31st March 2023:

(Amount in ₹ thousands)

Particulars	Leasehold Land	Total
Gross Carrying value as of April 1, 2022	1,97,396.52	1,97,396.52
Addition	-	-
Deletion/Disposals/Adjustments	-	-
Gross Carrying value as of March 31, 2023	1,97,396.52	1,97,396.52
Accumulated depreciation as of April 1, 2022	56,527.86	56,527.86
Depreciation and Amortisation for the year	6,579.88	6,579.88
Accumulated Depreciation on Deletion/ Diposal/Adjustments	-	-
Accumulated depreciation as of March 31, 2022	63,107.75	63,107.75
Net Carrying value as on March 31, 2023	1,34,288.77	1,34,288.77

Following are the changes in the carrying value of the Leasehold Land for the year ended 31st March 2022:

Particulars	Leasehold Land	Total
Gross Carrying value as of April 1, 2021	1,97,396.52	1,97,396.52
Addition	-	-
Deletion/Disposals/Adjustments	-	-
Gross Carrying value as of March 31, 2021	1,97,396.52	1,97,396.52
Accumulated depreciation as of April 1, 2021	49,947.98	49,947.98
Depreciation for the year	6,579.88	6,579.8
Accumulated Depreciation on Deletion/Diposal/ Adjustments	-	-
Accumulated depreciation as of March 31, 2022	56,527.86	56,527.86
Net Carrying value as on March 31, 2022	1,40,868.66	1,40,868.66

- 4.1.2 Freehold Land includes ₹ 3.00 crores paid to Calcutta State Transport Corporation towards cost of land at 10, Lu Su Sarani, Kolkata for construction of Building for rehabilitation of project affected people of Mahakaran and Central Station.
- 4.1.3 The value of land does not include the cost of an area of 38.5 acres of plot given by Government of West Bengal to Kolkata Metro Rail Corporation Limited on permissive possession basis at Salt Lake as only right to use has been given
- 4.1.4 There were no impairment of assets during the year.
- 4.1.5 The treatment of lease rental for leasehold land is in compliance with the requirements of Para-31 of Ind AS-116 where as a lessee KMRC has followed amortisation of the initial lease payment in straight line method, since inception of the lease uniformly over the lease period.

Notes to the Financial Statements (contd.)
5.0 CAPITAL WORK IN PROGRESS

		(Amount in ₹ thousands)	
	Note No	March 31, 2023	March 31, 2022
Expenditure Directly Related to CWIP			
Civil Construction Expenditure			
Elevated Viaduct		31,41,004.38	31,38,523.86
Station Building and Design		31,01,174.70	30,88,554.58
Underground Tunnelling- UG-1		2,03,04,977.19	1,97,72,913.85
Underground Tunnelling- UG-2		1,93,57,390.99	1,88,34,035.53
Central Park Depot		17,39,666.76	17,16,410.15
Track works		21,51,208.41	19,89,410.49
Tunnel Ventilation System		9,50,178.65	7,56,754.33
Underground Environmental Control System		11,55,506.22	7,71,726.56
Underground E&M		20,08,517.41	16,86,643.85
UFD-Ultrasonic Flaw Detector		276.86	276.86
UFWL-Under Floor Wheel Lathe		75,303.69	74,539.64
Power Supply		34,17,263.96	33,84,581.08
Signalling & Communication		31,71,197.10	23,32,413.39
Rolling Stock		99,46,965.93	90,70,867.49
Automatic Fare Collection System		3,20,337.58	2,39,141.71
Automatic Smart Card Recharge Machine		6,168.83	2,216.95
Lifts & Escalators		6,36,895.85	3,32,492.72
Platform Screen Door/ Platform Screen Guard		4,89,639.85	4,20,527.87
Independent Safety Assessment		20,276.10	19,498.93
Depot Store Machine		3,40,019.57	2,35,716.98
Manpower Supply for Operation & Maintenance		85,447.47	92,226.97
Scanner		29,857.18	17,645.74
Advance to Metro Railway		-	65,690.12
Other Ancillary Works		26,315.60	30,312.96
Consultancy Fees			
General Consultants		53,05,958.19	49,16,631.92
Prime Consultants		1,71,375.53	1,71,375.53
Others		70,906.76	50,149.02
		7,80,23,830.62	7,32,11,279.08
Pre - Operative Expenditure Pending Allocation	6	25,35,120.96	23,43,995.73
		8,05,58,951.58	7,55,55,274.81

- 5.1 Interest earned on Mobilisation Advance and Retention Money, realised from Contractors have been adjusted against Capital Expenditure of the respective cost centres during the year.
- 5.2 As per clause 10.4 of the MOU dated 27.10.2008 between Govt of India (GOI), Govt. of West Bengal (GOWB) and Kolkata Metro Rail Corporation Limited (KMRCL), GOWB will either exempt or reimburse to KMRCL all local taxes, duties and levies incurred for the implementation of the project. Accordingly, taxes reimbursed / reimbursable by GOWB (VAT amounting to ₹78.26 crores) is reduced from the cost of respective Assets under Construction.
- 5.3 Post Implementation of GST from 01st July 2017 a claim of Rs.160.92 Crores has been preferred to GOWB towards reimbursement of SGST (State Goods & Service Tax) upto the period March 2022. Claim of Rs. 21.00 Crores has been submitted pertaining to F.Y. 2022-23 out of the total claim of Rs. 25.84. Pending processing of the claim by GOWB the claimed amount have been adjusted against the cost of respective Assets under Construction and kept separately as Non- Current Other Financial Assets. Year Wise Break Up of the SGST Claim Receivable is : - FY-2017-18 - Rs.21.00 Cr, FY- 2018-19 - Rs.42.69 Cr, FY- 2019-20 - Rs.45.96 Cr & FY 20-21 - Rs. 24.11 Cr, FY 21-22- Rs. 27.14 Cr, FY 22-23 - Rs. 25.84 Cr.
- 5.4 Capital Work in Progress includes expenses incurred in relation to operations and maintenance of elevated portion of the project whose commercial operation has been entrusted to Metro Railway, Kolkata for commercial operations from February, 2020 and income in relation the same is recognised by Metro Railway.



KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Notes to the Financial Statement for the year ended 31st March, 2023

(Amount in ₹ thousands)

6.0 PRE-OPERATIVE EXPENDITURE (PENDING ALLOCATION)

	Note No	As at 31-3-23	Addition/Deletion during the year 2022-23	As at 31-3-22	Addition/Deletion during the year 2021-22
EXPENSE					
Borrowing Cost	6.1	36,26,955.92	3,70,001.70	32,56,954.22	3,05,075.26
Employee Benefit Payment	21.1	7,80,259.82	1,11,321.67	6,68,938.15	1,08,341.77
Depreciation & Amortization Expenses		1,33,362.79	11,640.92	1,21,721.87	12,132.22
Bank Charges		15,351.02	346.03	15,004.99	440.67
Advertisement Expenses		47,361.31	1,089.77	46,271.54	485.48
Exchange Fluctuation Cost		-7,50,729.30	-2,32,334.78	-5,18,394.52	-21,94,612.02
Legal & Professional Charges		78,466.96	20,963.96	57,503.01	19,620.62
Other Administrative Expenses	21.2	8,03,314.04	1,55,313.04	6,48,001.00	2,20,002.64
Income Tax for Earlier Years		2,01,972.27	-	2,01,972.27	192.78
Reimbursement to Metro Railway		50,000.00	50,000.00	-	-
		<u>49,86,314.83</u>	<u>4,88,342.31</u>	<u>44,97,972.52</u>	<u>-15,28,320.58</u>
INCOME					
Interest on Term Deposit	6.2	24,04,925.09	2,94,705.76	21,10,219.33	95,721.56
Others		6,481.02	1,448.57	5,032.45	7.51
Rent Recovery from TTA& KRVV	6.3	3,190.91	180.84	3,010.07	1,574.51
Rent from Mobile Coverage		1,234.72	-157.68	1,392.40	1,033.68
Earnest Money Forfeiture		480.00	-	480.00	-
Sale of Tender Documents		12,533.98	56.90	12,477.08	110.20
Interest on IT Refund		18,258.00	-	18,258.00	-
Interest on Security Deposit		4,090.15	982.68	3,107.47	878.74
Less : Income generated under operation		<u>24,51,193.87</u>	<u>2,97,217.08</u>	<u>21,53,976.79</u>	<u>99,326.20</u>
Net Pre Operative Expenses transferred to CWIP		<u>25,35,120.96</u>	<u>1,91,125.23</u>	<u>23,43,995.73</u>	<u>(16,27,646.78)</u>

6.1	Borrowing Costs during the year ended includes	Note No.	March 31, 2023	March 31, 2022
	Interest Expense JICA		3,70,001.70	3,05,075.26
	Total		<u>3,70,001.70</u>	<u>3,05,075.26</u>

6.2 Interest Income has been adjusted so as to take only the actual Interest Received and Accrued Interest on SBI Sweep Account for the F.Y.2022-23. All Interest accrued on investments which have been prematured have been adjusted to include only Interest Received.

6.3 Rent Recovered from Contractor without any Formal Agreement or contract with them.

6.4 Since, CAAA is making payment on behalf of KMRC, difference in exchange rate fluctuation is not available with the management. Foreign exchange fluctuation expense of Rs. 23,23,34,779 is recorded considering the RBI closing rate as on 31.03.23 on the net payable amount in JPY. (F.Y. 2021-22, it was Rs. 2,19,46,12,019).

Notes to the Financial Statements (contd.)

		(Amount in ₹ thousands)	
7.0 OTHER FINANCIAL ASSETS	Note No.	March 31, 2023	March 31, 2022
Non-Current			
Un-Secured, Considered Good			
Security Deposits	7.1	19,661.22	18,864.72
Vat Receivable from GOWB	5.2	4,13,843.69	4,13,843.69
SGST Receivable from GOWB	5.3	18,67,564.41	16,09,169.26
Other Receivables		281.84	220.82
Total		23,01,351.16	20,42,098.48
Current			
Un-Secured, Considered Good			
Interest Receivables against Security Deposits		-	-
Other Advances			
Other Advances/Prepaid		322.70	265.62
Fixed Deposit (includes Accrued Interest)	7.2	21,98,428.66	14,24,900.75
Total		21,98,751.35	14,25,166.37
Total Loans and Advances		45,00,102.51	34,67,264.85

- 7.1 Security Deposits represent Deposits given to Public Utility Services like Electricity and carried at historical cost. It also contains Deposit given to Kolkata Port Trust for using additional 375 sq. mt. of land for Vent Shaft purpose.
- 7.2 Fixed Deposit of ₹ 5.74 Crore has been pledged with High Court for a case against a contractor (ITD ITD Cem JV) for reimbursement of PBG and car insurance due to delay in work.

		(Amount in ₹ thousands)	
8.0 OTHER ASSETS	Note No.	March 31, 2023	March 31, 2022
NON CURRENT			
Secured, Considered good			
Capital Advances			
Advances to Contractors	8.1	3,24,706.29	1,60,814.49
Advances to Government Bodies for Utility Services	8.2	1,89,147.82	1,10,096.03
Advance paid for Land Acquisition	8.3	3,30,177.77	3,30,177.77
Total Capital Advances		8,44,031.88	6,01,088.29
Advances other than Capital Advances			
Balances with Revenue Authorities			
Income Tax	8.4	35,249.78	49,500.87
Service Tax		69.56	69.56
		35,319.34	49,570.43
TOTAL		8,79,351	6,50,659

8.1 Advances to Contractors	March 31, 2023	March 31, 2022
Mobilisation Advance	2,96,573.10	1,60,814.49
TOTAL	2,96,573.10	1,60,814.49

- 8.1.1 Mobilisation advances given as per terms of contract are fully secured by way of Financial Bank Guarantees received from the Contractors.
- 8.1.2 Other advance to contractors also include ₹2,81,33,188 as the VAT amount paid to M/s Simplex Infrastructure Limited (M/s SIL) to be reimbursed by GoWB as per MOU which was subsequently refused by GoWB without stating any reason. Hence, M/s SIL was asked to give the amount back. However, a legal dispute arose and at present an appeal against arbitration award in favour of M/s SIL is pending before Calcutta High Court. In the said appeal, this amount is also included as receivable from M/s SIL. The last hearing took place on 16.03.2022 and the issue is yet to be settled.
- 8.2 Capital Advances made towards Utility Services is fully secured as the money has been paid to Government Agencies such as Eastern Railway etc. and the advances will be adjusted in due course as and when work is completed.
- 8.3 Advances paid for Land Acquisition represents adhoc payment to LAC, West Bengal for acquisition of Land at different locations for the project and possession for those lands are yet to be handed over to KMRL. The Company vide Letter dt. 13.10.2017 have requested to GOWB for refund of an amount of ₹ 2923.77 Lakhs for change in alignment of East-West Metro, land no more required. The matter is pending for settlement.

Notes to the Financial Statements (contd.)
8.4 Income Tax Refundable Assessment Year Wise : Details of Assessment year Income Tax Refunds and Income Tax paid on Dispute are as under :

(Amount in ₹ thousands)

Assessment Year	Income Tax Refundable	Income Tax Paid under Dispute	Total
AY 2013-14	18,640.79	-	18,640.79
AY 2014-15	16,559.57	49.43	16,608.99
Total	35,200.36	49.43	35,249.78

8.4.1 Order u/s 250 has already been passed in CIT (A) for A.Y. 2013-14 & 2014-15, and refund for the same is pending.

9.0 CASH AND CASH EQUIVALENTS

(Amount in ₹ thousands)

Note No.	March 31, 2023	March 31, 2022
Balance with Banks		
In Current Account	5,72,787.90	8,30,309.25
TOTAL	5,72,787.90	8,30,309.25

10.0 OTHER BANK BALANCES

Note No.	March 31, 2023	March 31, 2022
Other Bank Balances		
Fixed Deposit (Maturity not more than 12 months)	11,02,772.29	36,76,441.28
Interest accrued on above	26,573.56	22,423.93
Total	11,29,345.85	36,98,865.20

10.1 Deposits includes Deposit of ₹ 1 lacs pledged with a Bank towards issuance of Bank Guarantee to Department of Telecommunications.

10.2 Fixed deposit includes ₹ 8.94 crores of interest which belongs to a period prior to the earliest period presented which has been adjusted prospectively in the present financial year.

11.0 CURRENT TAX ASSETS

Note No.	March 31, 2023	March 31, 2022
Tax Asset		
Tax Deducted at Source	11,870.66	2,203.46
Total	11,870.66	2,203.46

Notes to the Financial Statements (contd.)

(Amount in ₹ thousands)

12.0 EQUITY SHARE CAPITAL

	Note No.	March 31, 2023	March 31, 2022
Authorized Share capital			
Equity Share Capital		3,75,86,200.00	3,75,86,200.00
3,75,86,20,000 (37,58,62,000)			
Equity Shares of ₹ 10/- each			
Issued, Subscribed and Fully Paid Up			
3,75,86,20,000 (37,58,62,000)			
Equity Shares of ₹ 10/- each		3,75,86,200.00	3,75,86,200.00
		3,75,86,200.00	3,75,86,200.00

12.1 Terms/rights attached to Equity Shares

The Company has only one class of equity shares having a face value of ₹10 per share. Each holder of equity share is entitled to one vote per share. In the event of liquidation of the Company, the holder of equity shares will be entitled to receive any of the remaining assets of the Company in proportion to the number of equity shares held by the respective shareholders.

12.2 Reconciliation of the number of shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the reporting year

Particulars	As at 31st March, 2023		As at 31st March, 2022	
	No. of Shares	Amount ₹	No. of Shares	Amount ₹
A. Equity Share Capital				
Balance at the beginning of the reporting period	3,75,86,20,000	3,75,86,200.00	1,40,30,00,000	1,40,30,000.00
Changes in equity share capital during the period - Fresh Allotment of Equity Shares				
- For Cash	-	-	61,24,60,000	61,24,600.00
- For consideration other than cash	-	-	1,74,31,60,000	1,74,31,600.00
Balance at the end of the reporting period	3,75,86,20,000	3,75,86,200.00	3,75,86,20,000	3,75,86,200.00

12.3 Detailed of Shareholders holding more than five percent Equity Shares (5%)

Name of Shareholder's	As at 31st March, 2023		As at 31st March, 2022	
	No. of Shares	% held	No. of Shares	% held
President of India through Ministry of Railways	2,78,13,79,200	74.00%	2,78,13,79,200	74.00%
President of India through Ministry of Housing & Urban Affairs	97,72,40,000	26.00%	97,72,40,000	26.00%

12.4 Details of Promoters holding

Name of Promoters	At the beginning of the year		At the end of the year		% Change during the year
	No. of Shares	% held	No. of Shares	% held	
President of India through Ministry of Railways	2,78,13,79,200	74.00%	2,78,13,79,200	74.00%	0.00%
President of India (Ministry of Urban Development)	97,72,40,000	26.00%	97,72,40,000	26.00%	0.00%
Nominees of President of India	800	0.00%	800	0.00%	0.00%

12.5 For the period of 5 years immediately preceeding the date of Balance Sheet Reporting Date

(a) Aggregate number and class of shares allotted as fully paid up without payment being received in cash	NIL
(b) Aggregate number and class of shares allotted as fully paid up by way of bonus shares	NIL
(c) Aggregate number and class of shares bought back	NIL

Notes to the Financial Statements (contd.)
13.0 OTHER EQUITY

(Amount in ₹ thousands)

	Note No	March 31, 2023	March 31, 2022
A. Share Application Money Pending Allotment	13.2	-	-
Closing Balance (Total A)		-	-
B. Reserves and Surplus			
Surplus :			
Opening Balance		558.78	-
Add : During the year		7,483.98	558.78
Less : Transfer to CWIP*	13.1	-	-
Closing Balance (Total B)		8,042.76	558.78
C. Other Comprehensive Income			
Opening Balance		-543.45	-777.52
From Remeasurement of Defined Benefit Obligation net of Income Tax		-211.93	234.08
Closing Balance (Total C)		-755.38	-543.45
Balance at the end of the year (A+B+C)		7,287.38	15.34

13.1 The company has transferred (for 20-21 Rs. 217,82,05,388/-, for 19-20 ₹ 236,92,20,200/- and for earlier years ₹ -19,10,14,813/-) to Capital Work In Progress (CWIP) which were earlier booked in Profit and Loss Account. As per the management opinion, since KMRL is a SPV, all the expenses incurred are related to CWIP hence income/expenses booked earlier as revenue now transferred to CWIP.

13.2 Share Application Money Pending Allotment

The Share Application Money does not include any Share Premium

13.3 Reconciliation of Changes in Share Application Money Pending Allotment

(Amount in ₹ thousands)

Particulars	Note No	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
Share Application Money Pending Allotment			
Balance at the beginning of the reporting period		-	-
Add : Fresh Share Application Money Received		-	-
Less : Shares Allotted during the year		-	-
Balance at the end of reporting period		-	-

Notes to the Financial Statements (contd.)
14.0 BORROWINGS

(Amount in ₹ thousands)

	Note No	March 31, 2023	March 31, 2022
NON CURRENT			
Unsecured			
Senior Term Debt (JICA)	14.1 to 14.9	3,52,13,913.95	3,48,17,188.37
Interest free loan from Government of India	14.10 and 14.11	1,33,16,374.10	1,05,77,564.88
		4,85,30,288.05	4,53,94,783.25

- 14.1 Japan International Co-operation Agency (JICA) has entered into an Agreement with President of India to provide support for the Infrastructural Development in India. One such proposal was construction of East West Metro Project in Kolkata in the State of West Bengal to cope up with the increase of traffic demand in Kolkata Metropolitan area by extending the mass rapid transportation system, thereby promoting regional economic development and improving urban development and improving urban environment, through mitigation of traffic jams and decrease of pollution caused by increasing motor vehicles.

JICA Loan is sovereign guaranteed Loan and is supported by necessary Loan agreement which details the terms and conditions of the Loan.

JICA Loan is a long term Financial Liability and is carried at Amortised Cost in the financial statement in accordance with IND-AS-32.

- 14.2 JICA has sanctioned Loans in two tranches detailed hereunder :

Particulars	Agreement Date	Sanctioned Amount (Amount in lacs in Yen)	Purpose of loan	Rate of Interest	Commitment Charges Payable on Unutilised Amount
Loan A/c 192 Loan A/c 192A	10/03/2008	64,370.00	Construction Cost Technical Consultancy Contingency Loan	1.20% 0.01%	0.01%
		64,370.00			
Loan A/c 207 Loan A/c 207A	31/03/2010	2,34,020.00	Construction Cost Technical Consultancy	1.40% 0.01%	0.01%
		2,34,020.00			
Loan A/c 263 Loan A/c 263A	28/09/2018	2,59,030.00	Construction Cost Technical Consultancy	1.20% 0.01%	0.01%
		2,59,030.00			
Loan A/c 295 Loan A/c 295A	26/03/2021	90,910.00	Construction Cost Technical Consultancy	1.15% 0.01%	0.01%
		90,910.00			
		6,48,330.00			

- 14.3 Maturity Profile of JICA Loan is as under :

(Amount in JPY'000)

Particulars	2023-24	2024-25	After 2024-25
JICA Loan			
- Loan A/c 192	3,11,688.00	311,688.00	4,051,944.00
- Loan A/c 207	11,09,726.00	11,09,726.00	1,66,45,890.00
Total	14,21,414.00	14,31,414.00	2,06,97,834.00

- 14.4 These loans carries a moratorium period of 10 years from the date of agreement . Repayment of principal will commence after the moratorium period and would be fully paid over a period of 20 years in half yearly installments. The Repayment of Principal of Loan No-192 had commenced from March 2018 and that of Loan no- 207 had commenced from March 2021 as per the terms of agreements. The repayment of Loan No. 263 & Loan No. 295 will commence from September 2028 and March 2031 respectively.
- 14.5 The Servicing of interest, installment of Principal and other dues is being done by Controller of Aid Accounts and Audit (CAAA), Govt of India. So far , the company has provided for interest in its books of accounts but no outflow has been made from the bank accounts of the company, as the same is serviced by CAAA. In light of the above, the company has not provided any for overdue charges to the extent of 2% on outstanding amount in the books of account as stipulated in the loan agreement. CAAA has not raised any demand on this account as on the date of Balance Sheet.
- 14.6 Disbursement against Loan ID- P207 has been stopped post May'2018. The Company is of the view since no disbursement of the loan has been made post May'2018, no provision for commitment charges against the loan is required.
- 14.7 Outstanding JICA Loan has been segregated into Current and Non-current. Current JICA Loan has been made on the basis of installments falling due within one year from the date of Balance Sheet as per amortisation schedule of the respective loan agreements.

Notes to the Financial Statements (contd.)

- 14.8 Foreign Exchange Fluctuations on JICA loans - The Loan has been retranslated in INR on the Balance Sheet date at the rate confirmed by CAAA. The conversion rate is 0.6180 based on RBI reference rate on 31st March, 2023. Foreign Exchange Fluctuation has been capitalised to Capital Work-in-Progress as per IND AS- 32.

Particulars	As on 31-3-23 Loan (Yen)	As on 31-3-23 Loan (INR) Not Translated	Foreign Exchange Fluctuation Expense on Borrowing	As on 31-3-23 Loan (INR) Translated
Loan A/c 192	46,75,320.00	29,19,305.50	29,957.74	28,89,347.76
Loan A/c 207	1,88,65,342.00	1,17,75,760.35	1,16,978.99	1,16,58,781.35
Loan A/c 263	2,58,26,535.42	1,60,71,852.99	1,11,054.10	1,59,60,798.89
Loan A/c 295	90,48,000.00	55,66,007.95	-25,656.05	55,91,664.00
	5,84,15,197.42	3,63,32,926.78	2,32,334.78	3,61,00,592.00

14.9 Details of JICA Loan

Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Repayment during the year	Foreign Exchange Fluctuation	Closing Balance (INR)
Principal	3,57,01,734.30	3,36,192.00	1,69,669.00	2,32,334.78	3,61,00,592.00
Interest Accrued and Due	-	3,70,001.70	3,70,001.70	-	-
Commitment Charges due	51,687.94	-	-	-	51,687.94
	3,57,53,422.24	7,06,193.70	5,39,670.70	2,32,334.78	3,41,52,379.94

14.10 Subordinate Debt

The Ministry of Railways ,(MOR) and Ministry of Housing and Urban Affairs (MOHUA) being the current Joint Promoters and Govt of WB (earstwhile Joint Promoters of the project) had given interest free Subordinate Debt to the Company for meeting up the Central Taxes, Duties and other related Capital expenditure advanced for the project. Repayment Schedule and other terms and conditions of these debts are yet to be framed and fixed. The Loan from Ministry of Urban Development is repayable during 2021 to 2025 after repayment of entire Senior Term Debt i.e. Loan from JICA availed for the project.

In view of uncertainty in repayment terms and period , the loans are carried at historical cost. Further the company is not recognising the benefit of Government loan at below market rate of interest as Government Grant.

14.11	Borrowing Power	Note No.	2022-2023	2021-2022
	Subordinate Debt - Govt. of India through Ministry of Housing and Urban Affairs	14.7	17,10,700.00	17,10,700.00
	Subordinate Debt - Govt. of India through Ministry of Railway		48,68,900.00	48,68,900.00
	Senior Term Debt (JICA)/PTA		-	46,91,943.2
	JICA Loan Repayment by Ministry of Finance along with Interest		59,00,778.97	-
	Pass Through Assistance - MoR		2,36,25,082.38	2,06,25,082.38
	Less:			
	Receivable from MOR towards JICA		-2,27,89,087.24	-2,13,19,060.71
			1,33,16,374.10	1,05,77,564.88

14.12	Non Current Financial Liabilities	Note No	March 31, 2023	March 31, 2022
	Security Deposit & Retention Money	17.1	3,28,721.78	2,70,560.12
			3,28,721.78	2,70,560.12

Notes to the Financial Statements (contd.)
15.0 PROVISIONS

	Note No	(Amount in ₹ thousand)	
		March 31, 2023	March 31, 2022
Provision for Employee Benefits :			
Provision for Gratuity		3,419.40	2,705.25
Provision for Leave Salary		3,799.96	2,783.19
		7,219.36	5,484.44

- 15.1 The Company accounts for liability of future gratuity benefits and leave salary benefits of its eligible employees on the basis of Actuarial Valuation.

Defined Benefit Plans

- (i) Reconciliation of opening and closing balances of Defined Benefit Obligation

	Gratuity (unfunded)	
Particulars	March 31, 2023	March 31, 2022
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	26,83,749.00	31,94,393.00
Current Service Cost	3,08,253.00	2,61,928.00
Interest Cost	1,93,966.00	1,88,027.00
Actuarial (Gain) / Loss	2,11,934.00	2,34,075.00
Benefits Paid		-11,94,674.00
Adjustments for previous FY*	21,499.00	-
Defined Benefit Obligation at end of the year	34,19,401.00	26,83,749.00
(ii) Expenses recognised during the year		
In Income Statement		
Current Service Cost	3,08,253.00	2,61,928.00
Interest Cost	1,93,966.00	1,88,027.00
Net Cost	5,02,219.00	4,49,955.00
In Other Comprehensive Income		
Actuarial (Gain) / Loss	2,11,934.00	-2,34,075.00
Net (Income)/ Expense for the year recognised in OCI	2,11,934.00	-2,34,075.00

- (iii) Reconciliation of opening and closing balances of Defined Benefit Obligation

	Leave Salary (unfunded)	
Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	32,03,090.00	45,03,594.00
Current Service Cost	2,65,222.00	2,38,086.00
Interest Cost	1,99,554.00	3,26,060.00
Actuarial (Gain) / Loss	5,51,995.00	-18,64,650.00
Benefits Paid	-	-
Adjustments for previous FY*	-4,19,903.00	-
Defined Benefit Obligation at end of the year	37,99,958.00	32,03,090.00
(iv) Expenses recognised during the year		
In Income Statement		
Current Service Cost	2,65,222.00	2,38,086.00
Interest Cost	1,99,554.00	3,26,060.00
Net Cost	4,64,776.00	5,64,146.00
In Other Comprehensive Income		
Actuarial (Gain) / Loss	5,51,995.00	-18,64,650.00
Net (Income)/ Expense for the year recognised in Employee Benefits	10,16,771.00	-13,00,504.00

*Adjustments in defined plan obligations for both the employee benefit plans - Gratuity & Leave Salary payable relates to 2021-22 and is in nature of benefit paid during the same previous financial year 2021-22



Notes to the Financial Statements (contd.)

16.0 OTHER NON CURRENT LIABILITIES

	Note No	March 31, 2023	March 31, 2022
Trade Payable for Capital Goods			
- Outstanding dues of micro enterprise and small enterprise			
- Outstanding dues of creditors other than micro enterprise and small enterprise		3,43,670.05	1,62,974.90
		3,43,670.05	1,62,974.90

There is no interest due or outstanding on the dues to Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) as on 31.03.23

Trade payables ageing schedule for the year ended as on March 31, 2023 and March 31, 2022 is as follows :

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					
	Not due	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
Outstanding dues to MSME						
Others	-	3,33,132.71	3,911.52	1,103.22	5,522.60	3,43,670.05
Total	-	3,33,132.71	3,911.52	1,103.22	5,522.60	3,43,670.05

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					
	Not due	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
Outstanding dues to MSME						
Others		1,54,818.03	2,750.78	-	5,406.09	1,62,974.90
Total	-	1,54,818.03	2,750.78	-	5,406.09	1,62,974.90

17.0 FINANCIAL LIABILITIES

	Note No	March 31, 2023	March 31, 2022
CURRENT			
Borrowings			
Unsecured			
Loan from Japan International Corporation Agency (JICA) through Government of India	14 to 14.9	8,86,678.05	8,84,545.93
Security Deposit & Retention Money	17.1	2,79,960.87	2,18,742.74
		11,66,638.92	11,03,288.67

17.1 Security Deposit and Retention money withheld by the Company is released on completion of defect liability period. Classification of such Retention money and security deposit withheld into current and non-current is done on the basis of managements estimation of expiry of the completion of such defect liability period within one (1) year or beyond from the balance sheet date.

18.0 OTHER CURRENT LIABILITIES

	Note No	March 31, 2023	March 31, 2022
Other Payables			
Employee Benefit Payable		6,616.14	6,517.17
Liabilities for Expenses		153.97	7,878.00
Statutory Dues		39,677.66	24,645.40
Earnest Money Deposit		7,454.72	3,735.60
Commitment Charges on JICA Loan	14.5	51,687.94	51,687.94
		1,05,590.42	94,464.11

19.0 OTHER INCOME

	Note No	March 31, 2023	March 31, 2022
Interest on IT Refund		8,074.79	1,284.33
Total		8,074.79	1,284.33

20.0 OTHER EXPENSES

	Note No	March 31, 2023	March 31, 2022
Director Sitting Fees		41.30	241.90
Payment to Auditors			
- Statutory Audit		237.42	166.65
- Internal Audit		300.00	305.00
- Tax Audit		12.00	12.00
Total		590.72	725.55

Notes to the Financial Statements (contd.)

NOTE 21.1 : EMPLOYEE'S BENEFIT EXPENSES

	March 31, 2023	March 31, 2022
Salaries & other benefits*	1,07,319.01	1,05,504.79
Employer's Contribution to Provident Fund	1,196.78	1,362.44
Staff Welfare Expenses	2,805.88	1,474.54
	1,11,321.67	1,08,341.77

*Salaries & other benefits includes Leave Salary of Rs. 2203.83 thousands and Pension Contribution of Rs. 4527.96 thousands which corresponds to a period from 01.04.21 to 31.03.22 which is related to retired/deputed employees of Railways.

NOTE 21.2 : OTHER EXPENSES

	March 31, 2023	March 31, 2022
ADMINISTRATIVE COST		
Car Hire Charges	19,060.30	17,838.44
Bank Charges	764.96	1,030.89
Repair and Maintenance	1,086.78	1,627.20
Travelling & Conveyance	3,073.09	1,192.35
Rates & Taxes	190.95	2.50
Security Charges	11,205.98	7,007.25
Electricity Charges	1,957.41	1,946.65
Software Expenses	27.97	219.64
Consultancy & Professional Charges	37,556.60	1,153.17
Misc Expenses	10,074.10	5,428.33
Printing & stationery	1,223.41	785.20
Interest on Statutory payments	120.47	21.40
Telephone & Internet Charges	1,018.34	1,444.30
Other Administrative expenses	67,952.67	1,80,305.32
	1,55,313.04	2,20,002.64

Notes to the Financial Statements (contd.)
22. Additional Regulatory Information as required by Schedule III to the Companies Act, 2013:

a) Details of Title deeds of Immovable Property not held in the name of the Company

Relevant line item in Balance Sheet	Description of Item of property	Gross carrying value	Title deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/director or employee of promoter/director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
Property, Plant & Equipment	Leasehold land	1,97,396.52	Kolkata Port Trust	No	From FY. 2012-13 till present	The Company has taken the land on lease for a period of 30 years. The Company is in the process of registering the same in its own name.
Property, Plant & Equipment	Freehold Land	75,480.57	Government of West Bengal	No	From FY. 2008-09 till present	Mutation of 1488 sq.mts of land is under process and the mutation of 1733 sq.mts of land is pending as the issue is sub-judice and the case is currently pending at Supreme Court of India vide SLP No.(Civil) 36172 of 2013.
Property, Plant & Equipment	Building	46,741.73	Hooghly River Bridge Commissioner	No	Rs. 24,250.83 since FY. 2008-09 Rs. 22,490.90 since FY. 2013-14	The ownership of the building was not transferred to KMRC because the building was made at the time when the State Government was a stake holder of the project. The project is on the verge of completion and the asset will be transferred to Metro Railway. It is expected that Metro Railway will initiate further for ownership, title etc. of the building.

b) The company does not have any investment property at the end of the current year and previous year. Accordingly, disclosures as required under this para is not applicable.

c) The company has not revalued its Property, Plant and Equipment during the current year and previous year.

d) The company has not granted any loans or advances in the nature of loan to promoters, directors, KMP and the related parties (as defined under Companies Act, 2013), either severally or jointly with any other person, which are repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment during the current and the previous year. Accordingly, disclosures as required under this para is not applicable.

e) Capital work-in-progress (CWIP) ageing schedule/completion schedule.

A. For Capital work-in-progress, the ageing schedule is given below as at 31.03.2023:

CWIP	Amount in CWIP for a period				Total
	Less than one year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	
Project in Progress:	50,03,676.77	6,29,587.38	77,15,177.03	6,72,10,510.0	8,05,58,951.58
Project Temporarily Suspended:	-	-	-	-	-

B. For capital-work-in progress, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan, the completion schedule is given below as at 31.03.2022:

CWIP	Amount in CWIP for a period				Total
	Less than one year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	
Project in Progress:	39,06,444.33	56,11,848.77	1,18,43,262.83	5,41,93,718.88	7,55,55,274.81
Project Temporarily Suspended:	-	-	-	-	-

Notes to the Financial Statements (contd.)

- f) The company does not have any intangible asset under development at the end of the current year and previous year. Accordingly, disclosures as required under this para is not applicable.
- g) There has been no proceeding initiated or pending against the company for holding any benami property under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 and the rules made thereunder during the current year and previous year. Accordingly, disclosures as required under this para is not applicable.
- h) The company does not have any borrowings from banks or financial institutions on the basis of security of current assets during the current and previous year. Accordingly disclosures under this para is not applicable.
- i) The company has not been declared as wilful defaulter by any bank or financial institution or other lender during the current year and previous year. Accordingly, disclosures as required under this para is not applicable.
- j) The company has not entered into any transaction with companies struck off under section 248 of the Companies Act, 2013 or section 560 of Companies Act, 1956 during the current and previous year. Accordingly, disclosures as required under this para is not applicable.
- k) There are no charges or satisfaction pending for registration with the Registrar of Companies beyond the statutory period. Accordingly, disclosures as required under this para is not applicable.
- l) The company does not have any subsidiary during the current and previous year and accordingly compliance with number of layers prescribed under clause (87) of section 2 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Restriction on Number of Layers) Rules, 2017 is not applicable.

m) Analytical Ratios:

Ratio	Numerator	Denominator	Current Period	Previous Period	% Change	Reason of Change if more than 25%
Current Ratio	Current Assets	Current Liabilities	3.08	4.97	-38.16%	Mainly due to increase in year end statutory liabilities and retention money in hold
Debt-Equity Ratio	Total Debt	Shareholders Equity	1.29	1.21	6.91%	-
Debt Service Coverage Ratio	Earnings Available for debt services	Debt Service	N.A.	N.A.	-	-
Return on Equity Ratio	Net Profit After Tax	Average Shareholders Equity	0.00	0.00	0.00%	-
Inventory Turnover Ratio	Cost of Goods Sold (COGS)	Average Inventory	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Trade Receivables turnover ratio	Net Credit Sales	Average Accounts Receivables	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Trade payables turnover ratio	Net Credit Purchases	Average Trade payables	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Net Capital Turnover Ratio	Net Sales	Working Capital	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Net Profit Ratio (%)	Net profit after Tax	Net Sales	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Return on Capital Employed (%)	Earnings before interest and taxes	Capital Employed	0.02%	0.00%	0.00%	-
Return on Investment (%)	Net profit after Tax	Average Shareholders Fund	0.02%	0.00%	0.00%	-

- n) No Scheme of Arrangements has been approved by the Competent Authority in terms of Sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013 during the current year and previous year. Accordingly, disclosures as required under this para is not applicable.
- o)
- (A) The company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) during the current year and previous year with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Intermediary shall:
- (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or
- (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- (B) The Company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) during the current year and previous year with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the company shall:
- (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or
- (ii) provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries."
- p) There are no transactions not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income in the books of account during the current year and previous year in the tax assessment under the Income Tax Act, 1961.
- q) The company has not provided for any expenses under the CSR (Corporate Social Responsibility) as per the provisions of u/s 135 of the Companies Act, 2013. Accordingly disclosures in regard to CSR activities is not applicable.
- r) The Company has not traded or invested in Crypto Currency or Virtual Currency during the current year and previous year and therefore, the disclosures as sought is not applicable.

23. All amounts in the financial statement and in notes to accounts are in ₹ thousands unless otherwise specified.

Notes to the Financial Statements (contd.)
24. Deferred Tax Assets (Net)

The deductible temporary differences do not expire under the current tax legislation. Deferred Tax Asset have not been recognized in respect of these Items because it is not considered probable that future taxable profit will be available in near future against which they can be realized.

25. Pending legal cases relating to acquisition of Land

There are 49 Nos of Court Cases against the Company which is pending as on 31-03-2023. Details are as under : (All cases are civil in nature)

No of Cases	Particulars	Forum
1	Land Acquisition	Hon'ble Supreme Court
13	Land Acquisition	Hon'ble High Court of Kolkata
1	Land Acquisition	Howrah District Court
1	Environment	National Green Tribunal, Kolkata
1	Tunnelling	Hon'ble High Court of Kolkata
25	Miscellaneous	Hon'ble High Court of Kolkata
7	Contract Related	Hon'ble High Court of Kolkata

26. Government of West Bengal (GoWB) has issued a letter dated 9th February 2015 demanding a sum of ₹ 3368.79 crore being the "Charges for Permissive Possession" for 38.5 acres of Land granted to KMRCL at Central Park, Salt Lake for setting up of Depot. The Company feels that charges are not payable by the Company in terms of Para 12.1 of the MOU dated 27th Oct 2008 signed between GOI, GOWB and KMRCL and hence the same have not been accounted for in the books.
27. The Government of West Bengal vide its letter dated 13.02.2015 had demanded a sum of ₹ 889.69 crore towards "Way Leave Charges" for land use of stations and metro rail routes in the city of Kolkata. The matter has been taken up with the concerned authorities and the company feels that such charges are not payable and hence not accounted for. However as a matter of prudence, company has shown the same as contingent liability as per Note no- 33(g).
28. There are no dues payable as on 31st March 2023 to any Micro, Small and Medium Enterprises nor are there any other particular data are required to be disclosed under the Companies Act, 2013 and Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. The determination of an Enterprise as a Micro enterprise and Small enterprise is based on the confirmation received in response to intimation in this regard sent by the Company to the suppliers.

29. EMPLOYEE BENEFIT PLANS

The details of various employee benefits provided to employees are

Defined Contribution Plan

The Company pays gratuity to the employees who have completed five years of service with the Company at the time of resignation/superannuation. The gratuity is paid @15 days basic salary for every completed year of service as per the Payment of Gratuity Act, 1972. This plan typically exposes the company to actuarial risks such as: Investment risk, longevity risk and salary risk.

Re-measurement gains and losses arising from adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized in the period in which they occur in Other Comprehensive Income.

The most recent actuarial valuation of the plan assets and the present value of the defined benefit obligation were carried out as at March 31, 2023 by Dr. R. Kannan, B. Chatterjee International Consultant. The present value of the defined benefit obligation, and the related current service cost, were measured using the project unit credit method. Company does not maintain any fund, so no need of contribution in respect of such Contribution Plan.

Notes to the Financial Statements (contd.)
Gratuity

The principal assumption used for the purposes of the actuarial valuations were as follows:

Principal assumptions	March 31, 2023	March 31, 2022
Discount rate	7.17%	7.24%
Future salary increase	6.00%	6.00%
Average expected future service (remaining working life)	10 YEARS	12 YEARS
Mortality Table	IALM 2012-2014	IALM 2012-2014
Superannuation at age - Male	60 YEARS	60 YEARS
Superannuation at age - Female	60 YEARS	60 YEARS
Early Retirement & Disablement (all causes combined)	0.100%	0.100%
Above Age 45	0.06%	0.06%
Between age 29-45	0.03%	0.03%
Below Age 29	0.01%	0.01%
Voluntary retirement	Ignored	Ignored

Other long term employee benefits:

The Leave scheme is a final salary Defined Benefit Plan that provides for a lump sum payment made on exit either by way of retirement, death, disability or voluntary withdrawal. The benefits are defined on the basis of final salary (considering Basic and DA) and the accumulated leave balances are paid at the time of exit. The Plan design means the risks commonly affecting the liabilities and the financial results are expected to be:

This plan typically exposes the company to actuarial risks such as: Investment risk, longevity risk and salary risk.

Re-measurement gains and losses arising from adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized in the period in which they occur in Other Comprehensive Income.

The most recent actuarial valuation of the plan assets and the present value of the defined benefit obligation were carried out as at March 31, 2023 by Dr. R. Kannan, B. Chatterjee International Consultant.

Leave Salary

The principal assumption used for the purposes of the actuarial valuations were as follows :

Principal assumptions	March 31, 2023	March 31, 2022
Discount rate	7.17%	7.24%
Future salary increase	6.00%	6.00%
Average expected future service (remaining working life)	10 YEARS	11 YEARS
Mortality Table	IALM 2012-2014	IALM 2012-2014
Superannuation at age- Male	60 YEARS	60 YEARS
Superannuation at age- Female	60 YEARS	60 YEARS
Attrition Rate	0.100%	0.100%
Voluntary retirement	Ignored	Ignored

Notes to the Financial Statements (contd.)
30. Material prior period errors

Material prior period errors are corrected retrospectively by restating the comparative amounts for the prior periods presented in which the error occurred. If the error occurred before the earliest period presented, the opening balances of assets, liabilities and equity for the earliest period presented, are restated unless it is impracticable, in which case, the comparative information is adjusted to apply the new accounting policy prospectively from the earliest date practicable.

31. EARNINGS PER SHARE

Earning Per Share	For the year ended March' 2023	For the year ended March' 2022
Basic earning per share (Rs.)	0.00	0.00
Profit for the year as per statement of Profit & Loss (INR)	7,272.04	792.86
Weighted average number of equity shares for the purpose of basic earnings per share	3,75,86,20,000	2,81,63,72,000
Opening Share Capital - Nos.	3,75,86,20,000	1,40,40,00,000
Closing Share Capital - Nos.	3,75,86,20,000	3,75,86,20,000

32. Chief Secretary, Government of West Bengal had issued a letter dated 06.11.2012 mentioning that GOWB has funded a sum of ₹ 48 crores towards Land Acquisition for East-West Metro Corridor Project. The Company has taken up and pursued the matter with Government of West Bengal for details of ₹ 48 crores so claimed to be funded to KMRCL, as no such records are available in the records of the company. Reconciliation and resolution of the matters is still pending.

33. RELATED PARTY DISCLOSURE UNDER IND AS 24
a) Related Party Disclosure

Name of the Key Managerial Person	Nature of Relationship
Shri P. U. K Reddy	Chairman
Shri V. K. Srivastava	Managing Director
Shri Angshuman Sarkar	Director (Finance) & Director (RS & T)
Syed Md. Jamil Ahsan	Director(P&P)
Shri Dhananjaya Singh	Director
Shri Nagsen Moreshwar Dhole	Director
Dr. Saumitra Mohan	Director
Shri Jaideep	Director
Smt Mohua Datta Gupta	Company Secretary
Shri Samik Bhattacharyya	CFO

b) Transaction with the Key Management Personnel during the year/period

Particulars	MD/Directors (Amount in '000)	KMP (Amount in '000)
Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	₹ 18,607.39	₹ 4,215.79
Value of Perquisite	-	-
Profit-in-lieu of Salary	-	-
Sitting Fee to independent directors*	35.00	205.00
Total	₹ 18,642.39	₹ 4,420.79

* Director's sitting fee for 2022-23 was paid to Smt. Anju Warrior, who was an Independent Director till 10.07.2022.

Notes to the Financial Statements (contd.)

(c) Apart from transactions with related parties reported above, the company has transactions with Ministry of Railways, Government of India which included but not limited to the following:

Nature of control :- Shareholders having substantial interest

Transactions during the year:

Name of Related Party	Nature of Transaction	Amount (in Rs '000)
Ministry of Railway	Pass through Assistance	30,00,000.00
	Receivable against JICA Loan	14,70,026.53

34. FOREIGN CURRENCY EXPOSURE

The Company undertakes transactions denominated in foreign currencies: like Advances to Contractors, Construction expenditure, consequently, exposures to exchange rate fluctuations arises. The total amount of transaction expended by the Company during the reporting period are as follows:

Particulars	For the year ended March 31, 2023	For the year ended March 31, 2022
Advances to Contractors		
- EURO	Nil	Nil
- USD	Nil	Nil
- YEN	Nil	Nil
- AUD	Nil	Nil
Construction Expenditure		
- EURO	6,86,055.70	21,17,085.48
- JPY	3,05,724.51	8,06,05,312.07
- USD	2,42,453.40	23,63,119.85
- AUD	11,618.26	46,800.61

35. FAIR VALUE MEASUREMENTS

Fair value of Financial Assets and Liabilities are included at the amount that would be received to sell an asset and paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- in the principal market for the asset or liability or
- in the absence of a principal market in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to the company. The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability assuming that market participants act in their economic best interest.

Management uses their best judgement in estimating the fair value and its financial instruments. However, there are inherent limitations in any estimation technique. Therefore, for substantially all financial instruments, the fair value estimates presented are not necessarily indicative of all the amounts that the Company could have realized or paid in sale transactions as of respective dates. As such, the fair value of the financial instruments subsequent to the respective reporting dates may be different from the amounts reported at the end of the each year/period end.

36. The details of disputed service tax and income tax dues as on 31st March 2023, which have not been deposited or deposited under protest are as follows :

Name of the statute	Nature of dues	Amount (in ₹)	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
Finance Act, 1994	Service Tax	1,854.94	FY 2009-10 to 2012-13	Appellate Authority Commissioner Appeals (11) Central
Income Tax Act, 1961	Income Tax	14.50	FY 2022-23	Total Defaults as per Traces
Income Tax Act, 1961	Tax Deducted at Source	7.32	FY 2021-22	Total Defaults as per Traces

Notes to the Financial Statements (contd.)

37. There is no Segment Reporting Activity.

38. The Company did not have any long term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

39. Contingent Liabilities and Capital Commitments (to the extent not provided for):

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
a) In respect of the following:		
- Service Tax matters under appeal FY 2009-10 to 2012-13	1,854.94 INR	1,854.94 INR
b) Claim against the Company not acknowledged as debt	1,27,55,353.23 INR	1,04,41,917.16 INR
c) Claims by Hooghly River Bridge Commissioner towards various expenses	13,301.36 INR	13,301.36 INR
d) Estimated amount of Unexecuted Capital Contracts (Net of Advances)	3,24,706.29 INR	1,73,59,200.00 INR
e) Amount outstanding against Letter of Credit	1,316.60 EURO	33,717.39 EURO
f) Permissive Possession Charges for 38.5 acres of Land (refer Note - 26)	3,36,87,942.75 INR	3,36,87,942.75 INR
g) Way Leave Charges demanded by GOWB (refer Note - 27)	88,96,900.00 INR	88,96,900.00 INR
h) Additional land from Kolkata Port Trust for Ventshaft	88,83,466.54 INR	88,83,466.54 INR

- Service tax appeals are pending since 2009-10 to 2012-13 before Commissioner of CGST & Central Excise (Appeals-I). The last hearing was held on 13.10.2017 and thereafter there has been no progress with the appeal, hence not recognized in the accounts.
 - Point (b) constitutes number of claims against the Company, related to conciliation and arbitration award, which are yet to be settled at the Court of Law, hence disclosed as contingent liabilities.
 - Claims by HRBC are not supported by any verified documents.
 - The amount is related to the budgeted capital cost to be incurred during the next two financial years. The estimation has been done on the basis of the physical and financial progress related to the project. Expenditure is booked as and when the liability is raised and discharged. Hence, this amount has been shown as estimated amount of unexecuted capital contracts.
40. Debit / credit balances of Sundry Creditors are subject to confirmation and reconciliation.
41. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

Notes 1 to 41 form an integral part of the Balance Sheet have been duly authenticated.

Signatures to Notes 1 to 41

In terms of our report attached

For Raj Kumar Kothari & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. : 320166E

CA R. K. Kothari
Partner
M. No. : 055208
UDIN : 23055208BGWCEL4154
Place : Kolkata
Dated : 3rd July, 2023

For and on behalf of Board of Directors

V. K. Srivastava
Managing Director
DIN : 10207179

Samik Bhattacharyya
Chief Financial Officer
PAN : AMWP87941H

Angshuman Sarkar
Director (Finance)
DIN : 09678873

Mohua Datta Gupta
Company Secretary
PAN : AIEPG3324K





Kolkata Metro Rail Corporation Limited

(A Government of India undertaking)

KMRCL Bhavan, HRBC Office Compound, Munshi Premchand Sarani, Kolkata - 700 021



ANNUAL REPORT 2022-2023



KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED



विषय-सूची

● निदेशक मंडल	03
● 15वीं वार्षिक साधारण बैठक की संक्षिप्त सूचना	04-09
● निदेशक मंडल का प्रतिवेदन	10-32
● निगमित अभिशासन पर प्रतिवेदन	33-37
● प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन	38-39
● निगमित अभिशासन अनुपालन प्रमाणपत्र	40
● डी. राउत एंड एसोसिएट्स का सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	41-43
● भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	44-46
● लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	47-58
● वार्षिक लेखा	59-90

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कॉर्पोरेट सूचना

कम्पनी सचिव

श्रीमती महुआ दत्ता गुप्ता

पंजीकृत कार्यालय

केएमआरसीएल भवन (एचआरबीसी कार्यालय परिसर)

मुंशी प्रेमचन्द्र सरणी, कोलकाता-700021

टेलीफोन नं.: 033 2213 4345

फैक्स नं.: 033 2213 4380

वेबसाइट : www.kmrc.in

सांविधिक लेखा परीक्षक

राज कुमार कोठारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार, कंपनी सचिव
32, एज्रा स्ट्रीट, सुइट नंबर 403,
चौथी तल
कोलकाता - 700 001

सचिवीय लेखा परीक्षक

डी. राउत एंड एसोसिएट्स
2ए, गणेश चन्द्र एवेन्यु
कामर्स हाऊस, 8वां तल
कमरा नं. 7ए
कोलकाता - 700 001

आंतरिक लेखा परीक्षक

केजीआरएस एंड कंपनी,
सनदी लेखाकार
चटर्जी इंटरनेशनल सेंटर, फ्लैट नंबर 13
17वां तल, 33-ए, जवाहरलाल नेहरू रोड, पार्क स्ट्रीट
कोलकाता - 700 071

बैंकर

भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा, कोलकाता
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, धर्मतल्ला शाखा, कोलकाता
एचडीएफसी बैंक, सॉल्ट लेक शाखा, कोलकाता
एचडीएफसी बैंक, स्टीफन हाउस शाखा
यूको बैंक, हेस्टिंग्स शाखा
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैमक स्ट्रीट शाखा
पंजाब नेशनल बैंक, उच्च न्यायालय शाखा
यूको बैंक, सॉल्ट लेक शाखा

निदेशक मण्डल

01.	श्री अरुण अरोड़ा	अध्यक्ष (17.03.2023 तक)
02.	श्री पी.यू.के रेड्डी	अध्यक्ष (17.03.2023 से)
03.	श्री चंदेश्वर नाथ झा	प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (आरएस एवं टी)(30.11.2022 तक)
04.	श्री एच.एन. जयसवाल	प्रबंध निदेशक (18.02.2023 से)
05.	श्री नरेश चन्द्र करमाली	प्रबंध निदेशक (01.12.2022 से 11.02.2023 तक) निदेशक (परियोजना एवं योजना) (11.02.2023 तक)
06.	सैयद मोहम्मद जमील अहसन	निदेशक (परियोजना एवं योजना) (20.02.2023 से)
07.	श्री अंशुमन सरकार	निदेशक (वित्त) (20.06.2022 से) और निदेशक (आरएस एंड टी) (01.12.2022 से)
08.	श्री नागसेन मोरेश्वर ढोके	निदेशक
09.	श्री धनंजय सिंह	निदेशक
10.	श्री जयदीप	निदेशक
11.	श्री श्याम सुंदर दुबे	निदेशक (04.08.2022 तक)
12.	श्री संजीत	निदेशक (01.05.2023 से)
13.	श्री राजेश कुमार सिन्हा, आईएएस	निदेशक (29.07.2022 तक)
14.	श्री बिनोद कुमार, आईएएस	निदेशक (04.10.2022 से)
15.	श्रीमती अंजू वारियर	गैर-सरकारीस्वतंत्र निदेशक (10.07.2022 तक)

सूचना

द्रष्टव्य: इस पृष्ठ को जानबूझ कर रिक्त छोड़ा गया है।

15वीं वार्षिक आम बैठक की संक्षिप्त सूचना

एतद्वारा संक्षिप्त सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 15 वीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के लिए मंगलवार, 19 सितंबर, 2023 को अपराह्न 03:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित की जाएगी:

साधारण कार्य

- 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण (नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी में बदलाव के विवरण सहित) के साथ-साथ निदेशक मंडल तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां भी प्राप्त करना, विचार करना तथा अपनाना।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति पर ध्यान देना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक की पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन (नों) या बिना संशोधन के साथ निम्नलिखित साधारण संकल्प को पारित करना :
'संकल्प लिया जाता है कि सदस्य, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में सनद लेखाकार की नियुक्ति को एतद्वारा नोट करते हैं और निदेशक मंडल को लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर फुटकर खर्च सहित पारिश्रमिक तय करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।'

विशेष कार्य

- श्री पी.यू.के. रेड्डी, आईआरएसएमई की अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के निम्नलिखित साधारण संकल्प को पारित करना:

संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) और अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो एवं उनके अधीन निर्मित नियमों के अनुसरण में एतद्वारा श्री पीयूके रेड्डी, आईआरएसएमई को 17.03.2023 से उनके महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता के पद पर रहने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर कंपनी की सहमति प्रदान की जाती है।

आगे यह भी संकल्प लिया जाता है कि कंपनी सचिव को एतद्वारा ऐसे सभी कार्यों और चीजों को निष्पादित करने तथा ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, समीचीन और प्रासंगिक हों।

- श्री एच.एन. जायसवाल, आईआरएसई को प्रधान मुख्य इंजीनियर/मेट्रो रेलवे में अपने पदभार के अतिरिक्त कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) और अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो एवं उनके अधीन निर्मित नियमों के अनुसरण में एतद्वारा श्री एच.एन. जायसवाल, आईआरएसई को प्रधान मुख्य इंजीनियर/मेट्रो रेलवे में अपने पदभार के अतिरिक्त कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने से लेकर नियमित पदधारी की नियुक्ति अथवा अधिकारी की सेवानिवृत्ति अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति पर कंपनी की सहमति प्रदान की जाती है।

आगे यह भी संकल्प लिया जाता है कि कंपनी सचिव को एतद्वारा ऐसे सभी कार्यों और चीजों को निष्पादित करने तथा ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, समीचीन और प्रासंगिक हों।

- श्री सैयद मोहम्मद जमील अहसन, आईआरएसई को मुख्य इंजीनियर/परि. एवं अनु./मेट्रो रेलवे में अपने स्वयं के पदभार के अतिरिक्त कंपनी के निदेशक (परियोजना एवं योजना) के रूप में नियुक्ति पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) और अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो एवं उनके अधीन निर्मित नियमों के अनुसरण में एतद्वारा श्री सैयद मो. जमील अहसन, आईआरएसई को मुख्य इंजीनियर(परि. एवं अनु.)/मेट्रो रेलवे में अपने पदभार के अतिरिक्त कंपनी के निदेशक(परियोजना एवं योजना) के रूप में पदभार ग्रहण करने से लेकर नियमित पदधारी की नियुक्ति अथवा अधिकारी की सेवानिवृत्ति अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक(परियोजना एवं योजना) के रूप में

नियुक्ति पर कंपनी की सहमति प्रदान की जाती है।

आगे यह भी संकल्प लिया जाता है कि कंपनी सचिव को एतद्वारा ऐसे सभी कार्यों और चीजों को निष्पादित करने तथा ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, समीचीन और प्रासंगिक हों।

6. श्री श्याम सुंदर दुबे, पूर्व संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के स्थान पर श्री संजीत, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार को उनके संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के पद पर रहने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) और अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो एवं उनके अधीन निर्मित नियमों के अनुसरण में एतद्वारा श्री संजीत, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार को श्री श्याम सुंदर दुबे, पूर्व संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के स्थान पर 01.05.2023 से उनके संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के पद पर रहने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को कंपनी की सहमति प्रदान की जाती है।

आगे यह भी संकल्प लिया जाता है कि कंपनी सचिव को एतद्वारा ऐसे सभी कार्यों और चीजों को निष्पादित करने तथा ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, समीचीन और प्रासंगिक हों।

7. श्री वी.के. श्रीवास्तव, आईआरएसई को प्रधान मुख्य इंजीनियर/मेट्रो रेलवे में अपने पदभार के अतिरिक्त 01.06.2023 से कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) और अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो एवं उनके अधीन निर्मित नियमों के अनुसरण में एतद्वारा श्री वी.के. श्रीवास्तव, आईआरएसई को प्रधान मुख्य इंजीनियर/मेट्रो रेलवे में अपने स्वयं के पदभार के अतिरिक्त 01.06.2023 से पद पर किसी पदधारी की नियमिति नियुक्ति तक अथवा अधिकारी की सेवानिवृत्ति तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को कंपनी की सहमति प्रदान की जाती है।

आगे यह भी संकल्प लिया जाता है कि कंपनी सचिव को एतद्वारा ऐसे सभी कार्यों और चीजों को निष्पादित करने तथा ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, समीचीन और प्रासंगिक हों।

8. श्री असीम कुमार मजूमदार, आईआरएसई को पिसिईई/मेट्रो रेलवे में अपने पदभार के अतिरिक्त 01.06.2023 से कंपनी के निदेशक (आर एस एवं टि) के रूप में नियुक्ति पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) और अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो एवं उनके अधीन निर्मित नियमों के अनुसरण में एतद्वारा श्री असीम कुमार मजूमदार, आईआरएसई को पिसिईई/मेट्रो रेलवे में अपने स्वयं के पदभार के अतिरिक्त 01.06.2023 से पद पर किसी पदधारी की नियमिति नियुक्ति तक अथवा अधिकारी की सेवानिवृत्ति तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक (आर एस एवं टि) के रूप में नियुक्ति को कंपनी की सहमति प्रदान की जाती है।

आगे यह भी संकल्प लिया जाता है कि कंपनी सचिव को एतद्वारा ऐसे सभी कार्यों और चीजों को निष्पादित करने तथा ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, समीचीन और प्रासंगिक हों।

**निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

ह/-

**स्थान : कोलकाता
दिनांक : 19 सितंबर, 2023**

**महुआ दत्ता गुप्ता
कंपनी सचिव**

टिप्पणियाँ :

1. सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022, दिनांक 28.12.2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 11/2022, दिनांक 28.12.2022 द्वारा एमसीए ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक/ईजीएम आयोजित करने या साधारण/विशेष संकल्प पारित करने की समय अवधि 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी की 15वीं वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।
2. अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, आम तौर पर वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने वाले पात्र सदस्य को अपने बदले में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार होता है। प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूंकि यह वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा वार्षिक आम बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में विशेष कार्य से संबंधित मदों का विवरण संलग्न है और यह सूचना का एक हिस्सा है।
4. बैठक अल्प सूचना पर आयोजित की जा रही है।
5. चूंकि वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाती है, इसलिए इस सूचना में रूट मैप संलग्न नहीं है।
6. अधिनियम की धारा 103 के अनुपालन में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना गणपूर्ति के उद्देश्य की जायगी।

19 सितंबर, 2023 को होने वाली 15वीं वार्षिक आम बैठक के आयोजन की सूचना में निर्धारित विशेष कार्यों की मदों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण**विशेष कार्य मदें****मद सं 3**

भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने पत्र संख्या 2012/प्रोज/केएमआरसीएल/21/4/पीएल, दिनांक 30, जनवरी, 2014 के तहत महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक केएमआरसीएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है।

तदनुसार, महाप्रबंधक/मेट्रो रेलवे, कोलकाता को कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में पदनामित किया गया है। श्री पीयूके रेड्डी, आईआरएसएमई ने रेलवे बोर्ड के आदेश संख्या ई(ओ) III-2023/पीएम/37, दिनांक 17.03.2023 के अनुसार 17.03.2023 से महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण कर लिया है।

भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के पत्र संख्या 2012/प्रोज/केएमआरसीएल/21/4/पीएल दिनांक 30, जनवरी, 2014 द्वारा श्री पीयूके रेड्डी, आईआरएसएमई को कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक अध्यक्ष नामित किया गया है।

सूचना की मद सं 3 के तहत निर्धारित सामान्य संकल्प इस उद्देश्य के लिए है।

श्री रेड्डी संकल्प से संबंधित अथवा हितबद्ध माने जा सकते हैं। कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या उनके संबंधी इस संकल्प में वित्तीय या अन्य रूप से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के उपरोक्त पत्र की प्रतियां सदस्यों के निरीक्षण के लिए पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय अवधि के दौरान बैठक की तारीख तक एवं बैठक में भी उपलब्ध रहेगी।

मद सं 4

भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने आदेश संख्या 2018/ई(ओ)II/40/17 दिनांक 17.02.2023 के तहत श्री एच.एन.जायसवाल, आईआरएसई को प्रधान मुख्य इंजीनियर/मेट्रो रेलवे में अपने पदभार के अतिरिक्त अपने इस प्रभार को ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदधारी की नियुक्ति अथवा अधिकारी की सेवानिवृत्ति अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति सूचित की है।

श्री एच.एन.जायसवाल ने दिनांक 18.02.2023 से कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

सूचना की मद सं 4 के तहत निर्धारित सामान्य संकल्प इस उद्देश्य के लिए है।

श्री जायसवाल संकल्प से संबंधित अथवा हितबद्ध माने जा सकते हैं। कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या उनके संबंधी इस संकल्प में वित्तीय या अन्य रूप से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के उपरोक्त पत्र की प्रतियां सदस्यों के निरीक्षण के लिए पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय अवधि के दौरान बैठक की तारीख तक एवं बैठक में भी उपलब्ध रहेगी।

मद सं 5

भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने आदेश संख्या 2019/ई(ओ)II/40/14 दिनांक 17.02.2023 द्वारा श्री सैयद मोहम्मद जमील अहसन, आईआरएसई को मुख्य इंजीनियर/परि. एवं अनु./मेट्रो रेलवे में अपने पदभार के अतिरिक्त अपने इस प्रभार को ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदधारी की नियुक्ति अथवा अधिकारी की सेवानिवृत्ति अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक (परियोजना एवं योजना) के रूप में उनकी नियुक्ति सूचित की है।

श्री अहसन ने 20.02.2023 से पदभार ग्रहण कर लिया है।

सूचना की मद सं 5 के तहत निर्धारित सामान्य संकल्प इस उद्देश्य के लिए है।

श्री अहसन संकल्प से संबंधित अथवा हितबद्ध माने जा सकते हैं। कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या उनके संबंधी इस संकल्प में वित्तीय या अन्य रूप से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के उपरोक्त पत्र की प्रतियां सदस्यों के निरीक्षण के लिए पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय अवधि के दौरान बैठक की तारीख तक एवं बैठक में भी उपलब्ध रहेगी।

मदसं. 6

भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने आदेश संख्या 2022/पीएल/57/10 दिनांक 01.05.2023 द्वारा श्री श्याम सुंदर दुबे, पूर्व संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार, के स्थान पर श्री संजीत, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार, को उनके संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के पद पर रहने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति सूचित की है।

सूचना की मद सं 6 के तहत निर्धारित सामान्य संकल्प इस उद्देश्य के लिए है।

श्री संजीत संकल्प से संबंधित अथवा हितबद्ध माने जा सकते हैं। कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या उनके संबंधी इस संकल्प में वित्तीय या अन्य रूप से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के उपरोक्त पत्र की प्रतियां सदस्यों के निरीक्षण के लिए पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय अवधि के दौरान बैठक की तारीख तक एवं बैठक में भी उपलब्ध रहेगी।

मद सं. 7

भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने आदेश संख्या 2018/ई(ओ)II/40/17 दिनांक 01.06.2023 द्वारा श्री वी. के. श्रीवास्तव, आईआरएसई को प्रधान मुख्य इंजीनियर/मेट्रो रेलवे में अपने पदभार के अतिरिक्त 01.06.2023 से इस पद पर किसी पदधारी की नियुक्ति नियुक्ति होने अथवा अधिकारी की सेवानिवृत्ति तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति सूचित की है।

सूचना की मद सं 7 के तहत निर्धारित सामान्य संकल्प इस उद्देश्य के लिए है।

श्री श्रीवास्तव संकल्प से संबंधित अथवा हितबद्ध माने जा सकते हैं। कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या उनके संबंधी इस संकल्प में वित्तीय या अन्य रूप से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के उपरोक्त पत्र की प्रतियां सदस्यों के निरीक्षण के लिए पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय अवधि के दौरान बैठक की तारीख तक एवं बैठक में भी उपलब्ध रहेगी।

मद सं. 8

भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने आदेश संख्या 2018/ई(ओ)II/40/31 दिनांक 01.06.2023 द्वारा श्री असीम कुमार मजूमदार, आईआरएसई को पिसिईई/मेट्रो रेलवे में अपने पदभार के अतिरिक्त 01.06.2023 से इस पद पर किसी पदधारी की नियुक्ति नियुक्ति होने अथवा अधिकारी की सेवानिवृत्ति तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक (आर एस एवं टि) के रूप में उनकी नियुक्ति सूचित की है।

सूचना की मद सं 8 के तहत निर्धारित सामान्य संकल्प इस उद्देश्य के लिए है।

श्री मजूमदार संकल्प से संबंधित अथवा हितबद्ध माने जा सकते हैं। कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या उनके संबंधी इस संकल्प में वित्तीय या अन्य रूप से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के उपरोक्त पत्र की प्रतियां सदस्यों के निरीक्षण के लिए पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय अवधि के दौरान बैठक की तारीख तक एवं बैठक में भी उपलब्ध रहेगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ह/-

महुआ दत्ता गुप्ता
कंपनी सचिव

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 19 सितंबर, 2023

निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन

द्रष्टव्य: इस पृष्ठ को जानबूझ कर रिक्त छोड़ा गया है।

निदेशक मंडल का प्रतिवेदन

निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की अंकेक्षित वित्तीय विवरण, सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ अपना पंद्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय विशिष्टताएं

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान, कंपनी 'ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर' परियोजना को मूर्त रूप देने में लगी हुई है, जो कि पूर्व में सॉल्ट लेक सेक्टर ३ से पश्चिम में हावड़ा मैदान को जोड़ने वाला एक रेल आधारित मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसका विस्तार क्षेत्र 16.55 किलोमीटर पर है। इसमें से 5.74 किलोमीटर हिस्सा जमीन से ऊपर और 10.81 किलोमीटर भूमिगत गलियारा है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले 'लाभ एवं हानि के विवरण' के अनुसार कर चुकाने के बाद लाभ रु. 72,72,040/- लाख को उक्त तिथि को तुलन पत्र में 'अन्य इक्विटी' शीर्षक के अधीन 'आरक्षित एवं अधिशेष' के तहत समायोजित कर दिया गया है।

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान कंपनी की कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं थी।

परियोजना की स्थिति

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('केएमआरसीएल') का गठन जुलाई '2008 में कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण के लिए समान (50:50) हिस्सेदारी के साथ भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में किया गया था। बाद में, जैसा कि पहले की रिपोर्टों में कहा गया था, भारत सरकार ने 23 अगस्त, 2012 को निर्णय लिया था कि 'ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना' को रेल मंत्रालय (यहां इसके बाद 'एमओआर') को सौंप दिया जाएगा और इसे केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना के रूप में निष्पादित किया जाएगा। निर्णय के अनुसार, रेल मंत्रालय के पास कंपनी की 74% हिस्सेदारी होगी और शहरी विकास मंत्रालय के पास शेष 26% हिस्सेदारी रहेगी। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार (GoWB) द्वारा कंपनी में रखे गए सभी शेयर एमओआर को हस्तांतरित कर दिए गए। शहरी विकास मंत्रालय का नाम बदलकर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (इसके बाद 'एमओएचयूए') कर दिया गया है।

भारत सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि कंपनी उपरोक्त परियोजना के निष्पादन पूरा होने तक परियोजना कार्यान्वयन इकाई के रूप में कार्य करती रहेगी। हालाँकि, भारत सरकार कंपनी के सभी शेयर अपने पास रखेगी और परियोजना के पूरा होने के बाद इसे एकीकृत नियंत्रण के तहत नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के साथ संचालित करेगी। परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना बनाई गई है।

पहले की रिपोर्टों में यह स्पष्ट किया गया था कि परियोजना को कई भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास संबंधी बाधाओं और पुनर्निर्माण मुद्दों का सामना करना पड़ा था। सभी मुद्दों का समाधान कर लिया गया है तथापि कार्यान्वयन में चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जिनका विवरण इस रिपोर्ट में दिया गया है।

माननीय रेल मंत्री ने (अगस्त 2015 में) घोषणा की थी कि परियोजना को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित वास्तविक मार्ग के अनुसार निष्पादित किया जाएगा और इस संबंध में सभी लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

संरक्षण संबंधी अनिर्णय के कारण दिसंबर 2012 से ठप पड़े परियोजना के हावड़ा मैदान से सियालदह खंड पर काम सितंबर 2015 में पुनः शुरू कर दिया गया है।

इस परियोजना को चरणों में पूरा करने की योजना बनाई गई है और परियोजना का चरण- 1A (5.30 किमी.) वायाडकट में सॉल्ट लेक सेक्टर ३ से सॉल्ट लेक स्टेडियम तक दिनांक 14.02.2020 से आरंभ हो चुका है जिसमें ज़मीन से ऊपर 6 स्टेशन शामिल हैं तथा सियालदह क्रॉस-ओवर से ट्रेन रिवर्सल के साथ फूलबागान में प्रथम भूमिगत स्टेशन तक चरण- 1B [1.67 कि.मी.] दिनांक 05.10.2020 से शुरू हो चुका है। राजस्व सेवा मेट्रो रेलवे, कोलकाता द्वारा शुरू की गई, जिनके ऊपर इस प्रणाली के परिचालन और रखरखाव का कार्यभार होगा।

सियालदह स्टेशन के साथ गलियारे का जुड़ाव एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है, चूँकि सियालदह पूर्व रेलवे का एक प्रमुख टर्मिनल स्टेशन है, जहां प्रति दिन लगभग 12 लाख यात्री आवागमन करते हैं जिसमें उपनगरीय और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्री शामिल हैं। अन्य लाइन डपश्चिम

गामी लाइन में परिचालन शुरू नहीं हुआ है क्योंकि पश्चिम की ओर जानेवाली लाइन में टनल बोरिंग मशीन लॉन्चिंग शाफ्ट को सियालदह – एस्प्लेनेड खंड में शेष महत्वपूर्ण कार्यों को निष्पादित करने के लिए बंद नहीं किया गया है।

31.08.2019 को घटी बऊबाजार घटना से पहले, सुरंग निर्माण कार्य को दिसंबर, 2019 तक पूरा करने की योजना थी, जो अंततः मई, 2021 में पूरा हो गया, तथापि बऊबाजार के रिसिविंग शाफ्ट में 38 मीटर के अंतर को पाटना अभी बाकी है, जहां से दो टीबीएम को रिट्रिव किया गया है, जिन्हें वापस बंद किया जाना शेष है। COVID '19 महामारी (पहली और दूसरी लहर) के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, चरण-II में परियोजना के शेष हिस्से जिसमें 7.25 किलोमीटर विस्तार पर शेष 4 भूमिगत स्टेशन शामिल हैं, को निर्माण संबंधी घटनाओं के शततों के अधीन जून, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में 11.05.2022 को रिट्रिवल शाफ्ट क्षेत्र में जहां टीबीएम को बाहर निकाला गया है, पानी मिश्रित मिट्टी के घुस जाने और इसके पूरा होने की समय सीमा को प्रभावित करने के कारण चरण-II को चालू करने का लक्ष्य को विलंबित कर दिया गया है। हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड तक 4.8 किलोमीटर लंबे मार्ग पर संक्षिप्त सेवा को चालू करने का लक्ष्य दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है और चरण-II को पूर्ण रूप से चालू करने की समय सीमा जून 2024, तक तय की गई है, जो पुनः एस्प्लेनेड और सियालदह के बीच बचे शेष महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में होनेवाली तकनीकी चुनौतियाँ को नियंत्रित करने के अधीन है।

मार्ग के पुनः संरेखण, अतिरिक्त समय के कारण मूल्य वृद्धि, मेट्रो क्षेत्र में बाजार की गतिशीलता में बदलाव और निष्पादन में देरी तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मुद्रा के उतार-चढ़ाव आदि के कारण परियोजना कार्यान्वयन में होनेवाले अतिरिक्त व्यय से परियोजना लागत में वृद्धि हुई है। कंपनी ने वर्ष 2015-16 में रेल मंत्रालय को 8996.96 करोड़ रु. का संशोधित परियोजना लागत राशि प्रस्तुत की। प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा नियुक्त एक समिति की समीक्षा के बाद, इसे घटाकर रु. 8574.98 करोड़ (4874.58 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के मुकाबले) कर दिया गया है जिसे रेलवे बोर्ड के आदेश दिनांक 22-10-2020 द्वारा अनुमोदित किया गया है। स्वीकृत संशोधित लागत प्राक्कलन का आधार निम्नलिखित रहा है:-

- (i) संशोधित लागत अनुमान के लिए मूल्य स्तर का मानक दिसंबर, 2017 था।
- (ii) दिसंबर, 2017 तक भुगतान की गई मूल्य भिन्नता आरसीई में अंतर्निहित था और दिसंबर, 2020 तक अनुमानित पीवीसी को शामिल किया गया था।
- (iii) परियोजना पूर्ण होने की तिथि जून, 2021 मानी गई थी।

निर्माण में विलंब के मुख्य कारण:

पुनर्संरेखण मुद्दा – अगस्त, 2015 में मार्ग का पुनर्संरेखण किया गया, जिसके कारण परियोजना की लंबाई महाकरण स्टेशन क्षेत्र में यातायात अवरोध और स्ट्रैटल स्टेशन पर आर एंड आर मुद्दों के कारण 14.67 किमी से बढ़कर 16.55 किमी हो गई।

बऊबाजार में पानी घुसने की घटना : बऊबाजार इलाके में पानी घुसने की तीन घटनाएं हुईं, जिससे जमीनी संरचनाएं, जन सुरक्षा और परियोजना समापन समय गंभीर रूप से प्रभावित हुए।

- 31.08.2019 को बऊबाजार में पानी घुसने से टीबीएम की विफलता : जब टीबीएम डपश्चिम गामी – टीबीएम 1 बऊबाजार के घने आवासीय इलाके से गुजर रहा था, तो टनल बोरिंग मशीन के अंदर मिट्टी मिश्रित पानी प्रवेश कर गया जिसके परिणामस्वरूप जमीन की सतह नीचे धंस गई और सुरंग के प्रभाव क्षेत्र के कुछ भवनों में दरारें आ गईं।
- कोविड '2019
- 11.05.2022 को बेस स्लैब के निर्माण के दौरान बऊबाजार में रिट्रिवल शाफ्ट में पानी घुस गया। पानी के प्रवेश करने का स्थान एस्प्लेनेड साइड सक्कुलर टनल के नीचे सक्कुलर टनल और बॉक्स टनल के जंक्शन बिंदु पर है।
- 14.10.2022 को बऊबाजार में क्रॉस पैसेज (सीपी-2, 5.5 मीटर लंबा) के निर्माण के दौरान पानी का प्रवेश।

ऊपर उल्लिखित कारणों के कारण, स्वीकृत संशोधित लागत प्राक्कलन में अनुमानित समय सीमा से लगभग तीन वर्षों का समय अधिक लग गया है। मूल्य भिन्नता, करों में वृद्धि, राज्य और केंद्रीय वेतन की लागत में भिन्नता, कार्यक्षेत्र में बदलाव, परियोजना प्रबंधन परामर्शी (पीएमसी) के लंबे समय तक रहने एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मुद्रा का उतार-चढ़ाव आदि के कारण संशोधित लागत प्राक्कलन (आरसीई -2) में वृद्धि हुई है। कंपनी ने अगस्त 2022 में रेल मंत्रालय को 10,442.41 करोड़ रु. का एक संशोधित परियोजना लागत राशि प्रस्तुत की है। आरसीई रेल मंत्रालय एवं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन है।

वर्ष 2022-23 के दौरान एवं मार्च 2023 के बाद प्रमुख उपलब्धियां
चरण- I (सॉल्ट लेक सेक्टर-V से सियालदह - 9.30 किमी):

इससे पहले, परियोजना के चरण-1ए [5.30 किलोमीटर को सॉल्ट लेक सेक्टर V से सॉल्ट लेक स्टेडियम तक एलिवेटेड वायाडक्ट में 6 एलिवेटेड स्टेशनों के साथ 14-02-2020 से और चरण-1बी को फूलबागान (1.67 किमी.) के पहले भूमिगत स्टेशन तक सियालदह क्रॉस-ओवर से ट्रेन रिवर्सल सुविधा के साथ 05-10-2020 से चालू कर दिया गया है।

रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा फूलबागान से सियालदह तक 2.33 किमी लंबे चरण-1सी का निरीक्षण 16.3.2022 और 17.03.2022 को किया गया था और इस खंड पर यात्री सेवा प्रारंभ करने के लिए रेल संरक्षा आयुक्त का प्राधिकार 24.03.2022 को प्राप्त हो गया है। प्राधिकार में दी गई शर्तों के अनुपालन करते हुए सियालदह से फूलबागान (2.33 किलोमीटर) के बीच के खंड को 14.07.2022 से चालू कर दिया गया है। इस खंड के चालू हो जाने से सेक्टर-V और सियालदह मेट्रो स्टेशन के बीच प्रतिदिन यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। पहले प्रतिदिन यात्रियों की संख्या 2,500-3,000 थी; जो अब प्रतिदिन 30,000-35,000 के बीच है।

चरण- II (सियालदह से हावड़ा मैदान तक - 7.25 किलोमीटर)
भूमिगत गलियारे में सिविल कार्य:

- भूमिगत कॉरिडोर के सुरंग अंश में जुड़वां सुरंग शामिल हैं, जिसे प्रिकास्ट कंक्रीट सेगमेंटल टनल लाइनर्स का उपयोग कर 'टनेल बोरिंग' विधि द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यहां रिटैनिंग सिस्टम के रूप में डायफ्राम दीवारों का उपयोग कर चरण- II में 4 भूमिगत स्टेशनों को 'कट एंड कवर' पद्धति द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है
- एस्प्लानेड से सियालदह तक पूर्व की ओर जानेवाली सुरंग का निर्माण अक्टूबर, 2020 में पूरा कर लिया गया था और उसी सुरंग बोरिंग मशीन को पुनः दुरुस्त कर सियालदह से बरुबाजार तक के शेष 796 मीटर सुरंग निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पश्चिम गामी सुरंग में फिर से इसे लॉन्च किया गया था। यह काम जनवरी, 2021 में शुरू किया गया था और यह मई, 2021 में पूरा हुआ, जिसके बाद इस परियोजना के लिए टीबीएम द्वारा संपूर्ण रूप से मशीनीकृत सुरंग के निर्माण का कार्य पूरा हुआ।
- चरण-II में सुरंग निर्माण कार्य का सारांश निम्नानुसार है :

अनुबंध पैकेज	क्षेत्र	टनल	टनलिंग की लम्बाई (मीटर में)	टनलिंग सम्पूर्ण (मीटर में)	प्रतिशत सम्पूर्ण
यूजी/2	एस्प्लानेड से सियालदह	ईस्ट की ओर	4892	4892	100
		पश्चिम की ओर	4892	4854★	99.22
यूजी/1	हावड़ा मैदान से एस्प्लानेड	ईस्ट की ओर	7600	7600	100
		पश्चिम की ओर	7600	7600	100

★ केवल 38 मीटर लंबाई शेष है जिसमें बरुबाजार क्षेत्र में पश्चिम की ओर जानेवाली सर्कुलर सुरंग को जोड़ने के लिए रिट्रिवल शाफ्ट का काम चल रहा है, जहां अगस्त 2019 में टीबीएम में पानी प्रवेश कर गया था। Cast In Situ Box Tunnel की 27 मीटर का कार्य पूरा हो चुका है और पश्चिम की ओर जानेवाली सुरंग में शेष बचे 2.45 किलोमीटर का हिस्सा पश्चिम गामी सुरंग में ट्रैक कार्य और अन्य प्रणालीगत कार्यों के पूरा होने के बाद संपन्न किया जाएगा।

- शेष 4 भूमिगत स्टेशनों का संरचनात्मक कार्य पूरा हो गया है। एस्प्लानेड स्टेशन को छोड़कर, जिसे पूरा करने का लक्ष्य नवंबर, 2023 रखा गया है, चरण- II के सभी 4 भूमिगत स्टेशनों में प्रणालीगत कार्य, प्रवेश संरचना और वास्तुशिल्प परिष्करण कार्य काफी हद तक पूरे हो चुके हैं।
- एडिट कनेक्शन के साथ स्ट्रैंड रोड (हावड़ा और महाकरण स्टेशन के बीच) में मध्यवर्ती आपातकालीन निकास-सह-वेंटिलेशन शाफ्ट का काम पूरा हो गया है।

- राजा सुबोध मल्लिक स्क्वायर पर सहायक भवन को छोड़कर मध्यवर्ती आपातकालीन निकासी-सह-वेंटिलेशन शाफ्ट के लिए ऊधवाधर शाफ्ट निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 14.10.2022 को सीपी 2 पर पानी घुसने की घटना के बाद NATM टनलिंग द्वारा पूर्व और पश्चिम की ओर जाने वाली सुरंगों के साथ क्षैतिज और ऊधवाधर कनेक्शन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। पानी प्रवेश की जिसप्रकार की घटना सीपी2 में घटी, वैसी घटनाओं से बचने के लिए शेष बचे कार्य को जमीन में सुधार के लिए ग्राउंड फ्रीजिंग विधि की विशेष तकनीक के माध्यम से पूरा करने की योजना है। यह योजना पूरी तरह से नागरिकों एवं आसपास के आवासीय और वाणिज्यिक भवनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनाई गई है।

ट्रैक कार्य

चरण- I। के लिए गिट्टी रहित (बैलास्ट-लेस) ट्रैक के लिए सम्पूर्ण हेड हार्डनेड रेल विदेश से मंगवाई गई है। हावड़ा मैदान से पूर्व की ओर जाने वाली ट्रैक में एस्लानेड तक तथा पश्चिम की ओर जाने वाली ट्रैक में एस्लानेड तक रेल लाइन को जोड़ने का कार्य पूरा हो गया है। सियालदह और बरुबाजार के बीच पश्चिम की ओर जानेवाली सुरंग में लगभग 330 मीटर तक ट्रैक बिछाने का काम भी पूरा हो गया है। सियालदह से एस्लानेड तक पश्चिम की ओर जानेवाली सुरंग में 2.15 किलोमीटर लंबी शेष ट्रैक का कार्य अभी भी बाकी है।

रोलिंग स्टॉक

14 रेक, प्रत्येक 6 कार गठन, की आपूर्ति, विनिर्माण और परीक्षण के लिए निविदा रु. 899.91 करोड़ की कुल लागत पर वर्ष 2015-16 में बीईएमएल लिमिटेड, बैंगलोर को प्रदान की गई थी। इसप्रकार, करों के बिना प्रति कार लागत रु. 9.38 करोड़ है। सभी 14 रेकों की आपूर्ति की जा चुकी है। 3 अतिरिक्त रेकों अर्थात् 15, 16 और 17 की आपूर्ति आदेश बीईएमएल लिमिटेड को दिए गए हैं। अतिरिक्त 03 रेकों की आपूर्ति मार्च '2024-मई '2024 के बीच प्राप्त हो जाएगी।

विद्युत आपूर्ति

पूरे कॉरिडोर के लिए विद्युत आपूर्ति का कार्य सीमेन्स लिमिटेड को सौंपा गया है। सभी चार भूमिगत स्टेशनों सहित हावड़ा मैदान से एस्लानेड खंड के बीच बिजली आपूर्ति का काम पूरा हो गया है। वर्तमान में कार्यक्षेत्र पर पहुंच उपलब्ध नहीं होने के कारण एस्लानेड और सियालदह के बीच सुरंग खंड में बिजली आपूर्ति का काम रुका हुआ है।

एस्केलेटर और एलिवेटर

चरण-I। खंड डसेक्टर-V से सियालदह में सियालदह स्टेशन पर केवल एक को छोड़कर सभी लिफ्ट और एस्केलेटर स्थापित कर दिए गए हैं। चरण-II में लिफ्टों और एलिवेटरों का निर्माण और आपूर्ति चरण-II के सभी भूमिगत स्टेशनों पर कर दिया गया है। चरण-II में लिफ्टों और एस्केलेटरों को स्थापित करने का कार्य काफी हद तक पूरा कर लिया गया है।

सुरंग संवातन प्रणाली ('टीवीएस')

टीवीएस धुएं के प्रवाह को नियंत्रित करने और आग लगने की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के साथ-साथ सुरंग और स्टेशन ट्रैक मार्ग में एक अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए एक साधन प्रदान करेगा। संपूर्ण कॉरिडोर के लिए टीवीएस के कार्य को मेसर्स वोल्टास लिमिटेड को प्रदान किया गया है।

चरण-I। सी में परिचालन हेतु सियालदह में टीवीएस का कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में टीवीएस का हावड़ा मैदान में भी टीवीएस का काम पूरा हो चुका है और दूसरे चरण में यह प्रगति पर है।

सिग्नलिंग, टेलीकॉम एंड ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन (एफसी) कार्य

हावड़ा मैदान से एस्लानेड मेट्रो स्टेशन तक संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण (सीबीटीसी) प्रणाली के लिए इनडोर और आउटडोर सिग्नलिंग उपकरण की स्थापना पूरी हो गई है। एचएसटीएस द्वारा चरण-IIA खंड में परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। एफसी का काम मैसर्स इंद्रा सिस्टेमास एसए, स्पेन को सौंपा गया है और वह काम सियालदह स्टेशन में पूरा हो चुका है और चरण-II में काफी हद तक पूरा होने के कगार पर है और हावड़ा मैदान में भी कार्य में काफी प्रगति हुई है। एचडब्ल्यूएमएम, महाकरण और एचडब्ल्यूएमएम में पीएसडी/पीएसजी कार्य पूरे हो चुके हैं और प्रगति पर हैं।

भूमिगत खंड में ई एंड एम कार्य

चरण-I। कार्य के लिए अग्निशमन सहित ई एंड एम प्रणाली का कार्य पूरा कर लिया गया है और इसे चालू कर दिया गया है। चरण-II में वोल्टास लिमिटेड [यूएमपीईएसएल] द्वारा किया गया ई एंड एम का विनिर्माण और स्थापना कार्य हावड़ा मैदान से एस्लानेड तक के खंड के बीच काफी हद तक पूरा कर लिया गया है और इसे नवंबर 2023 तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है।

पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली ('ईसीएस') कार्य

चरण-II भूमिगत स्टेशनों के लिए ईसीएस प्रणाली का कार्य मेसर्स स्टर्लिंग एंड विल्सन लिमिटेड को दिया गया है तथा चरण-I सी परिचालन के लिए सियालदह स्टेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। चरण-II के लिए विनिर्माण कार्य में संतोषजनक प्रगति हासिल हुई है तथा स्थापना कार्य नवंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।

प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजे (पीएसडी) / प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजे (पीएसजी)

पीएसडी मोटरचालित स्लाइडिंग दरवाजों की एक प्रणाली है, जो ट्रेनों तक नियंत्रित पहुंच प्रदान करती है और प्लेटफॉर्म के किनारों की रक्षा करती है। पीएसडी प्रणाली में प्लेटफॉर्म और छत के स्तर पर सिविल इंटर-फेस का उपयोग करके स्थापित एक पूर्ण ऊंचाई / आधी ऊंचाई स्क्रीन-वर्क लोड संरचना का गठन करती है। पीएसडी एयर कंडीशनिंग की कम मात्रा के कारण विद्युत ऊर्जा की पर्याप्त बचत के अलावा प्लेटफॉर्म पर आत्महत्या के मामलों को प्रतिबंधित करेगा। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म का सौंदर्य दृश्य भी बढ़ जाएगा।

6 एलिवेटेड स्टेशनों के लिए पीएसजी (आधी ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म स्क्रीन गेट्स) कार्य तथा 6 भूमिगत स्टेशनों के लिए पीएसडी का कार्य मेसर्स सीआरआरसी को दिया गया है। चरण-I का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। वर्तमान में रोलिंग स्टॉक और एसएंडटी का एकीकरण कार्य प्रगति पर है और एकीकृत परीक्षण और कमीशनिंग के बाद नवंबर 2023 तक इसके पूरा हो जाने की उम्मीद है।

11/12.05.2022 को बऊबाजार टीबीएम रिट्रिवल (सुरंग बोरिंग मशीन) शाफ्ट में जल प्रवेश की घटना


क. प्रारंभिक घटना (31.08.2019 को बऊबाजार सुरंग में पानी घुसने की घटना):

दो टनल बोरिंग मशीनें डीबीएम-5.8 मीटर आंतरिक व्यास की जुड़वां बोर सुरंगों को निष्पादित करने के लिए एस्लेनेड से डजनवरी और फरवरी 2019 में लॉन्च की गईं और उन्हें सियालदह पश्चिम की ओर से गुजरना था। [2.45 किमी.] पश्चिम की ओर जानेवाली सुरंग का कार्य टीबीएम कर रही थी। यह पूरे प्रोजेक्ट में टीबीएम टनलिंग के लिए प्रायोजित अंतिम अभियान था। 31.08.2019 तक, एस्लेनेड से सियालदह तक पश्चिम गामी सुरंग में 1654 मीटर तक का कार्य पूरा हो गया था और सियालदह तक पहुंचने के लिए केवल 804 मीटर बचा था। 31.08.2019 को बऊबाजार में टनल बोरिंग मशीन डवेस्ट बाउंड- टीबीएम-1 के अंदर काफी मात्रा में पानी प्रवेश कर गया था।

यह पानी रेत/मिट्टी के कणों के साथ मिश्रित हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप जमीन को काफी नुकसान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप जमीन धंस गई और सुरंग के प्रभाव क्षेत्र के कुछ इमारतों खतरे में पड़ गईं। कुल मिलाकर, 73 इमारतों को खाली करा लिया गया। 712 व्यक्तियों को विभिन्न होटलों में ठहराया गया और लगभग 12 व्यक्तियों ने स्वयं आवास की व्यवस्था की। पूर्व की ओर जानेवाली सुरंग डीबीएम-2 के लिए टनल बोरिंग मशीन को भी तुरंत बंद कर दिया गया, जो प्रभावित स्थान से लगभग 300 मीटर पीछे थी।

टीबीएम मशीनों के लिए रिट्रिवल शाफ्ट

- घटना के बाद शेष सुरंग का निर्माण मई 2021 में एक मशीन द्वारा स्टॉपेज पॉइंट से सियालदह तक पूरा किया गया और इसे सियालदह से पुनः लॉन्च किया गया और दूसरी लाइन डपश्चिम गामी में सुरंग को पूरा किया गया। इस मशीन का ब्रेकथ्रू कॉमन रिट्रिवल शाफ्ट के अंदर था जहां से दोनों मशीनें थीं।
- दोनों मशीनों की रिट्रिविंग मार्च 2022 में पूरी हो चुकी है और रिट्रिविंग शाफ्ट के अंदर स्थायी बॉक्स निर्माण का कार्य चल रहा है।



ख. 11/12.05.2022 को बऊबाजार में पानी घुसने की घटना

बऊबाजार टीबीएम रिट्रीवल शाफ्ट [38 मीटर x 10 मीटर] में जहां दोनों टीबीएम रिट्रीव किए गए हैं, बॉक्स के बेस स्लैब के शेष 9 मीटर की ढलाई की तैयारी 11/05/2022 को चल रही थी। दोनों तरफ 1.8 मीटर ऊंची दीवार के साथ बॉक्स बेस स्लैब की 29 मीटर ढलाई पूरी हो चुकी है। प्लेन कंक्रीट के लिए बैलेंस बेस स्लैब [9 x 10 मीटर] के नीचे खुदाई करते समय 11.05.2022 को सुबह लगभग 10 बजे पानी का घुसना प्रारंभ हो गया। पानी घुसने का स्थान एस्प्लानेड साइड सक्कुलर टनल के नीचे सक्कुलर टनल और बॉक्स टनल के जंक्शन बिंदु पर है।

प्रारंभ में पानी का प्रवेश रेत/मिट्टी के साथ हो रहा था। जमीन में मिट्टी की कमी के कारण भूतल स्थित संरचनाओं के धंसने की घटना हुई जिसके परिणामस्वरूप दुर्गा पिथुरी लेन, सिकरापारा लेन और गौर दे लेन के आसपास की कुछ इमारतों में दरारें आ गईं। क्षेत्र की अधिकांश इमारतें पुरानी हैं और उनमें से कुछ को कोलकाता नगर निगम द्वारा असुरक्षित घोषित किया गया है। 13.05.2022 की सुबह के बाद धंसान की घटना रूक गई है। 9 इमारतें प्रभावित हुईं और एहतियात के तौर पर आधी रात के आसपास 154 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और उन्हें भोजन और आवास की सुविधा के साथ पास के विभिन्न होटलों में ठहराया गया।

शेष बेस स्लैब [9 x 10 मीटर] का निर्माण कार्य विशेष ग्राउटिंग विधियों और क्रमिक निर्माण तकनीकों को अपनाकर दिनांक 05.03.2023 को पूरा कर लिया गया। बेस स्लैब के निर्माण के बाद, कुल 38 मीटर लंबे टनल बॉक्स में से 27 मीटर का पूरा हो गया है और शेष 11 मीटर का इनवर्ट कार्य किया गया है। शेष 11 मीटर के ओवर्ट का निर्माण ट्रैक कार्य पूरा होने के बाद किया जाएगा क्योंकि ट्रैक कार्य के हिस्से तक पहुंच रिट्रीवल शाफ्ट के इस हिस्से से की जानी है।

ग. 14.10.2022 को बऊबाजार में सीपी2 के निर्माण के दौरान पानी घुसने की घटना

सीपी-2 निर्माणस्थल पर क्रॉस पैसेज निर्माण का काम चल रहा था, जो यूजी2 कॉन्ट्रैक्ट वक्स के तहत बऊबाजार रिट्रीवल शाफ्ट से सियालदह की ओर लगभग 128 मीटर की दूरी पर है। क्रॉस पैसेज, रिब फिक्सिंग और अस्थायी लाइनिंग के हेडिंग हिस्से की खुदाई के बाद ग्राउटिंग 24 सितंबर 2022 तक पूरी हो गई थी। दुर्गापूजा की छुट्टियों के दौरान, क्रॉस पैसेज के खाली जगह को बालू के बोरियों से बंद कर दिया गया था और फेस को सील कर दिया गया था। जांच ड्रिलिंग के संतोषजनक नतीजे आने के बाद 13 अक्टूबर 2022 से बेंचिंग के लिए खुदाई का काम शुरू हुआ। 14 अक्टूबर की सुबह 3 बजे तक निर्माणस्थल पर पानी घुसने का कोई संकेत नहीं था। इनवर्ट में प्रोफाइल करने के लिए अंतिम 200 मिमी को ट्रिम करते समय, सुबह लगभग 3.45 बजे अचानक भारी मात्रा में पानी और गाद का प्रवेश शुरू हो गया और शीघ्र ही अनियंत्रित हो गया। गाद के साथ पानी का तेज बहाव पश्चिम गामी सुरंग में भी कुछ ऊंचाई तक भर गया। आस-पास की कुछ इमारतों में सतह के धंसने और दरारें पड़ने की सूचना मिली थी। 14 अक्टूबर 2022 को सुबह 5.30 बजे से नागरिकों की निकासी शुरू हुई। 12 इमारतें प्रभावित हुईं और 192 लोगों को एहतियात के तौर पर सुबह-सबरे निकाल लिया गया और भोजन एवं आवास के साथ पास के विभिन्न होटलों में ठहराया गया।

किए गए तत्काल राहत उपाय

- (i) प्रभावित क्षेत्र जहां से पानी आ रहा है उसे सीमेंट की बोरियों से भरना और स्टील बल्क हेड लगाना। पानी के प्रवेश को रोकने के लिए पीयू ग्राउटिंग लगाई गई थी लेकिन इसे नियंत्रित नहीं किया जा सका।
- (ii) CP2 के फेस पर प्लेट की एक अतिरिक्त परत के साथ शॉटक्रीट लगाया गया और अंततः 15 अक्टूबर 2022 को दोपहर 12.30 बजे के आसपास पानी के प्रवेश को पूरी तरह से रोक दिया गया।

कंपनी के पुनर्वास प्रयास

ध्वस्त किए गए भवनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा तथा मरम्मत करने लायक इमारतों की संरचनात्मक रूप से मरम्मत की जाएगी और इसके बाद संरचनात्मक स्वास्थ्य की जांच विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। यदि भवन की इन दो श्रेणियों में स्थानांतरित किए गए निवासियों का बाहर रहना पर्याप्त है, तो उनके लिए निर्माण कंपनी द्वारा सुसज्जित आवासीय फ्लैटों की व्यवस्था की गई है।

बऊबाजार की घटनाओं का प्रभाव : एक नजर में

श्रेणी	विवरण	पहली घटना 31.08.2019	दूसरी घटना 11.05.2022	तीसरी घटना 14.10.2022	कुल
भवन	प्रभावित भवनों	72	9	12	93
	ध्वस्त किए गए भवन	23	2	0	25
	मरम्मत किए गए भवन	31	4	11	46
	निगरानी के अधीन भवन	18	3	1	22
व्यक्ति	भवनों से निकाले गए व्यक्तियों की सं.	710	154	192	1056
	होटलों में शिफ्ट किए गए व्यक्ति	693	154	192	1039
	मरम्मत के बाद पुनर्वासित किए गए व्यक्ति	412	55	173	640
	वैकल्पिक आवासों (फ्लैट) में पुनर्वासित व्यक्तियों की सं	298	99	19	416
	मुआवजा प्रदान किए जानेवाले परिवार (एक बार)	202	0	27	229
	उपलब्ध कराए गए फ्लैटों (किराए पर) की सं.	69	32	1	102
दुकानें	प्रभावित दुकानें	81	21	30	132
	क्षतिपूर्ति प्राप्त करनेवाले दुकानदार (एक बार)	77	16	28	121
	मरम्मत और पुनर्वासित दुकानें	0	12	30	42
	वैकल्पिक दुकानें/किराये पर उपलब्ध दुकानें	38	2	0	40

निर्धारित से अधिक लागत और समय

अनुबंध को 'डिजाइन एंड बिल्ड' के आधार और एकमुश्त लागत पर प्रदान किया गया है। इसलिए, इस घटना के कारण कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि यह संविदात्मक दायित्व के अधीन है। हालांकि, अनुबंध 1279/- करोड़ रु. के 'कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी' के पूर्ण अनुबंध राशि के साथ ही साथ थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत आता है। अतः वसूली प्रक्रिया और क्षति की बहाली के लिए एजेंसी द्वारा वहन किया जा रहा यह परिणामिक योग आंशिक रूप से बीमा से वसूल किया जाना चाहिए। बऊबाजार सुरंग में पानी घुसने की घटना के संबंध में आईटीडी आईटीडी सीईएम ने मध्यस्थता का चयन किया है। एटी निर्णय छऊऊ-छऊऊ णरू के पक्ष में दिया गया है। हालांकि, कंपनी उक्त फैसले को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती देगी।

हावड़ा मैदान से सियालदह (चरण-II) तक शेष खंड को पूरा करने की समय सीमा:-

क्र.सं	खंड	लंबाई	लक्ष्य	बाधाएं
1	हावड़ा मैदान - एस्लानेड खंड (आंशिक सेवा) के बीच खंड को चालू करना★★	4.80 किमी	दिसंबर, 2023	सियालदह - एस्लानेड ड2.45 किमी.खंड में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन इस खंड को चालू करने में प्रभावित करता है। <ul style="list-style-type: none"> क्षतिग्रस्त सुरंग लाइनिंग को रेट्रोफिट करना और कास्ट इन सीटू आरसीसी बॉक्स के साथ इसका कनेक्शन

क्र.सं	खंड	लंबाई	लक्ष्य	बाधाएं
2	एस्प्लानेड-सियालदह सेक्शन के बीच शेष खंड को चालू करना	2.45 किमी	जून, 2024	<ul style="list-style-type: none"> क्षतिग्रस्त सुरंग लाइनिंग को रेट्रोफिट करना और कास्ट इन सीटू आरसीसी बॉक्स के साथ इसका कनेक्शन क्रॉस पैसेज-5बी का निर्माण। इंटरमीडिएट वेंटिलेशन शाफ्ट के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एडिट का निर्माण। बऊबाजार में निकास व्यवस्था

★★ हावड़ा मैदान और एस्प्लानेड (सहित) के बीच भूमिगत स्टेशनों और सुरंग खंड के सभी सिविल कार्य, एमईपी, बिजली आपूर्ति और एस एंड टी कार्य काफी हद तक पूरे हो चुके हैं।

सियालदह और एस्प्लानेड के बीच संतुलन महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाधाएँ:

सियालदह – एस्प्लानेड ड2.45 किमी.में महत्वपूर्ण कार्यों के पूरा न होने से 7.25 किमी के चरण-2 सियालदह – हावड़ा मैदान खंड चालू नहीं हो सका है। तकनीकी चुनौतियों वाले शेष महत्वपूर्ण कार्यों को निष्पादित करने के लिए, कंपनी ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सियालदह और एस्प्लानेड सुरंग खंड के बीच शेष महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु विदेशी विशेषज्ञों को नियुक्त किया है:

1. पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर जाने वाली सुरंगों को जोड़ने वाले एक क्रॉस मार्ग सीपी 5बी का निर्माण।
2. तीन क्रॉस पैसेज (सीपी1, सीपी2 और सीपी3) को हटाकर बऊबाजार रिट्रीवल शाफ्ट स्थान पर निकास व्यवस्था का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
3. दोनों सुरंगों में वेंटिलेशन एडिट के पृथक कनेक्शन के साथ सुबोध मलिक स्क्वायर पर छ शाफ्ट का निर्माण;
4. रिट्रिविंग शाफ्ट के अंदर 38 मीटर लंबा बॉक्स सुरंग के निर्माण कार्य का समापन और रिट्रिविंग शाफ्ट को बंद करना।
5. पश्चिम की ओर जाने वाली सुरंग में बऊबाजार में रिट्रीवल शाफ्ट पर टनल सेक्शन की रेट्रोफिटिंग,
6. क्रॉस पैसेज को बंद करना (CP2)

क्रम संख्या 1 को छोड़कर उपरोक्त सभी स्थानों पर कार्य प्रगति पर है।

पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास

कंपनी के पास परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों (जिनकी संख्या मूल संरेखण के साथ 677 अनुमानित थी) के कल्याण के लिए एक सुपरिभाषित पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति है। हालाँकि, यह आंकड़ा काफी कम हो गया है, क्योंकि संशोधित संरेखण पर नए महाकरण और एस्प्लानेड स्टेशन क्षेत्रों में पुनर्वास की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में इस परियोजना में पुनर्वास मुद्दों से संबंधित कोई अड़चन नहीं है।

परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास प्रमुख रूप से निम्नलिखित स्थानों पर किया गया है:

- हावड़ा मैदान क्षेत्र स्थित श्री मार्केट कॉम्प्लेक्स (129 दुकानें शामिल)
- हावड़ा मैदान क्षेत्र में पहले के बंगबासी थिएटर के सामने 7 अदद व्यावसायिक दुकानों का स्थानांतरण
- फूलबागान में 30 अदद अस्थायी दुकानों का स्थानांतरण, जिसमें से 18 दुकानों को स्थाई तौर पर पहले के स्थान पर वापस स्थानांतरित कर दिया गया है
- स्थायी पुनर्वास फ्लैटों के जरिए स्वभूमि स्थित 63 अदद केएमसी स्वीपर क्वार्टरों का पुनर्वास
- स्थाई पुनर्वास फ्लैटों के जरिए दत्ताबाद सेटलमेंट में 80 परिवारों का पुनर्वास।

पर्यावरणीय विषय

कोलकाता के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों से गुजरने वाली वृहदकार 'ईस्ट-वेस्ट मेट्रो' परियोजना भारी पर्यावरणीय चुनौतियों से भरी है।

कंपनी ने परियोजना के शुरू होने के बाद से अपनी योजना में इस चुनौती को स्वीकार किया।

दोनों मूल परियोजना के साथ-साथ संशोधित प्रस्ताव को पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ-साथ पश्चिम बंगाल सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों से मंजूरी दी गई थी। कंपनी पर्यावरण प्रबंधन योजना को कड़ाई से लागू कर रही है जैसा कि ईआईए अध्ययन रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया है।

स्टेशनों को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के व्यावहारिक मानदंडों के अनुसार तैयार किया जा रहा है। डिपो को एलईडी की सिल्वर रेटिंग के साथ ग्रीन डिपो के रूप में डिजाइन किया गया है।

‘ईस्ट-वेस्ट मेट्रो’ परियोजना पर्यावरण के संरक्षण को महत्व देती है तथा हरियाली पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करती है। परियोजना के निष्पादन के लिए लगभग 1,335 पेड़ों को हटाया गया है। इन सभी पेड़ों को स्थानीय नगर निगम, जिनके पास इन पेड़ों का स्वामित्व है, के प्रतिनिधि से पहचान कराई गई है और उनके स्थान पर रु. 45.61 लाख की कुल लागत से 6,900 पेड़ लगाए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मान

नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, ईस्ट-वेस्ट मेट्रो परियोजना को इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, यूके (एक प्रसिद्ध वैश्विक इंजीनियरिंग फोरम) द्वारा दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ 200 परियोजनाओं में से एक चुना गया है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जा रही है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

कंपनी ने विभिन्न प्रणालियों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग एवं उचित प्रौद्योगिकी का चयन सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन स्तर पर विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों की शुरुआत की है। हालांकि, विस्तृत उपाय निम्नानुसार हैं:

(क) ऊर्जा का संरक्षण -

(i) ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम या प्रभाव:

- स्टेशनों और ट्रेन के कोचों में एलईडी-प्रकार की लाइटिंग की परिकल्पना की गई है।
भूमिगत स्टेशनों में प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर का प्रावधान, जो एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता को काफी हद तक कम कर देगा और जिससे गैर-कर्षण ऊर्जा की खपत कम होगी।
- परियोजना के लिए रोलिंग स्टॉक खरीद की योजना बनाई है, जो रिजेनेरेटिव ब्रेकिंग की परिकल्पना करता है, जिससे ब्रेकिंग के समय विद्युत उत्पन्न हो, जो कि प्रणाली में चल रही अन्य पॉवरिंग ट्रेनों द्वारा खपत की जाएगी।
- एलिवेटेड स्टेशन के वास्तुशिल्प को इस तरह से रखा गया है, जिससे दिन के समय में प्राकृतिक रोशनी का उपयोग काफी हद तक किया जा सके। एलिवेटेड स्टेशनों पर पॉलीकार्बोनेट शीट्स के इस्तेमाल ने कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के प्रति प्रोत्साहित किया है।
- हाई सीओपी-प्रकार की एयर कंडीशनिंग इकाइयों को ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के साथ-साथ भूमिगत स्टेशनों के लिए परिकल्पित किया गया है, जिससे चिलर्स, कूलिंग टावर्स, पंपों इत्यादि के उपयोग को अनुकूलित किया जा सके।

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

आंतरिक उपभोग के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु मेट्रो डिपो में सौर सेलों के बड़े बैंक उपलब्ध कराए जाएंगे। डिपो लेआउट को इस तरह तैयार किया गया है ताकि हर संभव प्राकृतिक रोशनी का उपयोग किया जा सके।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश:

इसे परियोजना के एक उचित स्तर में निर्धारित किया जाएगा।

(ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण -

(i) प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास:

कंपनी का अधिदेश परियोजना को लागू करने के लिए है। प्रौद्योगिकी अवशोषण की संभावना का पता लगाने के लिए क्रय चरण में प्रयास किए जाएंगे।

- (ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ प्राप्त हुए हैं:
इससे मिले लाभ का ब्यौरा भविष्य में उचित समय पर दिया जाएगा।

आर्थिक विकास के बेहतर अवसर -

यह परियोजना मौजूदा वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्रों तक आसान पहुंच उपलब्ध कराएगी, साथ ही यह ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के रूप में विकास प्रबंधन के माध्यम से स्टेशनों के ऊपर और गलियारे के किनारों पर सदृश विकास कार्यों को प्रोत्साहित करेगी। यह परियोजना कोलकाता और इसके आसपास में बढ़ती परिवहन जरूरतों को कम करने का एक प्रयास है और यह कोलकाता में यातायात की भीड़ और पर्यावरण प्रदूषण को काफी हद तक कम कर देगी। संशोधित संरेखण के अनुसार इस लाइन में एस्प्लानेड पर निर्माणाधीन जोका एस्प्लानेड मेट्रो लाइन के साथ इंटरचेंज सुविधाएं भी होंगी। पूर्व रेलवे के सियालदह और हावड़ा स्टेशनों के साथ-साथ एस्प्लानेड स्थित प्रमुख बस अड्डों पर भी इंटरचेंज सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नई ईस्ट वेस्ट लाइन के पूरा होने से क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और यातायात की भीड़ और वायु प्रदूषण को कम करके शहरी पर्यावरण में सुधार होगा।

ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना के लाभ:

कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना अपने आप में एक आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल जन परिवहन प्रणाली है जो कोलकाता शहर और आसपास के शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण, यातायात भीड़ और सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक खत्म कर देगी। यह क्षेत्र में रत परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देगा, जो हावड़ा और कोलकाता के जुड़वां शहरों के लिए एक रत ट्रेन संचार प्रदान करेगा। अनुमान है कि वर्ष 2035 में लगभग 1 मिलियन लोग प्रतिदिन इस प्रणाली का उपयोग करेंगे। प्रारंभिक चरण में परियोजना के लिए उचित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन डईआईए किया गया था और सांविधिक पर्यावरण मानदंडों का क्रियान्वयन निष्ठापूर्वक किया गया है।

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान प्रमुख पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव होंगे (उदाहरण के लिए अनैच्छिक पुनर्वास, गरीबी में कमी, प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव)।

भीड़भाड़ को कम करना - प्रमुख परिवहन केंद्रों (सियालदह, हावड़ा) और आवासीय क्षेत्रों (सॉल्ट लेक सिटी और भविष्य के राजरहाट न्यू टाउन) से शहर के मुख्य भाग (महाकरण और मध्य भाग) तक यात्रियों का परिवहन।

संरक्षा और सुरक्षा - यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजे और अत्याधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली का प्रावधान।

बेहतर वायु गुणवत्ता और ध्वनि प्रदूषण को कम करना - बस यात्राओं को कम करना और बढ़ती परिवहन मांग को पूरा करना और साथ ही लोगों को कारों और टैक्सियों से स्विच करने के लिए एक बेहतर परिवहन प्रणाली प्रदान करना।

बेहतर जीवन स्तर - तनाव, वायु प्रदूषण एवं शोर और यातायात अव्यवस्था को कम करते हुए लगभग 100% समय पाबंदी के साथ सुखद और निर्बाध यात्रा अनुभव द्वारा जिंदगी की गुणवत्ता में वृद्धि। यहां तक कि ट्रेनों के ठहराव और रखरखाव के लिए डिपो का निर्माण भी पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ डिजाइन के सिद्धांतों का पालन करते हुए किया जाएगा।

वित्तीय लागत

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के लिए रेल मंत्रालय का संशोधित बजट आवंटन रु. 1100.00 करोड़ रु. था। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान रेल मंत्रालय ने पास्ड थ्रू असिस्टेंस के लिए 300.00 करोड़ जारी किए हैं।

शेयर पूंजी

फिलहाल कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 3758.62 करोड़ है।

31 मार्च, 2023 को कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी और जारी, सबक्राइड और चुकता पूंजी रुपये 3758.62 करोड़ पर बनी रही। कंपनी में रेल मंत्रालय (पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हस्तांतरित शेयरों सहित) की धारित इक्विटी रुपये 2781.38 करोड़ (74%) थी जबकि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की 927.24 करोड़ रुपये (26%) थी।

जमा

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के तहत जनता से जमा राशि को आमंत्रित नहीं किया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऋण, निवेश और गारंटी का विवरण

कंपनी ने -

- क) किसी भी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण नहीं दिया है
- ख) किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति को किसी भी ऋण के संबंध में कोई गारंटी या सुरक्षा नहीं दी है; तथा
- ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन निर्धारित नियमानुसार सदस्यता, खरीद या अन्यथा के माध्यम से किसी भी अन्य निगमित निकाय की प्रतिभूतियां हासिल नहीं की है।

सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनी

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई भी सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं थी।

लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड द्वारा गठित कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में 2021-22 के दौरान निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

10.07.2022 तक गठन

- | | |
|---|-----------|
| 1. श्रीमती अंजू वारियर (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र) | : अध्यक्ष |
| 2. श्री नागसेन मोरेश्वर ढोके (गैर-कार्यकारी) | : सदस्य |
| 3. श्री जयदीप (गैर-कार्यकारी) | : सदस्य |

10.07.2022 के बाद गठन

- | | |
|---|-----------|
| 1 श्री नागसेन मोरेश्वर ढोके (गैर-कार्यकारी) | : अध्यक्ष |
| 2. श्री जयदीप (गैर-कार्यकारी) | : सदस्य |
| 3. श्री धनंजय सिंह (गैर-कार्यकारी) | : सदस्य |

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया जिसमें श्रीमती अंजू वारियर (अध्यक्षा के रूप में), श्री एन.एम. ढोके (सदस्य) और श्री जयदीप (सदस्य) शामिल थे। श्रीमती अंजू वारियर कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद जुलाई, 2022 में समिति की सदस्य नहीं रह गई हैं और निदेशक श्री धनंजय सिंह को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की चार बैठकें हुईं - 19.05.2022, 08.08.2022, 29.11.2022 और 29.03.2023 को।

आंतरिक लेखा परीक्षक

केजीआरएस एंड कं., सनदी लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। लेखा परीक्षा समिति ने आंतरिक लेखा परीक्षक के कार्य एवं उनके समय-समय पर प्रतिवेदन की समीक्षा की।

सांविधिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक ने राज कुमार कोठारी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के साथ पठित धारा 139 के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों अर्थात् राज कुमार कोठारी एवं कं., सनदी लेखाकार का प्रतिवेदन संलग्न है।

राज कुमार कोठारी एंड कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखा-परीक्षा की है। उक्त मानकों के अधीन उनकी जिम्मेदारियां हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरणों खंड की लेखा-परीक्षा हेतु लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित हैं। वे इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ ही साथ कंपनी अधिनियम 2013 एवं उसके अधीन नियमों के प्रावधान के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की उनकी लेखा-परीक्षा से सम्बंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप कंपनी के स्वतंत्र हैं तथा उन्होंने इन आवश्यकताओं एवं नैतिक संहिता के अनुरूप अपनी अन्य नैतिक ज़रूरतों को पूरा किया है। उनका विश्वास है कि उन्हें प्राप्त हुए लेखा-परीक्षा साक्ष्य उनकी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उचित हैं। और उनके द्वारा लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं देखी गई है। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं और किसी अतिरिक्त टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में प्रकटीकरण पर कोई विशिष्टताएं, आपत्तियां, प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं दी हैं। उन्होंने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की लेखा परीक्षा समिति को धोखाधड़ी की किसी भी घटना की सूचना नहीं दी है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

अधिनियम की धारा 143 (6) के अधीन 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां भी संलग्न हैं।

सीएजी ने वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषयों को उजागर किया है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

अधिनियम की धारा 143(6) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां भी संलग्न हैं।

सीएजी ने वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डाला है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है:-

ए. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

तुलनपत्र

संपत्ति

गैर तात्कालिक परिसंपत्ति

अन्य वित्तीय संपत्तियाँ (नोट - 7: रु. 230.14 करोड़)

इस मुद्दे पर सीएंडएजी को सौंपे गए प्रबंधन के जवाब के बाद निम्नलिखित कार्रवाई की गई है

- वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दावे के समर्थन में दस्तावेजों का विस्तृत सत्यापन भी पूरा हो चुका है।
- इस आशय का एक पत्र 12.01.2022 को केएमआरसीएल के अध्यक्ष, जो मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी हैं, की ओर से 12.01.2022 को मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार के कार्यालय को भी भेजा गया था।
- फिर, वित्तसचिव, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) की एक बैठक जुलाई-2022 के महीने में हुई, जहाँ यह कहा गया कि पश्चिम बंगाल सरकार डब्ल्यूबी एसजीएसटी प्राप्य राशि की प्रतिपूर्ति किश्तों में करेगा।
- यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इन सभी बैठकों में पश्चिम बंगाल सरकार ने कभी भी प्रतिपूर्ति किये जेन में इनकार नहीं किया और वेट के अंतिम प्रतिपूर्ति 2014 में की गई थी, हालांकि उन्होंने 2012 में परियोजना छोड़ दी थी।
- इसके अलावा, 'राज्य सहायता समझौते' [State Support Agreement] के मसौदे के संबंध में, विवादास्पद मुद्दा भूमि के पट्टे के बारे में था जिसे अभी तक सुलझाया जाना बाकी है लेकिन राज्य सरकार द्वारा एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति का कभी भी विरोध नहीं किया गया।

इसलिए, बकाया राशि को 'प्राप्य' के अंतर्गत दिखाया गया है।

इसके अलावा, परियोजना के लिए 'कैपेक्स' आंकड़े में प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य और 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां' शामिल हैं, इसलिए, वास्तविक रूप में परियोजना के लिए प्राप्त फंड के संबंध में 'कैपेक्स' को कम करके नहीं बताया गया है।

यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि चालू वित्तीय वर्ष में, अध्यक्ष/केएमआरसीएल ने एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति में तेजी लाने के लिए एक और पत्र मुख्य सचिव, वित्त विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को 13-04-23 में लिखा।

वैधानिक लेखा परीक्षक भी प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण और दृष्टिकोण से सहमत है।

गैर-वर्तमान संपत्ति – पूंजीगत कार्य प्रगति पर है

प्री-ऑपरेटिव व्यय (लंबित आवंटन) (नोट-6) रु. 253.51 करोड़ रुपये.

ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट, कोलकाता का निर्माण कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक ही चरण में किया जा रहा है, जिस की पूरी परियोजना की लंबाई 16.55 किलोमीटर है। केएमआरसीएल द्वारा उपयोग की जा रही चरण-1ए, चरण-1बी आदि की शब्दावली निर्माण किए जा रहे मार्ग किमी के आंतरिक सीमांकन को दर्शाती है और यह पूरी तरह से विभिन्न निर्माण लक्ष्यों/मील के पत्थरों(milestone?) की निगरानी में आसानी के लिए है।

यह परियोजना आंशिक रूप से जेआईसीए(व्ही) से ऋण द्वारा वित्तपोषित है और आंशिक रूप से रेल मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इक्विटी और उप-ऋण के रूप में निधि प्रदान करके वित्तपोषित है।

अवलोकन के संबंध में यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि—

(ए) सभी प्रमुख अनुबंध जेआईसीए ऋण से वित्तपोषित हैं और वे ई-डब्ल्यू मेट्रो के पूर्ण विस्तार के लिए हैं। इस स्तर पर संचालनाधीन मार्ग के तहत विस्तार के निर्माण के लिए उपयोग की गए प्रासंगिक ऋण राशि का विभाजन और अंतिम निर्धारण संभवन ही है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, संपूर्ण परियोजना के पूरा होने तक उधार लेने की लागत को सीडब्ल्यूआईपी के रूप में पूंजीकृत किया जा रहा है और इंडेज 23 के प्रावधान में कोई विचलन नहीं है।

वैधानिक लेखा परीक्षक के अनुसार वाणिज्यिक संचालन के तहत हिस्से की पूंजीगत लागत का विस्तृत मूल्यांकन कम व्यावहारिक हो सकता जबकी समग्र परियोजना के अंतिम छोर पर है। समग्र समापन प्रमाण पत्र की मंजूरी तक संपूर्ण उधार लागत सीडब्ल्यूआईपी में जोड़ी जाएगी।

अन्य गैर- वर्तमान संपत्ति (नोट्स - 8 रु. 87.94 करोड़)

सीएंडएजी द्वारा की गई टिप्पणी से सहमत हुए।

रेलिंग-स्टॉक अनुबंध के लिए अनुबंध दायित्व लगभग समाप्त हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान खाता बही को संशोधित किया जाएगा और 'ठेकेदार को अग्रिम' को 'सीडब्ल्यूआईपी' में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

सांविधिक लेखा परीक्षक नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के अवलोकन से सहमत हैं।

पूंजीगत कार्य प्रगति पर (नोट-5 एवं 6 रु. 8055.90 करोड़)

रु. 13.32 करोड़, जो फरवरी, 2020 से मार्च, 2020 तक चरण- I वाणिज्यिक संचालन के लिए खर्च किया गया था, वो GGM (इलेक्ट्रिकल) द्वारा अपने पत्र संख्या KMRC/ELECT/AR&BUDGET/खंड II/7558 दिनांक 26.04.2023 के माध्यम से मेट्रो रेलवे से ऊर्जा बिलों के भुगतान के लिए दावा किया गया है। लेकिन आज तक मेट्रो रेलवे से तो ना कोई भुगतान प्राप्त हुआ है और ना ही उनके द्वारा दावा स्वीकार किया गया है।

इसलिए, इस व्यय को सीडब्ल्यूआईपी (बिजली आपूर्ति) के रूप में प्रकट किया गया है और परिणाम स्वरूप सीडब्ल्यूआईपी का कोई अतिरंजित या अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों (उपयोगिता सेवाओं के लिए सरकारी निकाय को अग्रिम) का कम विवरण नहीं है।

एक बार भुगतान प्राप्त हो जाने पर, सीडब्ल्यूआईपी उस सीमा तक कम कर दिया जाएगा।

सभी दावे मेट्रो रेलवे को किए गए हैं और उन्होंने वित्तवर्ष 2022-23 में 6.46 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इसके अलावा, वे प्रति माह लगभग 0.20 करोड़ रुपये की कर्षण बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति कर रहे हैं।

वैधानिक लेखा परीक्षक भी प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण और दृष्टिकोण से सहमत है।

कैपिटल कार्य - प्रगतिपर**ग्री-ऑपरेटिव व्यय (लंबित आवंटन) (नोट-6: रु. 253.51 करोड़)**

रु 3.65 करोड़ जीसी को भुगतान की गई परामर्श शुल्क के लिए सीजीएसटी से संबंधित व्यय है। इसे अन्य प्रशासनिक खर्चों के बजाय परामर्श शुल्क के तहत डेबिट किया जाना चाहिए था।

इसका अनुपालन वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खाते बंद करते समय किया जाएगा।

सांविधिक लेखा परीक्षक भी सीएंडएजी के अवलोकन से सहमत हैं।

कैपिटल कार्य - प्रगति पर**ग्री-ऑपरेटिव व्यय - व्यय (नोट -6: रु. 498.63 करोड़)**

सीएएए बहीखाता के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सभी आठ ऋण आईडी के लिए कुल ब्याज रु 37.00 करोड़ है।

ऋण आईडी 263, 263A, 192, 192A, 207 और 207A, के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में ब्याज की गणना दो बार की जाती है, एक बार 20.04.2022 को और फिर 20.10.2022 को।

ऋण आईडी 295 और 295A के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान केवल एक बार, 20.04.2022 को ब्याज लगाया गया है।

रु 3.09 करोड़ का अंतर ऋण आईडी 295 और 295A एकल 20.04.2023 को लगाए गए ब्याज से संबंधित है, जिसे वित्तवर्ष 2022-23 के लिए नहीं माना जाएगा क्योंकि यह वित्तवर्ष 2023-24 में आता है।

इसलिए, केएमआरसीएल द्वारा जेआईसीए ऋण लेने की लागत को वित्त मंत्रालय द्वारा जेआईसीए ऋण पुनर्भुगतान के संबंध में कम नहीं बताया गया है।

सांविधिक लेखा परीक्षक की यह भी राय है कि उधार लेने की लागत को कम नहीं बताया गया है।

बी. लेखांकन नीति पर टिप्पणियाँ**वित्तीय विवरण पर नोट्स****लेखांकन नीतियाँ (नोट 2.1)**

एसपीवी के रूप में गठित केएमआरसीएल को पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के निर्माण का काम सौंपा गया है और मेट्रो रेलवे को एकीकृत नियंत्रण के तहत उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के साथ-साथ पूर्ण परियोजना के संचालन और रखरखाव का काम सौंपा गया है।

इस परियोजना का निर्माण 16.55 किमी के लिए एक ही चरण में किया जाना है। हालांकि परियोजना का एक हिस्सा राजस्व उत्पन्न करने के लिए पहले ही चालू किया जा चुका है।

हालांकि, परिसंपत्तियों का मूल्यांकन और उसे मेट्रो रेलवे के 'ब्लॉकखाते' में लागू करना पूरी परियोजना के पूरा होने के बाद ही किया जा सकता है क्योंकि पूरे मार्ग के पूरा होने और सफल कमीशनिंग के लिए कई सारे काम आपस में जुड़े हुए हैं।

इसलिए, जनवरी 2018 में रेल मंत्रालय द्वारा जारी पत्र की भावना को संज्ञान में लिया जाना चाहिए और प्रबंधन को लगता है कि कंपनी के हितधारकों को कोई भ्रामक जानकारी नहीं दी गई है।

इस मुद्दे पर सीएंडएजी को सौंपे गए प्रबंधन के जवाब के बाद निम्नलिखित कार्रवाई की गई है।

सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

अधिनियम की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमों, 2014 के अनुपालन में, बोर्ड ने डी. राउत एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज को वित्तीय वर्ष 2022-23 की लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है।

उनके द्वारा दिनांक 8 सितंबर, 2023 को दिए गए प्रतिवेदन की प्रति भी संलग्न है।

निदेशक मंडल

फिलहाल बोर्ड की क्षमता नामित निदेशकों को छोड़कर अधिकतम 15 (पंद्रह) में से 10 (दस) निदेशकों की है, जैसा कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रदान किया गया है।

निदेशक के रूप में कंपनी के साथ उनके जुड़े रहने के दौरान श्री अरुण अरोड़ा, श्री सी.एन. झा, श्री एन.सी. करमाली, श्री श्याम सुंदर दुबे, श्री राजेश कुमार सिन्हा और श्रीमती अंजू वारियर द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं की बोर्ड ने ईमानदारी से सराहना की।

कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 149 (4) के अनुपालन में, कंपनी को कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता है जैसा कि इस समय बोर्ड पर अधिनियम की धारा 2 (47) द्वारा परिभाषित किया गया है। कंपनी में केवल 1 (एक) स्वतंत्र निदेशक श्रीमती अंजू वारियर थीं। हालाँकि दिनांक 10.07.2022 को श्रीमती अंजू वारियर, स्वतंत्र निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने पत्र संख्या 2012/प्रोज/केएमआरसीएल/21/4/पीएल दिनांक 30 जनवरी, 2014 द्वारा महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता को तत्काल से प्रभाव से अगले आदेश तक केएमआरसीएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ती को मंजूरी प्रदान की है।

तदनुसार, महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता को कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। श्री पी.यू.के. रेड्डी, आईआरएसएमई ने रेलवे बोर्ड के आदेश क्रमांक E(O)III/-2023/PM/37 दिनांक 17.03.2023 के अनुरूप दिनांक 17.03.2023 से मेट्रो रेलवे, कोलकाता के महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण कर लिया था।

भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के पत्र संख्या 2012/प्रोज/केएमआरसीएल/21/4/पीएल दिनांक 30 जनवरी, 2014 के आधार पर श्री पी.यू.के. रेड्डी, आईआरएसएमई को कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।

श्री एच.एन.जायसवाल, आईआरएसई को रेलवे बोर्ड के आदेश संख्या 2018/ई(ओ)II/40/17 दिनांक 17.02.2023 के तहत पीसीई/मेट्रो रेलवे के अपने कार्यभार के अलावा एक अतिरिक्त प्रभार के रूप में इस पद पर कार्यभार संभालने की तारीख अर्थात 18.02.2023 से उस पद पर किसी नियमित पदधारी की नियुक्ति तक या उसकी सेवानिवृत्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री सैयद मोहम्मद जमील अहसन, आईआरएसई को रेलवे बोर्ड के आदेश संख्या 2019/ई(ओ)II/40/14 दिनांक 17.02.2023 के तहत सीई (ओ एंड एम)/मेट्रो रेलवे के अपने अतिरिक्त प्रभार के अलावा उनके कार्यभार संभालने की तारीख अर्थात 20.02.2023 से लेकर उस पद पर किसी नियमित पदधारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक (परियोजना और योजना) के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री संजीत, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार को रेलवे बोर्ड के आदेश संख्या 2022/पीएल/57/10 दिनांक 01.05.2023 द्वारा 01.05.2023 को प्रभाव से श्री श्याम सुंदर दुबे पूर्व संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के स्थान पर संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के पद पर रहने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री वी.के.श्रीवास्तव, आईआरएसई को पीसीई/मेट्रो रेलवे को रेलवे बोर्ड के आदेश संख्या 2018/ई(ओ)II/40/17 दिनांक 01.06.2023 द्वारा 01.06.2023 से अपने कार्यभार के अलावा एक अतिरिक्त प्रभार के रूप में कंपनी के प्रबंध निदेशक के पद पर, किसी नियमित पदधारी की नियुक्ति तक या उसकी सेवानिवृत्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था।

श्री असीम कुमार मजूमदार, आईआरएसई को पिसिईई/मेट्रो रेलवे को रेलवे बोर्ड के आदेश संख्या 2018/ई(ओ)II/40/31 दिनांक 01.06.2023 द्वारा 01.06.2023 से अपने कार्यभार के अलावा एक अतिरिक्त प्रभार के रूप में कंपनी के निदेशक (आर एस एवं टि) के पद पर, किसी नियमित पदधारी की नियुक्ति तक या उसकी सेवानिवृत्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 152 (2) के अनुपालन में श्री पी.यू.के. रेड्डी, श्री एच.एन. जायसवाल, श्री सैयद मोहम्मद जमील अहसन, श्री संजीत, श्री वी.के. श्रीवास्तव और श्री असीम कुमार मजूमदार की नियुक्तियों की पुष्टि के लिए संकल्प को कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावित किया जाएगा।

भारत सरकार, निगमित मामलों के मंत्रालय ने 5 जून 2015 को एक अधिसूचना जारी की है। उसी के संदर्भ में, अधिनियम की धारा 152 (6) और 152 (7) के प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होंगे, जिसमें सम्पूर्ण प्रदत्त शेयर पूँजी को केंद्र सरकार द्वारा सदा रखा जाता है। उसी के मद्देनजर, कंपनी के किसी भी निदेशक को आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने की आवश्यकता नहीं है।

बोर्ड की बैठकों की संख्या

31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की 19.05.2022, 08.08.2022, 30.08.2022, 29.11.2022 और 10.02.2023 को 5 (पांच) बैठकें हुई।

निदेशकों की उत्तरदायित्व अभिव्यक्ति

अधिनियम की धारा 134 (3) (सी) और धारा 134 (5) के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखा के संबंध में निदेशक मंडल की अभिव्यक्तियां निम्नवत हैं :

- (1) इसकी तैयारी में प्रयोज्य लेखांकन मानकों का पालन किया गया था और कोई इसमें ठोस विचलन नहीं है ;
- (2) वित्तीय विवरणों के दृष्टव्य में वर्णित ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया था और उन्हें लगातार लागू किया गया था तथा ऐसे निर्णय और अनुमान जो उचित और विवेकपूर्ण थे, जिससे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के मामलों एवं उस अवधि के दौरान आय और व्यय के बारे में और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।
- (3) कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा गया ;
- (4) लेखा को एक 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर तैयार किया गया था ;
- (5) सभी प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित और पर्याप्त प्रणालियां तैयार की गई थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावी ढंग से परिचालित हो रही थीं ;
- (6) सभी प्रायोज्य सचिवीय मानकों का अनुपालन किया गया।

वार्षिक रिटर्न का सार

अधिनियम की धारा 92 (3) में यथाउपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक रिटर्न का सार संलग्न (अनुलग्नक- I) किया गया है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था

कंपनी रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। 'इंड एस 24' के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार, जिन इकाइयों पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, तो प्रतिवेदन इकाई और अन्य संस्थाएं संबंधित पक्ष के रूप में मानी जाएंगी। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्था के लिए उपलब्ध छूट का लाभ उठाया है और वित्तीय विवरणों में सीमित खुलासे किए हैं।

जिन संस्थानों के साथ वर्ष के दौरान कंपनी के महत्वपूर्ण लेन-देन थे उनमें (लेकिन सीमित नहीं) रेल मंत्रालय और बीईएमएल शामिल हैं।

लेन-देन की प्रकृति		निम्न समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
सरकारी संस्थाएं			
रेल मंत्रालय से प्राप्त निधियां		300.00	300.00
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त निधियां		-	634.53
अन्य संस्थाएं			
(क) उपयोगिताओं एवं पूंजी कार्यों के स्थानांतरण के लिए			
	कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन	0.02	0.05
	वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड	-	14.22

(ख)	दूसरों के लिए		
	बीईएमएल लिमिटेड	102.97	28.59
	भारत संचार निगम लिमिटेड	0.08	0.10
	कुल :	403.07	977.49

इसी प्रकार, 'फॉर्म एओसी -2' में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 134(3) के क्लॉज (एच) के संदर्भ में संबंधित पार्टी के लेन-देन के प्रकटीकरण की आवश्यकता लागू नहीं है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

निदेशक मंडल इस बात की पुष्टि करता है कि वित्तीय वर्ष यानी 31 मार्च, 2023 (जिस दिन वित्तीय विवरण संबंधित हों) के अंत और इस प्रतिवेदन की तारीख के बीच हुई कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

कर्मचारीगण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के पास ऐसा कोई भी कर्मचारी, चाहे नियमित, प्रतिनियुक्ति पर या ठेकागत, नहीं था, जो कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (2) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा हो।

एक जोखिम प्रबंधन नीति का विकास एवं कार्यान्वयन

कंपनी वर्तमान में 'ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर' परियोजना को लागू कर रही है। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि परियोजना कार्यान्वयन इकाई के रूप में कंपनी परियोजना के निष्पादन के पूरा होने तक कार्य करती रहेगी। परियोजना के पूरा होने के बाद, भारत सरकार एकीकृत नियंत्रण के तहत उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के साथ इसे चलाएगी।

रेल मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि 'ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर' के पूरा होने के बाद, उसका परिचालन और रखरखाव मेट्रो रेलवे, कोलकाता द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त के संबंध में, रेल आधारित मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के परिचालन के लिए एक विशिष्ट जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने पर भविष्य में उचित समय पर विचार किया जाएगा। वित्तीय जोखिमों को कवर करने के लिए, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपायों को किया गया है (वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित लेखा परीक्षा के साथ-साथ भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा पूरक लेखा परीक्षा के अलावा सनदी लेखाकार की एक बाहरी फर्म द्वारा की गई आंतरिक लेखा-परीक्षा सहित)।

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

चूंकि कंपनी परियोजना क्रियान्वयन के चरण में है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लाभ के आधार पर कंपनी को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135 के प्रावधानों के तहत योगदान देना आवश्यक है।

अधिनियम की धारा 135 की आवश्यकताओं तथा इसके तहत बनाए गए लागू नियमों के अनुपालन में, कंपनी के पास एक यथोचित गठित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति है।

समझौता ज्ञापन

वर्ष 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के संबंध में, चूंकि कंपनी एकल परियोजना का निर्माण कर रही है और कोई राजस्व उत्पन्न नहीं करती है, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने निर्देश दिया है कि रेल मंत्रालय कंपनी के साथ एक आंतरिक समझौता ज्ञापन तंत्र को जारी रख सकता है जबतक कि इसका परिचालन प्रारंभ नहीं होता और बाद में यह नए एमओयू दिशानिर्देशों द्वारा अच्छादित होगा।

निगमित अभिशासन पर प्रतिवेदन

कंपनी सर्वोत्तम निगमित अभिशासन अभ्यासों को अपनाने में विश्वास रखती है। जैसा कि सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश द्वारा वांछित है, निगमित अभिशासन पर एक प्रतिवेदन अनुलग्नक-छ के रूप में संलग्न है। वही इस प्रतिवेदन का एक हिस्सा है।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण पर प्रतिवेदन

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन, जैसा कि वार्षिक प्रतिवेदन का निर्धारित हिस्सा है और अनुलग्नक -छ के रूप में भी संलग्न है।

नियामकों या न्यायालयों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और ठोस आदेश

किसी भी नियामक या अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण या ठोस आदेश नहीं पारित किया गया, जिसका कंपनी या उसके भविष्य के संचालन की चालू स्थिति पर प्रभाव पड़े।

महिलाओं की सुरक्षा और सुख-सुविधा

कंपनी के पास एक यौन-उत्पीड़न विरोधी नीति है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अधीन एक 'आंतरिक शिकायत समिति' भी गठित की गई है। सभी कर्मचारी (ठेकागत सहित) इस नीति के अधीन शामिल हैं। शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है :

i. वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	- शून्य
ii. वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	- शून्य
iii. समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार लंबित शिकायतों की संख्या	- शून्य

अभिस्वीकृतियां

रेल मंत्रालय (क्षेत्रीय रेलों सहित); आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; वित्त मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार के साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार से परियोजना के निष्पादन में प्राप्त सहायता और अथक सहयोग को बोर्ड अभिस्वीकृति प्रदान करना चाहता है।

बोर्ड कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोलकाता मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिधाननगर म्यूनिसिपालिटी, कोलकाता पुलिस, भारत संचार निगम लिमिटेड, सीईएससी लिमिटेड, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य विभिन्न प्राधिकारियों तथा एजेंसियों से प्राप्त सहायता और सहयोग के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता है।

इस परियोजना के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा की गई सुलभ ऋण सहायता के रूप में मदद अमूल्य है। बोर्ड परियोजना के निष्पादन में इस सहायता के महत्व को पूरी तरह से स्वीकार करता है।

बोर्ड विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों, सलाहकारों और तकनीकी विशेषज्ञों के निरंतर सहयोग और सहायता के लिए उनके प्रति तहे दिल से आभार प्रकट करता है।

बोर्ड प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विशेष रूप से प्रशंसा एवं उनके प्रति आभार प्रकट करता है।

कोलकाता, सॉल्टलेक और हावड़ा के विभिन्न हिस्सों, जहां निर्माण कार्य प्रगति पर है, के निवासियों, दुकानदारों, पैदल यात्रियों को कार्यस्थलों पर कार्यकलापों से असुविधा का सामना करना पड़ा है। बोर्ड ग्रेटर कोलकाता क्षेत्र में शहरी परिवहन की तस्वीर बदलने में इस परियोजना की क्षमता को समझने के लिए, इन गतिविधियों को धैर्यपूर्वक सहन करने के लिए इन सभी व्यक्तियों और नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सभी स्तरों पर कंपनी के कर्मचारियों एवं अन्य लोगों द्वारा किए गए अथक प्रयासों, प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत और योगदान के लिए उनकी प्रशंसा करता है।

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के
निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 19 सितंबर, 2023

पी.यू.के रेड्डी
अध्यक्ष

अनुलग्नक-1

वार्षिक रिटर्न का सार

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) तथा
कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

- (i) सीआईएन : U60100WB2008GOI127338
- (ii) पंजीकरण तिथि : 9 जुलाई, 2008
- (iii) कंपनी का नाम : कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- (iv) कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी : सार्वजनिक कंपनी / शेयरों द्वारा सीमित
- (v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण : 'केएमआरसीएल भवन', एचआरबीसी कार्यालय परिसर,
मुंशी प्रेमचंद सरणी,
कोलकाता - 700 021
दूरभाष: (033) 2213-4345;
फैक्स: (033) 2213-4380
- (vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है : नहीं
- (vii) रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क विवरण : प्रयोज्य नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक कार्यकलाप:

कुल व्यवसाय कार्यकलाप में कुल कारोबार का 10% या उससे अधिक का योगदान है:

क्रम सं.	प्रमुख उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कुल कारोबार का %
	परियोजना निष्पादन स्तर में कंपनी	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

III. होल्डिंग, सब्सिडियरी एवं एसोसिएट कंपनियों का विवरण : शून्य

IV. शेयरधारिता स्वरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण):

- (i) श्रेणीवार शेयर धारित : भारतीय प्रोमोटर
- केंद्र सरकार (भारत के राष्ट्रपति):
- वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या:**
- डीमैट : शून्य
- फिजिकल : 375,86,20,000
- कुल शेयरों का % : 100%
- वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या:**
- डीमैट : शून्य
- फिजिकल : 375,86,20,000
- कुल शेयरों का % : 100%
- वर्ष के दौरान परिवर्तन का % : 0%

(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों की गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति (a/c रेल मंत्रालय)	278,13,79,200	74.00	0	278,13,79,200	74.00	0	0
2.	भारत के राष्ट्रपति (a/c शहरी विकास मंत्रालय)	97,72,40,000	26.00	0	97,72,40,00	26.00	0	0
3.	भारत के राष्ट्रपति के नामांकित	800	0	0	800	0	0	0
	कुल	375,86,20,000	100.00	शून्य	375,86,20,000	100.00	शून्य	शून्य

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्र. सं.		वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के प्रारम्भ में	375,86,20,000	100	375,86,20,000	100
2	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तिविवार वृद्धि/ कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए तारीखवार विवरण	0	-	0	-
	वर्ष के अंत में	375,86,20,000	100	375,86,20,000	100

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता का स्वरूप (जीडीआर और एडीआर के निदेशक, प्रमोटर और होल्डर्स के अतिरिक्त):

क्र. सं.	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	श्री डी. क. मिश्रा	100	0.0001	100	0.001
2.	श्री संदीप जैन	100	0.0001	100	0.001
3.	श्री सुदीप श्रीवास्तव	100	0.0001	100	0.001
4.	श्री अजीत श्रीवास्तव	100	0.0001	100	0.001
5.	श्री धनंजय सिंह	100	0.0001	100	0.001
6.	श्री राजेश कुमार जैन	100	0.0001	100	0.001
7.	श्री आशीष सिंह	100	0.0001	100	0.001
8.	श्री जयदीप	100	0.0001	100	0.001

(उपरोक्त सभी शेयरधारक रेल मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत भारत के राष्ट्रपति a/c के नामिती हैं)

(v) निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) की शेयरधारिता

क्र. सं.	निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता (01.04.2022)		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता (31.03.2023)	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	श्री जयदीप	100	0.0001	100	0.0001

नोट: श्री जयदीप कंपनी के निदेशक हैं। वर्ष के दौरान किसी भी अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के पास कोई शेयर नहीं था।

(vi) ऋणग्रस्तता :

बकाया / अर्जित ब्याज, लेकिन भुगतान के लिए बकाया नहीं, सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता:

	जमा के अतिरिक्त प्रतिभूति ऋण (रु.)	अप्रतिभूति ऋण (रु.)	जमा (रु.)	कुल ऋणग्रस्तता (रु.)
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता				
(i) मूलधन	-	35,70,17,34,303	-	35,70,17,34,303
(ii) ब्याज बकाया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
(iii) ब्याज प्रोद्भुत लेकिन बकाया नहीं	-	-	-	-
कुल (i + ii + iii)	-	35,70,17,34,303	-	35,70,17,34,303
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
- योग	-	3,98,857.78	-	3,98,857.78
- कमी	-	-	-	-
शुद्ध परिवर्तन	-	3,98,857.78	-	3,98,857.78
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
(i) मूलधन	-	3,61,52,279.94	-	3,61,52,279.94
(ii) ब्याज बकाया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
(iii) ब्याज प्रोद्भुत लेकिन बकाया नहीं	-	-	-	-
कुल (i + ii + iii)	-	3,61,52,279.94	-	3,61,52,279.94

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं / या प्रबंधक को पारिश्रमिक :

सकल वेतन -

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	: रु. 2,30,63,180
(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	: शून्य
(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले मुनाफा	: शून्य
स्टॉक का विकल्प	: शून्य
स्विट इक्विटी	: शून्य
कमीशन - लाभ के % के रूप में	: शून्य
अन्य	: शून्य
कुल	: रु. 2,30,63,180
कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीलिंग	: अप्रयोज्य



VII. जुर्माना / सजा / अपराध शमन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माना / सजा / अपराध शमन शुल्क का विवरण	प्राधिकरण [आरडी / एनसीएलटी / कोर्ट]	अपील की गई, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
जुर्माना	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
सजा	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
अपराध शमन	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
ख. निदेशकगण					
जुर्माना	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
सजा	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
अपराध शमन	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
ग. चूककर्ता अन्य अधिकारीगण					
जुर्माना	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
सजा	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
अपराध शमन	शून्य	लागू नहीं	-	-	-

अनुलग्नक-II

निगमित अभिशासन पर प्रतिवेदन

निगमित अभिशासन पर कंपनी का दर्शन:

निगमित अभिशासन पर कंपनी के दर्शन का उद्देश्य है:

(क) दीर्घावधि हितधारक मूल्यों तथा अपनी निजी धन सृजन क्षमता को निम्न के माध्यम से बढ़ाना -

- सुदृढ़ व्यावसायिक निर्णय लेने में शीर्ष प्रबंधन की सहायता;
- दूरदर्शी वित्तीय प्रबंधन।

(ख) अपने सभी निर्णयों और कार्यकलापों में पारदर्शिता और व्यावसायिकता प्राप्त करना।

(ग) प्रकटीकरण अनुपालन के प्रति दृढ़ रहना।

(घ) निगमित अभिशासन में निम्न द्वारा उत्कृष्टता प्राप्त करना-

- निगमित अभिशासन पर प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुकूल और जहां भी संभव हों उसे बढ़ाना;
- मौजूदा प्रणालियों की समय-समय पर समीक्षा एवं आगे के सुधारों के लिए नियंत्रण;
- कार्य के आचार एवं व्यवहार में उच्च नैतिक मानकों की स्थापना;
- विधियों एवं नियमों का अनुपालन;
- बोर्ड द्वारा रणनीतिक मार्गदर्शन एवं प्रभावी निगरानी।

निदेशक मंडल :

संरचना:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ के तहत यह कंपनी एक 'सरकारी कंपनी' है। वर्तमान में इसकी संपूर्ण चुकता शेयर पूंजी रेल मंत्रालय (प्रशासनिक मंत्रालय) और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित है। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 124 (ए) के संदर्भ में, निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशक शामिल होंगे:

- रेल मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित निदेशकगण।
- प्रबंध निदेशक।
- पूर्णकालिक निदेशकगण / कार्यात्मक निदेशकगण।
- डिबेंचर धारकों द्वारा नामित निदेशक(गण)
- स्वतंत्र निदेशक (गण)।

धारा 124 (बी) के संदर्भ में, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के बोर्ड में उसके अध्यक्ष सहित दस व्यक्तियों को नामांकित करने के लिए कंपनी को सम्बोधित करके लिखित में सूचित करने का अधिकार प्राप्त है।

धारा 125 के संदर्भ में, बोर्ड में कम से कम तीन या अधिक से अधिक 15 निदेशक होंगे। भारत सरकार ने अभी तक बोर्ड की संख्या की सलाह नहीं दी है।

दिनांक 31.03.2023 को कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की संख्या 9 (नौ) थी, जिसमें 3 (तीन) कार्यचालक निदेशक, जैसे प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (आरएस एंड टी) और निदेशक (परियोजना और योजना), 1 (एक) निदेशक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नामित, 3 (तीन) निदेशक रेल मंत्रालय द्वारा नामित और 2 (दो) निदेशक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नामित शामिल थे।।

दिनांक 31.03.2023 को निदेशक मंडल का गठन एवं निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पद की श्रेणी
1.	श्री श्री पी.यू.के. रेड्डी	अध्यक्ष
2.	श्री. एच.एन.जायसवाल	प्रबंध निदेशक
3.	श्री अंगशुमन सरकार	निदेशक (वित्त) और निदेशक (आरएस एंड टी)
4.	श्री सैयद मोहम्मद जमील अहसन	निदेशक (परियोजना एवं योजना)
5.	श्री जयदीप	नामित निदेशक
6.	श्री. नागसेन मोरेश्वर ढोके	नामित निदेशक
7.	श्री धनंजय सिंह	नामित निदेशक
8.	डॉ. सौमित्र मोहन, आईएस	नामित निदेशक

निदेशक मंडल की बैठकें :

निदेशक मंडल की बैठकें अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद पर्याप्त सूचना देकर बुलाई जाती हैं। बैठकों में सार्थक चर्चा की सुविधा के लिए व्यापक पृष्ठभूमि की जानकारी द्वारा समर्थित एजेंडा नोट्स और अन्य कागजात आम तौर पर बैठक के सात दिन पूर्व निदेशक मंडल के सदस्यों को परिपत्रित किया जाता है। यदि बैठक अल्प सूचना द्वारा नहीं बुलाई जाती है जहां व्यावहारिक न हो या एजेंडा नोट्स/कागजातों के एक हिस्से के रूप में संबंधित पृष्ठभूमि की जानकारी को संलग्नित कर भेजी नहीं जाएं, तो उसे बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।

बैठकें एवं उपस्थिति :

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल ने 5 (पांच) - दिनांक 19.05.2022, 08.08.2022, 30.08.2022, 29.11.2022 एवं 10.02.2023 को बैठकें की।

निदेशक मंडल की बैठकों एवं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति निम्नलिखित अनुसार है : -

निदेशकों का नाम	बैठक में शामिल होने की सं.	29.11.2022 को आयोजित विगत एजीएम में उपस्थिति
श्री. अरुण अरोरा	5	हाँ
श्री. सी.एन.झा	4	हाँ
श्री नरेश चन्द्र करमाली	5	हाँ
श्री अंशुमन सरकार	4	हाँ
श्री जयदीप	5	हाँ
श्री श्याम सुंदर दुबे	1	लागू नहीं
श्री. नागसेन मोरेश्वर ढोके	5	हाँ
श्री राजेश कुमार सिन्हा	0	लागू नहीं
श्रीमती अंजू वारियर	1	लागू नहीं
श्री धनंजय सिंह	2	हाँ
श्री बिनोद कुमार	2	नहीं
श्री. पी. यू. के. रेड्डी	-	लागू नहीं
श्री एच.एन.जायसवाल	-	लागू नहीं
श्री सैयद. मोहम्मद जमील अहसन	-	लागू नहीं

निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के विवरण को विवरण बही में दर्ज एवं प्रविष्टि तथा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है।

लेखा परीक्षा समिति :

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लेखा परीक्षा समिति का गठन श्रीमती अंजू वारियर (अध्यक्ष के रूप में); श्री एन. एम. ढोके (सदस्य) एवं श्री जयदीप (अध्यक्ष) के साथ किया गया था। . अंजू वारियर कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद जुलाई, 2022 में समिति की सदस्य नहीं रह गई हैं और निदेशक श्री धनंजय सिंह को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधियों को भी समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। समिति जब भी आवश्यक हो, कंपनी के किसी भी अधिकारी को बैठक में आमंत्रित करती है।

लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें (दिनांक 27.08.2009 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन अनुसार) निम्नानुसार हैं:

1. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं लेखा परीक्षकों के पर्यवेक्षण सहित लेखा परीक्षा के प्रयोजन के बारे में समय-समय पर लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा;
2. निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा;
3. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित करना;
4. उपर्युक्त मामलों में से किसी में जांच या निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित किया जा सकता है; तथा
5. प्रबंधन सूचना प्रणाली आदि की समीक्षा।

मई, 2010 में भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश के अनुच्छेद 4.2 के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति को सौंपी गई भूमिका का भी पालन किया जा रहा है।

प्रबंधन, वैधानिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों और निदेशक मंडल के बीच समिति एक कड़ी के रूप में कार्य करती है और वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली का आकलन करती है।लेखा परीक्षा समिति का गठन सिर्फ गैर-कार्यचालक निदेशकों को लेकर किया गया था।

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान समिति ने दिनांक 19.05.2022, 08.08.2022, 29.11.2022 और 29.03.2023 को 4 (चार) बार बैठक की। समिति के सभी सदस्य बैठक में उपस्थित हुए।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) के अनुपालन में, एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।

इस प्रतिवेदन की तारीख से पहले नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया था जिसमें निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

- | | |
|--|------------|
| 1. श्रीमती अंजू वारियर (गैर- आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक) | -- अध्यक्ष |
| 2. श्री नागसेन मोरेश्वर ढोके (गैर- आधिकारिक निदेशक) | -- सदस्य |
| 3. श्री जयदीप (गैर- आधिकारिक निदेशक) | -- सदस्य |
| 4. श्री नरेश चन्द्र करमाली | -- सदस्य |

श्रीमती अंजू वारियर और श्री नरेश चंद्र करमाली क्रमशः 10.07.2022 और 11.02.2023 से समिति के निदेशक और सदस्य नहीं रहे।

गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक बोर्ड की बैठक में उपस्थित रहने के लिए प्रति बैठक रु. 20,000 की दर से और समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए रु. 15,000 की दर से पारिश्रमिक पाने के हकदार हैं।

कार्यचालक निदेशकों की नियुक्ति रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सभी कार्यचालक निदेशक मूल कैडर के वेतनमान सहित स्वीकार्य भत्तों सहित रेल मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति पर हैं।

आचरण संहिता :

निदेशक मंडल ने मानकों को बनाए रखने एवं विधि की आवश्यकता के साथ अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचरण और आचार संहिता रखी है। इसे कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है:

वार्षिक साधारण बैठकें :

पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकों का विवरण निम्नलिखित अनुसार है :

वित्तीय वर्ष	दिनांक एवं समय	स्थान	विशेष प्रस्ताव पारित, यदि कोई हो
2021-22	29.11.2022 को 15.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से	कोई नहीं
2020-21	27.11.2021 को 12.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से	कोई नहीं
2019-20	18.12.2020 को 16.00 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से	कोई नहीं

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक सामान्य/आम बैठक दिनांक 15.09.2023 को दोपहर 13.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

प्रकटीकरण:

- i) वस्तुतः महत्वपूर्ण पार्टी संबंधी लेन-देन, जिसमें कंपनी के हितों के साथ बड़े पैमाने पर संभावित संघर्ष हो सकता है - ऐसा कोई लेन-देन नहीं है। हालांकि, लेखांकन मानक एएस 18 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण को 'वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों' में शामिल किया गया है।
- ii) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी दिशानिर्देश से संबंधी किसी मामले में कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन, किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर लगाए गए जुर्माना, दंड का विवरण - कोई नहीं।
- iii) व्हिसल ब्लोअर नीति एवं इसकी पुष्टि की गई कि क्या किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने से रोका तो नहीं गया है - कंपनी ने 'व्हिसल ब्लोअर नीति' को अपनाया है। कंपनी के किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया है।
- iv) दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुपालन का विवरण - कंपनी ने आम तौर पर दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।
- vi) केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देशों और वर्ष के दौरान तथा पिछले तीन वर्षों में उनके अनुपालन का विवरण - गत वर्ष के दौरान राष्ट्रपति का कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ था।
- vii) लेखा बही में डेबिट किए गए ऐसे व्यय की मदें, जो व्यापार के उद्देश्यों के लिए नहीं हैं - वर्ष के दौरान व्यय की ऐसी कोई मद नहीं है।
- viii) खर्च जो व्यक्तिगत प्रकृति के हैं और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए व्यय किए गए हैं - कोई नहीं

संचार साधन:

कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। इसलिए, समाचार-पत्रों में तिमाही परिणाम प्रकाशित नहीं होते हैं। हालांकि, अंकेक्षित किए गए वार्षिक वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.kmrc.co.in) पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

पत्राचार हेतु पता:

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

'केएमआरसीएल भवन', एचआरबीसी कार्यालय परिसर

मुंशी प्रेमचंद सरणी, कोलकाता - 700021

लेखा परीक्षा योग्यता:

वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में कोई योग्यता नहीं है।

बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण :

यह कंपनी विशेष रूप से कोलकाता में 'ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर' परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए गठित की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय (दिनांक 23.08.2012 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के मार्फत) के अनुसार, कंपनी सिर्फ ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना, कोलकाता की परियोजना कार्यान्वयन इकाई है। यह परियोजना के निष्पादन के पूरा होने तक कार्य करती रहेगी। हालांकि, कंपनी के सभी शेयर भारत सरकार के पास होंगे, जो परियोजना के पूरा होने के बाद एकीकृत नियंत्रण के तहत मौजूदा नॉर्थ-साऊथ कॉरिडोर के साथ-साथ इस प्रणाली को परिचालित करेगी। परियोजना के निष्पादन के पश्चात्, ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का परिचालन मेट्रो रेलवे, कोलकाता के साथ विलय कर दिया जायेगा। इसलिए, कंपनी के बिजनेस मॉडल में बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता अब तक महसूस नहीं की गई है।

व्हिसल ब्लोअर नीति :

कंपनी ने एक 'व्हिसल ब्लोअर नीति' को अपनाया है, जिसे उसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। इस तरह की नीति कर्मचारियों को अत्याचार के भय के बिना कंपनी के भीतर चल रही गंभीर अनियमितताओं को सामने लाने के लिए एक आधार प्रदान करती है और सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को इस प्रकटीकरण के बाद भी संरक्षा करती है।

अनुपालन प्रमाणपत्र :

यह प्रतिवेदन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश की आवश्यकताओं का यथावत अनुपालन करता है। निगमित अभिशासन पर ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में एक अभ्यासी कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र इस प्रतिवेदन में संलग्नित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

कोलकाता

दिनांक: 19 सितंबर, 2023

पी.यू.के.रेड्डी

अध्यक्ष

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन

शहरीकरण वर्तमान समय की एक वैश्विक प्रवृत्ति है जो शहरों में रोजगार के अवसरों द्वारा सृजित होती है। अधिक से अधिक लोग ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्ष 2030 में तकरीबन 4.9 बिलियन लोग (विश्व की जनसंख्या का 60%) शहरी क्षेत्र में रहेंगे। अतः शहरों की भावी डिजाइन का लक्ष्य है बड़ी जनसंख्या को स्थान प्रदान करना, जो समाज को उच्च गुणवत्तापूर्ण शहरी जीवन दे सके। आज की दुनिया में मेगासिटीज को परिवहन प्रणाली की आवश्यकता होती है, जिसमें स्थिर बुनियादी विशेषताएं- कुशल; सस्ती; सुलभ; और पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) को इस संबंध में आदर्श परिवहन समाधान के रूप में पाया गया है, जैसा कि भारत और अन्य देशों में समान रूप से दोनों के लिए शहरों की बढ़ती संख्या से स्पष्ट है।

कंपनी का गठन पूर्व में सॉल्टलेक सेक्टर V से पश्चिम में हावड़ा मैदान को जोड़ने के लिए 'ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरीडोर' के क्रियान्वयन हेतु किया गया था। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कंपनी सिर्फ 'परियोजना क्रियान्वयन इकाई' होगी तथा परियोजना के पूरा होने तक काम करती रहेगी। तथापि, कंपनी के समस्त शेयर भारत सरकार के पास होंगे, जो परियोजना के पूरा होने के बाद उत्तर-दक्षिण कॉरीडोर के साथ संयुक्त नियंत्रण के अधीन सिस्टम को चलाएगी।

दूरदर्शिता, लक्ष्य एवं उद्देश्य

दूरदर्शिता

सार्वजनिक सेवा एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिरता के बीच अच्छे वातावरण में इस्तेमालकर्ताओं की गुणवत्ता, संतुष्टि तथा सुरक्षा की ओर सबसे ज्यादा ध्यान देने के साथ ही साथ परियोजना को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए वैश्विक परियोजना क्रियान्वयन मानक एवं अभ्यास अपनाते हुए ठोस वित्तीय एवं टेक्नोलॉजी आधार पर रेल-आधारित शहरी संरचना के लिए सबसे असरदार कार्यान्वयन इकाई के रूप में उभरना।

लक्ष्य

'ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरीडोर' एमआरटीएस परियोजना का कोलकाता शहर में शहरी क्षेत्रों में तथा हावड़ा एवं सॉल्टलेक के आस-पास विकसित हो रहे शहरीकरण की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करना एवं इस क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाना।

उद्देश्य :

1. शहरी आबादी को पेशानीमुक्त, सुरक्षित, प्रदूषणमुक्त एवं सहज आवागमन की सुविधा प्रदान करते हुए अत्याधुनिक शहरी यात्रा मास ट्रांजिट सिस्टम के रूप में 'ईस्ट-वेस्ट-मेट्रो' को स्थापित करना।
2. कोलकाता शहर तथा हावड़ा एवं सॉल्ट लेक के आस पास के शहरी क्षेत्रों के लिए वृहद आवागमन योजना तथा एकीकृत ट्रैफिक औचित्यकरण योजना के अंश के रूप में मेट्रो यात्रियों को सुविधा प्रदान करना एवं बढ़ावा देना।
3. वित्तीय मजबूती एवं स्थायित्व हासिल करने के लिए परियोजना के क्रियान्वयन हेतु बांछित संसाधनों को जुटाना।
4. आशान्वित समय का लक्ष्य हासिल करने के लिए उपलब्ध वित्तीय एवं टेक्नोलॉजी संबंधी संसाधनों को सुसंगत करने हेतु उचित उन्नत कुशलता के साथ कम से कम लागत वृद्धि के साथ परियोजना को क्रियान्वित करना।
5. एक प्रेरित तथा परिणामोन्मुख परियोजना टीम तैयार करने के लिए सर्वोत्तम मानकों वाले मूल्य वर्दीद्धत कार्यक्रमों एवं उचित प्रशिक्षण क्रियान्वित करने हेतु एक लागत किफायती संगठनात्मक सेट अप की स्थापना एवं रखरखाव।
6. परियोजना के संपादन के दौरान गुणवत्ता एवं सुरक्षा के सर्वोत्तम मानक बनाए रखना।

परियोजना के निष्पादन में होने वाली असुविधाएं

परियोजना का कार्यान्वयन (जैसा कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित किया गया है) बाहरी कारकों जैसे कि भूमि की अनुपलब्धता के साथ-साथ पुनरसंरचना मुद्दों के कारण प्रभावित हुआ है। समय के साथ-साथ लागत में भी वृद्धि हुई है। यह परियोजना दो चरणों यथा चरण -1 में सॉल्ट लेक सेक्टर ३ से फूलबागान तक और चरण-२ में फूलबागान से हावड़ा मैदान तक कार्यान्वित की जा रही है।

सम्पूर्ण चरण-२ को अब दो चरणों में शुरू किया गया है, चरण- २A दिनांक 14.02.2020 से सॉल्ट लेक सेक्टर-३ स्टेशन से सॉल्ट लेक स्टेडियम स्टेशन तक तथा दिनांक 05.10.2020 से सॉल्ट लेक स्टेडियम स्टेशन से फूलबागान तक। चरण-२B का कार्यान्वयन दत्ताबाद और स्वभूमि में भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रभावित हुई थी साथ ही साथ सेन्ट्रल पार्क में डिपो जो क्रमशः 365 मीटर और 120 मीटर की दूरी पर एलिवेटेड वायाडक्ट के निर्माण को प्रभावित करती है। स्वभूमि के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को वर्ष 2013 में एवं दत्ताबाद के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को वर्ष 2015 में पुनर्वासित किया गया था तथा उसके बाद ही निर्माण कार्य आगे बढ़ा। डिपो में ज़मीन से जुड़े मुद्दों का भी वर्ष 2013 में ही समाधान कर लिया गया था।

चरण- छ में, प्रस्तावित सेंट्रल और महाकरण स्टेशनों के निर्माण के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण, पश्चिम बंगाल सरकार ने मार्ग को बदलने का प्रस्ताव दिया था। इसमें (परियोजना पुनर्निर्मित मार्ग के अनुसार निष्पादित करना) अतिरिक्त समय और लागत को शामिल करते हुए, इसके विस्तार में 1.878 किलोमीटर की वृद्धि की गई है। रेल मंत्रालय ने अगस्त 2015 में मार्ग को बदलने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा वर्ष 2012 से चल रहे चरण- छ में गतिरोध का मामला समाप्त हो गया। इस खंड पर सितंबर 2015 में काम फिर से शुरू हुआ।

बहुबाजार टीबीएम (टनल बोरिंग मशीन) रिट्रीवल शाफ्ट में पानी घुसने की तीन घटनाओं ने परियोजना की प्रगति में बाधा उत्पन्न की। वर्ष 2017 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (चूँकि मार्ग के आसपास के क्षेत्र में कुछ संरक्षित स्मारक स्थित हैं) और रक्षा प्राधिकारियों (चूँकि एक स्टेशन सेना के स्वामित्व वाली भूमि के अधीन होगा) से भी महत्वपूर्ण मंजूरी प्राप्त की गई।

अवसर

जैसा कि परियोजना को संशोधित पुनर्निर्माण के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है, यह अपेक्षित है कि प्रस्तावित एस्प्लानेड स्टेशन ('पूर्व-पश्चिम' और 'उत्तर-दक्षिण' मेट्रो लाइनों का अंतर-परिवर्तन स्टेशन) के माध्यम से एक बड़ी संख्या में यात्रियों के यातायात के लिए महत्वपूर्ण होगा। जोका-बीबीडी बाग मेट्रो लाइन भी एस्प्लानेड में समाप्त हो जाएगी। एस्प्लानेड में प्रस्तावित स्टेशन के पास एक बस अड्डा स्थित है। इसके अलावा, यह कोलकाता के केंद्रीय व्यापार जिले के समीप है। पूर्ण होने पर, परियोजना हावड़ा और सियालदह के दो व्यस्त रेलवे स्टेशनों को जोड़ने, नौका, बस और ट्राम के लिए सम्पर्क स्थापित करने के साथ अंतर-केंद्रीय सम्पर्क प्रदान करेगी। समसामयिक काल में ऐसी कोई जन परिवहन प्रणाली नहीं है, जो परिवहन के विविध साधनों को संयोजित करती हो।

कोलकाता शहर और उसके आस-पास के क्षेत्रों के जनसंख्या घनत्व के संबंध में, 'ईस्ट-वेस्ट मेट्रो' लाइन की सवारी की संभावित मांग एक अनूठी विशेषता मानी जा रही है।

इन सभी जन केन्द्रित मूल्यों तथा इस परियोजना से जुड़े अवसरों के मद्देनजर यूनाइटेड किंगडम के सिविल इंजीनियरिंग के प्रतिष्ठित संस्थान ने हाल ही में अपनी द्वि-शताब्दी के अवसर पर दुनियाभर में दो सौ परियोजनाओं में से एक इस परियोजना को सूचीबद्ध किया है, जो लोगों का जीवन बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। वर्ष 2018 में दोहा में आयोजित विश्व सुरंग सम्मलेन में भी इस परियोजना की जम कर तारीफ हुई। इन अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों ने परियोजना टीम का हौसला नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया।

ईस्ट-वेस्ट मेट्रो की अवधारणा इस तरह से बनाई गयी है कि ताकि सॉल्टलेक सेक्टर-२ से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इण्टरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने की संभावना हो। इसी प्रकार, पश्चिमी छोर पर लाइन को आवश्यकतानुसार सांतरागाछी या रामराजातला तक बढ़ाया जा सकता है।

हावड़ा एवं सियालदह स्टेशन दुनिया के सबसे व्यस्ततम रेल स्टेशनों में से हैं। सुबह एवं शाम को भीड़-भाड़ वाले समय में इन स्टेशनों को जोड़ने वाली मेट्रो में अत्यधिक यात्री ट्रेआवाजाही करेंगे। 'ईस्ट-वेस्ट मेट्रो' कोलकाता के केंद्रीय व्यापार जिले, पूर्व में न्यूटाउन, सॉल्टलेक तथा राजारहाट एवं पश्चिम में हावड़ा एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में आने-जाने वाले यात्रियों के लिए काफी लाभजनक सिद्ध होगा।

खतरे

संशोधित समय-सीमा एवं लागत के अनुसार परियोजना का निष्पादन समय पर करने हेतु विभिन्न हितधारकों जैसे रेल मंत्रालय, आवसन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी आदि के बीच समेकित प्रयास की जरूरत होगी। तथापि, समय और लागत पर परियोजना का संपादन सुनिश्चित करने के लिए समेकित प्रयास भी पर्याप्त नहीं हो सकता है, जिसका कारण है इस तरह के एक जटिल परियोजना बायो-स्फीयर में कई तरह के बाहरी कारण तथा मार्केट डायनामिक्स का शामिल होना।

संशोधित संरक्षण के अंदर पड़ने वाले विभिन्न उपयोगिताओं का स्थान परिवर्तन (खासकर भूमिगत) के साथ ही साथ निर्माण हेतु सड़क और फ्लाई ओवर को बंद करने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में अधिक समय लगने की संभावना है। क्योंकि इनकी पहचान करना, अनुमति प्राप्त करने के साथ ही साथ कोलकाता जैसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में क्रियान्वयन में बहुआयामी हितधारक शामिल हैं तथा अत्यंत समय लेने वाली प्रक्रिया है।

आंतरिक नियंत्रण

एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण ढांचा एक औचित्यपूर्ण आश्वासन प्रदान करने में आवश्यक पूर्वापेक्षा है कि संगठन के लक्ष्य के अनुसरण में, परियोजना को निष्पादित करने के सामान्य उद्देश्य को नैतिक, आर्थिक और प्रभावी रूप से हासिल किया जाता है। इस संदर्भ में, कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को पर्याप्त और इसके आकार के अनुरूप माना गया है।

भविष्य का दृष्टिकोण

कंपनी का अभिप्राय है 'कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो' को अत्याधुनिक शहरी यात्री एमआरटीएस के रूप में स्थापित करना, जो शहरी जीवन के लिए किफायती, परेशानी मुक्त, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त यात्रा प्रदान करे। इसे देखते हुए, कंपनी परियोजना के कार्यान्वयन में गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी इस तरह की एक उल्लेखनीय मेट्रो परियोजना की योजना एवं कार्यान्वयन में एक विश्व स्तरीय तकनीकीगत डेटा बेस तथा तकनीकी जानकारी उत्पन्न करेगी, जिसे आनेवाले भविष्य की परियोजनाओं के लिए परियोजना हितधारकों द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।

निगमित अभिशासन अनुपालन प्रमाणपत्र**प्रति****सदस्यगण****कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड****केएमआरसीएल भवन, एचआरबीसी कार्यालय परिसर****मुंशी प्रेमचंद सरणी****कोलकाता-700021**

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद कंपनी कहा गया) द्वारा निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की, जैसा कि भारत सरकार, भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश 2010 और उसके अधीन उल्लिखित अनुलग्नकों (इसके बाद दिशानिर्देश कहा गया) में वर्णित किया गया है।

निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई उसकी प्रक्रिया तथा क्रियान्वयन तक सीमित थी, जैसा कि दिशानिर्देशों में उल्लिखित है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर मत की अभिव्यक्ति है।

हमारे मत तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी में एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने दिशानिर्देशों में उल्लेखों का अनुपालन किया है, सिवाय निम्नलिखित के :

1) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची छ के साथ पठित धारा 149(8) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के पास स्वतंत्र निदेशकों और एक महिला निदेशक की न्यूनतम संख्या भी नहीं है।

हम पुनः बताते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन भविष्य में कंपनी की जीवनक्षम के रूप में न तो आश्वासन है न ही प्रभावशीलता की कार्यकुशलता है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

कृते डी. राउत एसोसिएट्स**कंपनी सेक्रेटरीज****सीएस देवेन्द्र राउत****सत्वाधिकारी****एसीएस : 16626****सीपी संख्या : 5232****यूडीआईएन : A016626E000956785****स्थान : कोलकाता****दिनांक : 06/09/2023**

प्रपत्र संख्या एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में.]

प्रति

सदस्यगण

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(सीआईएन: U60100WB2008G0I127338)

केएमआरसीएल भवन, एचआरबीसी कार्यालय परिसर

मुंशी प्रेमचंद सरणी

कोलकाता-700021

हमने प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों तथा कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा अच्छी निगमित कार्यपद्धति के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरीके से की गयी है, जो निगमित आचार/ सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने एवं उस पर अपने मत व्यक्त करने का हमें समुचित आधार प्रदान करता है।

कंपनी के लेखों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पंजिका, प्रपत्र तथा फाइल किए गए रिटर्न एवं कंपनी द्वारा रखे जा रहे अन्य अभिलेखों के हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर तथा कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा भी उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर सचिवीय लेखा परीक्षा संचालित करने के दौरान, हम एतद द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मत से कंपनी ने, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करते हुए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, इसके अधीन सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं हैं तथा अब तक अनुपालन मैकनिज्म सही है तथा इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है।

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे जा रहे लेखों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पंजिकाओं, फॉर्मों तथा फाइल किए गए रिटर्नों तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है, इन प्रावधानों के अनुसार:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके अधीन बनाए गए नियम।
- (ii) कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। अतः सिक्योरिटीज कंट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1956 ('SCRA') और उसके अधीन बनाए गए नियम इस पर लागू नहीं होते हैं।
- (iii) कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, अतः डिपोजिटरीज अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियम एवं बाई-लॉज़ इस पर लागू नहीं होते हैं।
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक उसके अधीन बनाए गए नियम व विनियम कंपनी पर लागू नहीं हैं।
- (v) कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, अतः सिक्योरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, 1992 ('सेबी एक्ट') के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम तथा दिशानिर्देश इसके ऊपर लागू नहीं हैं :-
 - (क) दि सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सब्सटेंशियल एक्वीजिशन ऑफ शेयर्स एण्ड टेकओवर्स) रेगुलेशन, 2011,
 - (ख) दि सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेगुलेशन, 1992,
 - (ग) दि सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (इश्यू ऑफ कैपिटल एण्ड डिस्क्लोजर रिकवायरमेंट्स) रेगुलेशन, 2009 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं),
 - (घ) दि सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम एण्ड एम्प्लॉई स्टॉक परचेज स्कीम) गाइडलाइन्स, 1999
 - (ङ) दि सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (इश्यू एण्ड लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज) रेगुलेशन, 2008 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है),
 - (च) दि सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (रजिस्ट्रार टू ऐन इश्यू एण्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स) रेगुलेशन, 1993, कंपनी अधिनियम 2013 एवं ग्राहक के साथ डीलिंग के संबंध में।
 - (छ) दि सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स) रेगुलेशन, 2009 (लागू नहीं, क्योंकि कंपनी ने अपने इक्विटी शेयरों को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान न तो डीलिट किया है/ न ही डीलिट करने का प्रस्ताव दिया है); और

- (ज) दि सिक्वोरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (बाईबैक ऑफ सिक्वोरिटीज) रेगुलेशन्स, 1998 (लागू नहीं, क्योंकि कंपनी ने अपने सिक्वोरिटी को समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान न तो वापस खरीदा है/और न ही बाईबैक का प्रस्ताव दिया है)।
- (vi) कंपनी (रेल मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) कोलकाता में रेल आधारित ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरीडोर परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़ी हुई है। प्रबंधन द्वारा जैसा चिह्नित किया गया है, इस पर साधारण कानून के अलावा निम्नलिखित विशिष्ट कानून लागू है :
- (क) श्रमिक एवं कारीगर से संबंधी कानून
- (ख) भविष्य निधि
- (ग) विभिन्न कानूनों के अधीन कार्यस्थल पर मूलभूत सुरक्षा का प्रावधान एवं स्वास्थ्य का प्रावधान (घ) पर्यावरण संबंधी कानून

हमने निम्नलिखित के लागू क्लॉजों के अनुपालन की भी जाँच की है:

- (ग) दि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठक (एसएस-1) एवं साधारण बैठक (एसएस-2) के सम्बन्ध में सचिवीय मानक
- (ग) कंपनी ने अपने द्वारा जारी सिक्वोरिटीज (शेयरों) के संबंध में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोई सूचीबद्धता करार नहीं किया है, क्योंकि यह एक गैर- सूचीबद्ध कंपनी है।
- समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि का अनुपालन किया है, सिवाय निम्नलिखित अवलोकन के:
- 1) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची छ के साथ पठित धारा 149(8) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के पास स्वतंत्र निदेशकों और एक महिला निदेशक की न्यूनतम संख्या भी नहीं है। साथ ही समितियों के गठन और कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की अलग-अलग बैठकों का भी अनुपालन नहीं किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट देते हैं कि :

कंपनी का निदेशक मंडल ऊपर उल्लिखित के अनुसार कार्यकारी निदेशकों, गैर - कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए। समस्त निदेशकों को बोर्ड की बैठक की अनुसूची, कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट के लिए पर्याप्त सूचना कम से कम सात दिन पहले भेज दी गई थी तथा बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए एवं बैठक के पूर्व कार्यसूची के मदों पर और अधिक सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं माँगने की एक प्रणाली भी विद्यमान है।

अधिकांश निर्णय तब किया जाता है जब असहमत सदस्यों के विचार (यदि कोई हों) को कार्यवृत्तके हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट देते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं निगरानी रखने के लिए कंपनी के आकार एवं प्रचालन के अनुरूप कंपनी के पास पर्याप्त प्रणाली एवं प्रक्रिया है।

हम आगे रिपोर्ट देते हैं कि लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान :

- क) चूंकि कंपनी की कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपये से अधिक है, इसलिए कंपनी पर सीएसआर लागू है। कंपनी को पिछले 3 वर्षों के दौरान किए गए औसत शुद्ध लाभ का 2% योगदान और खर्च करना आवश्यक है। धारा 198 के अनुसार गणना कंपनी ने अभी तक सीएसआर के तहत खर्च नहीं किया है।

कृते डी. राउत एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रेटरीज

देवेन्द्र राउत
सत्वाधिकारी

एसीएस सं: 16626

सीपी सं: 5232

यूडीआईएन: A016626E000955091

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 08.09.2023

यह प्रतिवेदन संलग्न अनुलग्नक के साथ पढ़ा जाएगा।

अनुलग्नक

सेवा में

सदस्यगण

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हमारे सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को इस पत्र के साथ पढ़ा जाएगा।

प्रबंधन की जिम्मेदारी :

1. यह कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव करे तथा सभी प्रयोज्य कानूनों एवं विनियामकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली को लागू करे तथा सुनिश्चित करे कि प्रणाली पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से परिचालित है। कंपनी अधिनियम, 2013 एवं अन्य प्रयोज्य कानूनों, नियमों, नियामकों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है।

सचिवीय लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी:

2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धति एवं प्रथाएं हमारे अभिमत को वाज़िब आधार प्रदान करती हैं।
3. जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ है, हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के घटने के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
4. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।
5. हमने कम्पनी के लेखा खातों तथा वित्तीय अभिलेखों की सच्चाई तथा औचित्य का सत्यापन नहीं किया है।
6. इस प्रतिवेदन से उद्धृत / आकस्मिक से उत्पन्न सचिवीय लेखा परीक्षक की देयता, उस पेशेवर शुल्क से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसे इस प्रतिवेदन के लिए प्राप्त किया गया।



KMRC

वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23



OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT

Railway Production Units and Metro Railway

NKG Building (5th Floor), 14, Strand Road

Kolkata - 700 001

No. RPU & MR/KMRCL/2023-24/790

Date: 31.08.2023

प्रति
प्रबंध निदेशक,
कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
केएमआरसीएल भवन (एचआरबीसी कार्यालय परिसर)
मुंशी प्रेमचंद सरणी,
कलकत्ता - 700 021


विषय : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अधीन कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कृपया कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संलग्नित टिप्पणियों को प्राप्त करें।

भवदीय,

Yours faithfully,


(Rina Saha)
Director General of Audit

हस्ताक्षर

(रीना साहा)

महानिदेशक, लेखा परीक्षा

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर विचार प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है। यह बताया गया है कि दिनांक 3 जुलाई 2023 के अपने लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के तहत उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अधीन एक पूरक लेखा परीक्षा की है। पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यशील कागजात को एक्सेस किए बिना ही स्वतंत्र रूप से की गई है और प्रारंभिक तौर पर सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की कुछ चुनी हुई परीक्षा तक सीमित है। मेरी परिपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जो मेरे ध्यान में आया है तथा मेरे विचार से वित्तीय विवरण एवं उससे संबंधित लेखा परीक्षा को बेहतर समझने में सहायक के लिए आवश्यक है।

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

तुलन पत्र

परिसंपत्तियाँ

गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (द्रष्टव्य - 7: रु . 230.14 करोड़)

- उपर्युक्त के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दावे के लंबित प्रसंस्करण के कारण पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) से प्राप्त रु . 186.75 करोड़ शामिल हैं। चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार 2012 में परियोजना से बाहर हो गई और उसके बाद इस संबंध में कोई नया/संशोधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति में अनिश्चितता थी। इसलिए, पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) के बजाय अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में उपरोक्त का खुलासा करना उचित नहीं था। इसके परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को रु .186.75 करोड़ से अधिक और सीडब्ल्यूआईपी को उसी राशि से कम बताया गया है।

गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ-चालू पूंजीगत कार्य

संचालन पर्व व्यय (लंबित आवंटन) (नोट-6) रु . 253.51 करोड़

- क) कंपनी द्वारा वाणिज्यिक संचालन के लिए ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के उत्थित भाग को पूरा किया और मेट्रो रेलवे कोलकाता को (फरवरी-2020) सौंपा गया। हालाँकि प्रबंधन ने वर्ष के लिए उधार लेने की लागत का पूंजीकरण करना जारी रखा और इंड-एएस 23 के पैराग्राफ 24 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रगति में चल रहे पूंजीगत कार्य के तहत इसका खुलासा किया।

लेखा के खातों में परिसंपत्तियों की गैर-मान्यता के मद्देनजर, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पूरक लेखापरीक्षा के दौरान इंड-एएस -23 के विचलन के लिए शामिल वित्तीय निहितार्थों को निर्धारित नहीं किया जा सका।

ख) कंपनी ने लेखा के खातों में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के ऊँचे हिस्से से संबंधित संपत्तियों को मान्यता और वर्गीकृत नहीं किया और इंड एएस 16 के पैराग्राफ 55 का अनुपालन करने में भी विफल रही।

अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ (नोट - 8 : रु . 87.94 करोड़)

- उपर्युक्त में रु . 19.58 करोड़ की राशि शामिल है, जो मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड को भुगतान किया गया पूंजीगत अग्रिम है और मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में दिखाया गया है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार उक्त राशि ठेकेदार को 'गैर-वसूली योग्य मोबिलाइजेशन एडवांस' के रूप में दी गई है। इसलिए इसे ठेकेदार को 'पूंजीगत अग्रिम' के बजाय 'प्रगति में पूंजीगत कार्य' के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप 'अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों' को रु . 19.58 करोड़ से अधिक बताया गया और 'प्रगति में चल रहे पूंजीगत कार्य' को भी उसी हद तक कम बताया गया।

चालू पूंजीगत कार्य (नोट - 5 एवं 6 रु . 8055.90 करोड़)

- उपरोक्त में रु . 13.32 करोड़ की राशि शामिल है जो मेट्रो रेलवे, कोलकाता द्वारा चरण-1 वाणिज्यिक संचालन में बिजली शुल्क के रूप में खर्च की

गई थी। उक्त राशि को नियमित संचालन और रखरखाव से संबंधित 'बिजली आपूर्ति व्यय' के शीर्ष के तहत लेखा के खातों में दर्शाया गया था, इसे लेखा के खातों में दर्शाने के बजाय 'मेट्रो रेलवे से प्राप्य' के रूप में दिखाया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप 'प्रगति पर पूंजीगत कार्य' (बिजली आपूर्ति) को अधिक बताया गया और 'अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों' को रु. 13.32 करोड़ की सीमा तक कम बताया गया।

चालू पूंजीगत कार्य

संचालन पूर्व व्यय (लंबित आवंटन) (नोट-6 रु. 253.51 करोड़)

- उपरोक्त में वर्ष 2022-23 के लिए 'अन्य प्रशासनिक व्यय' के रूप में रु. 15.53 करोड़ की राशि शामिल है। वित्तीय वर्ष के दौरान, रु. 3.65 करोड़ की राशि, केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) - परामर्श शुल्क - 'प्रगति में पूंजी कार्य' को 'परामर्श शुल्क' के बजाय 'अन्य प्रशासनिक व्यय' में डेबिट किया गया था।

इसके परिणामस्वरूप 'अन्य प्रशासनिक व्यय' को 3.65 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया और परामर्श शुल्क 'पूंजी कार्य प्रगति पर है' को भी उसी हद तक कम बताया गया।

चालू पूंजीगत कार्य

संचालन पूर्व व्यय-खर्च (द्रष्टव्य-6 रु. 498.63 करोड़)

- उपरोक्त में वर्ष 2022-23 के दौरान जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से ऋण पर 'ब्याज' के रूप में रु. 37.00 करोड़ की राशि शामिल है। हालाँकि, सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक (सीएएए) द्वारा उधार ली गई लागत के अनुसार वर्ष के दौरान लगाया गया ब्याज रु. 40.09 करोड़ होना चाहिए था।

इस प्रकार, उधार लेने की लागत को कम बताया गया, वित्त मंत्रालय द्वारा ब्याज के साथ रु. 3.09 करोड़ की सीमा तक जेआईसीए ऋण चुकौती को भी कम बताया गया।

ख. लेखांकन नीति पर टिप्पणियाँ

वित्तीय विवरणों के नोट

लेखांकन नीतियाँ (नोट 2.1)


लेखांकन नीति (नोट 2.1) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जिसमें ये कहा गया है कि रेल मंत्रालय के मार्गदर्शन अनुसार यह नीति अपनाई गई है 'संस्था के प्रबंधन द्वारा पूंजी-कार्य-प्रगति से परिसंपत्तियों का स्थानांतरण अचल संपत्तियों को परियोजना के पूर्ण समापन पर किया जाए, न कि चरणबद्ध समापन पर।' इसलिए परियोजना के एक हिस्से का वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बावजूद, पूरी राशि सीडब्ल्यूआईपी के तहत दिखाई जा रही है और किसी भी नव निर्मित संपत्ति का अचल संपत्ति में कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है।'

हालाँकि, रेल मंत्रालय के दूरसंचार निदेशालय (2018) ने केवल यह कहा कि 'परियोजना निष्पादन के पूर्ण होने के पश्चात, मेट्रो रेलवे, कोलकाता एकीकृत नियंत्रण के तहत उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के साथ-साथ ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर भी चलाएगा।' रेल मंत्रालय के दूरसंचार निदेशालय ने परियोजना के पूर्ण समापन पर परिसंपत्तियों को पूंजी-कार्य-प्रगति से अचल संपत्तियों में स्थानांतरित करने के लिए कोई लेखांकन उपचार या कोई लेखांकन निर्देश निर्दिष्ट नहीं किया।'

इसके अलावा, इंड-एएस 16 प्रावधान करता है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी यदि वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और यह संभव है कि भविष्य में इकाई को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

इस प्रकार, कंपनी द्वारा अपनाई गई उपरोक्त नीति न तो रेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप थी और न ही इंड-एएस 16 के प्रावधानों के अनुरूप थी।

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक
के लिए व उनकी ओर से

Yours faithfully,

(Rina Saha)
Director General of Audit

रीना साहा
महानिदेशक, लेखा परीक्षा

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 31.08.2023

Raj Kumar Kothari & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS

Head Office : 32, Ezra Street. 4th Floor, Suite # 403, Kolkata-700001

Phone : 2235-0677 / 98310 79963

Website : www.rkkco.com

E-mail : ca.rkothari@gmail.com / rkothari@rkkco.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन**कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के प्रति****वित्तीय विवरणों के इंडेण्ट्स लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन**

हमने कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न इंडेण्ट्स वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें शामिल है, 31 मार्च, 2023 तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित इंडेण्ट्स वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स (इसके बाद इंडेण्ट्स वित्तीय विवरण कहा गया है)।

हमारी राय में और उपोलब्ध सुचना अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण **कंपनी अधिनियम, 2013** (अधिनियम) द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं तथा अनुभाग के लिए आधारित वर्णित मामले के प्रभावों, जो कि कंपनी **(भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015**, संशोधित अनुसार (इंडेण्ट्स) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानव और भारत में आमतौर पर स्वीकार किये गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों, 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के मामलों की स्थिति में हानि और कुल व्याप आय, इक्विटी में परिवर्तन और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके नकद प्रवाह के अनुरूप हैं, को छोड़कर सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग पर मानकों (एसए) के अनुसार इंडेण्ट्स वित्तीय विवरणों का अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के इंडेण्ट्स वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत इंडेण्ट्स वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं। इसके तहत, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे इंडेण्ट्स वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

एसए 701 के अनुसार प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की प्रतिवेदन, मुख्य लेखापरीक्षा मामले कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है।

मामले का विवरण

(i) हम नोट संख्या 7 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं धर्हि वित्तीय विवरण जिसमें

पश्चिम बंगाल सरकार (उर्दे) से प्राय्य रु. 186.76 करोड़ पश्चिम बंगाल सरकार (जीओडब्ल्यूबी) से राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के लिए प्राय्य और वैट के लिए रु. 41.38 करोड़ कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के संदर्भ में वैट के प्रति उर्दे को प्राय्य खातों के रूप में मान्यता दी गई है, जिसकी प्रतिपूर्ति अभी तक उर्दे द्वारा नहीं की गई है।

(ii) हम धर्हि वित्तीय विवरण के नोट संख्या 26 पर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें

सेंट्रल पार्क, साल्ट लेक में डिपो स्थापित करने के लिए अनुमोदनात्मक कब्जे के आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार (उर्दे) से प्राप्त 38.5 एकड़ भूमि का मूल्य है। कंपनी के खातों की किताबों में इसका हिसाब नहीं दिया गया। धर्हि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 26 का संदर्भ भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें उर्दे ने उक्त भूमि के अनुमेय कब्जे के लिए शुल्क के रूप में रु. 3368.79 करोड़ की मांग की है।

(iii) हम ध्वंष्ट वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 32 की ओर ध्यान आकर्षित करते

हैं जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव ने 06.11.2012 को एक पत्र जारी किया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि उदें ने पूर्व के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए रु. 48 करोड़ रुपये की राशि का वित्तपोषण किया है। -वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना। कंपनी ने रुपये के विवरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मामला उठाया है। कंपनी को रु. 48 करोड़ रुपये दिए जाने का दावा किया गया, किंतु कंपनी के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। मामले का सुलह और समाधान अभी भी लंबित है।

हम ध्वंष्ट वित्तीय विवरण के नोट संख्या 8.1.2, 25 और 39 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। जो लंबित मुकदमेबाजी के मामले और आकस्मिक देनदारियां से संबंध है।

(iv) हम नोट संख्या 5.4 और 6 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें प्रगति में पूंजीगत कार्य में परियोजना के ऊंचे हिस्से के संचालन और रखरखाव के संबंध में किए गए खर्च शामिल हैं, जिसका वाणिज्यिक संचालन फरवरी 2020 से वाणिज्यिक संचालन के लिए मेट्रो रेलवे, कोलकाता को सौंपा गया है और आय के संबंध में मेट्रो रेलवे द्वारा मान्यता प्राप्त है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं की।

इंडएएस वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड का प्रतिवेदन सहित बोर्ड के प्रतिवेदन का अनुलग्नक, व्यावसायिक दायित्व प्रतिवेदन, निगमित अभिशासन और शेयरधारक की जानकारी सम्मिलित जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन शामिल नहीं है।

इंडएएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

इंडएएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारियों को पढ़ें और ऐसा करने पर विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है। अगर, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अन्य जानकारी भौतिक रूप से गलत है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन का दायित्व और जिन्हें वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन द्वारा चार्ज किया गया

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखांकन मानकों तथा आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकद प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है, जो लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है और जो एक सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त होते हैं, फिर चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के।

इंडएएस वित्तीय विवरण तैयार करने में, एक गोइंग कंसर्न के रूप में बने रहने के लिए कंपनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटीकरण, लागू अनुसार, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों और लेखांकन का गोइंग कंसर्न के आधार पर उपयोग करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है। संचालन, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से इंडएएस वित्तीय विवरण भौतिक दुव्यवहार से मुक्त हैं, फिर चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन एसएसएस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा इस बात की गारंटी नहीं होती कि हमेशा मौजूद होने पर भी यह किसी

सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। धोखाधड़ी या ऋटि से गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है और सामग्री मानी जाती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल में, उनकी वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएस के अनुसार लेखा परीक्षा के एक अंश के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं।

- इंडएस वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या ऋटि के, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली भौतिक गलती के विवरण की पहचान ना करने की जोखिम, ऋटि के एक नतीजे से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रणों को रद्द करना शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (3) (ग) के अधीन, हम इस बारे में भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और उक्त नियंत्रणों की संचालन प्रभावशीलता पर।
- इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन का गोइंग कंसर्न के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है, और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों के संबंध में सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो लगातार एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इंडएस वित्तीय विवरणों से संबंधित खुलासों या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने पर ध्यान आकर्षित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा सबूतों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनायें या परिस्थितियां कंपनी के लिए गोइंग कंसर्न के रूप में बने रहने के लिए संघर्ष का कारण बन सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय वस्तु का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

भौतिकता इंडएस वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि इंडएस वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (ग) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में; और (ग) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम उन लोगों को अन्य मामलों में से सम्बंधित अभिशासन प्रदान करते हैं कि ऑडिट की योजनाबद्ध गुंजाइश तथा समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक बयान के साथ अभिशासन प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ संपर्क बनाये रखने के लिए सभी रिश्तों और अन्य मामलों, जो कि हमारी स्वतंत्रता, एवं जहाँ लागू हो, सम्बंधित सुरक्षा से जुड़ी है, उनपर भी यथोचित रूप से विचार हम करते हैं।

अन्य मामलों

1. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का एक अन्य लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किया गया था, जिनकी प्रतिवेदन दिनांक 08-08-2022 ने उन बयानों पर एक अयोग्य राय व्यक्त की थी। योग्यताओं पर प्रबंधन द्वारा संभावित रूप से विचार किया गया है और प्रभाव दिया गया है।
2. कंपनी की ओर से नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान। संबंधित प्रावधानों और संबंधित सीमाओं के अनुसार, कंपनी में कम से कम 1 महिला निदेशक और 2 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। श्रीमती वॉरियर को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और वह निदेशक मंडल में महिला निदेशक भी थीं। 10.07.2022 को उनका कार्यकाल पूरा होने और उसके बाद की आवश्यकता के बाद, रिक्ति नहीं भरी गई है। आज तक कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। प्रबंधन के जवाब के

अनुसार, ऐसी रिक्ति केवल सरकार द्वारा भरी जा सकती है और उन्होंने रेलवे बोर्ड को कई पत्रों के माध्यम से इसके लिए सूचित और अनुरोध किया है।

अन्य विधिक एवं विनियम संबंधी आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2020 (आदेश) के द्वारा यथापेक्षित अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के शर्तीनुसार हम आदेश के अनुच्छेद 3 व 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर अनुलग्नक - ९ में विवरण प्रदान कर रहे हैं।

2. अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित के रूप में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में :

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम प्रतिवेदन देते हैं कि :

(i) हमने वे सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगी है, सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

(ii) हमारी राय में, जहाँ तक उन बहियों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है, विधिसम्मत आवश्यक समुचित लेखा बहियां कंपनी द्वारा रखी गयी हैं।

(iii) तुलन-पत्र, लाभ व हानि विवरण सहित अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण का विवरण, जो इस प्रतिवेदन द्वारा संयोजित हैं, सम्बंधित लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(iv) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014, संशोधित के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित इंड एस का अनुपालन करता है।

(v) कंपनी एक सरकारी कंपनी है; अतः कंपनी अधिनियम की धारा 164 (2) का प्रावधान भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना सं. जीएसआर 829 (ई) दिनांक 21.10.2003 के अनुपालन में लागू नहीं है।

(vi) कंपनी के इंडएस वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक बी में हमारी अलग प्रतिवेदन देखें।

(vii) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मत में यथासंशोधित एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

(क) कंपनी ने अपने इंडएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। इंडएस वित्तीय विवरण का द्रष्टव्य 25 और 39 देखें।

(ख) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई वास्तविक नुकसान हुआ था।

(ग) कोई ऐसी रकम नहीं है, जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना आवश्यक हो।

(घ) (i) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, टिप्पणियों में प्रकट किए गए के अलावा, कोई भी धन उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (ओं) में, विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थ) सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देना या निवेश करना (अंतिम लाभार्थी) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करना;

(ड) (ii) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, टिप्पणियों में बताए गए के अलावा, कंपनी

द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है। (फंडिंग पार्टियों), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी। (अंतिम लाभार्थी) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं, और

(iii) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन जैसा कि ऊपर (ग) और (ग) में कहा गया है, में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधानों का अनुपालन लागू नहीं है।

(i) अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाते की किताबें बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है। और तदनुसार, कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने कंपनी के अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के संदर्भ में क्षेत्रों की जांच करने के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिसका अनुपालन अनुलग्नक ग में निर्धारित किया गया है।

कृते राजकुमार कोठारी एंड कं.
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण सं. : 320166ई

राजकुमार कोठारी
भागीदार
सदस्यता सं. : 055208
यूडीआईएन : 23055208BGWCCEL4154

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 03-07-2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक - क**कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के क्लॉज (ग) के अधीन वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन।**

हमने कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) की 31 मार्च, 2023 को इंडिएएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की है, जो कि उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के इंडिएएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबद्ध है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन मंडल वित्तीय प्रतिवेदन पात्रता के ऊपर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित इंडिएएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जिसकी स्थापना कंपनी द्वारा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर दिशानिर्देश में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अत्यावश्यक घटकों पर विचार करके किया गया है। इन दायित्वों में शामिल है पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन, क्रियान्वयन एवं रखरखाव, जो कि इसके व्यवसाय को कुशलतापूर्वक संचालन सुनिश्चित करने के लिए, जिसमें कंपनी की नीतियों के पालन, उसकी संपत्ति की सुरक्षा शामिल है, असरदार तरीके से कार्य कर रहे थे। इनमें शामिल है इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा भूल एवं धोखाधड़ी को दूढ़ना एवं उसकी रोकथाम, लेखा अभिलेखों की पूर्णता एवं सटीकता तथा भरोसेमंद वित्तीय सूचनाओं की तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में वांछित है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इंडिएएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना विचार व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित समझे जाने के अनुसार अपना लेखा परीक्षा किया, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों एवं दिशा निर्देशों में वांछित है कि यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखा परीक्षा की योजना बनाएं एवं कार्य करें कि क्या इंडिएएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था तथा रखरखाव किया गया था तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी ठोस संबंध में असरदार तरीके से कार्य कर रहे हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में इंडिएएस वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। इंडिएएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में इंडिएएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक ठोस कमजोरी मौजूद है, और आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का आकलित जोखिम के आधार पर परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चुनी गयी प्रक्रिया इंडिएएस लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती है जिसमें वित्तीय विवरणों की ठोस बयानबाजी की जोखिम का आकलन चाहे वह गलती से हो अथवा धोखाधड़ी से शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे इंडिएएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

इंडिएएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

इंडिएएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए इंडिएएस वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंडिएएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो :

- (i) अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के डिस्पोजिशन एवं लेन-देन को सटीक व सही तरीके से दर्शाया गया है;
- (ii) यथोचित आश्वासन प्रदान करे कि लेन-देन को दर्ज किया गया है जैसा कि आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार इंडिएएस वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए यथा आवश्यक तथा कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय को सिर्फ कंपनी के निदेशकों एवं प्रबंधन के प्राधिकरण के अनुसार किया गया है; और
- (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों के डिस्पोजिशन या इस्तेमाल, अनधिकृत अधिग्रहण को समय पर दूढ़ निकालने एवं रोकथाम के लिए यथोचित आश्वासन प्रदान करे, जिसका इंडिएएस वित्तीय विवरणों पर ठोस प्रभाव पड़ सकता है।

इंडएएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

इंडएएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वाभाविक सीमाओं के कारण, नियंत्रण के ऊपर अनुचित प्रबंधकीय ओवरराईड या कोल्यूसन की संभावना सहित, गलती या धोखाधड़ी के कारण ठोस बयानबाजी घट सकती है और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए इंडएएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि इंडएएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री में गिरावट आ सकती है।

विचार

हमारे विचार में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास सभी तरह से इंडएएस वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा ऐसे नियंत्रण 31 मार्च, 2023 को असरदार तरीके से चल रहे थे, जो कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पात्रता के आधार पर था, जिसे आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है, जैसा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी इंडएएस वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित है।

कृते राजकुमार कोठारी एंड कं.
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण सं. : 320166ई

राजकुमार कोठारी
भागीदार
सदस्यता सं. : 055208
यूडीआईएन : 23055208BGWCCEL4154

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 03-07-2023

उसी तारीख के हमारे प्रतिवेदन के अन्य विधिक एवं विनियम सम्बन्धी आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन खंड के अधीन अनुच्छेद 1 में संदर्भित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक 'ख'

(i) (क) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रतिवेदन की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित अभिलेख बनाए रख रही है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रतिवेदन की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(ग)(ए)(बी) लागू नहीं होता है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रतिवेदन की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, कंपनी के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके द्वारा तीन साल की अवधि में चरणबद्ध तरीके से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सत्यापन किया जाता है। हालाँकि, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, इसलिए हम ऐसे सत्यापन में देखी गई किसी भी महत्वपूर्ण विसंगति पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख (संपत्तियों के अलावा जहाँ कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते विधिवत रूप से निष्पादित किए जाते हैं इंडिएस वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए पट्टेदार) कंपनी के नाम पर रखे गए हैं सिवाय नीचे दिए गए विवरणों को छोड़कर :

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य ('000 में)	के नाम पर आयोजित	क्या प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी हैं	धारित अवधि - जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण
पट्टा भूमि	1,97,396.52	कोलकाता न्यास पत्तन	नहीं	वित्तीय वर्ष 2012-13 से वर्तमान तक	कंपनी ने भूमि को 30 साल की अवधि के लिए पट्टा पर लिया है। कंपनी इसे अपने नाम पर पंजीकृत करने की प्रक्रिया में है। जैसा कि इंडिएस वित्तीय विवरणों के द्रष्टव्य 22 में उल्लिखित है।
भवन	46,741.73	हुगली रिवर ब्रिज कमिशनर	नहीं	वित्तीय वर्ष 2008-09 से वर्तमान तक	भवन का स्वामित्व केएमआरसीएल को हस्तांतरित नहीं किया गया था क्योंकि भवन उस समय बनाया गया था जब राज्य सरकार इस परियोजना में एक हिस्सेदार थी। परियोजना पूरी होने के कगार पर है और संपत्ति को मेट्रो रेलवे को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि मेट्रो रेलवे, भवन के स्वामित्व, टाईटल आदि के लिए आगे पहल करेगी। इंडिएस वित्तीय विवरणों के लिए द्रष्टव्य 22 देखें।
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	75,480.57	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	वित्तीय वर्ष 2008-09 से वर्तमान तक	1488 वर्ग मीटर भूमि का म्यूटेशन प्रक्रियाधीन है एवं 1733 वर्ग मीटर भूमि का म्यूटेशन लंबित है क्योंकि मामला विचाराधीन है और मामला वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी संख्या (सिविल) 36172/2013 के अंतर्गत लंबित है। जैसा कि इंडिएस वित्तीय विवरणों के द्रष्टव्य 22 में उल्लिखित है।

- (घ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी भी वर्ग का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है। कंपनी के पास लेखा बहियों में संपत्ति के उपयोग का कोई अधिकार नहीं है।
- (ङ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ग)(ई) लागू नहीं होता है।
- (ii) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, कंपनी के पास कोई वस्तुसूची नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ग)(ए) लागू नहीं होता है।
- (ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, कंपनी चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ग)(बी) लागू नहीं है।
- (iii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है। कंपनी ने ऋण की प्रकृति में, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है या कोई गारंटी या सुरक्षा या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(गग) लागू नहीं होता है।
- (iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 में संदर्भित किसी भी पार्टी को या उसकी ओर से कोई ऋण/गारंटी/सुरक्षा नहीं दी है या कोई निवेश नहीं किया है। कंपनी ने किसी निगमित निकाय या किसी अन्य व्यक्ति को ऋण के संबंध में कोई ऋण, गारंटी या कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है।
- (v) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, कंपनी ने जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है जिसे वर्ष के दौरान जमा माना जाता है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान और बनाए गए नियम के तहत कंपनी के लिए लागू नहीं हैं। कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अदालत या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।
- (vi) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।
- (vii) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, कंपनी वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और लागू अन्य सांविधिक बकाया सहित अविवादित सांविधिक बकाया उपयुक्त प्राधिकारी के साथ जमा करने में नियमित है।
- वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर सहित लागू वैधानिक देय राशि के संबंध में कोई निर्विवाद राशि देय नहीं है, 31.03.2022 को देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई देय नहीं है।
- (ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, आयकर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क या माल और सेवा कर (जीएसटी) का कोई बकाया नहीं है, जो नीचे बताए गए अनुसार किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है :

कानून का नाम	बकाये की प्रकृति	राशि ('000 में)	जिस अवधि से राशि संबंधित है	जिस फोरम में विवाद लंबित है
वित्तीय अधिनियम, 1994	सेवा कर	1854.94	नि.व. 2009-10 से 2012-13	अपीलीय प्राधिकारी आयुक्त अपील (11), केंद्रीय उत्पाद शुल्क

- (viii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किए गए खाते की पुस्तकों में दर्ज नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(viii) लागू नहीं होता है।
- (ix) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, कंपनी ने ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में या किसी ऋणदाता को उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है। इसके अलावा, आस्थगित भुगतान देनदारियों को ऋणदाता को उधार/बकाया नहीं माना जाता है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जाती है।
- (ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा स्वेच्छा से डिफॉल्ट करने वाली कंपनीघोषित नहीं किया गया है।
- (ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, कंपनी ने सावधि ऋणों को उसी उद्देश्य के लिए लागू किया है जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।
- (घ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, और कंपनी के तुलन पत्र की समग्र जांच पर, कंपनी ने अल्पावधि आधार पर कोई निधि नहीं जुटाई है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (ix) (डी) लागू नहीं होता है।
- (ङ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, कंपनी के पास कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ix)(ई) लागू नहीं होता है।
- (च) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, कंपनी के पास कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां नहीं हैं। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ix)(एफ) लागू नहीं होता है।
- (x) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या प्रारम्भिक सार्वजनिक पेशकश (ऋण दस्तावेजों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(x)(ए) लागू नहीं होता है।
- (ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई तरजीही आवंटन या शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर का निजी प्लेसमेंट (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) नहीं किया है।
- (xi) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, वर्ष के दौरान कंपनी या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या प्रतिवेदन नहीं की गई। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(xi)(ए) लागू नहीं होता है।
- (ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत केंद्र सरकार के पास कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में लेखा परीक्षकों द्वारा कोई प्रतिवेदन दर्ज नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(xi)(बी) लागू नहीं होता है।
- (ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(xi)(सी) लागू नहीं होता है।
- (xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(xii) लागू नहीं होता है।
- (xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण का खुलासा इंडाएस वित्तीय विवरणों में किया गया है जैसा कि लागू इंडाएस द्वारा आवश्यक है।
- (xiv) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।
- (ख) लेखापरीक्षा की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदनों पर लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा विचार किया गया था।

- (xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के तहत निर्दिष्ट निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कंपनी ने कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(xv) लागू नहीं होता है।
- (xvi) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और बहियों और अभिलेखों की जांच के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के तहत गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xvi)(ए) लागू नहीं होता है।
- (ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और बहियों और अभिलेखों की जांच के अनुसार, कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियां या कोई आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (बी) लागू नहीं होता है।
- (ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और बहियों और अभिलेखों की जांच के अनुसार, कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (xvi) (सी) लागू नहीं होता है।
- (घ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और बहियों और अभिलेखों की जांच के अनुसार, ग्रुप में कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है।
- (xvii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष में और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।
- (xviii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। हालांकि, वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हर साल भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।
- (xix) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के अनुसार हम आवश्यक समझते हैं, वित्तीय अनुपात, पुराने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, इंडिएस वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी राय है कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की तारीख तक कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है और जब भी होती है तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अन्दर होती है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी प्रतिवेदन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि जब वे देय होते हैं तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों का कंपनी द्वारा निर्वहन किया जाएगा।
- (xx) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा और जैसा कि इंडिएस वित्तीय विवरणों के नोट 22 (क्यू) में कहा गया है, कंपनी ने विशेषज्ञ की राय के आधार पर किसी भी खर्च के लिए प्रावधान नहीं किया है, जिसकी प्रति हमें प्रदान नहीं की गई है।
- (ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर हमने आवश्यक समझा, हमारी रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी चालू परियोजनाएँ नहीं हैं। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(xx)(बी) लागू नहीं होता है।

कृते राजकुमार कोठारी एंड कं.
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण सं. : 320166ई

राजकुमार कोठारी
भागीदार
सदस्यता सं. : 055208
यूडीआईएन : 23055208BGWCEL4154

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 03-07-2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक - ग

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 5 के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट (अधिनियम)

दिशा निर्देश 1

क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।

हमारी टिप्पणी

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी कम्प्यूटरीकृत वातावरण में अपने खाता बही का रखरखाव कर रही है। वित्तीय निहितार्थ वाले सभी लेनदेन ऐसी लेखा प्रणाली में विधिवत दर्ज किए जाते हैं।

हालांकि, देय अनुमोदन/जाँच/निपटान के लिए लंबित लेनदेन ऐसे दावों को अंतिम रूप देने पर ही दर्ज किए जाते हैं। अंतिम रूप देने के लिए लंबित ऐसे सभी लेन-देन का कुल मिलाकर रिपोर्टिंग की तारीख को 'आकस्मिक देनदारियों' के रूप में दर्ज किया गया है और वित्तीय विवरणों के नोट 37 में इसका खुलासा किया गया है।

वित्तीय विवरणों पर प्रभाव - जैसा कि वित्तीय विवरण के द्रष्टव्य 39 में बताया गया**दिशा निर्देश 2**

क्या ऋण की अदायगी में कंपनी की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन या बकाया/ऋण/ब्याज आदि बढ़े डालने/ माफ करने के मामले हैं या नहीं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है?

हमारी टिप्पणी

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी जाँच के आधार पर, मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बढ़े खाते में डालने के मामले लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान नहीं किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों पर प्रभाव - शून्य**दिशा निर्देश 3**

क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

हमारी टिप्पणी

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी जाँच के आधार पर कंपनी को केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा के तहत मेट्रो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा बजटीय सहायता प्रदान की गई है। इस प्रकार प्राप्त धनराशि का उपयोग परियोजना के प्रयोजन के लिए किया गया है। अप्रयुक्त राशियों को अस्थायी रूप से सावधि जमा में रखा जाता है और अर्जित ब्याज को परियोजना में वापस गिरवी रख दिया जाता है।

विचलन - शून्य

कृते राजकुमार कोठारी एंड कं.
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण सं. : 320166ई

राजकुमार कोठारी
भागीदार
सदस्यता सं. : 055208
यूडीआईएन : 23055208BGWCEL4154

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 03-07-2023

वार्षिक लेखा 2022-23

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 31 मार्च 2023 को तुलन-पत्र

विवरण	द्रष्टव्य सं	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
परिसंपत्तियां			
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	4	4,23,206.24	4,13,168.52
(ख) चालू-पूँजीगत-कार्य	5 & 6	8,05,58,951.58	7,55,55,274.81
(ग) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7	23,01,351.16	20,42,098.48
(घ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	8	8,79,351.22	6,50,658.72
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां		8,41,62,860.21	7,86,61,200.54
वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) नकद एवं नकद समतुल्य	9	5,72,787.90	8,30,309.25
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा बैंक में शेष राशि	10	11,29,345.85	36,98,865.20
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7	21,98,751.35	14,25,166.37
(ख) वर्तमान कर परिसंपत्तियां	11	11,870.66	2,203.46
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		39,12,755.76	59,56,544.29
कुल परिसंपत्तियां		8,80,75,615.97	8,46,17,744.82
इक्विटी एवं देयता			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	12	3,75,86,200.00	3,75,86,200.00
(ख) अन्य इक्विटी	13	7,287.38	15.34
कुल इक्विटी		3,75,93,487.38	3,75,86,215.34
देयताएं			
गैर-वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	14	4,85,30,288.05	4,53,94,753.25
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं- प्रतिधारण राशि	14.12	3,28,721.78	2,70,560.12
(ख) प्रावधान	15	7,219.36	5,488.44
(ग) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	16	3,43,670.05	1,62,974.90
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		4,92,09,899.25	4,58,33,776.70
वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	17	8,86,678.05	8,84,545.93
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं- प्रतिधारण राशि	17	2,79,960.87	2,18,742.74
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	18	1,05,590.42	94,464.11
कुल वर्तमान देयताएं		12,72,229.34	11,97,752.78
कुल देयताएं		5,04,82,128.59	4,70,31,529.48
कुल इक्विटी एवं देयताएं		8,80,75,615.97	8,46,17,744.82
वित्तीय विवरणों के संलग्न द्रष्टव्य	1-41		

संलग्न हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
कृते राजकुमार कोठारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. : 320166ई

सीए आर.के.कोठारी

भागीदार

सदस्यता सं. : 055208

यूडीआईएन : 23055208BGWCEL4154

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 3 जुलाई, 2023

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

वी. के. श्रीवास्तव

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 10207179

समीक भट्टाचार्य

मुख्य वित्तीय अधिकारी

पैन: AMWPB7941H

अंशुमन सरकार

निदेशक (वित्त)

डीआईएन: 09678873

महुआ दत्ता गुप्ता

कंपनी सचिव

पैन: AIEPG3324K

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ एवं हानि का विवरण

		(राशि हजार रु. में)	
विवरण	द्रष्टव्य सं	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
आय			
परिचालन से राजस्व		-	-
अन्य आय	19	8,074.70	1,284.33
कुल आय		8,074.70	1,284.33
व्यय			
अन्य व्यय	20	590.72	725.55
कुल व्यय		590.72	725.55
कर पूर्व लाभ		7,483.98	558.78
कर व्यय			
वर्तमान कर		-	-
आस्थगित कर		-	-
अवधि के लिए लाभ / (हानि)		7,483.98	558.78
अन्य व्यापक आय			
वे मद जिन्हें लाभ एवं हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया			
ग्रेच्युटी योजना पर पुनर्माप लाभ/(हानि)	15.1	-211.93	234.08
आयकर प्रभाव		-	-
आयकर के लिए प्रावधान वापस लिया गया		-	-
शुद्ध अन्य व्यापक आय, जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता		-211.93	234.08
अवधि के लिए कुल व्यापक आय		7,272.04	792.86
प्रति इक्विटी शेयर आय			
(1) प्रति शेयर मूल आय		-	-
(2) मिश्रित		-	-
वित्तीय विवरणों के संलग्न द्रष्टव्य	1-41		

संलग्न हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
कृते राजकुमार कोठारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 320166ई
सीए आर.के.कोठारी
भागीदार
सदस्यता सं. : 055208
यूडीआईएन : 23055208BGWCEL4154

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 3 जुलाई, 2023

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

वी. के. श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10207179

समीक भट्टाचार्य
मुख्य वित्तीय अधिकारी
पैन: AMWPB7941H

अंशुमन सरकार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 09678873

महुआ दत्ता गुप्ता
कंपनी सचिव
पैन: AIEPG3324K

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

विवरण	मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(राशि हजार रु. में)		
क. परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
कर एवं असाधारण मदों से पूर्व शुद्ध आय के लिए समायोजन :-	7,483.98	558.78
अन्य व्यापक आय (ग्रेच्युटी)	-	-
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	-	-
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	-	-
ब्याज आय	-	-
परिसंपत्ति/ निवेश की बिक्री पर हानि/(लाभ)	-	-
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के पूर्व परिचालन लाभ	7,483.98	558.78
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
दीर्घावधि प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	1,730.92	-2,209.55
अन्य वर्तमान देयताओं में वृद्धि/(कमी)	11,126.31	-32,595.25
गैर-वर्तमान देयताओं में वृद्धि/(कमी)	1,80,695.16	-5,78,864.75
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	-2,59,252.68	-2,78,675.16
वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	-7,73,584.98	-11,48,761.62
वित्तीय देयताओं में कमी/(वृद्धि)	1,19,379.78	68,615.63
वर्तमान कर परिसंपत्ति में कमी/(वृद्धि)	-9,667.20	-943.48
परिचालन से शुद्ध नकदी प्रवाह(क)	-7,22,088.72	-19,72,875.40
निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की खरीद	-10,037.72	-3,520.34
डब्ल्यूआईपी पूंजी की खरीद	-50,03,676.77	-57,83,848.87
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	-2,28,692.50	2,10,428.98
निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी प्रवाह(ख)	-52,42,406.99	-55,76,940.23
ख. वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आय	-	61,24,600.00
ब्याज मुक्त अधीनस्थ बकाए से प्राप्त आय	27,38,809.22	9,70,926.55
दीर्घावधि उधारी से प्राप्त आय	3,96,725.58	33,08,477.85
अल्पावधि उधारी से प्राप्त आय	2,132.12	-58,704.40
ग्रेच्युटी अन्य व्यापक आय का समायोजन	-211.93	234.08
वित्तीय क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ग)	31,37,454.99	1,03,45,534.08
ग. नकद एवं नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (क + ख + ग)	-28,27,040.72	27,95,718.45
घ. वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य	45,29,174.45	17,33,456.00
ड. वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	17,02,133.73	45,29,174.45

- नकद प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत तैयार किया गया है जैसा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक (IndAS) - 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट में निर्धारित किया गया है।
- अचल संपत्तियों की खरीद में वर्ष के दौरान चल रहे चालू-पूँजीगत-कार्य की गतिविधि शामिल है।
- वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य नकद और बैंक शेष को दर्शाता है।
- विगत वर्ष के आंकड़ों को जहाँ प्रयोज्य है, पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है

वित्तीय विवरणों के संलग्न दृष्टव्य

1-41

कृते राजकुमार कोठारी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. : 320166ई

सीए आर.के.कोठारी

भागीदार

सदस्यता सं. : 055208

यूडीआईएन : 23055208BGWCEL4154

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 3 जुलाई, 2023

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

वी. के. श्रीवास्तव

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 10207179

समीक भट्टाचाय

मुख्य वित्तीय अधिकारी

पैन: AMWPB7941H

अंशुमन सरकार

निदेशक (वित्त)

डीआईएन: 09678873

महुआ दत्ता गुप्ता

कंपनी सचिव

पैन: AIEPG3324K

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(राशि हजार रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 (राशि रु. में)	31 मार्च, 2022 (राशि रु. में)
प्रतिवेदन अवधि के प्रारंभ में शेष राशि	3,75,86,200.00	1,40,30,000.00
पूर्व अवधि की ऋतियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
वर्तमान प्रतिवेदन अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	3,75,86,200.00	1,40,00,000.00
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
इक्विटी शेयरों का नया आवंटन		
- नगदी के लिए	-	61,24,600.00
- नकद के अलावा अन्य विचारार्थ	-	1,74,31,600.00
प्रतिवेदन अवधि के अंत में शेष राशि	3,75,86,200.00	3,75,86,200.00

ख. अन्य इक्विटी

(राशि हजार रु. में)

विवरण रकम लंबित	शेयर आवेदन रकम लंबित आवंटन	रिजर्व और अधिशेष प्रतिधारित आय	अन्य विस्तृत आय	कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए कुल इक्विटी आर्टिब्यूटेबल
1 अप्रैल, 2021 को शेष राशि	-	-	(777.52)	(777.52)
पूर्व अवधि की ऋतियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-	-
प्रतिवेदन अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	-	-	(777.52)	(777.52)
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	558.78	234.08	792.86
मालिकों के रूप में उनकी क्षमता में मालिकों के साथ लेन-देन				
इक्विटी शेयर जारी करना	-	-	-	-
शेयर आवेदन रकम प्राप्त	-	-	-	-
31 मार्च 2022 तक शेष राशि	-	558.78	(543.45)	15.34
पूर्व अवधि की ऋतियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-	-
वर्तमान प्रतिवेदन अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	-	558.78	(543.45)	15.34
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	7,483.98	(211.93)	7,272.04
मालिकों के रूप में उनकी क्षमता में मालिकों के साथ लेन-देन				
इक्विटी शेयर जारी करना	-	-	-	-
नकदी के अलावा अन्य इक्विटी शेयर जारी करना	-	-	-	-
शेयर आवेदन रकम प्राप्त	-	-	-	-
31 मार्च 2023 तक शेष राशि	-	8,042.76	(755.38)	7,287.38

संलग्न हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

कृते राजकुमार कोठारी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. : 320166ई

सीए आर.के.कोठारी

भागीदार

सदस्यता सं. : 055208

यूडीआईएन : 23055208BGWCEL4154

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 3 जुलाई, 2023

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

वी. के. श्रीवास्तव

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 10207179

समीक भट्टाचार्य

मुख्य वित्तीय अधिकारी

पैन: AMWPB7941H

अंशुमन सरकार

निदेशक (वित्त)

डीआईएन: 09678873

महुआ दत्ता गुप्ता

कंपनी सचिव

पैन: AIEPG3324K

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य

1. निगमित सूचनाएं

कोलकाता मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') जिसका सीआईएन : U60100WB2008GOI27338 है, की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन 09 जुलाई, 2008 को की गई थी। यह एक सरकारी कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) (पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617) के आशय के अंतर्गत है। यह एक एस.पी.वी. कंपनी है और कोलकाता में कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़ी है। कंपनी का अपना पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में अवस्थित है।

2. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

2.1 लेखांकन नीतियाँ

इन वित्तीय विवरणों को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड AS) के अनुसार एवं अनुपालन में तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियों को अनवरत लागू किया गया है सिर्फ चालू लेखांकन अवधि के लिए प्रभावी एमसीए द्वारा जारी मानकों के संशोधन के लिए लेखांकन नीतियों में परिवर्तन और विगत वित्तीय वर्ष में अपनाई गई लेखांकन नीतियों में अन्य सुधारों को छोड़कर। वित्तीय विवरण की प्रस्तुति कंपनी अधिनियम, 2013 की भारतीय लेखांकन मानक अनुसूची-III पर आधारित है।

संगठन के प्रबंधन द्वारा रेल मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना के संपूर्ण पूरा होने पर न कि चरणबद्ध समापन पर परिसंपत्तियों को चालू-पूँजीगत-कार्य से अचल परिसंपत्तियों में स्थानांतरित करने के लिए एक नीति अपनाई गई है। इसलिए, परियोजना के एक हिस्से का वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बावजूद पूरी राशि को सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत दिखाया जा रहा है और नई तरह से सृजित किसी भी परिसंपत्ति को अचल परिसंपत्तियों में स्थानांतरित नहीं किया गया है।

कंपनी के वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं जो इसकी कार्यात्मक मुद्रा भी है।

2.2 लेखांकन परिपाटी

वित्तीय विवरण को परंपरागत लागत, प्रोद्भुत एवं चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाएकुछ वित्तीय साधनों के, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर उचित मूल्यों पर मापा जाता है। परंपरागत लागत आमतौर पर मुआवजा के आधार पर होता है, जिसे माल एवं सेवाओं के बदले में दिया जाता है। समस्त परिसंपत्तियों एवं देयताओं को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के डिवीजन-II में निर्धारित कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और अन्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रकृति एवं प्रक्रिया के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा नकद अथवा नकद समतुल्य उनकी वसुली के बीच समय के आधार पर कंपनी ने वर्तमान एवं गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 महीने का अपना परिचालन चक्र निर्धारित किया है।

2.3 अनुमानों एवं निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन द्वारा अनुमान, निर्णय एवं आकलन करने की जरूरत होती है। ये अनुमान, निर्णय तथा आकलन लेखा नीतियों तथा परिसंपत्तियों एवं देयताओं की सूचित रकम, आकस्मिक परिसंपत्तियों की घोषणा और वित्तीय विवरण के प्रतिवेदन की तारीख पर देयताओं, राजस्व की सूचित रकम एवं अवधि के दौरान व्यय की प्रयोज्यता को प्रभावित करते हैं। चूंकि, कंपनी एक एस.पी.वी. है, किए गए सभी व्यय ऐसे अनुमानों के उदाहरण में स्थायी संपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल, निर्माण के दौरान व्यय आदि शामिल हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकता है। अनुमानों में परिवर्तन उस अवधि के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होता है, जिसमें परिवर्तन किया जाता है, और यदि परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव वित्तीय विवरणों के द्रष्टव्य में प्रकट किया जाता है। चूंकि, कंपनी एक एस.पी.वी. है, इसलिए परियोजना से संबंधित सभी प्रशासनिक व्यय सीडब्ल्यूआईपी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

कार्य अनबंधों के संबंध में, इंजीनियरों द्वारा प्रमाणीकरण पर व्यय को चालू-पूँजीगत-कार्य के रूप में बुक किया गया है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

3. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

3.1 राजस्व मान्यता

राजस्व को प्राप्त अथवा प्राप्य मुआवजा के सही मूल्य पर मापा जाता है।

वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय की पहचान तब की जाती है, जब यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ कंपनी की ओर प्रभावित होगी तथा आय की रकम को निर्भरयोग्य तरीके से मापा जा सकता है।

निर्माण कार्य के लिए निविदा कागजात की बिक्री से हुए आय को पूँजीकरण के लिए लंबित व्यय से घटा दी जाती है।

ठेकेदारों से वसूले गए अग्रिम पर ब्याज चालू-पूँजीगत-कार्यमें वर्णित ठेके के संबंधित शीर्षक के अंतर्गत समायोजित किया जाता है।

बैंक से अल्पकालीन जमा पर अर्जित ब्याज को आय के रूप में नहीं माना जाता है और चालू-पूँजीगत-कार्यमें लंबित पूँजीकरण व्यय से घटा दिया जाता है क्योंकि इसे पूँजी प्राप्तियों के रूप में माना जाता है। प्रबंधन के निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के दौरान फंड के अस्थायी नियोजन से सावधि जमा पर अर्जित ब्याज आय को चालू-पूँजीगत-कार्यकी लागत के साथ समायोजित किया जाता है।

3.2 विदेशी मुद्राएँ

कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी का कार्यशील मुद्रा (भारतीय रुपये) के अलावा अन्य मुद्राओं में लेन-देन की पहचान लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर की जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर विदेशी मुद्राओं में लिखित मॉनिटरी आइटमों को उस तारीख को प्रचलित दर पर पुनः परिवर्तित किया जाता है जैसा कि ऐड एकाउंट्स एंड ऑडिट डिवीजन द्वारा किया गया। गैर-मॉनिटरी आइटम, जिसे परंपरागत लागत के रूप में विदेशी मुद्रा में मापा गया है, उन्हें पुनः परिवर्तित नहीं किया गया है।

3.3 उधार की लागत

उधार की लागत जो सीधे अधिग्रहण, निर्माण अथवा योग्य परिसंपत्तियों के उत्पादन से जुड़ी है, जो वह परिसंपत्ति है जो बिक्री अथवा प्रयोग की उनकी इच्छा के लिए तैयार होने में काफी समय लगने की जरूरत होती है, उन्हें उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ दिया जाता है, उस समय तक जब वे बिक्री या प्रयोग के लिए पूरी तरह से तैयार न हो जाए।

3.4 कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि, छुट्टी नकदीकरण

नियमित कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि के लिए कंपनी का अंशदान प्रोद्भूत आधार पर खाते में लिया जाता है तथा लाभ और हानि के खाते में भारित किया जाता है। कंपनी के पास निधि के लिए देय योगदान के अलावा कोई अन्य दायित्व नहीं है।

प्रतिनियुक्तियों के संबंध में, कर्मचारियों के लिए बकाये कर्मचारी लाभ का भुगतान उनके संबंधित संगठन/नियोक्ता जहाँ से उन्हें प्रतिनियुक्त किया जाता है, उन संगठनों द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर किया जाता है। प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के पेंशन अंशदान तथा छुट्टी वेतन को उनके मूल्यांकन के अनुसार उनके संबंधित संगठनों को अंतरण भी किया जाता है।

ग्रेच्युटी:

कंपनी ग्रेच्युटी, पारिभाषित सेवानिवृत्ति योजना लाभ (ग्रेच्युटी योजना) प्रदान करती है, जिसमें पात्र कर्मचारी लाभान्वित होते हैं। ग्रेच्युटी योजना सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अक्षमता अथवा नियोजन से बर्खास्तगी पर निहित कर्मचारियों को एक मुश्त राशि का भुगतान करती है, जो कंपनी में संबंधित कर्मचारी के वेतन एवं नियोजन की अवधि पर निर्भर होती है।

ग्रेच्युटीयोजना के संबंध में देयताओं का निर्धारण स्वतंत्र वेतन द्वारा कार्यनिष्पादित वास्तविक मूल्यांकन के जरिये किया जा सकता है, जो प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट पद्धति का प्रयोग कर प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर होता है।

वास्तविक लाभ व हानि तथा योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (शुद्ध ब्याज को छोड़कर) सम्मिलित पुनर्माप को तुलन-पत्र में तुरंत दर्शाया जाता है, भारित या अन्य वृहद आय में चिह्नित क्रेडिट के साथ उस अवधि में, जिसमें वे घटती हैं।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

अन्य वृहद आय में पहचान की गई पुनर्माप को प्रतिधारित आय में तुरंत दर्शाया जाता है तथा लाभ व हानि खाते में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है। शुद्ध व्याज की गणना उस अवधि के शुरू में छूट दर का उपयोग करके की जाती है, जो कि शुद्ध परिभाषित लाभ देयताएं अथवा परिसंपत्तियों की होती है।

3.5 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर एवं आस्थगित कर की रकम को दर्शाता है।

चालू कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए करयोग्य लाभ पर आधारित है। कंपनी के वर्तमान कर की गणना रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू दर के अनुसार की जाती है।

वर्तमान एवं पूर्वावधि के लिए चालू कर की पहचान, भुगतान न किये गए तक, एक देयता के रूप में की गई है। यदि वर्तमान एवं पूर्व अवधि के लिए पहले से भुगतान की गई राशि उन अवधियों (मूल्यांकन वर्ष-वार और संचयी नहीं) की बकाया राशि से अधिक है, तो अतिरिक्त को एक संपत्ति के रूप में पहचान दी जाएगी।

चूंकि कंपनी की कोई आय नहीं है, इसलिए आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और अग्रिम कर को वर्तमान कर परिसंपत्तियों के तहत दिखाया गया है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर व्यय या लाभ को करयोग्य आय और लोखांकन आय के बीच अंतर के नाते समय पर अंतर के रूप में पहचाना जाता है, जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और एक या एक से अधिक बाद की अवधि में उलटने में सक्षम होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को स्वीकृति नहीं दी जाती है, यदि संभावित संभावना हो कि निकट भविष्य में करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके लिए उसे वसूल किया जा सकता है।

3.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (फर्नीचर, फिक्चर, वाहन आदि सहित) को तुलन पत्र में कम संचित मूल्यहास और हानि के नुकसान (यदि कोई हो) की लागत पर बताया गया है। अधिग्रहण की लागत में माल ढुलाई, ड्यूटी, करों और अन्य आकस्मिक व्यय शामिल है, जो उक्त परिसंपत्तियों के निर्माण या अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है।

अधिग्रहण एवं अधिकार की प्रक्रिया पूरी कर भूमि का पूंजीकृत कर लिया गया है।

मूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाएगी जब यह परियोजना वाणिज्यिक परचालन के लिए तैयार हो और पूर्व-संचालक व्यय के अनुमोदन तथा अन्य मूर्त परिसंपत्तियों की पहचान के बाद इंड एस16 संपत्तियों, संयंत्र तथा उपकरण के अनुसार निपटा जाएगा।

3.6.1 पट्टों

इंड AS 116 में कहा गया है, या इसमें शामिल है, अनुबंध एक पट्टा है, यदि अनुबंध किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिफल के बदले में नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

3.6.1.1 एक पट्टेदार के रूप में

परिसंपत्तियों का पट्टा, जहां कंपनी, एक पट्टेदार के रूप में, प्रारंभ तिथि से पट्टे पर दी गई संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से ग्रहण नहीं की है, उपयोग के अधिकार की संपत्ति (आरओयू) को लागत पर आकलन करेगी। इसके बाद, इंड AS 116 के पैरा 31 का अनुपालन करते हुए, परिसंपत्ति का मूल्यहास किया जाता है जिसे लीज अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर चालू-पूंजीगत-कार्य के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.7 चालू-पूंजीगत-कार्य

तुलन पत्र की रिपोर्टिंग तारीख को निर्माण के अधीन परिसंपत्तियों को चालू-पूंजीगत-कार्य के रूप में दर्शाया गया है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

चालू-पूँजीगत-कार्यको निर्माण के अधीन पीपीई की प्रकृति के अनुरूप माना जाता है तथा इस परइंड एस 16 संपत्तियों, संयंत्र तथा उपकरण के प्रावधान लागू होंगे।

निर्माण व्यय, सलाहकारों को भुगतान की गयी फीस तथा निर्माण के दौरान पूर्व-प्रचालन व्यय सहित परियोजना से सीधे संबद्ध कोई भी आय को घटाकर अन्य सभी लागत को पूँजीकरण तक चालू-पूँजीगत-कार्यके रूप में दिखाया गया है। उसे कुल चालू-पूँजीगत-कार्यमें पूँजीबद्ध परिसंपत्तियों के अनुपात में परिसंपत्तियों में आवंटित किया जाएगा। ब्याज एवं अन्य के रूप में ठेकेदारों से वसूली को निर्माण व्यय लंबित पूँजीकरण के तहत समायोजित किया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार के साथ कंपनी के समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान की गई सभी एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इसलिए, सभी एसजीएसटी को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत एसजीएसटी प्राप्य के रूप में वर्षवार ब्रेक-अप और सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित रखा गया है।

वर्ष	एसजीएसटी राशि (रुपये में)
2017-18	2,10,019.98
2018-19	4,26,944.27
2019-20	4,59,627.83
2020-21	2,41,115.90
2021-22	2,71,461.28
2022-23	2,58,395.15

3.8 मूल्यहास एवं ऋण परिशोधन

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-छ में निर्दिष्ट दरों पर रिटेन डाउन वैल्यू पद्धति का उपयोग करके अपने अनुमानित उपयोगी जीवन के ऊपर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यहास करती है। वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास उपयोग की तारीख रखने के आधार पर प्रदान किया गया है।

परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

परिसंपत्ति	उपयोगी जीवन (वर्षों में)
भवन	60
एयर कंडीशनिंग एवं अन्य	10
कंप्यूटर उपकरण	3
मोटर वाहन	8
कार्यालय उपकरण	5
आईटी प्रणाली और नेटवर्किंग	6

प्रबंधन का मानना है कि अनुमानित जीवन यथार्थवादी है और उस अवधि के निष्पक्ष सन्निकटन को दर्शाते हैं, जिस पर परिसंपत्ति का उपयोग किए जाने की संभावना है। तकनीकीगत विकास, बाजार की स्थितियों और अन्य कारकों में बदलाव के कारण अनुमान बदल सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप अनुमानित उपयोगी जीवन में और मूल्यहास शुल्क में परिवर्तन हो सकते हैं। फ्रीहोल्ड जमीन का मूल्यहास नहीं किया गया है।

लीजहोल्ड जमीन को आरओयू के आधार पर लिया जाता है जिसे सीधी रेखा के आधार पर लीज अवधि में परिशोधन करना होता है।

3.9 मूर्त परिसंपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण) का नुकसान

प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की वहन की जा रही रकम की समीक्षा करती है, यह

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

निश्चित करने के लिए कि उन परिसंपत्तियों में किसी क्षय या हानि का संकेत तो नहीं है। यदि इस प्रकार का कोई संकेत मिलता है तो संपत्ति की वसूलीयोग्य रकम का अनुमान लगाया जाता है, ताकि क्षय या हानि की सीमा का निर्धारण किया जा सके (यदि कोई हो)। पुनर्प्राप्त करने योग्य राशि उचित मूल्य से अधिक, निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य से कम है।

3.10 उधार लागत

इंट एस23 के अनुसार उधार लागत यह बताता है कि उधार लागत, जो अधिग्रहण, निर्माण या योग्यता वाली परिसंपत्तियों के उत्पादन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, परिसंपत्तियों की लागत का अंश बताती है। अन्य उधार लागत को व्यय के रूप में चिह्नित किया गया है।

कंपनी की परियोजना को विशेष रूप से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी (जेआईसीए) और सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण द्वारा वित्त पोषित किया गया है। चूंकि यह उधार विशेष रूप से एक अर्हक परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से है, ब्याज लागत उन उधार पर अस्थाई निवेश से अर्जित किसी भी ब्याज आय को घटाकर पूंजीकरण के लिए योग्य है। अधीनस्थ ऋण के खाते में उधार, ब्याज मुक्त प्रकृति का होने के नाते कंपनी ने तुलन पत्र की तारीख में इसके उचित मूल्य का आकलन नहीं किया है। हालांकि, ऋण सेवा वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान की जानी है और इसे पास थ्रू असिस्टेंस (पीटीए) के रूप में बुक किया गया है।

3.11 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधानों को तब चिह्नित किया जाता है जब कंपनी के पास विगत घटना के परिणाम के रूप में वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) है। यह संभव है कि कंपनी को दायित्व का निपटान करने तथा दायित्व की राश से एक भरोसेमंद अनुमान तैयार करने की जरूरत होगी। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन के निर्णय के आधार पर द्रष्टव्य में प्रकट किया गया है। आकस्मिकताएं जिसकी संभावना क्षीण हो, उन्हें वित्तीय विवरण में प्रकट नहीं किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को तब तक चिह्नित नहीं किया जाता है, जब तक आकस्मिकताओं का समाधान नहीं हो जाता है और रकम प्राप्त या प्राप्य नहीं हो जाती है।

3.12 इक्विटी इंस्ट्रुमेंट्स

3.12.1 इक्विटी शेयर

साधारण शेयर को सिर्फ इक्विटी शेयरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3.13 लेखांकन नीति में परिवर्तन

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में लेखांकन नीति में संभावित प्रभाव से बदलाव किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में, अन्य व्यापक आय का शुद्ध हिस्सा पूर्व-संचालन व्यय में स्थानांतरित कर दिया गया था और चालू-पूँजीगत-कार्य के रूप में पूँजीकृत किया जाएगा। यह नई लेखांकन नीति विश्वसनीय और अधिक प्रासंगिक जानकारी प्रदान करती है क्योंकि कंपनी एक एस.पी.वी. होने के नाते कोई राजस्व उत्पन्न नहीं करती है और इसे ईस्ट-वेस्ट मेट्रो के निर्माण के उद्देश्य से स्थापित की गई है, न कि परियोजना के पूरा होने पर इसके संचालन के लिए।

तथापि, वित्त वर्ष 2020-21 के वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा करते समय भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक(C&AG) द्वारा की गई टिप्पणी के अनुपालन में, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ-हानि खाता तैयार किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर परियोजना से जुड़े लेन-देन शामिल नहीं हैं।

4.0 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

	द्रष्टव्य सं.	मार्च 31, 2023	मार्च 31, 2022
सकल ब्लॉक	4.1	4,13,168.52	4,21,780.39
जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया संयोजन		21,818.23	3,533.91
घटाएं : वर्ष के दौरान किया गया विलोपन		-139.58	-13.56
घटाएं : वर्ष के दौरान कुल मूल्यहास		-11,640.92	-12,132.21
शुद्ध ब्लॉक		<u>4,23,206.24</u>	<u>4,13,168.52</u>

(राशि हजार रु. में)

वित्तीय विवरणों पर दृष्टव्य (जारी)
4.1 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वहन मूल्य में निम्न परिवर्तन किए गए हैं :

विवरण	पूर्ण स्वामित्व वाली जमीन	भवन	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	वाहन	कार्यालय उपकरण	कम्प्यूटर उपकरण	आईटी सिस्टम एवं नेटवर्किंग	कुल
1 अप्रैल, 2022 तक सकल वहन मूल्य	2,36,603.77	46,741.73	16,811.37	917.12	18,042.92	12,558.11	7,945.22	3,39,620.25
संयोजन	18,165.22	-	1,319.37	-	369.13	1,891.46	73.35	21,818.54
समाप्ति/निपटारा/समायोजन	-	-	-	-	-	428.68	-	428.68
31 मार्च, 2023 तक सकल वहन मूल्य	2,54,768.99	46,741.73	18,130.74	917.12	18,412.05	14,020.90	8,018.58	3,61,010.11
1 अप्रैल, 2022 को संचित मूल्यहास	-	18,760.45	13,908.04	871.27	16,775.77	11,080.96	5,923.89	67,320.39
वर्ष के लिए मूल्यहास एवं परिशोधन	-	1,657.53	245.91	-	172.28	2,287.21	698.11	5,061.04
समाप्ति/निपटारा/समायोजन पर संचित मूल्यहास	-	-	-	-	-	289.09	-	289.09
31 मार्च, 2023 तक संचित मूल्यहास	-	20,417.99	14,153.95	871.27	16,948.04	13,079.08	6,622.00	72,092.33
31 मार्च, 2023 तक शुद्ध वहन मूल्य	2,54,768.99	26,323.75	3,976.79	45.86	1,464.00	941.82	1,396.57	2,88,917.78

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वहन मूल्य में निम्न परिवर्तन किए गए हैं :

विवरण	पूर्ण स्वामित्व वाली जमीन	भवन	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	वाहन	कार्यालय उपकरण	कम्प्यूटर उपकरण	आईटी सिस्टम एवं नेटवर्किंग	कुल
1 अप्रैल, 2021 तक सकल वहन मूल्य	2,36,603.77	46,741.73	15,048.76	917.12	17,730.22	11,612.44	7,505.37	3,36,159.41
संयोजन	-	-	1,762.61	-	312.70	1,018.74	439.85	3,533.91
समाप्ति/निपटारा/समायोजन	-	-	-	-	-	73.07	-	73.07
31 मार्च, 2022 तक सकल वहन मूल्य	2,36,603.77	46,741.73	16,811.37	917.12	18,042.92	12,558.11	7,945.22	3,39,620.25
1 अप्रैल, 2021 तक संचित मूल्यहास	-	17,307.14	13,093.40	871.27	16,451.91	9,704.29	4,399.56	61,827.56
वर्ष के लिए मूल्यहास	-	1,453.32	814.63	-	323.86	1,436.18	1,524.34	5,552.33
समाप्ति/निपटारा/समायोजन पर संचित मूल्यहास	-	-	-	-	-	59.50	-	59.50
31 मार्च, 2022 तक संचित मूल्यहास	-	18,760.45	13,908.04	871.27	16,775.77	11,080.96	5,923.89	67,320.39
31 मार्च, 2022 तक शुद्ध वहन मूल्य	2,36,603.77	27,981.28	2,903.33	45.86	1,267.15	1,477.15	2,021.33	2,72,299.86

वार्षिक लेखा 2022-23

वित्तीय विवरण के प्रति टिप्पणियां (जारी)

4.1.1 पट्टे वाली जमीन

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पट्टे वाली जमीन के वहन मूल्य में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :

(राशि हजार रु. में)		
विवरण	पट्टे वाली जमीन	कुल
1 अप्रैल, 2022 को सकल वहन मूल्य	1,97,396.52	1,97,396.52
संयोजन	-	-
समाप्ति/निपटारा/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2023 को सकल वहन मूल्य	1,97,396.52	1,97,396.52
1 अप्रैल, 2022 को संचित मूल्यहास	56,527.86	56,527.86
वर्ष के लिए मूल्यहास एवं परिशोधन	6,579.88	6,579.88
समाप्ति/निपटारा/समायोजन पर संचित मूल्यहास	-	-
31 मार्च, 2023 तक संचित मूल्यहास	63,107.75	63,107.75
31 मार्च, 2023 तक शुद्ध वहन मूल्य	1,34,288.77	1,34,288.77

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए पट्टे वाली जमीन के वहन मूल्य में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :

(राशि हजार रु. में)		
विवरण	पट्टे वाली जमीन	कुल
1 अप्रैल, 2021 को सकल वहन मूल्य	1,97,396.52	1,97,396.52
संयोजन	-	-
समाप्ति/निपटारा/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2022 तक सकल वहन मूल्य	1,97,396.52	1,97,396.52
1 अप्रैल, 2021 को संचित मूल्यहास	49,947.98	49,947.98
वर्ष के लिए मूल्यहास एवं परिशोधन	6,579.88	6,579.88
समाप्ति/निपटारा/समायोजन पर संचित मूल्यहास	-	-
31 मार्च, 2022 तक संचित मूल्यहास	56,527.86	56,527.86
31 मार्च, 2022 तक शुद्ध वहन मूल्य	1,40,868.66	1,40,868.66

- 4.1.2 पूर्ण स्वामित्व वाली जमीन में महाकरण एवं सेंट्रल स्टेशन, कोलकाता के परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वासन के लिए 10, लू सू सरणी, कोलकाता स्थित जमीन की कीमत के उद्देश्य से कलकत्ता राज्य परिवहन निगम को भुगतान किया गया ₹.3,00 करोड़ शामिल है।
- 4.1.3 जमीन के मूल्य में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सॉल्ट लेक में अनुमेय कब्जे के आधार पर दिए गए 38.5 एकड़ भूखंड की लागत शामिल नहीं है क्योंकि केवल उपयोग करने का अधिकार दिया गया है।
- 4.1.4 वर्ष के दौरान संपत्तियों में कोई क्षति नहीं हुई।
- 4.1.5 पट्टे वाली जमीन के लिए लीज किराये का उपचार Ind AS-116 के पैरा - 31 की आवश्यकताओं के अनुपालन में है, जबकि पट्टेदार केएमआरसीएल ने पट्टे की शुरुआत से ही पट्टा अवधि पर समान रूप से सीधी रेखा पद्धति में प्रारंभिक पट्टा भुगतान के परिशोधन का पालन किया है,

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)
5.0 चालू-पूँजीगत-कार्य

(राशि हजार रु. में)

सीधे सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित व्यय	द्रष्टव्य सं.	मार्च 31, 2023	मार्च 31, 2022
सिविल निर्माण व्यय			
एलिबेटेड वायाडक्ट		31,41,004.38	31,38,523.86
स्टेशन भवन एवं डिजाइन		31,01,174.70	30,88,554.58
भूमिगत सुरंग - यूजी -1		2,03,04,977.19	1,97,72,913.85
भूमिगत सुरंग - यूजी -2		1,93,57,390.99	1,88,34,035.53
सेंट्रल पार्क डिपो		17,39,666.76	17,16,410.15
ट्रेक कार्य		21,51,208.41	19,89,410.49
सुरंग वायु-संचालन प्रणाली		9,50,178.65	7,56,754.33
भूमिगत पर्यवरण नियंत्रण प्रणाली		11,55,506.22	7,71,726.56
भूमिगत ई एंड एम		20,08,517.41	16,86,643.85
यूएफडी-अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्टर		276.86	276.86
यूएफडब्ल्यूएल-अंडर फ्लोर ह्वील लेद		75,303.69	74,539.64
विद्युत आपूर्ति		34,17,263.96	33,84,581.08
संकेत एवं संचार		31,71,197.10	23,32,413.39
रोलिंग स्टॉक		99,46,965.93	90,70,867.49
स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली		3,20,337.58	2,39,141.71
स्वचालित स्मार्ट कार्ड रिचार्ज मशीन		6,168.83	2,216.95
लिफ्ट एवं एस्केलेटर्स		6,36,895.85	3,32,492.72
प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर/प्लेटफॉर्म स्क्रीन गार्ड		4,89,639.73	4,20,527.87
स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन		20,276.10	19,498.93
डिपो स्टोर मशीन		3,40,019.57	2,35,716.98
परिचालन एवं रखरखाव के लिए श्रमबल की आपूर्ति		85,447.47	92,226.97
स्कैनर		29,857.18	17,645.74
मेट्रो रेलवे को अग्रिम		-	65,690.12
अन्य आनुषंगिक कार्य		26,315.60	30,312.96
परामर्श शुल्क			
सामान्य सलाहकार		53,05,958.19	49,16,631.92
प्रधान सलाहकार		1,71,375.53	1,71,375.53
अन्य		70,906.76	50,149.02
		7,80,23,830.62	7,32,11,279.02
पूर्व - परिचालन व्यय लंबित आवंटन (संदर्भ देखें)	6	25,35,120.96	23,43,995.73
		8,05,58,951.58	7,55,55,274.81

- 5.1 ठेकेदारों से प्राप्त मोबिलाइजेशन अग्रिम और प्रतिधारण राशि पर अर्जित ब्याज को वर्ष के दौरान संबंधित लागत केंद्रों के पूँजीगत व्यय के तहत समायोजित किया गया है।
- 5.2 भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केएमआरसीएल), के बीच दिनांक 27.10.2008 के समझौता ज्ञापन के खंड 10.4 के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार केएमआरसीएल को परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रदत्त सभी स्थानीय कर, शुल्क और लेवी को छूट देगा या प्रतिपूर्ति करेगा। तदनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति/प्रतिपूर्ति योग्य कर (वैट राशि .78.26 करोड़) निर्माणाधीन परिसंपत्तियों की लागत से कम कर दिया गया है।
- 5.3 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए एसजीएसटी(राज्य माल एवं सेवा कर) की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से रु. 160.92 करोड़ रुपये का दावा पश्चिम बंगाल सरकार को पेश किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल दावा राशि 25.84 करोड़ रुपये में से 21.00 करोड़ जमा किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दावे की लंबित प्रक्रियाधीन दावे की गई राशि को निर्माणाधीन संबंधित परिसंपत्तियों की लागत के तहत समायोजित किया गया है और गैर-वर्तमान अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में अलग रखा गया है। प्राप्त होने वाले एसजीएसटी दावे का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है:- वित्त वर्ष-2017-18 - रु.21.00 करोड़, वित्त वर्ष- 2018-19 - रु.42.69 करोड़, वित्त वर्ष-2019-20 - रु.45.96 करोड़ & वित्त वर्ष 20-21 - रु. 24.11 करोड़, वित्त वर्ष 21-22- रु.27.14 करोड़, वित्त वर्ष 22-23 - रु.25.84 करोड़।
- 5.4 चालू- पूँजीगत- कार्य में परियोजना के ऊंचे हिस्से के संचालन और रखरखाव के संबंध में किए गए खर्च शामिल हैं, जिसका वाणिज्यिक संचालन फरवरी, 2020 से वाणिज्यिक संचालन के लिए मेट्रो रेलवे, कोलकाता को सौंपा गया है और इसके संबंध में आय मेट्रो रेलवे द्वारा मान्यता प्राप्त है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

6.0 पूर्व परिचालन व्यय (लंबित आवंटन)

(राशि हजार रु. में)

व्यय	द्रष्टव्य सं.	31-3-23 को	वर्ष 2022-23 के दौरान संयोजन/ विलोपन	31-3-22 को	वर्ष 2021-22 के दौरान संयोजन/ विलोपन
उधार लागत	6.1	36,26,955.92	3,70,001.70	32,56,954.22	3,05,075.26
कर्मचारी लाभ भुगतान	21.1	7,80,259.82	1,11,321.67	6,68,938.15	1,08,341.77
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय		1,33,362.79	11,640.92	1,21,721.87	12,132.22
बैंक प्रभार		15,351.02	346.03	15,004.99	440.67
विज्ञापन व्यय		47,361.31	1,089.77	46,271.54	485.48
मुद्रा में उतार-चढ़ाव लागत		-7,50,729.30	-2,32,334.78	-5,18,394.52	-21,94,612.02
कानूनी एवं पेशेवर प्रभार		78,466.96	20,963.96	57,503.01	19,620.62
अन्य प्रशासनिक व्यय	21.2	8,03,314.04	1,55,313.04	6,48,001.00	2,20,002.64
पिछले वर्ष के लिए आयकर		2,01,972.27	-	2,01,972.27	192.78
मेट्रो रेल को प्रतिपूर्ति		50,000.00	50,000.00		
		49,86,314.83	4,88,342.31	44,97,972.52	-15,28,320.58
आय					
सावधि जमा पर व्याज	6.2	24,04,925.09	2,94,705.76	21,10,219.33	95,721.56
अन्य		6,481.02	1,448.57	5,032.45	7.51
टीटीए और केआरजेवी से किराये की उगाही	6.3	3,190.91	180.84	3,010.07	1,574.51
मोबाईल कवरेज से किराया		1,234.72	-157.68	1,392.40	1,033.68
जब्त बयाना राशि		480.00	-	480.00	-
निविदा दस्तावेजों की बिक्री		12,533.98	56.90	12,477.08	110.20
आयकर वापसी पर व्याज		18,258.00	-	18,258.00	-
प्रतिभूति जमा पर व्याज		4,090.15	982.68	3,107.47	878.74
घटाएं: परिचालन के अधीन उत्पन्न आय		24,51,193.87	2,97,217.08	21,53,976.79	99,326.20
शुद्ध पूर्व परिचालन व्यय सीडब्ल्यूआईपी में अंतरित		25,35,120.96	1,91,125.23	23,43,995.73	(16,27,646.78)

6.1 समाप्त वर्ष के दौरान उधार लागत में शामिल है

द्रष्टव्य सं.

मार्च 31, 2023

मार्च 31, 2022

व्याज व्यय जेआईसीए

3,70,001.70

3,05,075.26

कुल

3,70,001.70

3,05,075.26

6.2 व्याज आय को समायोजित किया गया है ताकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एसबीआई स्वीप खाते पर केवल वास्तविक प्राप्त व्याज और अर्जित व्याज लिया जा सके। समय से पहले किये गए निवेश पर अर्जित सभी व्याज को केवल प्राप्त व्याज को शामिल करने के लिए समायोजित किया गया है।

6.3 बिना किसी औपचारिक अनुबंध या अनुबंध के ठेकेदार से वसूल किया गया किराया।

6.4 चूंकि, सीएएए केएमआरसीएल की ओर से भुगतान कर रहा है और प्रबंधन के पास विनिमय दर में उतार-चढ़ाव में अंतर उपलब्ध नहीं है। जेपीआई में कुल देय राशि पर दिनांक 31.03.2023 को आरबीआई की समापन दर के अनुसार विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव व्यय रु 23,23,34,779 (वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह रु 2,19,46,12,019 था) दर्ज किया गया।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)
7.0 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

		(राशि हजार रु. में)	
	द्रष्टव्य सं.	मार्च 31, 2023	मार्च 31, 2022
गैर-वर्तमान			
प्रतिभूति रहित, विचारित सामग्री			
प्रतिभूति जमा	7.1	19,661.22	18,864.72
प.ब. सरकार से पाप्य वैट	5.2	4,13,843.69	4,13,843.69
प.ब. सरकार से पाप्य एसजीएसटी	5.3	18,67,564.41	16,09,169.26
अन्य प्राप्तियाँ		281.84	220.82
कुल वर्तमान		23,01,351.16	20,42,098.49
अन्य अग्रिम			
प्रतिभूति रहित, विचारित सामग्री		-	-
सुरक्षा जमा पर प्राप्य ब्याज		-	-
अन्य अग्रिम/प्रीपेड		322.70	265.62
सावधि जमा (उपार्जित ब्याज सहित)	7.2	21,98,428.66	14,24,900.75
कुल वर्तमान		21,98,751.35	14,25,166.37
कुल ऋण एवं अग्रिम		45,00,102.51	34,67,264.85

- 7.1 प्रतिभूति जमा से तात्पर्य बिजली जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए दी गई जमाराशि और ऐतिहासिक लागत पर ली गई जमा राशि है। इसमें वैट शाफ्ट उद्देश्य के लिए अतिरिक्त 375 वर्ग मीटर भूमि का उपयोग करने के लिए कोलकाता पत्तन न्यास को दी गई जमा राशि भी शामिल है।
- 7.2 कार्य में देरी के कारण पीबीजी और कार बीमा की प्रतिपूर्ति के लिए एक ठेकेदार (आईटीडी आईटीडी सीईएम जेवी) के खिलाफ मामले में उच्च न्यायालय के पास 5.74 करोड़ की सावधि जमा गिरवी रखा गया है।

8.0 अन्य परिसंपत्तियाँ

		(राशि हजार रु. में)	
	द्रष्टव्य सं.	मार्च 31, 2023	मार्च 31, 2023
गैर-वर्तमान			
प्रतिभूति, विचारित सामग्री			
पूँजी अग्रिम			
ठेकेदारों को अग्रिम	8.1	3,24,706.29	1,60,814.49
उपयोगी सेवाओं के लिए सरकारी निकायों को अग्रिम	8.2	1,89,147.82	1,10,096.03
भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम भुगतान	8.3	3,30,177.77	3,30,177.77
कुल पूँजी अग्रिम		8,44,031.88	6,01,088.29
पूँजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम			
राजस्व प्राधिकरणों में शेष		-	-
आय कर	8.4	35,249.78	49,500.87
सेवा कर		69.56	69.56
कुल		35,319.34	49,570.43
कुल		8,79,351.00	6,50,659.00

8.1 ठेकेदारों को अग्रिम

	31 मार्च 2023	31 मार्च 2023
लामबंद अग्रिम	2,96,573.10	1,60,814.49
कुल	2,96,573.10	1,60,814.49

- 8.1.1 अनुबंध की शर्तों के अनुसार दिए गए लामबंद अग्रिम ठेकेदारों से प्राप्त वित्तीय बैंक गारंटी के माध्यम से पूरी तरह से सुरक्षित है।
- 8.1.2 ठेकेदारों को दिए गए अन्य अग्रिम में रु. 2,81,33,188 भी शामिल है, जो मेसर्स सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (मेसर्स एसआईएल) को भुगतान की गई वैट राशि है, जिसे समझौता ज्ञापन के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी थी, जिसे बाद में पश्चिम बंगाल सरकार ने बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दिया था। . इसलिए, मेसर्स एसआईएल को राशि वापस देने के लिए कहा गया था। तथापि, एक कानूनी विवाद उत्पन्न हुआ और वर्तमान में मेसर्स एसआईएल के पक्ष में मध्यस्थता निर्णय के खिलाफ एक अपील माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। उक्त अपील में, मेसर्स एसआईएल से प्राप्य के रूप में यह राशि भी शामिल है। आखिरी सुनवाई 16.03.2022 को हुई थी और मामला अभी तक सुलझा नहीं है।
- 8.2 उपयोगिता सेवाओं के लिए की गई पूंजीगत अग्रिम पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि पैसा पूर्व रेलवे आदि जैसी सरकारी एजेंसियों को भुगतान किया गया है और काम पूरा होने पर अग्रिमों को उचित समय पर समायोजित किया जाएगा।
- 8.3 परियोजना के लिए विभिन्न स्थानों पर भूमि अधिग्रहण के लिए एलएसी, पश्चिम बंगाल को भुगतान किया गया अग्रिम तदर्थ भुगतान है और उन भूमि का अधिग्रहण अभी तक केएमआरसीएल को नहीं सौंपा गया है। कंपनी ने दिनांक के 13.10.2017 के पत्र के माध्यम से ईस्ट-वेस्ट मेट्रो के संरेखण में परिवर्तन के लिए रु. 2923.77 लाख की राशि की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया है, अब भूमि की आवश्यकता नहीं है। मामला निपटान हेतु लंबित है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

8.4 वापसी योग्य आय कर वर्ष वार मूल्यांकन : निर्धारण वर्ष में आय कर वापसी और विवाद पर आय कर भुगतान का विवरण इस प्रकार है :

निर्धारण वर्ष	वापसी योग्य आयकर	विवाद पर भुगतान किया गया आयकर	कुल
नि.व. 2013-14	18,640.79	-	18,640.79
नि.व. 2014-15	16,559.57	49.43	16,608.99
कुल	35,200.36	49.43	35,249.78

8.4.1 निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए धारा 250 के तहत सीआईटी (ए) में आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है और इसका धन-वापसी लंबित है।

9.0 नकद एवं नकद समतुल्य

(राशि हजार रु. में)

	द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
वैकों में शेष			
चालू खाता		5,72,787.90	8,30,309.25
कुल		5,72,787.90	8,30,309.25

10.0 अन्य बैंकों में शेष

	द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
अन्य बैंकों में शेष			
सावधि जमा (परिपक्वता 12 महीने से अधिक नहीं)		11,02,772.29	36,76,441.28
उपर्युक्त पर उपार्जित ब्याज		26,573.56	22,423.93
कुल		11,29,345.85	36,98,865.20

10.1 सावधि जमा में दूरसंचार विभाग को बैंक गारंटी जारी करने के लिए बैंक के पास गिरवी रखी गई रु.1 लाख की जमा राशि शामिल है।

10.2 सावधि जमा में रु 9.94 करोड़ का ब्याज शामिल है जो प्रस्तुत प्रारंभिक अवधि से पहले की अवधि का है, जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में संभावित रूप से समायोजित किया गया है।

11.0 वर्तमान कर परिसंपत्तियां

	द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
कर परिसंपत्ति			
स्रोत पर कर कटौती		11,870.66	2,203.46
कुल		11,870.66	2,203.46

12.0 इक्विटी शेयर पूंजी

	द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
अधिकृत शेयर पूंजी			
इक्विटी शेयर पूंजी		3,75,86,200.00	3,75,86,200.00
3,75,86,20,000 (1,40,30,00,000)			
इक्विटी शेयर रु.10/- प्रत्येक			
निर्गमित, अभिदत्त एवं पूर्ण चुकता			
3,75,86,20,000 (37,58,62,000)			
इक्विटी शेयर रु.10/- प्रत्येक		3,75,86,200.00	3,75,86,200.00
		3,75,86,200.00	3,75,86,200.00

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

12.1 इक्विटी शेयर से जुड़े नियम / अधिकार

कंपनी के पास सिर्फ एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं, जिसका अंकित मूल्य रु. 10 प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक संबंधित शेयरधारकों द्वारा रखे गये इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में कंपनी की किसी भी शेष परिसंपत्ति को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

12.2 प्रतिवेदन वर्ष के प्रारम्भ एवं अंत में शेयरों की संख्या एवं बकाया राशि का सामंजस्य

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
क. इक्विटी शेयर पूंजी	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्रतिवेदन अवधि के प्रारम्भ में शेष	3,75,86,20,000	3,75,86,200.00	1,40,30,00,000	1,40,30,000.00
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन - इक्विटी शेयरों का नया आवंटन				
-- नकद के लिए			61,24,60,000	61,24,600.00
-- नकद के अलावा अन्य विचारार्थ			1,74,31,60,000	1,74,31,600.00
प्रतिवेदन अवधि की समाप्ति पर शेष	3,75,86,20,000	3,75,86,200.00	3,75,86,20,000	3,75,86,200.00

12.3 पांच प्रतिशत (5%) इक्विटी शेयरों से अधिक के शेयर धारकों का विवरण

शेयरधारकों का नाम	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2023 को	
	शेयरों की सं.	% धारण	शेयरों की सं.	% धारण
रेल मंत्रालय के जरिए भारत के राष्ट्रपति	2,78,13,79,200	74.00%	2,78,13,79,200	74.00%
आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	97,72,40,000	26.00%	97,72,40,000	26.00%

12.4 प्रमोटर्स का होल्डिंग का विवरण

प्रमोटर का नाम	वर्ष की शुरुआत में		वर्ष की अंत में		% वर्ष के दौरान परिवर्तन
	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का %	
भारत के राष्ट्रपति (रेल मंत्रालय)	2,78,13,79,200	74.00%	2,78,13,79,200	74.00%	0.00%
भारत के राष्ट्रपति (आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय)	97,72,40,000	26.00%	97,72,40,000	26.00%	0.00%
भारत के राष्ट्रपति के मनोनीत	800	0.00%	800	0.00%	0.00%

12.5 5 साल की अवधि के लिए, तुलन पत्र प्रतिवेदन तिथि से ठीक पहले

(क) नकद में भुगतान प्राप्त किए बिना पूरी तरह से भुगतान के रूप में आवंटित शेयरों की कुल संख्या और श्रेणी	शून्य
(ख) बोनस शेयरों के माध्यम से पूर्ण प्रदत्त के रूप में आवंटित कुल संख्या और शेयरों की श्रेणी	शून्य
(ग) वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या और श्रेणी	शून्य

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

13.0 अन्य इक्विटी

	द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
क) शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	13.2	-	-
अंतिम शेष (कुल-क)		-	-
ख) आरक्षित एवं अधिशेष			
अधिशेष :			
प्रारंभिक शेष		558.78	-
जोड़े : वर्ष के दौरान		7,483.98	558.78
घटायें : सीडब्ल्यूआईपी को अंतरित ★	13.1	-	-
अंतिम शेष (कुल-ख)		8,042.76	558.78
ग) अन्य व्यापक आय			
प्रारंभिक शेष		-543.45	-777.52
आयकर के परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्माप से		-211.93	234.08
अंतिम शेष (कुल - ग)		-755.38	-543.45
वर्ष की समाप्ति पर शेष (क + ख + ग)		7,287.38	15.34

13.1 वर्ष के दौरान कंपनी ने (वर्ष 20-21 के लिए रु.217,82,05,388/-, वर्ष 19-20 के लिए रु.236,92,20,200/- और पिछले वर्षों के लिए रु. -19,10,14,813/- को) चालू-पूँजीगत-कार्य(सीडब्ल्यूआईपी) में स्थानांतरित कर दिया है जो पहले लाभ और हानि खाते में दर्ज किए गए थे। प्रबंधन की राय के अनुसार, चूंकि केएमआरसीएल एक एसपीवी है, इसलिए किए गए सभी खर्च सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित हैं, इसलिए पहले राजस्व के रूप में दर्ज आय/व्यय अब सीडब्ल्यूआईपी में स्थानांतरित किये गए हैं।

13.2 शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन

शेयर आवेदन राशि में कोई भी शेयर प्रीमियम शामिल नहीं है।

13.3 शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन में परिवर्तन का मिलाप

विवरण	द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन			
प्रतिवेदन अवधि के प्रारम्भ में शेष		-	-
जोड़े : प्राप्त नयी शेयर आवेदन राशि		-	-
घटायें : वर्ष के दौरान आवंटित शेयर		-	-
प्रतिवेदन अवधि के अंत में शेष		-	-

14.0 उधार

	द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2023
गैर-वर्तमान अप्रतिभूति			
वरिष्ठ सावधि ऋण (जेआईसीए)	14.1 से 14.9	3,52,13,913.95	3,48,17,188.37
भारत सरकार से व्याज मुक्त ऋण	14.10 से 14.11	1,33,16,374.10	1,05,77,564.88
		4,85,30,288.05	4,53,94,753.25

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

- 14.1 जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ने भारत में अवसंरचनात्मक विकास के लिए सहयोग प्रदान करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के साथ एक समझौता किया है। ऐसा ही एक प्रस्ताव पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना का निर्माण था, ताकि बड़े पैमाने पर तेज गति वाले परिवहन प्रणाली का विस्तार करके कोलकाता मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में यातायात की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके और इस प्रकार ट्रैफिक जाम की समस्या एवं बढ़ती मोटर वाहनों की वजह से हो रहे प्रदूषण को कम करके क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा तथा शहरी विकास एवं शहरी पर्यावरण में सुधार लाया जा सके।
- जेआईसीए ऋण संप्रभु गारंटी ऋण है और आवश्यक ऋण समझौते द्वारा समर्थित है जो ऋण के नियमों और शर्तों का विवरण देता है। जेआईसीए ऋण एक दीर्घावधि वित्तीय दायित्व है और इसे Ind AS-32 के अनुसार वित्तीय विवरण में परिशोधित लागत पर लिया जाता है।

- 14.2 जेआईसीए द्वारा दो ट्रेजेज में स्वीकृत ऋणों का विस्तृत विवरण, इस प्रकार है :

- 14.2 जेआईसीए द्वारा दो ट्रेजेज में स्वीकृत ऋणों का विस्तृत विवरण, इस प्रकार है :

विवरण	समझौते की तारीख	स्वीकृत राशि (राशि लाख येन में)	ऋण का उद्देश्य	ब्याज की दर	अप्रयुक्त राशि पर देय प्रतिबद्धता प्रभार
ऋण खाता 192 ऋण खाता 192ए	10-03-2008	64,370.00	निर्माण कार्य व्यय तकनीकी परामर्श आकस्मिक ऋण	1.20% 0.01%	0.01%
		64,370.00			
ऋण खाता 207 ऋण खाता 207ए	31-03-2010	2,34,020.00	निर्माण कार्य व्यय तकनीकी परामर्श	1.40% 0.01%	0.01%
		2,34,020.00			
ऋण खाता 263 ऋण खाता 263ए	28-09-2018	2,59,030.00	निर्माण कार्य व्यय तकनीकी परामर्श	1.20% 0.01%	0.01%
		2,59,030.00			
ऋण खाता 295 ऋण खाता 295ए	25-03-2021	90,910.00	निर्माण कार्य व्यय तकनीकी परामर्श	1.15% 0.01%	0.01%
		90,910.00			
		6,48,330.00			

- 14.3 जेआईसीए की परिपक्वता प्रोफाइल इस प्रकार है

(राशि हजार रु. में)

विवरण	2023-24	2024-25	2024-25 के बाद
जेआईसीए ऋण			
- ऋण खाता 192	3,11,688.00	3,11,688.00	40,51,944.00
- ऋण खाता 207	11,09,726.00	11,09,726.00	1,66,45,890.00
कुल	14,21,414.00	14,21,414.00	2,06,97,834.00

- 14.4 ये ऋण समझौते की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए है। मूलधन का पुनर्भुगतान समझौते की अवधि के बाद शुरू होगा एवं छमाही किस्त में 20 साल की अवधि में पूरी तरह से भुगतान किया जाएगा। अनुबंध की शर्तों के अनुसार ऋण सं. 192 के मूलधन का पुनर्भुगतान मार्च, 2018 से शुरू हुआ है एवं ऋण सं. 207 की शुरुआत मार्च, 2020 से होगी। ऋण सं. का पुनर्भुगतान 263 एवं ऋण सं. 295 क्रमशः सितंबर 2028 और मार्च 2031 से शुरू होगा।
- 14.5 भारत सरकार के कंट्रोलर ऑफ़ ऐड एकाउंट्स एंड ऑडिट(सीएए) द्वारा ब्याज, मूलधन की किस्तों तथा अन्य बकायों की सेवा प्रदान की जा रही है। अबतक कंपनी ने ब्याज को अपनी लेखा-बहियों में प्रदान किया है, लेकिन कंपनी के बैंक खातों से कोई बहिर्वाह नहीं किया गया है, क्योंकि सीएए द्वारा इसकी सेवा प्रदान की जाती है। उपर्युक्त की रोशन में, कंपनी ने लेखा-बहियों में बकाया राशि पर 2% की सीमा तक अतिदेय शुल्क हेतु कुछ भी प्रदान नहीं किया है, जैसा कि ऋण समझौते में निर्धारित किया गया है। सीएए ने तुलन पत्र की तारीख के अनुसार इस खाते पर कोई भी मांग नहीं की है।
- 14.6 ऋण आईडी-207 के तहत संवितरण को मई 2018 के बाद रोक दिया गया है। कंपनी का विचार है कि चूंकि ऋण का संवितरण मई, 2018 के बाद नहीं किया गया है, इसलिए ऋण के तहत प्रतिबद्धता शुल्क के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
- 14.7 बकाया जेआईसीए ऋण को वर्तमान और गैर-वर्तमान में बाँट दिया गया है। वर्तमान जेआईसीए ऋण को संबंधित ऋण समझौता की परिशोधन अनुसूची के अनुसार तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष के भीतर बकाया पड़ी किस्तों के आधार पर तैयार किया गया है।
- 14.8 जेआईसीए ऋणों पर विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव-सीएए द्वारा पुष्टि की गई दर पर तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय मुद्रा में पुनर्विक्रय किया गया है। 31 मार्च, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भित दर पर आधारित रूपांतरण दर 0.6180 है। इंड AS-32 के अनुसार विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव को लाभ-हानि खाते में प्रभावित किया गया है।



वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

विवरण	31.3.23 को ऋण (येन)	31.3.23 को ऋण (आईएनआर) अनुवादित नहीं	उधार पर विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव व्यय	31.3.23 को ऋण (आईएनआर) अनुवादित
ऋण खाता 192	46,75,320.00	29,19,305.50	29,957.74	28,89,347.76
ऋण खाता 207	1,88,65,342.00	1,17,75,760.35	1,16,978.99	1,16,58,781.35
ऋण खाता 263	2,58,26,535.42	1,60,71,852.99	1,11,054.10	1,59,60,798.89
ऋण खाता 295	90,48,000.00	55,66,007.95	-25,656.05	55,91,664.00
	5,84,15,197.42	3,63,32,926.78	2,32,334.78	3,61,00,592.00

14.9 जेआईसीए ऋण का विवरण

विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	अंतिम शेष (आईएनआर)
मूलधन	3,57,01,734.30	3,36,192.00	1,69,669.00	2,32,334.78	3,61,00,592.00
ब्याज प्रोबुद्ध एवं बकाया	-	3,70,001.70	3,70,001.70	-	-
प्रतिबद्धता शुल्क बकाया	51,687.94	-	-	-	51,687.94
	3,57,53,422.24	7,06,193.70	5,39,670.70	2,32,334.78	3,61,52,279.94

14.10 अधीनस्थ ऋण

रेल मंत्रालय (एमओआर) तथा आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) वर्तमान संयुक्त प्रमोटर होने के नाते और पश्चिम बंगाल सरकार (परियोजना के पूर्ववर्ती संयुक्त प्रमोटर) ने परियोजना के लिए केंद्रीय कर, ड्यूटी एवं अन्य संबंधित पूंजीगत व्यय अग्रिम के लिए कंपनी को ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण प्रदान किया है। इन ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची तथा अन्य नियमों एवं शर्तों को अभी तक तैयार एवं तय नहीं किया गया है। परियोजना के लिए संपूर्ण बड़े सावधि ऋण अर्थात् जेआईसीए से प्राप्त ऋण के पुनर्भुगतान के पश्चात शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त ऋण वर्ष 2021 से 2025 के दौरान पुनर्भुगतान योग्य है।

पुनर्भुगतान की शर्तों और अवधि में अनिश्चितता को देखते हुए, ऋण ऐतिहासिक लागत पर निष्पादित किये गए हैं। इसके अलावा कंपनी बाजार से कम ब्याज दर पर सरकारी ऋण के लाभ को सरकारी अनुदान के रूप में मान्यता नहीं दे रही है।

14.11 उधार लेने की शक्ति		2022-23	2021-22
अधीनस्थ ऋण – आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के जरिए भारत सरकार	14.7	1,710,700.00	17,10,700.00
अधीनस्थ ऋण – रेल मंत्रालय के जरिए भारत सरकार		48,68,900.00	48,68,900.00
वरिष्ठ सावधि ऋण (जेआईसीए) / पीटीए		59,00,778.97	46,91,943.21
वित्त मंत्रालय द्वारा ब्याज के साथ जेआईसीए ऋण का पुनर्भुगतान पास थरू अस्सिस्टेंस – रेल मंत्रालय		2,36,25,082.38	2,06,25,082.38
घटाए :			
जेआईसीए के लिए रेल मंत्रालय से पहले ही प्राप्त		2,27,89,087.24	-2,13,19,060.71
		13,316,374.10	1,05,77,564.88

14.12 गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं प्रतिभूति जमा एवं प्रतिधारण राशि

द्रष्टव्य सं.
17.1

मार्च 31, 2023
3,28,721.78
3,28,721.78

मार्च 31, 2022
2,70,560.12
2,70,560.12

15.0 प्रावधान

कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान
अवकाश वेतन के लिए प्रावधान

द्रष्टव्य सं.

मार्च 31, 2023
3,419.40
3,799.96
7,219.36

मार्च 31, 2022
2,705.25
2,783.19
5,488.44

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

15.1 कंपनी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अपने पात्र कर्मचारियों के भावी ग्रेच्युटी लाभ और अवकाश वेतन लाभ की देनदारी का हिसाब रखती है।

परिभाषित लाभ योजना

(i) परिभाषित लाभ दायित्व के प्रारंभिक और समापन शेष का मिलान

विवरण	ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
वर्ष की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	26,83,749.00	31,94,393.00
वर्तमान सेवा लागत	3,08,253.00	2,61,928.00
ब्याज लागत	1,93,966.00	1,88,027.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि	2,11,934.00	2,34,075.00
लाभ भुगतान	-	-11,94,674.00
पिछले वित्तीय वर्ष★ के लिए समायोजन	21,499.00	-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	34,19,401.00	26,83,749.00

(ii) वर्ष के दौरान पहचान की गई व्यय

विवरण	ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
आय विवरण में		
वर्तमान सेवा लागत	3,08,253.00	2,61,928.00
ब्याज लागत	1,93,966.00	1,88,027.00
कुल लागत	5,02,219.00	4,49,955.00
अन्य व्यापक आय में		
बीमांकिक (लाभ)/हानि	2,11,934.00	-2,34,075.00
ओसीआई में मान्यता प्राप्त वर्ष के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	2,11,934.00	-2,34,075.00

(iii) परिभाषित लाभ दायित्व के प्रारंभिक और समापन शेष का मिलान

विवरण	अवकाश वेतन (अवित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
वर्ष की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	32,03,090.00	45,03,594.00
वर्तमान सेवा लागत	2,65,222.00	2,38,086.00
ब्याज लागत	1,99,554.00	3,26,060.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि	5,51,995.00	-18,64,650.00
लाभ भुगतान	-	-
पिछले वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन★	-4,19,903.00	-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	37,99,958.00	32,03,090.00

(iv) वर्ष के दौरान पहचान की गई व्यय

विवरण	अवकाश वेतन (अवित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
आय विवरण में		
वर्तमान सेवा लागत	2,65,222.00	2,38,086.00
ब्याज लागत	1,99,554.00	3,26,060.00
कुल लागत	4,64,776.00	5,64,146.00
अन्य व्यापक आय में		
बीमांकिक (लाभ)/हानि	5,51,995.00	-18,64,650.00
ओसीआई में मान्यता प्राप्त वर्ष के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	10,16,771.00	-13,00,504.00

★दोनों कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए परिभाषित योजना दायित्वों में समायोजन - देय ग्रेच्युटी और अवकाश वेतन 2021-22 से संबंधित है और यह उक्त पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भुगतान किए गए लाभ की प्रकृति में है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

16.0 अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

पूँजीगत वस्तुओं के लिए व्यापार देय

- सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम का बकाया

- सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम के अलावा अन्य लेनदारों का बकाया

द्रष्टव्य सं.

मार्च 31, 2023

मार्च 31, 2022

3,43,670.05

1,62,974.90

3,43,670.05

1,62,974.90

31.03.23 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को देय राशि पर कोई ब्याज या बकाया नहीं है

31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्षों के लिए व्यापार देय पुरानी निर्धारण अनुसूची इस प्रकार है :

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
एमएसएमई का बकाया						
अन्य		3,33,132.71	3,911.52	1,103.22	5,522.60	3,43,670.05
कुल	-	3,33,132.71	3,911.52	1,103.22	5,522.60	3,43,670.05

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
एमएसएमई का बकाया						
अन्य		1,54,818.03	2,750.78	-	5,406.09	1,62,974.90
कुल	-	1,54,818.03	2,750.78	-	5,406.09	1,62,974.90

17.0 वित्तीय देयताएं

वर्तमान

उधारी

असुरक्षित

जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से ऋण

भारत सरकार के माध्यम से (जेआईसीए)

प्रतिभूति जमा एवं प्रतिधारण राशि

द्रष्टव्य सं.

मार्च 31, 2023

मार्च 31, 2022

14.1 to 14.9

8,86,678.05

8,84,545.93

17.1

2,79,960.87

2,18,742.74

11,66,638.92

11,03,288.67

17.1 कंपनी द्वारा रोकी गई प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण राशि को दोष दायित्व अवधि पूरी होने पर जारी कर दी जाती है। रोकी गई ऐसी प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा को वर्तमान एवं गैर-वर्तमान में वर्गीकरण तुलन पत्र की तारीख से एक (1) वर्ष के भीतर या उसके बाद इस तरह की दोष देयता अवधि के पूरा होने की समाप्ति के प्रबंधन के अनुमान के आधार पर किया जाता है।

18.0 अन्य वित्तीय देयताएं

अन्य देयताएं

कर्मचारी लाभ देय

व्यय के लिए देयताएं

सांविधिक बकाया

जमा बयाना राशि

जेआईसीए ऋण पर प्रतिबद्धता शुल्क

द्रष्टव्य सं.

मार्च 31, 2023

मार्च 31, 2022

6,616.14

6,517.17

153.97

7,878.00

39,677.66

24,645.40

7,454.72

3,735.60

14.5

51,687.94

51,687.94

1,05,590.42

94,464.11

19.0 अन्य आय

आयकर वापसी पर ब्याज

कुल

द्रष्टव्य सं.

मार्च 31, 2023

मार्च 31, 2022

8,074.70

1,284.33

8,074.70

1,284.33

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)
20.0 अन्य व्यय

निदेशक बैठने की फीस
लेखा परीक्षकों को भुगतान
सांविधिक लेखा परीक्षा
आंतरिक लेखा परीक्षा
कर लेखा परीक्षा
कुल

द्रष्टव्य सं.	मार्च 31, 2023	मार्च 31, 2022
	41.30	241.90
	237.42	166.65
	300.00	305.00
	12.00	12.00
	590.72	725.55

द्रष्टव्य 21.1 : कर्मचारी लाभ व्यय

वेतन एवं अन्य लाभ★
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान
कर्मचारी कल्याण व्यय

द्रष्टव्य सं.	मार्च 31, 2023	मार्च 31, 2022
	1,07,319.01	1,05,504.79
	1,196.78	1,362.44
	2,805.88	1,474.54
	1,11,321.67	1,08,341.77

★ दिनांक 01.04.21 से 31.03.22 तक वेतन और अन्य लाभ रु.2203.83 हजार जिसमें अवकाश वेतन शामिल है और पेंशन अंशदान रु. 4527.96 हजार जो रेलवे के सेवानिवृत्त/प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से संबंधित है।

द्रष्टव्य 21.2 : अन्य व्यय
प्रशासनिक लागत

कार किराया शुल्क
बैंक शुल्क
मरम्मत एवं रख-रखाव
यात्रा एवं वाहन
दर एवं कर
सुरक्षा शुल्क
बिजली शुल्क
सॉफ्टवेयर व्यय
परामर्श एवं व्यावसायिक शुल्क
विविध व्यय
मुद्रण एवं स्टेशनरी
वैधानिक भुगतान पर ब्याज
टेलीफोन और इंटरनेट शुल्क
अन्य प्रशासनिक व्यय

द्रष्टव्य सं.	मार्च 31, 2023	मार्च 31, 2022
	19,060.30	17,838.44
	764.96	1,030.89
	1,086.78	1,627.20
	3,073.09	1,192.35
	190.95	2.50
	11,205.98	7,007.25
	1,957.41	1,946.65
	27.97	219.64
	37,556.60	1,153.17
	10,074.10	5,428.33
	1,223.41	785.20
	120.47	21.40
	1,018.34	1,444.30
	67,952.67	1,80,305.32
	1,55,313.04	2,20,002.64

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

22. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त विनियामक सूचना।
अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख का विवरण कंपनी के नाम पर नहीं है।

तुलन पत्र में प्रासंगिक लाइन वस्तु	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	स्वामित्व विलेख पर नाम	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक के रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक के कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	पट्टा भूमि	1,97,396.52	कोलकाता न्यास पत्तन	नहीं	वित्तीय वर्ष 2012-13 से आभी तक	कंपनी ने भूमि को 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर लिया है। कंपनी इसे अपने नाम पर पंजीकृत करने की प्रक्रिया में है।
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	75,480.57	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	वित्तीय वर्ष 2008-09 से आभी तक	1488 वर्ग मीटर भूमि का म्यूटेशन प्रक्रियाधीन है एवं 1733 वर्ग मीटर भूमि का म्यूटेशन लंबित है क्योंकि मामला विचाराधीन है और मामला वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी संख्या (सिविल) 36172/2013 के अंतर्गत लंबित है।
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	भवन	46,741.73	हुगली रिवर ब्रिज कमीशनर	नहीं	वित्तीय वर्ष 2008-09 से रु.24,250.83 वित्तीय वर्ष 2013-14 से रु.22,490.90	भवन का स्वामित्व केएमआरसीएल को हस्तांतरित नहीं किया गया था क्योंकि भवन उस समय बनाया गया था जब राज्य सरकार इस परियोजना में एक हिस्सेदार थी। परियोजना पूरी होने के कारण पर है और संपत्ति को मेट्रो रेलवे को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि मेट्रो रेलवे, भवन के स्वामित्व, टाइटल आदि के लिए आगे पहल करेगी।

- ख) कंपनी के पास चालू वर्ष और पिछले वर्ष के अंत में कोई निवेश संपत्ति नहीं है। तदनुसार, इस पैरा के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।
- ग) कंपनी ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- घ) कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है, जो मांग पर या वर्तमान और पिछले वर्ष के दौरान किसी भी शर्तों या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाने योग्य है। तदनुसार, इस पैरा के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।
- ड) चालू-पूँजीगत-कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) पुरानी अनुसूची/पूर्णता अनुसूची

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

क. चालू-पूँजीगत-कार्य के लिए, पुरानी अनुसूची 31.03.2023 तक नीचे दी गई है:

सीडब्ल्यूआईपी	एक अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
परियोजना प्रगति पर है	50,03,676.77	6,29,587.38	77,15,177.03	6,72,10,510.40	8,05,58,951.58
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित					

ख. पूँजी-कार्य-प्रगति के लिए, जिसका पूरा होना अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है, 31.03.2022 तक पूरा करने की अनुसूची नीचे दी गई है :

सीडब्ल्यूआईपी	एक अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
परियोजना प्रगति पर है	39,06,444.33	56,11,848.77	1,18,43,262.83	5,41,93,718.88	7,55,55,274.81
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित					

- च) कंपनी के पास चालू वर्ष और पिछले वर्ष के अंत में विकास के अंतर्गत कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है। तदनुसार, इस पैरा के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।
- छ) चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है। तदनुसार, इस पैरा के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।
- ज) कंपनी ने चालू और पिछले वर्ष के दौरान चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है। तदनुसार, इस पैरा के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।
- झ) कंपनी को चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबुझ कर डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है। तदनुसार, इस पैरा के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।
- इ) कंपनी ने चालू और पिछले वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, इस पैरा के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।
- ट) बैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के लिए कोई शुल्क या संतुष्टि लंबित नहीं है। तदनुसार, इस पैरा के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।
- ठ) चालू और पिछले वर्ष के दौरान कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) के अंतर्गत कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित परतों की संख्या का अनुपालन लागू नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

ड) विश्लेषणात्मक अनुपात:

अनुपात	गिनने वाला	भाजक	वर्तमान अवधि	पिछली अवधि	% परिवर्तन	25% से अधिक होने पर परिवर्तन का कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्ति	वर्तमान देयताएं	3.08	4.97	-38.16%	मुख्य रूप से वर्ष के अंत में वैधानिक देनदारियों में वृद्धि और रोके गए धन के कारण
ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	1.29	1.21	6.91%	-
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	लागू नहीं	लागू नहीं		-
इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर के बाद शुद्ध लाभ	शेयरधारकों की औसत इक्विटी	0.00	0.00	0.00%	-
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की लागत (सीओजीएस)	औसत इन्वेंटरी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	शुद्ध क्रेडिट बिक्री	औसत खाते प्राप्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
व्यापार देय कारोबार अनुपात	शुद्ध क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	शुद्ध बिक्री	कार्यशील पूंजी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
शुद्ध लाभ अनुपात (%)	कर के बाद शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
नियोजित पूंजी पर वापसी (%)	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी	0.02%	0.00%	0.00%	-
निवेश पर वापसी (%)	कर के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारकों की निधि	0.02%	0.00%	0.00%	-

ढ) चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी व्यवस्था की योजना को मंजूरी नहीं दी गई है। तदनुसार, इस अनुच्छेद के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।

ण) (ए) कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान वेदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (यों) या संस्था (ओं) को अग्रिम या ऋण या निवेशित धन (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड) का निवेश नहीं किया है और पिछले वर्ष इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि मध्यस्थ:

- कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें या
- अंतिम लाभार्थी को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

- (बी) कंपनी को चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (यों) या संस्था(ओं) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि कंपनी :
- (i) कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करे या
- (ii) अंतिम लाभार्थी को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें ।
- प) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान खातों की पुस्तकों में सरेंडर या आय के रूप में प्रकट किए गए खातों में कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है।
- फ) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रवधानों के अनुसार सीएसआर (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) के तहत किसी भी खर्च के लिए प्रवधान नहीं किया है। तदनुसार, सीएसआर गतिविधियों के संबंध में प्रकटीकरण लागू नहीं है।
- ब) कंपनी ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या भरचुअल मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है और इसलिए, मांगे गए प्रकटीकरण लागू नहीं है।

23. जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, वित्तीय विवरण और खातों के द्रष्टव्य में सभी राशियाँ हजारों में हैं।

24. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)

वर्तमान कर कानून के तहत घटाने योग्य अस्थायी अंतर समाप्त नहीं होते हैं। इन मदों के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि यह संभावित नहीं माना गया है कि भविष्य का कर योग्य लाभ निकट भविष्य में उपलब्ध होगा जिसके एवज में उन्हें वसूल किया जा सकता है।

25. भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबित कानूनी मामले

कंपनी के विरुद्ध दिनांक 31-03-2023 तक 49 कानूनी मामले लंबित हैं, विवरण इस प्रकार हैं: (सभी मामले सिविल प्रकृति के हैं)

मामलों की संख्या	विवरण	फोरम
1	भूमि अधिग्रहण	माननीय सर्वोच्च न्यायालय
13	भूमि अधिग्रहण	माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय
1	भूमि अधिग्रहण	हावड़ा जिला न्यायालय
1	पर्यावरण	नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल, कोलकाता
1	सुरंग	माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय
25	विविध	माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय
7	अनुबंध संबंधी	माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय

26. पश्चिम बंगाल सरकार ने 9 फरवरी 2015 को एक पत्र जारी कर केएमआरसीएल को सेंट्रल पार्क, साल्ट लेक में डिपो की स्थापना के लिए दी गई 38.5 एकड़ भूमि के लिए अनुमेय कब्जे के लिए शुल्क के रूप में 3368.79 करोड़ रुपये की मांग की है। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और केएमआरसीएल के बीच हस्ताक्षरित 27 अक्टूबर 2008 के ज्ञापन समझौता के पैरा 12.1 के अनुसार कंपनी द्वारा उक्त शुल्क देय नहीं है और इसलिए खाते में इसका कोई हिसाब नहीं है।
27. पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने पत्र दिनांक 13.02.2015 के माध्यम से कोलकाता शहर में स्टेशनों और मेट्रो रेल मार्गों के भूमि उपयोग के लिए वे लीव चार्ज के लिए 889.69 करोड़ रुपये की मांग की थी। इस मामले को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है और कंपनी को लगता है कि इस तरह के शुल्क देय नहीं हैं और इसलिए इसका हिसाब नहीं दिया गया है। हालाँकि, विवेक के तौर पर, कंपनी ने द्रष्टव्य संख्या 33(g) के अनुसार इसे आकस्मिक दायित्व के रूप में दिखाया है।
28. दिनांक 31 मार्च 2023 तक किसी भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को कोई भी बकाया राशि देय नहीं है और न ही कंपनी अधिनियम, 2013 और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अधीन कि भी अन्य विशेष डेटा का खुलासा करने की आवश्यकता है। सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम के रूप में एक उद्यम का निर्धारण कंपनी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को इस संबंध में भेजी गई सूचना के जवाब में प्राप्त पुष्टि पर आधारित है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

29. कर्मचारी लाभ योजनाएँ कर्मचारियों को प्रदान किए गए विभिन्न कर्मचारी लाभों का विवरण इस प्रकार है:

निर्धारित योगदान योजना

कंपनी उन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान करती है जिन्होंने इस्तीफे/सेवानिवृत्ति के समय कंपनी में पांच साल की सेवा पूरी कर ली है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के मूल वेतन की दर से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। यह योजना आम तौर पर कंपनी को बीमांकिक जोखिमों से अवगत कराती है जैसे: निवेश जोखिम, दीर्घायु जोखिम और वेतन जोखिम। समायोजन और बीमांकिक मूल्यांकन में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनर्मापन लाभ और हानि को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे अन्य व्यापक आय में होते हैं।

योजना परिसंपत्तियों का नवीनतम बीमांकिक मूल्यांकन और निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य 31 मार्च, 2023 को डॉ. आर. कन्नन, बी. चटर्जी अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार द्वारा किया गया था। निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य, और संबंधित वर्तमान सेवा लागत को परियोजना इकाई क्रेडिट पद्धति था। कंपनी कोई निधि नहीं रखती है, इसलिए ऐसी योगदान योजना के संबंध में योगदान की कोई आवश्यकता नहीं है।

ग्रेच्युटी

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणा इस प्रकार थी:

जीवनांकिक मूल्यांकनों के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त प्रमुख धारणा इस प्रकार थी :

प्रमुख धारणाएँ	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
छूट की दर	7.17%	7.24%
भविष्य में वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%
औसत अपेक्षित भावी सेवा (शेष कामकाजी जीवन)	10 वर्ष	12 वर्ष
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम 2012-2014	आईएएलएम 2012-2014
सेवानिवृत्ति की आयु - पुरुष	60 वर्ष	60 वर्ष
सेवानिवृत्ति की आयु - महिला	60 वर्ष	60 वर्ष
शीघ्र सेवानिवृत्ति और विकलांगता (सभी कारण संयुक्त)	0.100%	0.100%
आयु 45 से अधिक	0.06%	0.06%
आयु 29-45 के बीच	0.03%	0.03%
आयु 29 से कम	0.01%	0.01%
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	नजरंदाज	नजरंदाज

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

अवकाश योजना एक अंतिम वेतन निर्धारित लाभ योजना है जो सेवानिवृत्ति, मृत्यु, विकलांगता या स्वैच्छिक माध्यम से सेवानिवृत्त होने पर एकमुश्त भुगतान प्रदान की जाती है। लाभ अंतिम वेतन (बेसिक और डीए को ध्यान में रखते हुए) और संचित अवकाश शेष के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और निकास के समय भुगतान किया जाता है। योजना डिजाइन का अर्थ है कि आमतौर पर देनदारियों और वित्तीय परिणामों को प्रभावित करने वाले जोखिम निम्न होने की उम्मीद है: यह योजना आम तौर पर कंपनी को बीमांकिक जोखिमों से अवगत कराती है जैसे: निवेश जोखिम, दीर्घायु जोखिम और वेतन जोखिम।

समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनर्मापन लाभ और हानि को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे अन्य व्यापक आय में होते हैं।

योजना परिसंपत्तियों का नवीनतम बीमांकिक मूल्यांकन और निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य 31 मार्च, 2023 को डॉ. आर. कन्नन, बी. चटर्जी अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार द्वारा किया गया था।

वेतन अवकाश

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणा इस प्रकार थी:

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

प्रमुख धारणाएँ	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
छूट की दर	7.17%	7.24%
भविष्य में वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%
औसत अपेक्षित भावी सेवा (शेष कामकाजी जीवन)	10 वर्ष	11 वर्ष
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम 2012-2014	आईएएलएम 2012-2014
सेवानिवृत्ति की आयु- पुरुष	60 वर्ष	60 वर्ष
सेवानिवृत्ति की आयु - महिला	60 वर्ष	60 वर्ष
संघर्षण दर	0.100%	0.100%
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	नजरंदाज	नजरंदाज

30. पूर्व अवधि की महत्वपूर्ण ऋटियाँ

पूर्व अवधि की महत्वपूर्ण ऋटियों को प्रस्तुत पूर्व अवधि के लिए तुलनात्मक राशि को पुनस्थापित करके पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है जिसमें ऋटि हुई थी। यदि ऋटि प्रस्तुत प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के प्रारंभ शेष को तब तक बहाल किया जाता है जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, उस स्थिति में, नई लेखांकन नीति को व्यवहारिक प्रारंभिक अवधि से संभावित रूप से लागू करने के लिए तुलनात्मक जानकारी को समायोजित किया जाता है।

31. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर आय वर्ष के लिए	मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति शेयर मूल आय (रुपये)	0.00	0.00
लाभ और हानि विवरण के अनुसार वार्षिक लाभ (रु.)	7272.04	792.86
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य से इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	3,75,86,20,000	2,81,63,72,000
आरंभिक शेयर पूंजी - संख्या	3,75,86,20,000	1,40,30,00,000
समापन शेयर पूंजी - संख्या	3,75,86,20,000	3,75,86,20,000

32. मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार ने दिनांक 06.11.2012 को एक पत्र जारी किया था जिसमें उल्लेख किया

गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 48 करोड़ रुपये की धनराशि दी है। कंपनी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए केएमआरसीएल को दी जाने वाली 48 करोड़ रुपये का ब्यौरा पश्चिम बंगाल सरकार से मांगा है क्योंकि कंपनी के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। मामलों का सुलह एवं समाधान अभी भी लंबित है।

33. इंड एएस 24 के अधीन संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण

(a) संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण

प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति का नाम	संबंध की प्रकृति
श्री पी.यू.के. रेड्डी	अध्यक्ष
श्री वी. के. श्रीवास्तव	प्रबंध निदेशक
श्री अंशुमन सरकार	निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (आरएस एवं टी)
सैयद मोहम्मद जमील अहसन	निदेशक (पी एंड पी)
श्री धनंजय सिंह	निदेशक
श्री नागसेन मोरेश्वर ढोके	निदेशक
डॉ सौमित्र मोहन	निदेशक
श्री जयदीप	निदेशक
श्रीमती महुआ दत्त गुप्ता	कंपनी सचिव
श्री समिक भट्टाचार्य	सीएफओ

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

(b) वर्ष/अवधि के दौरान प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के साथ लेनदेन

विवरण	एमडी/निदेशक (राशि '000 में)	केएमपी (राशि '000 में)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	18,607.39	4,215.79
रिआयत का मूल्य	-	-
वेतन के बदले लाभ	-	-
स्वतंत्र निदेशकों की सीटिंग शुल्क★	35.00	205.00
कुल	18,642.39	4,420.79

★ वर्ष 2022-23 के लिए निदेशक की सीटिंग शुल्क का भुगतान श्रीमती अंजू वारियर को किया गया जो दिनांक 10.07.2022 तक स्वतंत्र निदेशक थीं।

(c) ऊपर बताए गए संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के अलावा, कंपनी का रेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ भी लेन-देन है, जिसे निम्नलिखित शामिल है, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है:

नियंत्रण की प्रकृति:- पर्याप्त हित रखने वाले शेयरधारक

वर्ष के दौरान लेनदेन:

संबंधित पार्टी का नाम	लेन-देन की प्रकृति	राशि ('000 रुपये में)
रेल मंत्रालय	पास थ्रू असिस्टेन्स	30,00,000.00
	जेआईसीए ऋण के एवज में प्राप्य	14,70,026.53

34. विदेशी मुद्रा अनावरण

कंपनी विदेशी मुद्राओं में लेन-देन करती है: जैसे ठेकेदारों को अग्रिम, निर्माण व्यय, परिणामस्वरूप, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का अनावरण उत्पन्न होता है। प्रतिवेदन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की गई लेनदेन की कुल राशि इस प्रकार है:

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ठेकेदारों को अग्रिम		
- यूरो	शून्य	शून्य
- यूएसडी	शून्य	शून्य
- येन	शून्य	शून्य
- एयूडी	शून्य	शून्य
निर्माण व्यय		
- यूरो	6,86,055.70	21,17,085.48
- जेपीवाई	3,05,724.51	8,06,05,312.07
- यूएसडी	2,42,453.40	23,63,119.85
- एयूडी	11,618.26	46,800.61

35. उचित मूल्य माप

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य उस राशि में शामिल किया जाता है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी और बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य माप का निर्धारण या तो परिसंपत्ति बेचने या देनदारी हस्तांतरित करने की लेनदेन की अवधारणा पर आधारित होता है:

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

- परिसंपत्ति या देनदारी के लिए मुख्य बाजार में या
- परिसंपत्ति या देनदारी के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में किसी प्रमुख बाजार के अभाव में।

कंपनी के लिए मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार सुलभ होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या देनदारी का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देनदारी का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग करेंगे, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने करते हैं।

प्रबंधन उचित मूल्य और उसके वित्तीय साधनों का आकलन करने में अपने सर्वोत्तम निर्णय का उपयोग करता है। हालाँकि, किसी भी आकलन तकनीक में अंतर्निहित सीमाएँ होती हैं। इसलिए, सभी वित्तीय साधनों के लिए, प्रस्तुत उचित मूल्य अनुमान आवश्यक रूप से उन सभी राशियों का संकेतक नहीं हैं जिन्हें कंपनी संबंधित तिथियों के अनुसार बिक्री लेनदेन में प्राप्त या भुगतान कर सकती थी। इस प्रकार, संबंधित प्रतिवेदन तिथियों के बाद वित्तीय साधनों का उचित मूल्य प्रत्येक वर्ष/अवधि के अंत में प्रतिवेदन की गई राशियों से भिन्न हो सकता है।

36. दिनांक 31 मार्च, 2023 तक बकाया विवादित सेवा कर एवं आयकर का विवरण, जिसे जमा नहीं किया गया अथवा विरोध के तहत जमा किया गया, का विवरण इस प्रकार है:

अधिनियम का नाम	बकाए की प्रकृति	राशि ('000 रुपये में)	वह अवधि जिससे राशि संबद्ध हो	फोरम जहां विवाद लंबित है
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	1,854.94	वित्त वर्ष 2009-10 to 2012-13	अपीलीय प्राधिकारी आयुक्त अपील (11), केंद्रीय उत्पाद शुल्क
आयकर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर कटौती	14.50	वित्त वर्ष 2022-23	ट्रेस के अनुसार कुल चूक
आयकर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर कटौती	7.32	वित्त वर्ष 2021-22	ट्रेस के अनुसार कुल चूक

37. इसमें कोई सेगमेंट प्रतिवेदन गतिविधि नहीं है।
38. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घावधि अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई ठोस अनुमानित हानि हो।
39. आकस्मिक देयताएं और पूंजीगत प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रदान नहीं की गई हैं):

विवरण	31 मार्च, 2023 तक (000 में)	31 मार्च, 2022 तक (000 में)
(ए) निम्नलिखित के संबंध में :		
- वित्त वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक अपील के अधीन सेवा कर के मामले	1,854.94 रुपए	1,854.94 रुपए
(बी) कंपनी के खिलाफ दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	1,27,55,353.23 रुपए	1,04,41,917.16 रुपए
(सी) हुगली रिवर ब्रिज कमिशनर द्वारा विभिन्न खर्चों के संबंध में दावे	13,301.36 रुपए	13,301.36 रुपए
(डी) अनिष्पादित पूंजी अनुबंधों की अनुमानित राशि (शुद्ध अग्रिम)	3,24,706.29 रुपए	1,73,59,200.00 रुपए
(ई) लेटर ऑफ क्रेडिट के एवज में बकाया राशि	1,316.60 यूरो	33,717.39 यूरो
(एफ) 38.5 एकड़ भूमि के लिए अनुमेय कब्जा शुल्क (- 26 देखें)	3,36,87,942.75 रुपए	3,36,87,942.75 रुपए
(जी) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मांगे गए वे लीव शुल्क (द्रष्टव्य - 27 देखें)	88,96,900.00 रुपए	88,96,900.00 रुपए
(ज) वेंट शाफ्ट के लिए कोलकाता पत्तन न्यास से अतिरिक्त भूमि	88,83,466.54 रुपए	88,83,466.54 रुपए

- आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील-I) के समक्ष वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक सेवा कर अपीलें लंबित हैं। अंतिम सुनवाई 13.10.2017 को हुई थी और उसके बाद अपील पर कोई प्रगति नहीं हुई, इसलिए खातों में मान्यता नहीं दी गई है।
- प्वाइंट संख्या (बी) कंपनी के विरुद्ध सुलह और मध्यस्थता से संबंधित दावों की संख्या का गठन करता है, जिन्हें अभी भी अदालत में निपटाया जाना बाकी है, इसलिए आकस्मिक देनदारियों के रूप में खुलासा किया गया है।



वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

- एचआरबीसी द्वारा किये गए दावे किसी भी सत्यापित दस्तावेज द्वारा समर्थित नहीं हैं।
 - यह राशि अगले दो वित्तीय वर्षों के दौरान होने वाली बजटीय पूंजीगत लागत से संबंधित है। यह आकलन परियोजना से जुड़ी भौतिक और वित्तीय प्रगति के आधार पर किया गया है। जब भी देयताएं बढ़ जाती हैं और उसका निर्वहन किया जाता है तो व्यय को बुक किया जाता है। इसलिए, इस राशि को अनिष्पादित पूंजी अनुबंधों की अनुमानित राशि के रूप में दिखाया गया है।
40. विविध लेनदारों के डेबिट/क्रेडिट शेष पुष्टि और समाधान के अधीन हैं।
41. वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप होने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

तुलन-पत्र के अभिन्न अंग द्रष्टव्य 1 से 41 तक के फॉर्म को विधिवत प्रमाणित किया गया है।

द्रष्टव्य 1 से 41 तक हस्ताक्षर

संलग्न हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
कृते राजकुमार कोठारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 320166ई
सीए आर.के.कोठारी
भागीदार
सदस्यता सं. : 055208
यूडीआईएन : 23055208BGWCEL4154

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 3 जुलाई, 2023

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

वी. के. श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10207179

समीक भट्टाचार्य
मुख्य वित्तीय अधिकारी
पैन: AMWPB7941H

अंशुमन सरकार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 09678873

महुआ दत्ता गुप्ता
कंपनी सचिव
पैन: AIEPG3324K





KMRC

Kolkata Metro Rail Corporation Limited

(A Government of India undertaking)

KMRCL Bhavan, HRBC Office Compound, Munshi Premchand Sarani, Kolkata - 700 021